खण्ड-506, अंक-03
गुरुवार 29 अग्रहायण, शक संवत् 1940
(20 दिसम्बर, 2018 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

-: 0 :-

(अधिकृत विवरण)

(सत्रहवीं विधान सभा, तृतीय सत्र, 2018)

(खण्ड 506 में 04 अंक हैं)
उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, लखनऊ (भारत)
2019

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे।
वार्षिक चन्दा : बिना महसल रु0 586.25 रुपये. महसल सहित रु0 724.25 रुपये।

119 L.A. (20-12-2018)

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थिति सदस्य	1-6
आगरा में छात्रा को जलाकर मारने की घटना एवं काशी में ध्वस्तीकरण में मिले शिवलिंगों को नाले में फेकने सम्बन्धी विषय पर नियम-311 के अन्तर्गत सूचना पर चर्चा कराये जाने की मांग	7
प्रश्नोत्तर	8-70
सत्र काल में विधान भवन के गेट नं0 07 एवं 08 के रूट पर ट्रैफिक व्यवस्था सुचारु रूप से कराये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	70-71
नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें	71-72
जनपद झांसी अन्तर्गत गरौठा तहसील के एरच-कुरैठा मार्ग पर ससुर नाले पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	72
जनपद सीतापुर में स्वच्छ भारत मिशन के तहत बनाये गये ओ0डी0एफ0 की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	72-73
बरेली नगर क्षेत्र में बस स्टेशन बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	73
पैक्सफेड गोरखपुर शाखा में किये जा रहे भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	73-74
जनपद बलरामपुर में महिला चिकित्सा अधिकारी डा0 नीना वर्मा के खिलाफ उच्च स्तरीय जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	74
जनपद कौशाम्बी के विधान सभा क्षेत्र मंझनपुर अन्तर्गत अलवारा झील का सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	74
कुशीनगर क्षेत्र में मैत्रेय परियोजना से सम्बन्धित भूमि अधिग्रहण के मालिकाना हक स्थानीय जनता को दिये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	75
राज्य कर्मचारियों की पेंशन बहाली का निस्तारण न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	75
जनपद सहारनपुर स्थित ढमोला नदी से लगे ग्राम गोकुलपुर के क्षतिग्रस्त रपटे की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	75
जनपद सीतापुर के अन्तर्गत कतिपय क्षेत्रों में लोक निर्माण विभाग द्वारा अधूरे कार्यों को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	76
कानपुर नगर में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच हेतु लैब की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	76

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद अलीगढ़ में भारी वाहनों से हो रही अवैध वसूली रोकने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	76-77
सहारनपुर नगर विधान सभा के अन्तर्गत लो0नि0वि0 द्वारा खुमरान पुल का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	77
जनपद अम्बेडकरनगर के विकास खण्ड भियांव में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस में इंट्री प्वांइट दिये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	77
जनपद बलिया की विधान सभा क्षेत्र रसड़ा के विकास खण्ड चिलकहर-लखनऊ-बलिया सम्पर्क मार्ग पर पड़ने वाले कतिपय पुलियों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	78
जनपद जालौन के विकास खण्ड महेवा में ग्राम लौना से सरसई के मध्य रपटा बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	78
जनपद बरेली की चीनी मिल सेमीखेड़ा की पेराई क्षमता को बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	78-79
एन0एच0 56बी पर अनूपगंज (गोसाईगंज) रेलवे क्रासिंग पर आर0ओ0बी0 बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	79
जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मड़ियाहूं अन्तर्गत कतिपय सड़कों की विशेष मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	79
जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र बछरांवा में धान खरीद न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	79-80
नियम-301 एवं नियम-51 की सभी सूचनायें लिये जाने का आग्रह	80
औचित्य के प्रश्न की सूचनायें	80-81
मा0 मुख्य मंत्री द्वारा सदन में सदस्यों के उनके क्षेत्र के विकास हेतु रु0 5 करोड़ की धनराशि की घोषणा किये जाने के सापेक्ष सदस्यों के कार्य न होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	81-86
एक वर्ष में प्राविधानित 90 उपवेशन के सापेक्ष वर्तमान वर्ष में मात्र 21 उपवेशन चलाये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	86-90
संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या क0नि0-2-2028/ग्यारह-9(47)-17-उ0प्र0ऐक्ट-1-2017 आदेश (151)-2018, दि0 22 अक्टूबर, 2018 (सदन के पटल पर रखी गयी।)	90
संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या क0नि0-2-2029/ग्यारह-9(47)-17-उ0प्र0ऐक्ट-1-2017 आदेश (152)-2018, दि0 22 अक्टूबर, 2018 (सदन के पटल पर रखी गयी।)	90

विषय	पृष्ठ-संख्या
संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या क0नि0-2-2030/ग्यारह-9(47)-17-उ0प्र0ऐक्ट-1-2017 आदेश (153)-2018, दि0 22 अक्टूबर, 2018 (सदन के पटल पर रखी गयी।)	91
उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (तेइसवां संशोधन) नियमावली, 2018 (सदन के पटल पर रखी गयी।)	91
उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (चौबीसवां संशोधन) नियमावली, 2018 (सदन के पटल पर रखी गयी।)	91
संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या क0नि0-2-2217/ग्यारह-9(57)-17-उ0प्र0अधि0-5-2018 आदेश (157)-2018, दि0 14 नवम्बर, 2018 (सदन के पटल पर रखी गयी।)	91
संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या क0नि0-2-2218/ग्यारह-9(57)-17-उ0प्र0अधि0-5-2018 आदेश (158)-2018, दि0 14 नवम्बर, 2018 (सदन के पटल पर रखी गयी।)	92
उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद् का आर्थिक चिट्ठा एवं आय-व्यय खाता वित्तीय वर्ष 2012-2013 (सदन के पटल पर रखा गया।)	92
उप लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन सं0-7-2016 (उप लो0 आ0) (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) (सदन के पटल पर रखा गया।)	92
उत्तर प्रदेश की सत्रहवीं विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2018 (दि0 23.08.2018 से 31.08.2018 तक) में नियम-301 के अधीन प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण (सदन के पटल पर रखा गया।)	92
उत्तर प्रदेश की सत्रहवीं विधान सभा की ''प्रतिनिहित विधायन समिति'' वर्ष (2017-2018) का चतुर्थ प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया।)	93
उत्तर प्रदेश की सत्रहवीं विधान सभा की ''प्रतिनिहित विधायन समिति'' वर्ष (2017-2018) का पंचम प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया।)	93
प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति (2017-2018) का द्वितीय प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया।)	93
प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति (2017-2018) का तृतीय प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया।)	93
श्री बृजेश कुमार रावत, सदस्य, विधान सभा द्वारा जनपद उन्नाव से सम्बन्धित 06 याचिकायें (उपस्थित की गयी।)	93-94
श्री अमिताभ बाजपेई, सदस्य, विधान सभा द्वारा जनपद कानपुर नगर से सम्बन्धित 03 याचिकायें (उपस्थित की गयी।)	94
डा0 डी0 सी0 वर्मा, सदस्य, विधान सभा द्वारा जनपद बरेली से सम्बन्धित 03 याचिकायें (उपस्थित की गयी।)	95

विषय	पृष्ठ-संख्या
श्री अजय कुमार लल्लू, सदस्य, विधान सभा द्वारा जनपद कुशीनगर से सम्बन्धित 02 याचिकायें (उपस्थित की गयी।)	95
श्री श्याम सुन्दर शर्मा, सदस्य, विधान सभा द्वारा जनपद मुजफ्फरनगर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की गयी।)	95
श्री विनोद कुमार कटियार, सदस्य, विधान सभा द्वारा जनपद कानपुर देहात से सम्बन्धित 05 याचिकायें (उपस्थित की गयी।)	96
डा0 सतीश चन्द्र द्विवेदी, सदस्य, विधान सभा द्वारा जनपद सिद्धार्थनगर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की गयी।)	96
श्री प्रभात कुमार वर्मा, सदस्य, विधान सभा द्वारा जनपद गोण्डा से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की गयी।)	96
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव (स्वीकृत)	97-100
विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना के प्रश्न की सूचना	100
श्री संजय प्रताप जायसवाल, सदस्य विधान सभा द्वारा श्री अर्जुन कुमार खनन अधिकारी, बस्ती के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	100-102
उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2018 (पुरःस्थापित)	102
उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2018 (पुरःस्थापित)	102-103
अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2018 (पुरःस्थापित)	103
आज पुरःस्थापित विधेयकों को विचारण एवं पारण हेतु आज ही लिये जाने का निर्णय	103-104
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें	104-123
वित्तीय वर्ष 2018-2019 के द्वितीय अनुपूरक मांगों पर साधारण चर्चा	123-156
वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में अनुदानों मांगों पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या-01, 09, 14, 20, 26, 31, 37 लगायत 38, 43, 45, 49, 57 लगायत 60, 81 तथा 83 जिसका विवरण निम्नवत है। (स्वीकृत)	156
अनुदान संख्या 01-आबकारी विभाग	156
अनुदान संख्या 09-ऊर्जा विभाग	156
अनुदान संख्या 14-कृषि तथा अन्य सम्बन्ध विभाग (पंचायतीराज)	156
अनुदान संख्या 20-कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग)	156
अनुदान संख्या 26-गृह विभाग (पुलिस)	157
अनुदान संख्या 31-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा, शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	157
अनुदान संख्या 37-नगर विकास विभाग	157

विषय	पृष्ठ-संख्या
अनुदान संख्या 38-नागरिक उड्डयन विभाग	157
अनुदान संख्या 43-परिवहन विभाग	157
अनुदान संख्या 45-पर्यावरण विभाग	157
अनुदान संख्या 49-महिला एवं बाल कल्याण विभाग	157
अनुदान संख्या 57-लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सेतु)	157
अनुदान संख्या 58-लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सड़कें)	158
अनुदान संख्या 59-लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय)	158
अनुदान संख्या 60-वन विभाग	158
अनुदान संख्या 81-समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	158
अनुदान संख्या 83-समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)	158
उत्तर प्रदेश विनियोग (2018-2019) का द्वितीय अनुपूरक विधेयक, 2018 (पुरःस्थापित एवं पारित)	158-161
उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2018 (पारित)	161-163
उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर संशोधन विधेयक, 2018 (पारित)	163-175
उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था संशोधन विधेयक, 2018 (पारित)	175-178
अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2018 (पारित)	178-220
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनायें	220-223
जनपद जौनपुर, तहसील मड़ियाहूं में फर्जी निर्माण कार्यों की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती लीना तिवारी द्वारा दिनांक 28 अगस्त, 2018 को दी गयी सूचना पर नियम-51 के अन्तर्गत ग्राम्य विकास मंत्री का वक्तव्य (स्थगित)	223
जनपद बुलन्दशहर के अन्तर्गत काला आम से ग्राम जैनपुर को जाने वाली सड़क पर स्थित ग्राम कुड़वल-बनारस मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य	223-224
नत्थियां	225-247

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सत्रहवीं विधान सभा

गुरूवार, दिनांक 20 दिसम्बर, 2018 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11:00 बजे अध्यक्ष श्री हृदय नारायण दीक्षित की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

उपस्थित सदस्य-362

1. अक्षयवर लाल गोंड, श्री — बहराइच
2. अगयश राम सरन वर्मा, श्री — पीलीभीत
3. अजय कुमार, डॉ0 — इलाहाबाद
4. अजय कुमार लल्लू, श्री — कुशीनगर
5. अजीत पाल त्यागी, श्री — गाजियाबाद
6. अजीत पाल सिंह, श्री — कानपुर देहात
7. अतुल गर्ग, श्री — गाजियाबाद
8. अदिति सिंह, सुश्री — रायबरेली
9. अनिल कुमार, श्री — बुलन्दशहर
10. अनिल कुमार दोहरे, श्री — कन्नौज
11. अनिल कुमार मौर्य, डा0 — सोनभद्र
12. अनिल पाराशर, श्री — अलीगढ़
13. अनिल सिंह, श्री — उन्नाव
14. अनीता, श्रीमती — अम्बेडकर नगर
15. अनीता लोधी राजपूत, डा0 — बुलन्दशहर
16. अनुपमा जायसवाल, श्रीमती — बहराइच
17. अनुराग सिंह, श्री — मिर्जापुर
18. अनूप प्रधान, श्री — अलीगढ़
19. अबरार अहमद, श्री — सुल्तानपुर
20. अभय कुमार उर्फ धीरज ओझा, श्री — प्रतापगढ़
21. अभिजीत सिंह सांगा, श्री — कानपुर नगर
22. अमन मणि त्रिपाठी, श्री — महराजगंज
23. अमर सिंह, श्री — फर्रुखाबाद
24. अमिताभ बाजपेई, श्री — कानपुर नगर
25. अम्बरीश सिंह पुष्कर एडवोकेट, श्री — लखनऊ
26. अरविन्द गिरि, श्री — खीरी
27. अरूण कुमार, डा0 — बरेली
28. अरूण कुमार यादव, श्री — आजमगढ़
29. अर्चना पाण्डेय, श्रीमती — कन्नौज
30. अलका राय, श्रीमती — गाजीपुर
31. अवस्थी बाला प्रसाद, श्री — खीरी
32. अविनाश त्रिवेदी, श्री — लखनऊ
33. अशोक कुमार सिंह चन्देल, श्री — हमीरपुर
34. असलम अली, श्री — हापुड़
35. आजाद अरिमर्दन, श्री — आजमगढ़
36. आनन्द स्वरूप शुक्ल, श्री — बलिया
37. आर0 के0 वर्मा, डा0 — प्रतापगढ़
38. आर0 के0 सिंह पटेल, श्री — चित्रकूट
39. आराधना मिश्रा 'मोना', श्रीमती — प्रतापगढ़
40. आलमबदी, श्री — आजमगढ़
41. आशुतोष उपाध्याय, श्री — देवरिया
42. आशुतोष टण्डन ''गोपाल जी'', श्री — लखनऊ
43. इकबाल महमूद, श्री — सम्भल
44. इकराम कुरैशी, हाजी — मुरादाबाद
45. इन्द्र प्रताप उर्फ खब्बू तिवारी, श्री — फैजाबाद
46. इरफान सोलंकी, हाजी — कानपुर नगर
47. उज्जवल रमण सिंह, श्री — इलाहाबाद
48. उदयभान सिंह, चौ0 — आगरा

49. उपेन्द्र तिवारी, श्री बलिया
50. उपेन्द्र सिंह, श्री बाराबंकी
51. उमाशंकर सिंह, श्री बलिया
52. उमेश मलिक, श्री मुजफ्फरनगर
53. ओमकार सिंह, श्री बदायूं
54. ओम प्रकाश राजभर, श्री गाजीपुर
55. कपिल देव अग्रवाल, श्री मुजफ्फरनगर
56. कमल रानी, श्रीमती कानपुर नगर
57. कमल सिंह मलिक, श्री हापुड़
58. कमलेश शुक्ल, श्री देवरिया
59. कमलेश सैनी, श्रीमती बिजनौर
60. करण सिंह पटेल, श्री फतेहपुर
61. कल्पनाथ पासवान, श्री आजमगढ़
62. कारिन्दा सिंह, श्री मथुरा
63. काली प्रसाद, श्री देवरिया
64. किशन लाल राजपूत, श्री पीलीभीत
65. कुशाग्र सागर, श्री बदायूं
66. कृष्णपाल मलिक, श्री बागपत
67. कृष्णा पासवान, श्रीमती फतेहपुर
68. केसर सिंह, श्री बरेली
69. कैलाश नाथ शुक्ल, श्री बलरामपुर
70. कैलाश नाथ सोनकर, श्री वाराणसी
71. कैलाश सिंह राजपूत, श्री कन्नौज
72. गंगा, श्री कुशीनगर
73. गरिमा सिंह, श्रीमती अमेठी
74. गिरीश चन्द्र यादव, श्री जौनपुर
75. गौरी शंकर, श्री जालौन
76. चन्द्रपाल कुशवाहा, श्री बांदा
77. चन्द्र प्रकाश उर्फ सीए चन्द्र प्रकाश शुक्ल, श्री बस्ती
78. चन्द्रिका प्रसाद उपाध्याय, श्री चित्रकूट
79. चेतन चौहान, श्री अमरोहा
80. चेतराम, श्री शाहजहांपुर
81. छत्रपाल सिंह गंगवार, श्री बरेली
82. जटाशंकर त्रिपाठी, श्री कुशीनगर
83. जन्मेजय सिंह, श्री देवरिया
84. जमुना प्रसाद सरोज, डॉ0 इलाहाबाद
85. जय कुमार सिंह (जैकी) श्री फतेहपुर
86. जय प्रकाश निषाद, श्री देवरिया
87. जय प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
88. जयमंगल, श्री महराजगंज
89. जवाहर लाल राजपूत, श्री झांसी
90. जितेन्द्र वर्मा, श्री आगरा
91. जी0 एस0 धर्मेश, श्री आगरा
92. ज्ञान तिवारी, श्री सीतापुर
93. ज्ञानेन्द्र, श्री महाराजगंज
94. डी0 सी0 वर्मा, डॉ0 बरेली
95. डेनजिल जे0 गोडिन, डा0 नाम-निर्देशित
96. तसलीम अहमद, श्री बिजनौर
97. तेजपाल सिंह नागर, श्री गौतमबुद्ध नगर
98. तेजेन्द्र निर्वाल, श्री शामली
99. त्रिवेणी राम, श्री गाजीपुर
100. दयाराम चौधरी, श्री बस्ती
101. दल बहादुर, श्री रायबरेली
102. दलवीर सिंह श्री अलीगढ़
103. दारा सिंह चौहान, श्री मऊ
104. दिग्विजय नारायण उर्फ जय चौबे, श्री सन्तकबीरनगर
105. दिनेश चौधरी, श्री जौनपुर
106. दीनानाथ भाष्कर, श्री भदोही
107. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
108. देवमणि द्विवेदी, श्री सुल्तानपुर
109. देवेन्द्र कुमार निम, श्री सहारनपुर
110. देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री कासगंज
111. देवेन्द्र सिंह राजपूत, श्री कासगंज
112. देवेन्द्र सिंह लोधी एडवोकेट, श्री बुलन्दशहर

113. धनन्जय कन्नौजिया, श्री बलिया
114. धर्मपाल सिंह, श्री बरेली
115. धर्मराज सिंह यादव उर्फ सुरेश यादव, श्री बाराबंकी
116. धर्म सिंह सैनी, डा0 सहारनपुर
117. धर्मेन्द्र कुमार सिंह शाक्य उर्फ ''पप्पू भइया'', श्री बदायूं
118. धीरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री रायबरेली
119. धीरेन्द्र सिंह, श्री गौतमबुद्ध नगर
120. नईम उल हसन, श्री बिजनौर
121. नन्द किशोर गुर्जर, श्री गाजियाबाद
122. नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी', श्री इलाहाबाद
123. नफीस अहमद, श्री आजमगढ़
124. नरेन्द्र पाल सिंह, कुं0 जालौन
125. नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री सीतापुर
126. नरेश सैनी, श्री सहारनपुर
127. नवाब जान, श्री मुरादाबाद
128. नागेन्द्र सिंह राठौर, श्री फर्रुखाबाद
129. नाहिद हसन, श्री शामली
130. नितिन अग्रवाल, श्री हरदोई
131. निर्मला संखवार, श्रीमती कानपुर देहात
132. नीरज बोरा, श्री लखनऊ
133. नीलकण्ठ तिवारी, डॉ0 वाराणसी
134. नीलम करवरिया, श्रीमती इलाहाबाद
135. नील रतन सिंह पटेल 'नीलू', श्री वाराणसी
136. नीलिमा कटियार, श्रीमती कानपुर नगर
137. पंकज गुप्ता, श्री उन्नाव
138. पंकज सिंह, श्री गौतमबुद्धनगर
139. पक्षालिका सिंह, रानी आगरा
140. पवन कुमार उर्फ पवन केडिया, श्री कुशीनगर
141. पल्टूराम, श्री बलरामपुर
142. पारसनाथ यादव, श्री जौनपुर
143. पिंकी सिंह यादव, श्रीमती सम्भल
144. पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
145. प्रकाश चन्द्र द्विवेदी, श्री बांदा
146. प्रतिभा शुक्ला, श्रीमती कानपुर देहात
147. प्रतीक भूषण सिंह, श्री गोण्डा
148. प्रदीप कुमार, श्री सहारनपुर
149. प्रभात कुमार वर्मा, श्री गोण्डा
150. प्रभाष कुमार, श्री हरदोई
151. प्रभुनारायण सिंह यादव, श्री चन्दौली
152. प्रमोद उटवाल, श्री मुजफ्फरनगर
153. प्रवीण कुमार सिंह, श्री इलाहाबाद
154. प्रेम नारायण पाण्डेय, श्री गोण्डा
155. प्रेमसागर पटेल, श्री महाराजगंज
156. फतेह बहादुर, श्री गोरखपुर
157. फागू चौहान, श्री मऊ
158. बजरंग बहादुर सिंह, श्री महाराजगंज
159. बन्दना सिंह, श्रीमती आजमगढ़
160. बम्बा लाल, श्री उन्नाव
161. बल्देव सिंह औलख, श्री रामपुर
162. बहोरन लाल मौर्य, श्री बरेली
163. बाबू राम पासवान, श्री पीलीभीत
164. बावन सिंह, श्री गोण्डा
165. बिमला सिंह सोलंकी, श्रीमती बुलन्दशहर
166. बिहारीलाल आर्य, श्री झांसी
167. बीरेन्द्र सिंह राणा, श्री हाथरस
168. बृजभूषण राजपूत उर्फ गूड्डू भइया, श्री महोबा
169. बृजेश कठेरिया, इंजी0 मैनपुरी
170. बृजेश कुमार, श्री उन्नाव
171. बृजेश कुमार प्रजापति, श्री बांदा
172. बैजनाथ रावत, श्री बाराबंकी
173. ब्रिजेश, श्री सहारनपुर

174. भगवती प्रसाद सागर, श्री कानपुर नगर
175. भूपेश चौबे, श्री सोनभद्र
176. मंजू त्यागी, श्रीमती खीरी
177. मनीषा अनुरागी, श्रीमती हमीरपुर
178. मनोज कुमार पाण्डेय, श्री रायबरेली
179. मनोज कुमार पारस, श्री बिजनौर
180. मनोहर लाल, श्री ललितपुर
181. ममतेश शाक्य, श्री कासगंज
182. मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री रायबरेली
183. मसूद अखतर, श्री सहारनपुर
184. महबूब अली, श्री अमरोहा
185. महेन्द्र पाल सिंह, श्री गोरखपुर
186. महेन्द्र प्रताप सिंह, श्री सीतापुर
187. महेन्द्र सिंह खडगवंशी, श्री अमरोहा
188. महेश कुमार गोयल, श्री आगरा
189. महेश त्रिवेदी, श्री कानपुर नगर
190. महेश चन्द्र गुप्ता, श्री बदायूं
191. माधवेन्द्र प्रताप, कुंवर हरदोई
192. माधुरी वर्मा, श्रीमती बहराइच
193. मानवेन्द्र सिंह, श्री शाहजहांपुर
194. मुकुट बिहारी, श्री बहराइच
195. मुकेश चन्द्र वर्मा, श्री फिरोजाबाद
196. मूलचन्द्र सिंह, श्री जालौन
197. मो0 मुजतबा सिद्दीकी, श्री इलाहाबाद
198. मोहम्मद असलम ''राइनी'' (एडवोकेट), श्री श्रावस्ती
199. मोहम्मद रिजवान, श्री मुरादाबाद
200. मौ0 फईम इरफान, श्री मुरादाबाद
201. मौहम्मद अब्दुल्ला आजम खां, श्री रामपुर
202. योगेन्द्र उपाध्याय, श्री आगरा
203. योगेश धामा, श्री बागपत
204. योगेश वर्मा, श्री खीरी
205. रघुराज प्रताप सिंह, श्री प्रतापगढ़
206. रजनीकान्त मणि त्रिपाठी, श्री कुशीनगर
207. रजनी तिवारी, श्रीमती हरदोई
208. रणवेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ धुन्नी भइया, श्री फतेहपुर
209. रत्नाकर मिश्र, श्री मिर्जापुर
210. रफीक अन्सारी, श्री मेरठ
211. रमापति शास्त्री, श्री गोण्डा
212. रमाशंकर सिंह, श्री मिर्जापुर
213. रमेश चन्द्र दिवाकर, श्री औरैया
214. रमेश चन्द्र मिश्र, श्री जौनपुर
215. रवि कुमार सोनकर, श्री बस्ती
216. रविन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री भदोही
217. रवि शर्मा, श्री झांसी
218. रवीन्द्र जायसवाल, श्री वाराणसी
219. रवेन्द्रपाल सिंह, श्री अलीगढ़
220. राकेश कुमार गोस्वामी, श्री महोबा
221. राकेश प्रताप सिंह, श्री अमेठी
222. राकेश राठौर, श्री सीतापुर
223. राकेश सिंह, श्री रायबरेली
224. राकेश सिंह बघेल, श्री सन्तकबीरनगर
225. राघवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
226. राज करन कबीर, श्री बांदा
227. राजकुमार अग्रवाल, श्री हरदोई
228. राजकुमार उर्फ राजू यादव, श्री मैनपुरी
229. राजबाला, श्रीमती रामपुर
230. राजमणि कोल, श्री इलाहाबाद
231. राजवीर दिलेर, श्री अलीगढ़
232. राजीव तरारा, श्री अमरोहा
233. राजीव कुमार सिंह उर्फ बब्बू भइया, श्री बदायूं
234. राजीव सिंह ''पारीछा'' श्री झांसी
235. राजेश अग्रवाल, श्री बरेली
236. राजेश गौतम, श्री सुल्तानपुर
237. राधा कृष्ण शर्मा, पं0 बदायूं

238. राधा मोहन दास अग्रवाल, डॉ0 गोरखपुर
239. राम अचल राजभर, श्री अम्बेडकरनगर
240. राम कृष्ण भार्गव, श्री सीतापुर
241. रामगोपाल पप्पू लोधी, श्री फिरोजाबाद
242. राम चन्द्र यादव, श्री फैजाबाद
243. राम नरेश अग्निहोत्री, श्री मैनपुरी
244. राम नरेश रावत, श्री रायबरेली
245. रामपाल वर्मा, श्री हरदोई
246. राम प्रताप सिंह, श्री आगरा
247. राम प्रताप उर्फ
शशिकांत वर्मा, श्री बलरामपुर
248. राम फेरन पाण्डेय, श्री श्रावस्ती
249. रामरतन कुशवाहा, श्री ललितपुर
250. रामवीर उपाध्याय, श्री हाथरस
251. रामानन्द बौद्ध, श्री कुशीनगर
252. राहुल प्रकाश, श्री मिर्जापुर
253. रितेश पाण्डेय, श्री अम्बेडकर नगर
254. रीता बहुगुणा जोशी, प्रो0 लखनऊ
255. रोशन लाल वर्मा, श्री शाहजहांपुर
256. लक्ष्मी नारायण, श्री मथुरा
257. लाखन सिंह, श्री औरैया
258. लाल जी वर्मा, श्री अम्बेडकर नगर
259. लाल बहादुर, श्री कौशाम्बी
260. लीना तिवारी, श्रीमती जौनपुर
261. लोकेन्द्र प्रताप सिंह, श्री खीरी
262. विकास गुप्ता, श्री फतेहपुर
263. विक्रम सिंह, श्री फतेहपुर
264. विक्रम सिंह, श्री मुजफ्फरनगर
265. विक्रमाजीत मौर्य, श्री इलाहाबाद
266. विजय कुमार कश्यप, श्री मुजफ्फरनगर
267. विजय पाल (आढ़ती), श्री हापुड़
268. विजय मिश्र, श्री भदोही
269. विजेन्द्र सिंह, श्री बुलन्दशहर
270. विनय कुमार द्विवेदी, श्री गोण्डा
271. विनय शंकर तिवारी, श्री गोरखपुर
272. विनोद सरोज, श्री प्रतापगढ़
273. विनोद कुमार कटियार, श्री कानपुर देहात
274. विपिन कुमार 'डेविड', श्री एटा
275. विपिन सिंह, श्री गोरखपुर
276. विमलेश पासवान, डा0 गोरखपुर
277. विरेन्द्र कुमार यादव, श्री गाजीपुर
278. वीर विक्रम सिंह, प्रिंस शाहजहांपुर
279. वीरेन्द्र, श्री एटा
280. वीरेन्द्र सिंह सिरोही, श्री बुलन्दशहर
281. वेद प्रकाश गुप्ता, श्री फैजाबाद
282. शरद कुमार अवस्थी, श्री बाराबंकी
283. शशांक त्रिवेदी, श्री सीतापुर
284. शारदा प्रसाद, श्री चन्दौली
285. शाह आलम उर्फ
गुड्डू जमाली, श्री आजमगढ़
286. शीतल पाण्डेय, श्री गोरखपुर
287. शीतला प्रसाद, श्री कौशाम्बी
288. शुचिस्मिता मौर्या, श्रीमती मिर्जापुर
289. शैलेन्द्र यादव ललई, श्री जौनपुर
290. शैलेश कुमार सिंह ''शैलू'', श्री बलरामपुर
291. शोभा सिंह चौहान, श्रीमती फैजाबाद
292. श्याम धनी, श्री सिद्धार्थनगर
293. श्याम प्रकाश, श्री हरदोई
294. श्याम बिहारी लाल, डॉ0 बरेली
295. श्याम सुन्दर शर्मा, श्री मथुरा
296. श्रीकान्त शर्मा, श्री मथुरा
297. श्री राम चौहान, श्री सन्तकबीर नगर
298. श्रीराम सोनकर, श्री मऊ
299. संगम लाल गुप्ता, श्री प्रतापगढ़

300. संगीता बलवन्त, डा0 गाजीपुर
301. संगीता यादव, श्रीमती गोरखपुर
302. संजय, श्री बुलन्दशहर
303. संजय कुमार, श्री कौशाम्बी
304. संजय गर्ग, श्री सहारनपुर
305. संजय प्रताप जायसवाल, श्री बस्ती
306. संजय यादव, श्री बलिया
307. संजय सिंह गंगवार, श्री पीलीभीत
308. संजीव कुमार, श्री सोनभद्र
309. संजीव कुमार दिवाकर, श्री एटा
310. संजीव राजा, श्री अलीगढ़
311. संदीप कुमार सिंह, श्री अलीगढ़
312. सतीश चंद्र शर्मा, श्री बाराबंकी
313. सतीश चन्द्र द्विवेदी, डॉ0 सिद्धार्थनगर
314. सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
315. सत्यपाल सिंह बघेल, श्री फिरोजाबाद
316. सत्यपाल सिंह राठौर, श्री कासगंज
317. सत्य प्रकाश अग्रवाल, ''कैलाश डेरी वाले'' श्री मेरठ
318. सत्यवीर त्यागी, श्री मेरठ
319. सन्त प्रसाद, श्री गोरखपुर
320. सरिता भदौरिया, श्रीमती इटावा
321. सहेन्द्र सिंह चौहान, श्री बागपत
322. साकेन्द्र प्रताप वर्मा, श्री बाराबंकी
323. साधना सिंह, श्रीमती चन्दौली
324. सावित्री कठेरिया, श्रीमती इटावा
325. सीताराम वर्मा, श्री सुल्तानपुर
326. सुखदेव राजभर, श्री आजमगढ़
327. सुनीता, श्रीमती गाजीपुर
328. सुनील कुमार शर्मा, श्री गाजियाबाद
329. सुनील दत्त द्विवेदी, मेजर फर्रुखाबाद
330. सुनील वर्मा, श्री सीतापुर
331. सुभाष त्रिपाठी एडवोकेट, श्री बहराइच
332. सुरेन्द्र नाथ सिंह, श्री बलिया
333. सुरेन्द्र नारायण सिंह, श्री वाराणसी
334. सुरेश कुमार, श्री शामली
335. सुरेश कुमार, श्री अमेठी
336. सुरेश कुमार खन्ना, श्री शाहजहांपुर
337. सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री लखनऊ
338. सुरेश तिवारी, श्री देवरिया
339. सुरेश राही, श्री सीतापुर
340. सुरेश्वर सिंह, श्री बहराइच
341. सुशान्त कुमार सिंह, कुं0 बिजनौर
342. सुशील कुमार शाक्य, श्री फर्रुखाबाद
343. सुशील सिंह, कुं0 चन्दौली
344. सुषमा पटेल, श्रीमती जौनपुर
345. सूर्य प्रताप शाही, श्री देवरिया
346. सूर्यभान सिंह, श्री सुल्तानपुर
347. सोमेन्द्र तोमर, डॉ0 मेरठ
348. सोवरन सिंह यादव, श्री मैनपुरी
349. सोहिल अख्तर अंसारी, श्री कानपुर नगर
350. सौरभ श्रीवास्तव, श्री वाराणसी
351. सौरभ सिंह, श्री खीरी
352. स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री कुशीनगर
353. हरगोविन्द भार्गव, डा0 सीतापुर
354. हरविन्दर कुमार साहनी उर्फ रोमी साहनी, श्री खीरी
355. हरिओउम यादव, श्री फिरोजाबाद
356. हरिशंकर माहौर, श्री हाथरस
357. हरीराम, श्री सोनभद्र
358. हरेन्द्र प्रसाद सिंह, डॉ0 जौनपुर
359. हर्षवर्धन बाजपेयी, श्री इलाहाबाद
360. हाकिम लाल बिन्द, श्री इलाहाबाद
361. हेमलता दिवाकर कुशवाहा, श्रीमती आगरा
362. हृदय नारायण दीक्षित, श्री उन्नाव

नोट- मुख्य मंत्री (श्री योगी आदित्यनाथ), उप मुख्य मंत्री (श्री केशव प्रसाद मौर्य) भी सदन में उपस्थित थे।

[11:00]

आगरा में छात्रा को जलाकर मारने की घटना एवं काशी में ध्वस्तीकरण में मिले शिवलिंगों को नाले में फेंकने सम्बन्धी विषय पर नियम-311 के अन्तर्गत सूचना पर चर्चा कराये जाने की मांग

(विपक्ष के कई सदस्यों द्वारा एक साथ खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर।)

श्री अध्यक्ष-

कृपया आप लोग बैठ जाईये और प्रश्नकाल होने दीजिये।

श्री लालजी वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, आगरा में दसवीं कक्षा की एक छात्रा को जिन्दा जला दिया गया है। यह बहुत गंभीर और महत्वपूर्ण विषय है।

श्री अध्यक्ष-

वर्मा जी, आप राष्ट्रीय दल के नेता हैं और इस सम्मानित सदन के बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं। कृपया आप बैठिये और प्रश्नकाल हो जाने दीजिये।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

माननीय अध्यक्ष जी, वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर निर्माण के लिए चल रहे ध्वस्तीकरण में निकले सैकड़ों शिवलिंग, नंदी और विग्रह को नाले के किनारे फेंककर सनातन धर्म के अनुयायियों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का काम किया गया है। सरकार हिन्दू धर्म की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रही है।

(श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना', श्री संजय गर्ग, श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई', श्री अमनमणि त्रिपाठी द्वारा खड़े होकर एक साथ अपनी बात कहने पर)

श्री अध्यक्ष-

कृपया आप लोग बैठिये। प्रश्नकाल हो जाने दीजिये। आपका कहा हुआ कोई भी वाक्य कार्यवाही का भाग नहीं बनेगा। कृपया आप लोग सदन चलाने में सहयोग करिये। क्या आप लोग तय करके आये हैं कि प्रश्नकाल नहीं होने देना है। आप लोगो ने नियमों के अन्तर्गत सूचनायें दी हैं जिस पर अपनी बात रख लीजियेगा।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

माननीय अध्यक्ष जी, सरकार द्वारा हिन्दू धर्म की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है जिसके विरोध में हमारा दल सदन से बर्हिगमन करता है।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्वारा सदन से बर्हिगमन किया गया।)

श्री अमनमणि त्रिपाठी-

माननीय अध्यक्ष जी, आप हमारे संरक्षक हैं। हमारी बात को आप एक मिनट के लिए सुन लीजिये। यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है।

श्री अध्यक्ष-

कृपया आप बैठिये। आप अनुशासनहीनता कर रहे हैं। आपका कहा हुआ लिखा नहीं जायेगा और कार्यवाही का भाग नहीं बनेगा। अब मैं पहला प्रश्न लेता हूं।

[11:01] प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

प्रदेश में डीजल के बढ़ते हुए दामों को कम करने के सम्बन्ध में

***1-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-**

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में डीजल के दामों में हुई वृद्धि के दृष्टिगत किसानों को खेती के कार्य हेतु कम मूल्य पर डीजल उपलब्ध कराने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कृषि, कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)-

डीजल की बढ़ी कीमतों के दृष्टिगत प्रदेश सरकार द्वारा कृषकों को राहत देते हुए अधिसूचना दिनांक 04 अक्टूबर, 2018 द्वारा डीजल पर कर की दर जो 17.48 प्रतिशत या 9.41 प्रति लीटर जो अधिक है, को कम करते हुए कर की दर 14.05 प्रतिशत या रुपये 8.43 प्रति लीटर जो अधिक हो, कर दिया गया।

दिनांक 04 अक्टूबर, 2018 को प्रदेश में डीजल की कीमत 75.64 रुपये प्रति लीटर थी, वह अब दिनांक 13 दिसम्बर, 2018 को 63.85 रुपये प्रति लीटर में प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार दिनांक 04 अक्टूबर, 2018 की तुलना में प्रदेश में डीजल के दामों में 11.79 रुपये प्रति लीटर की कमी हुई है। इस प्रकार डीजल के मूल्य में कच्चे तेल के मूल्य में गिरावट एवं राज्य सरकार द्वारा अधिरोपित कर की दर में कमी के फलस्वरूप विगत दो माह में कमी आई है।

उपर्युक्तानुसार।

(श्री सूर्य प्रताप शाही माननीय मंत्री द्वारा प्रश्न का उत्तर पढ़ा गया।)

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, आप हमारा सवाल देखने की कृपा करें। हमने माननीय कृषि मंत्री जी से सवाल पूछा है कि डीजल के बढ़े हुए दामों को दृष्टिगत रखते हुए किसानों को खेती के कार्य हेतु कम मूल्य पर डीजल उपलब्ध कराने पर क्या सरकार विचार करेगी। माननीय मंत्री जी ने बताया कि हमने टैक्स कम किया है और अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में डीजल के दाम घटे हैं इसलिये डीजल की कीमतों में कमी आ गई है। माननीय मंत्री जी से मेरे तीन अनुपूरक प्रश्न हैं। पहला, औद्योगिक और व्यावसायिक डीजल खपत से अलग हट करके किसान जो अपने खेत में डीजल का इस्तेमाल करता है उस पर क्या सरकार सब्सिडी देकर डीजल मूल्य में कमी लायेगी। दूसरा, अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में अगर तेल के दाम बढ़ते हैं तो क्या सरकार अपना टैक्स उस पर घटायेगी। तीसरा, खेती में पम्प सेट के अतिरिक्त किसान ट्रैक्टर, जनरेटर, थ्रेसिंग आदि सबमें डीजल का उपयोग करता है और स्वाभाविक तौर पर किसान का जो कच्चा माल मिलता है वह सब मंहगा हो गया है। तो क्या सरकार औद्योगिक और व्यापारिक उपयोग से अलग हटकर किसानों को सस्ता डीजल देने पर विचार करेगी।

श्री सूर्य प्रताप शाही-

माननीय अध्यक्ष जी, जब प्रश्नकर्ता माननीय सदस्य सरकार में थे तो उस समय इनके द्वारा 17.48 रुपये और 9.41 रुपये प्रति लीटर का कर अधिरोपित किया गया था, जो कि

अधिक था। मान्यवर, आयात किये जाने वाले तेल की कीमतें जब विदेशों में बढ़ी तो मा0 योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने उस अधिरोपण को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश में कर को 17.48 प्रतिशत से घटा करके 14.5 प्रतिशत किया। इससे यह स्पष्ट है कि हमारी सरकार ने किसानों के हित में और उत्तर प्रदेश के किसानों एवं उपभोक्ताओं को राहत दी जा सके इसलिए सरकार ने करों में 3 प्रतिशत की कमी की है। श्रीमान् आपका जो दूसरा प्रश्न था कि यदि बाहर कीमतें बढ़ती है तो क्या आप प्रदेश में कीमतें कम करेंगे। आज रेट नीचे गिर रहे हैं और मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि 5 अक्टूबर, 2018 को हम लोगों ने यह निर्णय किया था। तब से 11 रुपये 79 पैसे कीमतों में कमी आई है। इससे उत्तर प्रदेश के किसानों को राहत मिली है और जब कभी-भी किसानों का प्रश्न खड़ा होगा हमारी सरकार सदैव उनके साथ खड़ी रहेगी और हमारी सरकार की तरफ से उनको कोई असुविधा नहीं होगी।

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

मान्यवर, मैंने एक मूल प्रश्न पूछा था कि औद्योगिक और व्यवसायिक डीजल की खपत के अतिरिक्त क्या किसानों को सब्सिडी के आधार पर सस्ती दर पर डीजल देने पर विचार करेंगे ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

मान्यवर, अभी इन्होंने बताया है कि जो औद्योगिक सामान बनते हैं जिनको किसान अपने उपयोग के लिए लेते हैं। जैसे- कृषि यंत्र, ट्यूबवेल आदि सामग्री है यदि उनके दाम बढ़ गये तो स्वाभाविक रूप से उनकी कीमतें किसानों पर दुष्प्रभाव डालेंगी। इसलिए जनहित में यही है कि हम इसी रेट को लेकर चलें और उसमें किसी भी प्रकार की असामनता न हो। यदि किसानों की कोई बात होगी और किसानों को कोई भी कठिनाई आयेगी तो हम उसको निरंतर ध्यान में रखेंगे। मा0 वर्मा जी इस बात से अवगत हैं।

श्री उमाशंकर सिंह-

मान्यवर, मा0 मंत्री जी ने जो विवरण प्रस्तुत किया है कि 4 अक्टूबर, 2018 को डीजल की कीमत 75 रुपये 64 पैसे थी और वर्तमान में 63 रुपये 85 पैसे हो गई है। मा0 अध्यक्ष जी मेरा आपके माध्यम से यह सवाल है कि किसानों के हित के लिए जो डीजल के मूल्य में कमी की गई है उसमें प्रदेश सरकार का क्या योगदान है ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

मान्यवर, आदरणीय वर्मा जी द्वारा जो वैट लगाया गया था उसमें प्रदेश सरकार का योगदान यह है कि उसमें 3 प्रतिशत की कमी की गई है।

प्रदेश में किसानों को सोलर पम्प की स्थापना पर अनुदान राशि देने के सम्बन्ध में

***2-श्री शैलेन्द्र यादव ''ललई''-**

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2018-19 में कृषि विभाग द्वारा प्रदेश के किसानों को सोलर फोटो वयलेटिक इरीगेशन सिंचाई पम्प की स्थापना पर दी जाने वाली कितनी अनुदान राशि अब तक खर्च हो चुकी है और इससे कितने किसान अब

तक लाभान्वित हो चुके हैं ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2018-19 में कृषि विभाग द्वारा प्रदेश के किसानों को सोलर फोटोवोलटैईक इरीगेशन पम्प की स्थापना पर अनुदान की योजना में अब तक रु0 4637.06310 लाख (रु0 छियालीस करोड़ सैंतीस लाख छः हजार तीन सौ दस मात्र) का व्यय किया जा चुका है। योजनान्तर्गत 2046 किसान अब तक लाभान्वित हो चुके हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इस योजना में शेष पंजीकृत बचे किसानों को भी इसी वित्तीय वर्ष में अनुदानित करने पर विचार करेंगे, क्या अगले वित्तीय वर्ष में जितने भी आवेदन होंगे उन सभी आवेदकों को शत-प्रतिशत अनुदान देने पर विचार करेंगे और इस योजना के अंतर्गत पूरे प्रदेश में जनपदवार कितने किसानों को लाभान्वित किया गया है ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

मान्यवर, जनपदवार विवरण पढ़ने में काफी समय लगेगा। यदि मा0 सदस्य किसी स्पेसिफिक जिले का विवरण पूछेंगे तो मैं बता सकता हूं। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो उस समय प्रतीक्षा सूची को देखते हुए ही सोलर पम्प दिये जाते थे। मा0 योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने सितम्बर माह में यह फैसला किया कि जो भी किसान पहले अपना ड्राफ्ट जमा कर देगा उसको हम पहले सोलर पम्प दे देंगे। इस तरीके से लगभग 5800 सोलर पम्पों में से 2046 सोलर पम्प दिनांक 11-12-2018 तक स्थापित किये जा चुके हैं। जिस तेज गति से हमारी सरकार ने सोलर पम्प लगाये हैं। मैं आपको यह बता दूं कि दिनांक 25 दिसम्बर को श्रद्धेय अटल बिहारी बाजपेयी जी का जन्मदिन है। और उस पर हम यह निर्णय करने जा रहे हैं कि 10 हजार सोलर पम्प किसानों को जो भी पहले ड्राफ्ट जमा करेगा उसको पहले दिया जायेगा। इस संदर्भ में हम उस योजना को घोषित करेंगे और पहली जनवरी के बाद तुरन्त हम उसका क्रियान्वयन कर देंगे। हमारी कोशिश है कि 31 मार्च, 2019 के पहले 10 हजार सोलर पम्प हम किसानों को दे दें।

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

मा0 अध्यक्ष जी, हम आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में किसानों को जो सोलर पम्प दिये जा रहे हैं। उसमें वर्ष 2016-17 से कितनी मूल्य वृद्धि की गयी है। मेरी जानकारी के हिसाब से दोगुना महंगा कर दिया है। 32 हजार वाले को 51 हजार कर दिया है।

श्री सूर्य प्रताप शाही-

मान्यवर, सोलर के ऊपर भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर इस योजना को संचालित करते हैं। गतवर्ष भारत सरकार ने अपने कृषक अंश में जो सब्सिडी का अंश था

उसको कम किया था लेकिन हमने प्रदेश की ओर से टापअप देकर 70 प्रतिशत टापअप देकर हमने उत्तर प्रदेश के किसानों को दो-तीन हार्सपावर के सोलर पम्प मुहैया कराये हैं। और 05 हार्सपावर के सोलर पम्प पर 20 प्रतिशत टापअप देकर 40 प्रतिशत पर हमने उनको मुहैया कराया है। तो इस प्रकार से प्रदेश सरकार ने कोशिश किया है कि हम उनको सस्ते दरों पर यह उपलब्ध करा सकें। मैं मा0 वर्मा जी की चिंता से भिज्ञ हूं और जैसा मैंने कहा कि दिनांक 25 दिसम्बर श्रद्धेय अटल बिहारी बाजपेयी जी का जन्मदिन है। जब हम पहली जनवरी से इस योजना को लागू करेंगे तो इस बार जितना है तो कम से कम 10-15 हजार रुपये की राहत हम किसानों को देने जा रहे हैं।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, प्रश्न यह पूछा था कि वर्ष 2016 में उसकी लागत क्या थी जो किसान अंश देना पड़ता था और वर्ष 2018 में किसान अंश कितना देना पड़ रहा है। इसका जवाब मा0 मंत्री जी ने नहीं दिया। इसको गोलमोल करके कह दिया कि हम 10 हजार सस्ता करेंगे।

श्री सूर्य प्रताप शाही-

मान्यवर, यह सोलर पम्प लगाते थे 900 और हम सोलर पम्प 4 हजार से लेकर 15 हजार तक लगा रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से हमने किसानों के दायरे को बढ़ाया है। और जो चिंता इन्होंने व्यक्त किया है उस चिंता को देखते हुये हम गंभीरता से इस बात पर विचार कर रहे हैं। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि वर्ष 2018-19 में जो हैण्डपम्प लगने वाले हैं जो अभी तक लगे थे उससे 10 से लेकर 15 हजार रुपये उसकी कीमतें हम कम करने जा रहे हैं। किसानों के हित में हमारी सरकार ने यह फैसला किया है।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, मैंने एक पिक्चर देखी थी 'आज का एम0एल0ए0 राम अवतार' । जब वह मुख्यमंत्री बना था तो वहाँ चर्चा होती थी कि इसका दाम बढ़ाया जाये। तो कहता था कि कितना बढ़ाना चाहते हैं तो लोग कहते थे कि पांच प्रतिशत, तो उसने कहा कि दस प्रतिशत बढ़ा लो। जब आन्दोलन होने लगता था तो कहता था कि हमने 05 प्रतिशत सस्ता कर दिया। यानी तब भी 05 प्रतिशत बढ़ा हुआ रह गया। वही काम मा0 मंत्री जी कर रहे हैं। तो दाम तो किसान का बढ़ा हुआ है। हम पूछ रहे हैं कि कितना अंतर हुआ तो वह बता नहीं रहे हैं। कह रहे हैं कि अगले साल में 10-15 हजार घटेगा। यह तो हमें मालूम हो कि 10-15 हजार घटने पर कितना दाम आयेगा।

श्री सूर्य प्रताप शाही-

मान्यवर, 2017-18 में जो सोलर पम्प के रेट थे जिसमें कृषक का अंश बता रहा हूं। मैं पूरा बता देता हूं। दो एच0पी0डी0सी0 सरफेस 01 लाख 69 हजार 400 रुपये का था। 2 एच0पी0ए0सी0 सरफेस 1 लाख 72 हजार 8 सौ रुपये का था। 3 एच0पी0डी0सी0 सबमर सिबल 2 लाख 69 हजार 9 सौ रुपये का रहा है। 3 एच0पी0 एसी सबमर सिबल 2 लाख 59 हजार रुपये का रहा है और 5 एसी सबमर सिबल 3 लाख 42 हजार रुपये का रहा है जिसमें दो व तीन हॉर्स पॉवर जैसा कि मैंने बताया है कि सत्तर प्रतिशत अनुदान पर हमने

दिया है उसमें कृषक का अंश 58 हजार 8 सौ 20 रुपये पड़ रहा था और जो अटल सौलर पम्प योजना हम लोग चलायेंगे जिसमें दस हजार सोलर पम्पों की जो कीमत हम लोगों ने प्रस्तावित किया है वह भी मैं बता देता हूं। मान्यवर, 50 हजार 8 सौ 20 रुपये से कम करके हम लोग किसानों को इस साल 37 हजार 3 सौ छब्बीस रुपये में मुहैया करायेंगे जिसमें जी0एस0टी0 भी शामिल है। इस प्रकार से लगभग 13 हजार रुपये की कमी दो एच0पी0डी0सी0 सरफेस के भीतर राहत किसानों को देनें का फैसला मा0 आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया है और दूसरा दो एच0पी0एसी0 सर्फेस 51 हजार 8 सौ 40 रुपये का पड़ता था उसको अटल सोलर पम्प योजना के भीतर 37 हजार तीन सौ छब्बीस रुपये में हम लोग किसानों को मुहैया करायेंगे। तीन एच0पी0डी0सी0 सबमर सिबल 80 हजार 9 सौ 96 हजार रुपये में बैठता था वह हम 56 हजार 580 रुपये में मुहैया कराने जा रहे हैं। इस प्रकार लगभग 24 हजार रुपये की कमी किसान के अंश में आयेगी। तीन एच0पी0डी0सी0 सबमर सिबल 77 हजार 7 सौ रुपये में पड़ रही थी उसको हम लोग घटा करके 53 हजार 366 रुपये करने जा रहे हैं। इसी प्रकार से पांच एच0पी0डी0सी0 सबमर सिबल जो 2 लाख 52 हजार रुपये में पड़ती थी उसको घटाकर के 1 लाख 45 हजार 8 सौ रुपये कर रहे हैं इस तरह से इसमें 1 लाख रुपये से अधिक की कमी पांच एच0पी0डी0सी0 सबमर सिबल सोलर पम्प में आयेगी। इतना बड़ा क्रान्तिकारी फैसला मा0 योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ही कर सकती है और कोई दूसरी सरकार नहीं कर सकती है

(सत्ता पक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट)।

(श्री लाल जी वर्मा के खड़े होने पर।)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, इन लोगों को चाहिए कि यह लोग सरकार को बधाई दें। हम लोगों ने एक-एक मद में कितनी बड़ी राहत दी है इसके लिए दानों लोगों को बधाई देनी चाहिए।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, किस बात की बधाई दें कि किसानों का अंश बढ़ा दिया गया है। इन्होंने 2016 का नहीं बताया कि घटाने के बाद भी जो 2016 में दाम था वह उससे बढ़ा हुआ है जो कि 10 हजार से ज्यादा बढ़ा हुआ है, इसीलिए मा0 मंत्री जी बताना नहीं चाह रहे हैं। मान्यवर, यह सरकार किसानों की हितैषी नहीं है यह किसान विरोधी सरकार है।

श्री अध्यक्ष-

वर्मा जी उत्तर तो आ गया है। अब क्या करना है?

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, उत्तर नहीं आया है। हम पूछ रहे हैं कि वर्ष 2016 में कितना दाम था मंत्री जी वह नहीं बता रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

उन्होंने तो विस्तार से बता दिया है।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, यह नहीं बता रहे हैं कि आज कितना दाम है और घटाकर कितना करेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

उन्होंने बता दिया है। अब हम अगला प्रश्न लेते हैं।

प्रदेश में प्रतिवर्ष फास्फेटिक उर्वरक की खपत एवं डी0ए0पी0 एवं पोटाश के मूल्य में भारी वृद्धि को कम किये जाने के सम्बन्ध में

***03-श्री रितेश पाण्डेय-**

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में प्रति वर्ष औसतन कितनी मात्रा में फास्फेटिक उर्वरक की खपत होती है और उसमें रबी सीजन में कितनी खपत होती है ? क्या यह सही है कि वर्तमान वर्ष में खरीफ सीजन के बाद डी0ए0पी0 एवं पोटाश के मूल्य में वृद्धि हुई है ? यदि हां, तो क्या सरकार किसानों के हित में डी0ए0पी0 एवं पोटाश का मूल्य कम करके पूर्व के मूल्य पर लायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

गत तीन वर्षों के आधार पर प्रदेश में प्रतिवर्ष औसतन 21.69 लाख मी0 टन फास्फेटिक (डी0ए0पी0+एन0पी0के0) उर्वरकों का वितरण/खपत रही जिसमें से रबी सीजन में औसतन खपत 15.57 लाख मी0 टन है।

जी हां।

भारत सरकार द्वारा लागू पोषक तत्व आधारित अनुदान (एन0बी0एस0) नीति के अन्तर्गत फास्फेटिक एवं पोटेशिक उर्वरकों यथा डी0ए0पी0, एम0ओ0पी0 आदि पर अनुदान की धनराशि निर्धारित करते हुए उर्वरक कम्पनियों को सीधे अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। इस नीति के अन्तर्गत अनुदानित फास्फेटिक एवं पोटेशिक उर्वरकों के अधिकतम खुदरा मूल्य को उचित स्तर पर निर्धारित करने की अनुमति उर्वरक कम्पनियों को दी गयी है। इस प्रकार डी0ए0पी0, एम0ओ0पी0 का मूल्य उर्वरक कम्पनियों द्वारा स्वयं निर्धारित किया जाता है।

उपर्युक्तानुसार।

श्री रितेश पाण्डेय-

मान्यवर, मैं मा0 मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं जैसा कि जग जाहिर है कि किसानों की आय दुगनी करने के लिए लागत को कम करना पड़ेगा और उर्वरक खेती में बहुत बड़ी लागत है। माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया है कि औसतन 21.69 लाख मी0टन फास्फेटिक (डी0ए0पी एन्0पी0के0) उर्वरकों का वितरण होता है जिसमें से 15 लाख मी0टन सीधे रबी सीजन में होता है। माननीय अध्यक्ष जी, रबी सीजन में एक बहुत ही ज्यादा क्वान्टिटी के उर्वरक का वितरण होता है। मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि डी0ए0पी0, एन0पी0के0 के खरीफ सीजन में क्या दाम थे और जब से रबी सीजन शुरू हुआ है तो अब क्या दाम हैं और कितने रुपये बढ़ोत्तरी हुई है? दूसरा, मेरा प्रश्न यह है कि जो कृषि विभाग की कार्यपूर्ति रिपोर्ट 2018-19 के अनुसार उर्वरक वितरण का कितना लक्ष्य है और अभी तक कितना उसे प्राप्त कर लिया गया है? मेरे यही दो प्रश्न हैं कि

पहले खरीफ सीजन और रबी सीजन में डी0ए0पी और एन0पी0के0 का क्या रेट था और अब क्या है और कितने रुपये की वृद्धि हुई हैं और दूसरा कृषि विभाग की जो कार्यपूर्ति रिपोर्ट है उसमें वितरण का क्या लक्ष्य है और अभी तक सरकार ने कितना लक्ष्य प्राप्त कर लिया है ?

श्री अध्यक्ष-

आपका दूसरा सवाल क्या है, स्पष्ट नहीं हो रहा है ?

श्री रितेश पाण्डेय-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा दूसरा सवाल यह है कि कृषि विभाग की जो कार्यपूर्ति रिपोर्ट है उसके अंदर उर्वरक वितरण का सालभर का लक्ष्य दिया गया है, वह मेरा पास है, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वह लक्ष्य क्या है और अभी तक उस लक्ष्य को कितना प्राप्त किया गया है ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

मान्यवर, माह दिसम्बर तक 12 लाख 15 हजार मी0टन डी0ए0पी0 के आवंटन हेतु भारत सरकार से अनुरोध किया गया था और हमें 8 लाख 24 हजार मी0टन प्राप्त हो गया है और उसमें से 7 लाख 8 हजार मी0टन का वितरण किया जा चुका है। एन0पी0के0 के लिए हम लोगों ने 3 लाख 41 हजार मी0टन आवंटन हेतु अपनी आवश्यकतानुसार मांग की थी जिसमें से 2 लाख 62 हजार आपूर्ति हो चुकी है और 2 लाख 37 हजार मी0टन का वितरण किया जा चुका है। पोटास में 1 लाख 81 हजार मी0टन दिसम्बर तक की मांग है और उसके अनुरूप 61 हजार मी0टन डिस्पैच किया गया है और 28 हजार मी0टन उसमें से वितरित हुआ है। राज्य सरकार इस बात की कोशिश कर रही है कि स्वायल हेल्थ टेस्ट कार्ड कराकर किसानों को इस बात की पूरी जानकारी दी जाए कि वे रसायनिक खाद को उपयोग संतुलित मात्रा में करें। इस समय सबमिलियन फॉरमर्स स्कूल का कार्यक्रम आज 20 तारीख तक चल रहा है और सभी न्याय पंचायतों के दो-दो गांवों को हम लोगों ने टेकअप किया है जिसके अन्तर्गत किसानों को जागरूक किया जा रहा है वे रासायनिक खादों का प्रयोग संतुलित मात्रा में करें और उर्वरक की मात्रा खपत से घटाएं और उसकी जगह पर जैविक खादों का उपयोग करें और इस नाते एक अभियान चलाया गया जिसके परिणामस्वरूप धीरे-धीरे रासायनिक उर्वरक के उपयोग में भी कमी पिछले वर्ष से परिलक्षित हो रही है। इस प्रकार हमारी कोशिश है कि किसान रासायनिक खादों का कम से कम इस्तेमाल करें। मैं आपके माध्यम से जानकारी देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश तिलहन के उत्पादन में इस वर्ष पूरे देश में नंबर एक पर आया है, इसके उत्पादन में वृद्धि हुई है (सत्तापक्ष के सदस्यों द्वारा मेजे थपथपाई गई) और संभावना इस बात की है कि उत्तर प्रदेश को पिछले कई दशकों के बाद 'कृषि कर्मण पुरस्कार' कृषि के क्षेत्र में मिलने के लिए भारत सरकार ने चिन्हित किया है। (सत्तापक्ष के सदस्यों द्वारा मेजे थपथपाई गई) मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि जो डी0ए0पी0 और एन0पी0के0 बनती है वह पेट्रोलियम पदार्थों से बनती है, जैसे-जैसे पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें बढ़ती हैं, आयातित माल है तद्नुरूप विभिन्न प्रकार के उनके रेट रहते हैं। एक हजार अड़सठ से लेकर चौदह सौ पच्चीस रूपए तक के रेट में इस समय डी0ए0पी0 उपलब्ध हुई है, पिछले खरीफ सीजन से,

जैसाकि आपने बात की है। लगभग पांच बार उसकी कीमतें बदली हैं और अब पेट्रो पदार्थों की कीमतें घट रही हैं तो स्वाभाविक रूप से आने वाले दिनों में उनकी भी कीमतें नीचे की ओर हो जायेंगी। मान्यवर, इनका रेट तय करना राज्य सरकार की परिधि के भीतर नहीं है और इसलिए उसके बारे में मैं आपको बताने की स्थिति में नहीं हूं, यह भारत सरकार की परिधि में है। इसलिए आपने जो प्रश्न किया है, आप समझेंगे, इसकी जो एम0आर0पी0 है, जैसा मैंने बताया कि उद्योगों के द्वारा कच्चे माल के आधार पर जो लागत लगती है, उसके अनुसार यह तय की जाती है।

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, माननीय रितेश पाण्डेय जी ने बहुत स्पेशिफिक प्रश्न किया है कि खरीफ और रबी में डी0ए0पी0 और इन खादों के दामों में अन्तर कितना आया? बढ़ा है या नहीं बढ़ा है, केवल इतना ही तो बताना था।

श्री अध्यक्ष-

इन्होंने बताया तो है कि बीच-बीच में बढ़ता है।

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, अभी नहीं बताया है। आप तो यह बताने लगे कि गन्ना किसानों ने जब आन्दोलन किया तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि गन्ना कम बोओ, शुगर ज्यादा हो रही है। (हँसी) तो हम लोग तो रेट के बारे में पूछ रहे थे, ये खाद की तरफ चले गए। भारत सरकार से जितना खाद आप मांग रहे हैं, उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए तो आप बात कर नहीं रहे हैं, आप सिखा रहे हैं कि टमाटर ज्यादा मत खाओ, नहीं तो पथरी होगी, (हँसी) तो माननीय मंत्री जी हम इतना जानना चाहते हैं जो मा0 सदस्य ने स्पेशिफिक पूछा है कि खरीफ में जो आपने इन खादों को दिया है, उनका क्या रेट था और रबी में फास्फेटिक खादों का जो बढ़ा है, वह कितना बढ़ा है या नहीं बढ़ा है ? दूसरा जो आपने लक्ष्य मॉगा है कि हमको इतनी खाद की जरूरत है, जैसे आपने मांगा कि हमें 12 लाख मीट्रिक टन खाद की जरूरत है, लेकिन अगर आपको भारत सरकार से कम मिला तो क्या किसानों को आपने खाद की पूर्ति कर दिया है ? आपका जो लक्ष्य रहा होगा, उसके अनुसार ही आपने डिमाण्ड की होगी और डिमाण्ड के अनुसार अगर भारत सरकार से आपको खाद उपलब्ध नहीं हुई तो क्या किसानों को पूरी खादें उपलब्ध करा दी गयी हैं या किसानों को खादें नहीं मिली हैं? अभी आप जाकर देखें, किसानों को खाद नहीं मिली है, किसान रो रहा है। हम लोग आपसे पूछ रहे हैं कि यूरिया का 05 किलो वजन क्यों घटा दिए हैं प्रति बोरा। आप खाद के दाम घटाने की बात करते हैं लेकिन प्रति बोरा आपने 05 किलो यूरिया कम कर दी तो आप स्पेशिफिक बता दें, जैसा रितेश पाण्डेय जी ने पूछा है कि खरीफ में इन खादों का रेट क्या था और रबी में क्या हुआ और दूसरा भारत सरकार ने लक्ष्य के मुताबिक और डिमाण्ड के मुताबिक खाद नहीं दिया तो क्या किसानों को पूरी की पूरी खाद उपलब्ध हो गयी है ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

मान्यवर, इस समय प्रदेश में डी0ए0पी0, एन0पी0के0 बहुत बड़ी मात्रा में उपलब्ध है, कहीं पर भी किसी भी किसान को इसकी सार्टेज का सामना नहीं करना पड़ रहा है। मैं आपको

बता रहा हूं, आज से दो साल पहले डीए0पी0, एन0पी0के0 और यूरिया के लिए किसान को लाइन लगानी पड़ती थी और अनेक जगहों पर लाठियॉं खानी पड़ी।

(विपक्ष के कई सदस्यों के एक साथ बोलने का प्रयास करने पर।)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग शान्त रहें, उत्तर आने दीजिए।

श्री सूर्य प्रताप शाही-

मान्यवर, हफ्तों इन्तजार करने के बाद भी डी0ए0पी0, एन0पी0के0 और यूरिया किसान को नहीं उपलब्ध हो पाता था। जब से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आयी है, प्रदेश में कहीं पर भी किसी प्रकार की खाद की सार्टेज नहीं रही है और पर्याप्त मात्रा में प्रदेश में खाद उपलब्ध है। (सत्तापक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपाईं) मान्यवर, माननीय सुखदेव राजभर जी ने जो प्रश्न किया है, मैं उसका उत्तर आपको दे रहा हूं। जो पिछली बार हमने उत्तर प्रदेश में खाद मॅंगाई थी, हमारे पास आज वह भण्डारण की स्थिति है जो खरीफ में और पिछले साल का जो एरियर बचा हुआ था, सब मिला करके, हमारा लक्ष्य था 10 लाख 33 हजार मीट्रिक टन डी0ए0पी0 का, प्रदेश में 20-11-18 तक 18 लाख 01 हजार मीट्रिक टन डी0ए0पी0 उपलब्ध है, सरप्लस है हमारे पास लगभग 06 लाख मीट्रिक टन और इसी प्रकार से (सपा के सदस्यों द्वारा कुछ पूछने का प्रयास करने पर) आप लोग एक ही साथ कितने सवाल पूछते हैं, यह हुनर मा0 सुखदेव राजभर जी के पास है और मा0 लालजी वर्मा जी के पास है, ये दोनों लोग चूॅंकि विधान सभा अध्यक्ष और संसदीय कार्य मंत्री के पद पर आसीन रहे हैं, इसलिए जब कई सवाल एक साथ पूछते हैं, जब आप सब की अनुकंपा होती है तो हमें उसका थोड़ा सा सामना करना पड़ता है। मान्यवर, एन0पी0के0 की 3.44 लाख मीट्रिक टन की आवश्यकता है और हमारे पास 6 लाख 55 हजार मीट्रिक टन एन0पी0के0 उपलब्ध है।

मान्यवर, पोटाश दो लाख आठ हजार मीट्रिक टन इस समय हमारे पास उपलब्ध है और यूरिया के बारे में भी आपको बता दूं मैं कि 25.38 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य है और उसके अगेन्स्ट उपलब्धता हमारे पास 38 लाख 49 हजार मीट्रिक टन की है तो इस प्रकार से इतना ज्यादा सरप्लस है कि किसी भी प्रकार की किसान को या हमारी सरकार को कठिनाई नहीं होने देना चाहती। नम्बर दो बात आपने कहा खरीफ के सीजन में लगभग ग्यारह सौ रुपये के करीब डी0ए0पी0 थी। 10 सौ 68 से लेकर के 11 सौ रुपये के बीच में। क्रमशः जैसे-जैसे पेट्रो पदार्थों की कीमतें बढ़ी हैं और उनके अनुसार उनकी कीमते बढ़ी हैं और मैंने आपको बताया कि 14 सौ 25 रुपये के करीब। 14 सौ 25 रुपये के करीब डी0ए0पी0 की कीमत इस समय बाजार के भीतर है। हमारे पास 3 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा पुराने दर की डी0ए0पी0 थी और उसको साधन सरकारी समितियों के माध्यम से किसानों को हम लोगों ने पुराने रेट की लगभग साढ़े ग्यारह सौ रुपये प्रति बोरे के हिसाब से हमने उपलब्ध कराए हैं और इस प्रकार से हमने कोशिश किया है कि जो हमारे पास पुराना स्टॉक प्रदेश के भीतर था उनको हम किसानों को नवम्बर महीने तक पुराने दर की जो हमारे पास डी0ए0पी0 थी उसके आधार पर

हमने उनको उपलब्ध कराया है और इस समय जो मैंने बताया आपको कि जो नवम्बर के बाद फर्टीलाइजर आए हैं उनकी कीमत 14 सौ 25 रुपये के करीब में है। गेहूं और गन्ने की बोवाई के समय सा0स0स0 से पुराने ही रेट पर किसानों को डी0ए0पी0 उपलब्ध कराये गये हैं।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि 4 सौ रुपये प्रति बोरी डी0ए0पी0 का दाम बढ़ा है। मान्यवर, क्या मा0 मंत्री जी जो किसानों के हमदर्द बनने की बात कर रहे हैं और जब से इनकी सरकार आई किसान का तो सांड़ ने पूरा चर लिया तो वह अलग बात है, लेकिन जो उसका बचता है तो क्या यह चार सौ रुपये जो दाम बढ़ा है उसको घटाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार चार सौ रुपये सब्सिडी देकर पुराने दर पर डी0ए0पी0 खाद्य किसानों को उपलब्ध कराने की कृपा करेगी। केवल स्पेसिफिक सवाल है यह मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

यह सवाल तो कम है, सुझाव ज्यादा है।

श्री सूर्य प्रताप शाही-

मान्यवर, नम्बर एक खरीफ की बुआई इस समय पूर्णतः की स्थिति पर है। नम्बर दो यह जो इन लोगों की सरकार ने छुट्टे सांड़ छोड़े गए थे वह आदरणीय नरेन्द्र वर्मा जी की कृपा से छोड़े गए थे। हमारी सरकार ऐसे छूट्टे सांड़ों को बांधने का काम कर रही है और इसलिए हम लोगों ने सभी जनपदों के भीतर छूट्टा सांड़ों को नियंत्रित किए जाने के लिए गौ-वंश आश्रय स्थल के लिए हम लोगों ने 1 करोड़ 10 लाख रुपये की धनराशि मुहैया करा दिया है।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, यह सरकार किसानों का दाम घटाना नहीं चाहती और सरकार के इस अड़ियल रवैये के खिलाफ हमारा दल इस सदन का बर्हिगमन करता है।

(श्री लाल जी वर्मा अपने दल के सदस्यों के साथ सदन से बहिगर्मन कर चले गये।)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

इनके जमाने में किसान लाठी भी खाता था और दुगने पैसे में यूरिया खरीद के ले जाता था। मान्यवर, यह लाठी भी खिलवाते थे और पैसे भी ज्यादा पड़ते थे और रात-रात भर लाईन भी लगवाते थे। हमने किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद्य उपलब्ध कराई है। एक बार इनको धन्यवाद देना चाहिए इनको किसानों के लिए।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

यह सरकार किसान विरोधी है और इसका असली चेहरा प्रदेश के सामने आ गया है इसलिए कांग्रेस पार्टी इस सरकार के गलत नीतियों के खिलाफ सरकार की कांग्रेस दल भी बर्हिगमन करती है।

(श्री अजय कुमार 'लल्लू' अपने दल के सदस्यों के साथ सदन से बहिगर्मन कर चले गये।)

प्रदेश में युवाओं के प्रतिभा विकास एवं प्रोत्साहन हेतु संचालित कार्यक्रम एवं 2016-17 में दिये गये रोजगार के सम्बन्ध में जानकारी

***04-श्री संजय गर्ग-**

क्या युवा कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में युवाओं के प्रतिभा विकास एवं प्रोत्साहन की दृष्टि से कौन-कौन से कार्यक्रम संचालित हैं एवं उसका विवरण क्या है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी की वर्ष 2016 व 2017 में कितने युवाओं को इन कार्यक्रमों से लाभान्वित किया गया है ? क्या सरकार उसका विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खेल, युवा कल्याण तथा व्यावसायिक शिक्षा मंत्री (श्री चेतन चौहान)-

1-ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता (जिला योजना)-इस योजना के अन्तर्गत सभी आयु वर्ग के खिलाड़ियों हेतु 05 खेल विधाओं यथा एथलेटिक्स, बालीबाल, कबड्डी, भारोत्तोलन तथा कुश्ती की प्रतियोगिताओं का आयोजन ब्लाक एवं जनपद स्तर पर किया जाता है।

2-ग्रामीण खेलों में राष्ट्रीय स्तर पर विजयी खिलाड़ियों को पुरस्कार तथा प्रशिक्षण- राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश के ग्रामीण खेलों में विजयी खिलाड़ियों को क्रमशः रु0 25,000/- 15,000/- एवं रु0 10,000/- की दर से पुरस्कृत किया जाता है।

3-युवक/महिला मंगल दलों को प्रोत्साहन-ग्राम स्तर पर गठित (14 से 35 वर्ष) आयु वर्ग के युवक तथा महिला मंगल दलों को सामाजिक कार्यों एवं ग्रामीण खेलकूद आदि में सहभागिता सुनिश्चित करने पर अग्रणी दलों को रु0 2,000/- की प्रोत्साहन राशि दी जाती है।

4-युवा उत्सव-युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 12 जनवरी से आयोजित राष्ट्रीय युवा उत्सव में प्रदेश स्तर पर चयनित कलाकारों द्वारा प्रतिभाग किया जाता है।

5-विवेकानन्द यूथ एवार्ड योजना-इसके अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 से सभी 75 जनपदों में युवक एवं महिला मंगल दल में एक सर्वश्रेष्ठ दल को रु0 5,000/- प्रतिदल तथा राज्य स्तर पर सर्वश्रेष्ठ 03 युवक एवं 03 महिला मंगल दलों को क्रमशः रु0 1,00,000/-, रु0 50,000/- एवं रु0 25,000/- नकद के कुल 6 पुरस्कार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है।

6-'खेलो इण्डिया राष्ट्रीय खेल विकास कार्यक्रम-खेल अवस्थापना का सृजन एवं खेलकूद प्रतियोगिताओं के सम्बन्ध में दिनांक 01 अप्रैल, 2016 से युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार की खेलो इण्डिया योजना संचालित है।

वर्ष 2016-17

सांस्कृतिक कार्यक्रमों में जनपद, मण्डल एवं राज्य स्तर पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं युवा उत्सव में कुल 3143 युवाओं को प्रतिभाग कराकर उन्हें लाभान्वित किया गया है।

वर्ष 2016-17

सांस्कृतिक कार्यक्रमों में 18 मण्डलों के 1514 युवाओं, ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिताओं में जनपदों में 02 विधाओं में करायी गयी प्रतियोगिताओं में 4890 युवाओं तथा विवेकानन्द यूथ एवार्ड योजना में 57 जनपदों में 570 युवाओं को प्रतिभाग कराकर उन्हें लाभान्वित किया गया है।

हां, सूची संलग्न है†।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री संजय गर्ग-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से अपने योग्य मंत्री जी जो स्वयं भी एक खिलाड़ी रहे हैं, उनसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं। वास्तव में मेरा मूल प्रश्न युवा कल्याण मंत्री से प्रदेश में युवाओं की प्रतिभा विकास एवं प्रोत्साहन की दृष्टि से था परन्तु उत्तर केवल ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिताओं को लेकर दिया गया।

(कतिपय सदस्यों द्वारा आपस में बातचीत करने पर।)

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य कृपया आप लोग शान्त रहें क्योंकि आप लोगों की आपसी बातचीत ज्यादा हो रही है इसलिए प्रश्न एवं उत्तर कम सुनाई पड़ रहा है। कृपया शान्त रहें।

श्री संजय गर्ग-

मान्यवर, इस सबके बावजूद मा0 मंत्री जी स्वयं खिलाड़ी रहे हैं और आज युवाओं के इस प्रदेश में जहां युवाओं की तादाद ज्यादा है वहाँ प्रदेश सरकार के खिलाड़ी मंत्री यह समझते थे कि वे मंत्री रहते हुए खूब चौके एवं छक्के लगाने का काम करेंगे परन्तु इतनी बात समझ में जरूर आती है कि रु0 196 करोड़ 28 लाख 40 हजार के बजट आवण्टन के बाद भी अभी तक ये मात्र 52 परसेण्ट बजट ही खर्च कर पाए हैं। युवाओं के कल्याण के लिए इन्होंने जो जवाब दिया है उसमें मैं केवल इतनी बात पूछना चाहता हूं कि ग्रामीण इलाकों में राष्ट्रीय स्तर पर 25 हजार, 15 हजार और 10 हजार रु0 के ईनाम की घोषणा, खिलाड़ियों को पुरस्कृत करने की घोषणा आपने की है तो उसमें अभी तक कितने खिलाड़ियों को यह उपरोक्त राशि उपलब्ध हो पाई है और क्या इस प्रोत्साहन राशि को सरकार बढ़ाने पर विचार करेगी? मेरा दूसरा प्रश्न खेलो इण्डिया राष्ट्रीय खेल विकास कार्यक्रम को लेकर है। मैं मा0 अध्यक्ष जी के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि खेल अवस्थापना के सृजन और खेलकूद प्रतियोगिताओं के सम्बन्ध में केन्द्र की इस योजना के तहत पूरे प्रदेश से प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार को कितनी डिमाण्ड भेजने का काम किया है, इसके अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं की प्रतिभाओं को बढ़ाने के लिए ग्रामीण इलाकों में कितने स्टेडियम अभी तक खोले गए हैं या उनके लिए प्रस्ताव प्रस्तावित हैं और कितना पैसा अभी तक उसमें निर्गत हुआ है? मान्यवर, इसके अलावा आपके माध्यम से एक प्रश्न और मा0 मंत्री जी से पूछना चाहूंगा क्योंकि मा0 मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि प्रदेश में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि के साथ-साथ सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से यह बात पूछना चाहता हूं कि अभी तक अन्तर राष्ट्रीय स्तर के कितने पदक विजेताओं को, कितने खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने का काम इस मौजूदा सरकार ने किया है ?

---

†देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ संख्या-225-231 पर।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी, क्या आपके पास ऐसे आंकड़े हैं ?

श्री चेतन चौहान-

मा0 अध्यक्ष जी, इसमें दो चीजें हैं। इसमें दो अलग-अलग विभाग हैं। युवा कल्याण विभाग अलग है और खेल विभाग अलग है। मा0 विधायक जी का सवाल युवा कल्याण विभाग से सम्बन्धित है और युवा कल्याण की योजना अधिकतर ग्रामीण क्षेत्र में ही चलती है। मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहूंगा कि पिछले 20 साल से युवा कल्याण विभाग लगभग ठप पड़ा हुआ था। मैं मा0 मुख्य मंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने इसमें 11 करोड़ रु0 की धनराशि दी है जो बजट में पास हो जाएगी। हम लोग गॉवों के अन्दर कार्यक्रम कराएंगे। जहां तक खेलों का सवाल है तो वह अलग है। खेलों के लिए हम लोग बहुत काम कर रहे हैं लेकिन चूंकि यह सवाल युवा कल्याण से सम्बन्धित है, ग्रामीण क्षेत्र से सम्बन्धित है इसलिए मैं अपने आपको अभी यहीं तक सीमित रखना चाहता हूं।

श्री संजय गर्ग-

मा0 अध्यक्ष जी, आपके जवाब में खेलो इण्डिया राष्ट्रीय खेल विकास कार्यक्रम की बात है और उसी के तहत मेरा यह प्रश्न था कि खेलो इण्डिया राष्ट्रीय खेल विकास कार्यक्रम के तहत केन्द्र सरकार से राज्य सरकार ने कितना पैसा मांगा है, क्या उसके अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र के युवकों को सुविधा उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण क्षेत्र के स्टेडियम बनाने पर सरकार विचार कर रही है या बनाए हैं या कितने स्टेडियम बनाने पर सरकार विचार कर रही है ?

श्री चेतन चौहान-

मा0 अध्यक्ष जी, युवा कल्याण के अन्तर्गत लगभग 70 स्टेडियम हैं लेकिन क्योंकि जैसा मैंने कहा कि अब तक धन नहीं था, धन का कोई आवण्टन नहीं हो रहा था। वहां पर केवल ग्रामीण स्तर के लोग जाकर खेलते हैं लेकिन अब चूंकि हमें बजट मिला है इसलिए हम लोग वहॉ पर स्टेडियमों का रख-रखाव करेंगे और आगे के लिए वहां पर कोच नियुक्त करेंगे। अभी तक हमारे पास खेलो इण्डिया खेलो में 144 प्रस्ताव आए हैं। इन 144 प्रस्तावों में से 22 मिनी स्टेडियम का धन केन्द्र सरकार के माध्यम से हमको स्वीकृत हो गया है और शीघ्र ही उसमें काम शुरू हो जाएगा और जैसे ही ये मिनी स्टेडियम बन जायेंगे हम लोग कोच अप्वाइंट करेंगे और खेलों का कार्यक्रम देहात में भी शुरू हो जाएगा।

श्री मोहम्मद असलम ''राइनी''(एडवोकेट)-

माननीय अध्यक्ष जी, पिछले साल भी मैंने एक प्रश्न किया था। एक प्रश्न करना चाहता हूं अगर आपके आदेश हो तो।

श्री अध्यक्ष-

पिछले साल वाला प्रश्न इस साल भी दोहराएंगे क्या ?

श्री मोहम्मद असलम ''राइनी''(एडवोकेट)-

मान्यवर, एक छोटा-सा प्रश्न यदि आपका आदेश हो तो हम कर लें। माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी से एक साल पहले मैंने पूछा था

कि बास्केटबॉल में कितने प्लेयर होते हैं और बास्केटबॉल में जो गोल होता है उसकी ऊंचाई कितने मीटर होती है ?

श्री चेतन चौहान-

आप लोगों ने खेल को मजाक बनाया हुआ है, इसमें थोड़ी गंभीरता लेकर आइयेगा।

श्री मोहम्मद असलम ''राइनी''(एडवोकेट)-

मैंने पूछा था कि बास्केटबॉल में कितने प्लेयर होते हैं और गोल की कितनी ऊँचाई होती है?

श्री अध्यक्ष-

इस बीच में तो ये आप खुद ही किताब से पढ़ लेते।

श्री मोहम्मद असलम ''राइनी''(एडवोकेट)-

बास्केटबॉल के गोलपोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है। एक साल पहले मैंने ये सवाल किया था इसका उत्तर दिलवा दीजिए।

श्री चेतन चौहान-

आप इसमें सवाल पूछिये, इसको मजाक मत बनाइये।

श्री अध्यक्ष-

इसका उत्तर माननीय सदस्य आपको मालूम है। अब माननीय नरेन्द्र सिंह वर्मा जी आप क्या कहना चाहते हैं बोलें।

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, हम आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के समस्त विकास खण्डों में क्या मिनी स्टेडियम स्थापित किये जाने की कोई योजना है ? उत्तर प्रदेश के सभी विकास खण्डों में जहां पर निःशुल्क भूमि उपलब्ध है क्या वहां पर मिनी स्टेडियम स्थापित किये जाने की सरकार की कोई कार्य योजना है ?

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य, उन्होंने संख्या तो बता दी है।

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

लेकिन मान्यवर, ब्लॉक ज्यादा हैं और स्टेडियमों के संख्या कम है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी ने संख्या बताई है कि इतने स्टेडियम स्वीकृत हो गए हैं।

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा सवाल यह है कि प्रदेश के हर विकास खण्ड स्तर पर क्या मिनी स्टेडियम स्थापित कराये जाने की कोई योजना है ?

श्री अध्यक्ष-

आपका प्रश्न प्रत्येक ब्लॉक पर मिनी स्टेडियम की स्थापना के सम्बन्ध में है। माननीय मंत्री जी आपने संख्या तो बता दी लेकिन योजना को तय करने के क्या नियम हैं, ये बता दें।

श्री चेतन चौहान-

माननीय अध्यक्ष जी, खेलो इण्डिया खेलो कार्यक्रम के अंतर्गत हमको जो धन मिलता है वह केन्द्र सरकार के माध्यम से मिलता है और अभी जो विचार चल रहा है उसके अंतर्गत प्रत्येक तहसील में पहले हम एक मिनी स्टेडियम बना दें और जैसा कि मैंने कहा कि बहुत से माननीय सदस्य इसमें रूचि ले रहे हैं और यह बहुत अच्छी बात है। अभी तक 144 प्रस्ताव हमारे पास मिनी स्टेडियम के आए हैं जो हमने यहां से स्वीकृत करके केन्द्र सरकार को भेज दिये हैं क्योंकि धन का आवंटन केन्द्र सरकार ही करेगी। हमारे पास देहात के लिए। अलग से बजट नहीं है 22 प्रस्ताव स्वीकृत हो गए हैं जिन पर धन भी आ गया है अब टेण्डरिंग होगी और उसके बाद आगे इनको बनाने का कार्य प्रारंभ होगा उसके बाद हमारी केन्द्र सरकार से बातचीत चल रही है कि पहले तहसील स्तर पर मिनी स्टेडियम बन जाये उसके बाद फिर हम लोग ब्लॉक के स्तर पर भी पहुंचेंगे। चिंता मत करिएगा, खिलाड़ी हूं इसलिए मैं भी यह चाहता हूं कि खेलों का कार्यक्रम यहां पर हो जिस प्रकार से सरकार चल रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी हमको सहयोग दे रहे हैं, उससे इस दिशा में और प्रगति होगी।

श्री अध्यक्ष-

अब तो उनका उत्तर आ गया है कि अभी तहसील पर कर रहे हैं आगे भी करेंगे। अब अगला प्रश्न लेते हैं।

मा0 विधायक, लखीमपुर खीरी के विधायक निवास डालीबाग 9/2 के टीनशेड, फर्श व शौचालय निर्माण के सम्बन्ध में

***05-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के विधायक निवास डालीबाग 9/2 में शासन से स्वीकृत तथा आगणन प्राप्त होने के बाद टीनशेड, फर्श व शौचालय का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री योगी आदित्यनाथ)-

डालीबाग के आवास संख्या 9/2 में टीनशेड, फर्श व शौचालय के निर्माण हेतु रु0 3.93 लाख का आगणन प्राप्त हुआ है।

आगणन स्वीकृत किये जाने की कार्यवाही प्रचलित है।

प्रश्न नहीं उठता।

(तारांकित प्रश्न संख्या-05 माननीय सदस्य श्री अवस्थी बाला प्रसाद का नाम पुकारे जाने पर वह सदन में उपस्थित नहीं थे।)

श्री अध्यक्ष-

अब अगला प्रश्न लेते हैं।

प्रदेश में दिव्यांगजनों की सुविधाओं के लिए फुटपाथ, सरकारी भवन, मार्ग एवं अन्य जगहों पर मानक निर्धारित करने के सम्बन्ध में

***06-श्री हर्षवर्धन बाजपेयी-**

क्या दिव्यांगजन सशक्तीकरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिव्यांगजनों को सार्वजनिक स्थानों पर जाने पर कम से कम असुविधा हो या दूसरों से सहयोग न लेना पड़े इसके लिए कोई नीति सरकार ने बनायी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं विकलांग जन विकास मंत्री (श्री ओम प्रकाश राजभर)-

जी हां।

सार्वजनिक भवनों/स्थानों में दिव्यांगजनों की आसान पहुंच के लिए बाधा रहित सुविधायें उपलब्ध कराये जाने हेतु शासनादेश संख्या 163/65-3-2012-8/2003, दिनांक 28-05-2012 व राज्य सरकार के भवनों को दिव्यांगजन हितैषी बनाये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या 1936/65-2-2018-21 (विविध)/2018, दिनांक 04-10-2018 निर्गत किये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री हर्षवर्धन बाजपेयी-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी से मेरे दो प्रश्न हैं, पहला प्रश्न शहर क्षेत्र में सड़क पर बने फुटपाथ से सम्बन्धित है और दूसरा प्रश्न कम्यूनिटी बिल्डिंग जैसे कि सरकारी भवन, मॉल्स और रेस्टोरेण्ट को लेकर है। क्या मंत्री जी इस बात का ठोस आदेश नगर निगम और डेवलपमेण्ट अथॉरिटी को देंगे कि जितने भी फुटपाथ बनते हैं वह थोड़ी-थोड़ी दूर पर स्लोब करें जैसे विश्वभर में होता है जिससे कि व्हीलचेयर वाले जो दिव्यांग साथी हैं और जो मदर्स हैं जिनके पास प्रैम्स हैं वह लोग ढाल से उनको उतार सकें। मेरा दूसरा प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितनी भी बिल्डिंग्स होती हैं चाहे वह मॉल्स हों, रेस्टोरेण्ट हों या सरकारी भवन हों उनमें एक सुविधा होती है कि जो प्रसाधन होते हैं वह महिला और पुरुष के साथ-साथ व्हीलचेयर वाले और दिव्यांग साथियों के लिए भी एक अलग प्रसाधन होता है और दूसरा जो लिफ्टस होती है उनमें प्रत्येक लिफ्ट में मेनडेटरी होता है कि ब्रेल लिपि हो और जो लोग नहीं देख सकते उनके लिए साउंड आए कि किस फ्लोर पर लिफ्ट उतरी है। तो क्या इन दोनों कामों के लिए नगर निगम को डेवलपमेण्ट अथॉरिटीज को और जो बिल्डिंग नार्म्स हैं उनमें ठोस आर्डर पास किए जाएंगे कि बिना इन नार्म्स के कंस्ट्रक्शन अलाउ नहीं किया जायेगा ?

श्री ओम प्रकाश राजभर-

मान्यवर, सभी विभागों के अपर सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव को आदेश निर्गत कर दिए गए हैं और अब सभी विभागों की जिम्मेदारी है कि वह उसको देखें। जहां तक सवाल विभाग का है तो विभाग भी अपने स्तर से उसमें देख-रेख कर रहा है और हम लोग भी उसमें प्रयासरत हैं क्योंकि जिम्मेदारी अपनी है तो हम लोग भी उसको कर रहे हैं।

प्रदेश के किसानों की दशा सुधारने हेतु स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू करने हेतु प्रदेश सरकार की योजना सम्बन्धी विषयक जानकारी

***07-श्री मो0 फईम इरफान-**

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्र सरकार द्वारा गठित स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप किसानों की दशा सुधारने हेतु सरकार कोई योजना बना रही है ? यदि हां, तो योजना क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

स्वामीनाथन आयोग की संस्तुति के दृष्टिगत केन्द्र सरकार के द्वारा फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि कर इन्हें लागत के 150 प्रतिशत या इससे अधिक निर्धारित किया गया है।

प्रदेश सरकार के द्वारा मूल्य परामर्शदात्री परिषद् का गठन किया गया है। इस परिषद् के द्वारा प्रदेश में होने वाली विभिन्न फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य के निर्धारण हेतु केन्द्र सरकार को किसानों की लागत को देखते हुए, संस्तुति प्रेषित की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

श्री मो0 फईम इरफान-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि गेहूं, धान के अलावा मक्का, ज्वार, बाजरा, उड़द, तिलहन आदि के खरीद केन्द्र स्थापित नहीं होते हैं और गन्ने का भुगतान एक-एक साल बाद भी नहीं मिल रहा है ऐसे में स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों पर अमल बेमानी है। किसानों को भी उद्यमी मानकर सुविधाएं मिलनी चाहिए। ऐसी स्थिति में मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि राज्य सरकार अपनी उपलब्धियां बतायें ?

श्री लाल जी वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा भी एक प्रश्न माननीय मंत्री जी से है। माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया है कि स्वामीनाथन आयोग की संस्तुति के दृष्टिगत केन्द्र सरकार के द्वारा फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि कर इन्हें लागत के 150 प्रतिशत या इससे अधिक निर्धारित किया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि धान और गेहूं की लागत का आंकलन क्या किया गया है ? नं0 एक-लागत मूल्य प्रति कुण्टल का आंकलन क्या है ? दूसरा-जो हमारे कृषि फार्म हैं या कृषि विश्वविद्यालय हैं। नरेन्द्र देव कृषि विश्वविद्यालय है उसमें प्रति कुण्टल गेहूँ का उत्पादन लागत मूल्य क्या है ? या प्रति कुण्टल धान का उत्पादन लागत मूल्य क्या है ? तभी तो मान्यवर, पता चलेगा कि 150 परसेन्ट है कि नहीं है। ये मैं मा0 मंत्री जी से जानना चाहूँगा या जो कृषि फार्म हैं प्रदेश के उसमें प्रति कुण्टल गेहूँ का लागत मूल्य क्या आता है ये तीनों का आँकड़ा दे दें तो उससे पता चलेगा कि 150 परसेण्ट की वृद्धि है कि नहीं है।

श्री सूर्य प्रताप शाही-

मान्यवर, पहले तो मूल प्रश्न के संदर्भ में आ रहा हूँ मैं, मा0 इरफान जी के, क्योंकि उन्होंने कुछ बातें कही हैं दलहन की खरीद के बारे में, तिलहन की खरीद के बारे में, मक्के की

खरीद के बारे में और हमारी उपलब्धियों के बारे में उन्होंने कही हैं। तो पहले में उनका उत्तर देता हूँ फिर जो जिज्ञासा मा0 लाल जी वर्मा जी की है मैं कोशिश करूँगा कि उनकी भी जिज्ञासा का समाधान कर सकूँ। स्वामीनाथन साहब की रिपोर्ट 2006 में आई और 2006 से लेकर के 2016 तक वह ठण्डे बस्ते में रही। मा0 नेता कांग्रेस इस बात से सहमत होंगे कि यू0पी0ए0 सरकार ने उसके ऊपर गर्दा डाल दिया था। रद्दी की टोकरी में डाल दिया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय, नरेन्द्र मोदी जी ने स्वामीनाथन कमेटी के बस्ते से धूल झाड़ी और यह तय किया कि किसान की लागत से डेढ़ गुना कीमतें दी जायेंगी और इस आधार पर खरीफ की फसलों का एम0एस0पी0 उन्होंने घोषित किया है और इसके लिए पूरे सदन को उत्तर प्रदेश के किसानों की ओर से उनको बधाई दिया जाना चाहिए, ये मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। दूसरी बात, उन्होंने कहा है कि दलहन और मक्के की खरीद के बारे में क्या हुआ ? 70 साल तक उत्तर प्रदेश में कभी भी दलहन की खरीददारी नहीं होती थी। पहली बार उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने फैसला किया 2017-18 के भीतर कि हम दलहन की खरीददारी प्रदेश में करेंगे और हमने उरद की, मूँग की, चना की और मसूर की चार फसलों की खरीददारी उत्तर प्रदेश में किया और लगभग 35 हजार मैट्रिक टन से ज्यादा दलहन और तिलहन की खरीददारी करके प्रदेश में 200 करोड़ रुपये से ज्यादा का भुगतान हमने किसानों को पहली बार किया है यह आप उपलब्धि के बारे में जो पूँछ रहे थे उसके बारे में मैंनें आपको बताया है। तीसरी बात, मक्के की खरीददारी के बारे में आपने पूछा है। इस साल मक्के की खरीददारी के बारे में सरकार ने फैसला किया है और मक्के के लिए भी क्रय केन्द्र इस साल लगाये गये हैं। इस साल मक्के की खरीददारी के बारे में भी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने फैसला किया है और हम आगरा और अलीगढ़ मण्डल के भीतर इसकी खरीददारी करेंगे। दलहन की खरीददारी हमने पिछले साल बुन्देलखण्ड और उसको मिला करके 17-18 जनपदों के भीतर करायी। नीति हमने यह तय किया है कि जहाँ पर ज्यादा जिस फसल का क्षेत्रफल होता है और किसान जिसको ज्यादा लगाता है। उन जनपदों के भीतर ही हम उसकी खरीददारी करते हैं जिसमें 10 हजार हेक्टेयर से ज्यादा जिनकी फसलों की खेती हो रही है उन जनपदों को उस उत्पादन के आधार पर हम वहाँ पर क्रय क्षेत्र लगा रहे हैं तो इसलिए पहली बार उत्तर प्रदेश के किसानों की उरद की, मूँग की, चने की और मसूर की और सरसों की और राई की और इस साल मक्के को भी उसमें शामिल करते हुए योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने फैसला किया इसके लिए मैं स्वामीनाथन समिति की जो महत्वपूर्ण रिपोर्ट थी उसके बेसिस पर यदि किसी राज्य सरकार ने काम किया है तो उसका नाम है योगी आदित्यनाथ जी की सरकार और उस दिशा में हम लोगों ने पहल किया है। दूसरी बात जो आदरणीय वर्मा जी ने बताया आपने रेट हमसे पूछे हैं किसान और गेहूँ के रेट क्या हैं आपकी लागत के ?

आप जानते हैं कि जो विश्वविद्यालयों की लागत आई है वह हमने प्रदेश सरकार की ओर से जो उनको संस्तुति भेजी है, धान के बारे में भेजी थी 2430 और 2440 रुपये। लेकिन देश भर में जो उत्पादन की लागत होती है और यह 2430 में जो हमने भेजा उसका जो फार्मूला हम लोगों ने तय किया था, उस फार्मूले को भी मैं समझता हूं कि आपके बीच में रख दूं, तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। जब हमारे पहले की सरकार यानि यू0पी0ए0 की सरकार जो

दे रही थी क्योंकि कीमतों को तय करने का काम भारत सरकार एम0एस0पी0 के आधार पर करती है तो यूपीए0 की सरकार ए-2 फार्मूले के आधार पर किसानों के जिंसों का दाम तय करती थी और ए-2 के भीतर पारिवारिक मजदूर शामिल नहीं थे। माननीय नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने इसमें इन-इन आइटम को तय किया कि इन-इन चीजों पर हम देंगे। मजदूरी, किसान परिवार की मजदूरी, बीज का मूल्य, उर्वरक, रक्षा रसायन की कीमतें, बीमा का प्रीमियम, भूमि का किराया, स्वयं का लीज और सभी इनपुट कास्ट। हम लोगों ने उस पर उत्तर प्रदेश के भीतर इन सभी पर जो उसका बाई प्रोडक्ट है, उसको माइनस करते हुये 10 प्रतिशत प्रबन्धकीय व्यय भी शामिल करते हुये उसका प्रस्ताव हमने किया और उसमें किसान का परिवार जो मजदूरी करता है उस मजदूरी को शामिल करके हमने अपने प्रस्ताव भेजे और भारत सरकार ने उसमें हमारे सुझावों के आधार पर किसान परिवार की मजदूरी को शामिल कर लिया जैसा कि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट थी और इसलिये 1750 रुपये इस साल कीमतें तय की गयी हैं। जो आपने विश्वविद्यालय के बारे में कहा है विश्वविद्यालय में छठा वेतनमान के आधार पर जो पैसे जाते हैं शोध पर जो खर्चे किये जाते हैं, रिसर्च के जो आइटम्स मंगाये जाते हैं सब उसमें शामिल करके उसका लोड उस पर जोड़ा जाता है, तब जाकर विश्वविद्यालय और हमारे शोध संस्थानों का, कृषि रिसर्च फार्मो का पैसा उसके आधार पर निर्धारित होता है। हम डेवलप कहॉ से करते हैं हम न्यूक्लियस सीड मंगाते हैं, फिर उसकी ब्रीडर तैयार करते हैं उसके बाद हम उससे फाउन्डेशन और सर्टीफाइड सीड निकालते हैं तो न्यूक्लियस से ब्रीडर तक आने में जो तीन साल का समय लगता है उसके उत्पादन और उसके प्रयोग पर जो खर्चा होता है वह हमारे विश्वविद्यालयों के खर्चे में शामिल होता है, उसी में जो यू0जी0सी0 के द्वारा निर्धारित वेतनमान है उसके आधार पर दिये जाने के कारण वहॉ की कीमतें बढ़ती हैं । लेकिन जो उनकी लागत जो हमारे कृषि स्रोत की लागत और रेन्डम जो हम प्रदेश के भीतर 10 किसानों का फार्मूला विभिन्न क्षेत्रों से लेते हैं उसके आधार पर जो कास्ट आती है, उसका औसत बनाकर हम भारत सरकार को संस्तुत करते हैं। अब अलग-अलग राज्यों की अलग-अलग लागत है, अलग-अलग उनका उत्पादन है। उत्तर प्रदेश की उत्पादकता मैं आपको बताऊँ, इस साल 576 लाख मीट्रिक टन रिकार्ड खाद्यान्न का उत्पादन हुआ यह देश में सर्वाधिक है। लगभग 17 लाख मीट्रिक टन की रिकार्ड बढ़ोत्तरी इस साल हमने किया है यह जो हमारी स्वामीनाथन समिति की दूसरी रिपोर्ट थी कि किसानों के पैदावार की ठीक प्रकार से खरीदारी किया जाय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने उसको सार्थक किया है और पहली बार गेहूं की रिकार्ड खरीदारी 2017-2018 में 33 लाख मीट्रिक टन और पिछले साल 2016-17 में 33 लाख मीट्रिक टन और इस साल हमारी सरकार ने 52 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीदारी किया है और पिछले साल हम लोगों ने 37 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदारी किया और इस तरह से हमने कोशिश की है कि किसानों को एम0एस0पी0 के आधार पर हम बेहतर कीमतें दिला सकें, यह मैं माननीय वर्मा जी को बताना चाहता हूं।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, जो मैनें प्रश्न किया, मैनें कारण तो पूछे नहीं। मैनें सिर्फ यह पूछा कि प्रदेश के जो कृषि फार्म हैं उनमें प्रति क्विंटल गेहूं और धान की क्या लागत मूल्य है। दूसरे

विश्वविद्यालय जो हैं उसमें क्यों बढ़ा है वह तो अलग बात है वह बता देते कि इस कारण बढ़ा है। लेकिन मान्यवर, उसमें लागत मूल्य आना चाहिये उसको माननीय मंत्री जी ने बताया नहीं, टालने का काम किया और वाहवाही, जुमला यह अलग से कर दिया कि हम 150 परसेण्ट लागत मूल्य से दे रहे हैं। यह केवल जुमला है, मान्यवर, यह जुमलों की सरकार है, यह जुमले बाजों की सरकार है।

(सत्तपक्ष के कई सदस्यों के एक साथ बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान।)

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी यह जानना चाहता हूं, दूसरा प्रश्न करना चाहता हूं कि इन्होंने 2,450/- रुपये मूल्य की संस्तुति की है। मान्यवर, छत्तीसगढ़ सरकार 2500/- रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदने का काम अपने संसाधन से कर रही है। माननीय मंत्री जी अगर किसान के हितैषी हैं और इन्होंने 2,450/- रुपये धान की लागत मान करके कि डेढ़ सौ गुना, 2450 रुपया लागत का होता है, इन्होंने संस्तुति की है तो क्या उस संस्तुति मूल्य पर प्रदेश सरकार किसानों का धान खरीदने की कृपा करेगी? यह मैं आपके माध्यम से स्पष्ट माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी ने जुमला तो बहुत ज्यादा गढ़ दिया। मान्यवर, लेकिन उसका जो सारांश था, जो क्वैश्चन था, जो प्रश्न था, उसका जवाब नहीं दिया तो केवल मैं चाहूंगा कि प्रश्न का जवाब दिला दें। मैंने स्पेसिफिक सवाल किया है, स्पेसिफिक जवाब दे दें, मैं उस पर बहस चाहता नहीं हूं, बहस करना हो तो नियमावली के नियम-49 में स्वीकृत कर लें, इस पर बहस करा दें।

श्री अध्यक्ष-

आपका मूल प्रश्न क्या बना ?

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, मेरे दो मूल्य प्रश्न हैं, एक तो लागत मूल्य कृषि विश्वविद्यालय में क्या है ?

श्री अध्यक्ष-

यह तो बताया है ?

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, नहीं बताया है, आपको सुनाई पड़ा हो तो आप बता दें, मान्यवर, मुझे तो नहीं सुनाई पड़ा।

(हंसी)

दूसरा मान्यवर, कृषि फार्मों पर लागत मूल्य क्या है ? यह दो प्रश्नों के उत्तर आ जायें। मान्यवर, तीसरा प्रश्न जो इन्होंने संस्तुति की 2450/- रुपया, क्या धान उस रेट पर प्रदेश सरकार अपने से बोनस देकर किसानों के लागत को ध्यान में रखते हुए, इन्होंने उसकी लागत निकाली थी, इसीलिए उसको 2450/- किया था, तो उत्तर प्रदेश में अगर लागत ज्यादा आ रही है तो छत्तीसगढ़ की तरह, जैसे छत्तीसगढ़ राज्य ने 2,500 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीद का निर्णय किया है तो क्या उत्तर प्रदेश सरकार 2,450/- रुपये में किसानों का धान खरीदने की कृपा करेगी ?

(विपक्ष के सदस्यों द्वारा मेंजें थपथपाई गईं।)

श्री अध्यक्ष-

माननीय कृषि मंत्री जी।

श्री सूर्य प्रताप शाही-

मान्यवर, जो मैंने बताया कि जो विश्वविद्यालय की लागत है, वह 1,400 रुपये प्रति क्विंटल के करीब बैठ रही है और मैंने आपको बताया कि क्यों बैठ रही है, साढ़े तेरह सौ से लेकर के चौदह सौ रुपये।

(श्री लाल जी वर्मा के बोलने का प्रयास करने पर।)

मैं बता रहा हूं, उसका डेढ़ गुना हम लोगों ने किया है और जो मैंने आपको फार्मूला बताया कि किसान की जमीन, उसका किराया, उसके परिवार की मजदूरी, यह सब कुछ शामिल करते हुए जो हमने बनाया उसका एक रिकमन्डेशन हमने भारत सरकार को भेजा है। भारत सरकार पूरे देश भर की लागत का औसत निकालती है और तद्नुसार वह कीमतों को तय करती है। उसमें उन्होंने प्रबन्धकीय व्यय को शामिल नहीं किया है। हमने जो पैसा सजेस्ट किया था, उसके भीतर प्रबन्धकीय व्यय भी था। जो आपने कहा कि विश्वविद्यालय की लागत क्यों बढ़ती है ? तो विश्वविद्यालय की लागत इसलिए बढ़ती है कि वहाँ जो प्रोफेसर है, उनका जितना बड़ा वेतनमान है, वह वेतनमान किसान के पास नहीं है तो स्वाभाविक रूप से उसकी लागत बढ़ेगी।

(श्री लाल जी वर्मा के कुछ बोलने का प्रयास करने पर)

हां, वह उसका पार्ट है, हम रिसर्च कर रहे हैं, हमारे बच्चे रिसर्च कर रहे हैं, उसमें जो पैसा जा रहा है, वह भी उसके ऊपर लागत पड़ती है।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, मंत्री जी सदन को गुमराह कर रहे हैं, मान्यवर, उनका वेतन उसमें जोड़ा जाता है ? आप घुमा रहे हैं।

श्री सूर्य प्रताप शाही-

मान्यवर, मैं घुमा नहीं रहा हूं।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, आप इस पर नियम-49 में चर्चा कर दें।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

मान्यवर, विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों के वेतनमान से किसान के धान के पैदावार का क्या लेना-देना है ?

श्री अध्यक्ष-

आप मूल प्रश्न दोहरा दीजिए ?

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

वर्मा जी कृपा करके आप पुनः एक बार बता दीजिए।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने माना कि 1400 रुपये प्रति क्विंटल धान की लागत विश्वविद्यालय के कृषि फार्मों पर आती है। हमने भी मान लिया तो उसका डेढ़ सौ गुना कितना होता है? मान्यवर, कम थोड़ा कम पढ़े-लिखे हैं, नहीं जोड़ पा रहे हैं, अगर उसका डेढ़ सौ गुना 1700 रुपये होता हो तो 1700 रुपये दे दीजिए।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने का प्रयास करने पर।)

श्री अध्यक्ष-

सब लोग मत चिल्लाइये।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, इन्होंने जो उत्तर दिया है, डेढ़ सौ प्रतिशत और डेढ़ सौ प्रतिशत मतलब डेढ़ गुना तो 14 का अगर आप डेढ़ गुना जोड़ेंगे तो 2100 तो सीधे-सीधे हो गया अगर उसमें और भी कुछ लागत जोड़ लें प्रबन्धकीय आदि तो उसी आधार पर 2450 की संस्तुति की है, 2450 रुपये की जो आपने संस्तुति की है, इसका मतलब उत्तर प्रदेश में आपने माना कि यह 2450 रुपये होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में मेरा यह निवेदन है कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ प्रदेश अपने किसानों को 2500 रुपये में धान खरीदने के लिए तैयारी कर रही है।

श्री अध्यक्ष-

छत्तीसगढ़ से तो इस सदन का मतलब नहीं है।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, उसी तरह से क्या आप 2400 देंगे 2500 देंगे।

श्री सूर्य प्रताप शाही-

छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश को एक कसौटी पर नहीं रखा जा सकता है। छत्तीसगढ़ की मुख्य फसल धान है।

श्री अध्यक्ष-

आप छत्तीसगढ़ क्यों बता रहे हैं ? यह उनके प्रश्न का उत्तर नहीं है।

श्री सूर्य प्रताप शाही-

मान्यवर, उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में जैसा मैने बताया कि उत्तर प्रदेश के भीतर हम लोगों ने ज्यादा किसानों के बारे में विचार-विमर्श करते हुए हमने उसके भीतर व्यवहारिक व्यवस्था की है। हमने किसान के जमीन की कीमत को भी जोड़ते हुए इसके ब्याज को भी इसमें जोड़ा है। अभी जो भारत सरकार का फार्मूला है उसमें वह शामिल नहीं है इस नाते वह हमारा रिकमन्डेशन ज्यादा है लेकिन भारत सरकार ने तय किया वह भी लगभग साढ़े दस सौ के आधार पर ग्यारह सौ के बीच में जो औसत निकाला और उसके आधार पर 1750 रूपये तय किये। आपको धन्यवाद इसलिए दिया जाना चाहिए कि 200 रूपये कुंटल पहली बार एम0एस0पी0 धान की बढ़ाई गयी है और जब से इस देश में मोदी जी की सरकार आई है (मेजो की थपथपाहट) तब से 375 रुपये कुंटल, जब मोदी जी आये थे उस समय 1275 रुपये

के करीब था और आज बढ़कर 1750 हुई तीन साल के भीतर जो 375 रुपये जो कीमतें बढ़ाई हैं, 4 साल में 350 और 60 साल के भीतर 1100 ग्यारह सौ की एक तराजू और 60 साल की एक तराजू और 4 साल की तराजू 375 रूपये यह तो अपने आप साफ जाहिर हो जा रहा है और यदि यह हो रहा है तो हमारी कोशिश यह है कि हम उत्तर प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा दें।

श्री अध्यक्ष-

वर्मा जी आपका उत्तर आ गया।

उत्तर प्रदेश इज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिग में देश में 12वें स्थान पर आने के सम्बन्ध में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के सम्बन्ध में

***08-श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी-**

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश इज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में देश में 12वें स्थान पर है। यदि हां, तो क्या सरकार प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु कोई उपाय करेगी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

औद्योगिक विकास मंत्री (श्री सतीश महाना)-

जी हां।

उत्तर प्रदेश इज ऑफ डूइंग बिजनेस, 2017 रैंकिग में देश में बारहवें स्थान पर है।

जी हां।

औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति, 2017 प्रख्यापित की गयी है। निवेश मित्र वेब पोर्टल बनाया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी-

माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में तथा औद्योगिक विकास मंत्री जी के अथक परिश्रम से उत्तर प्रदेश में निवेश का माहौल बना है तथा निवेश में लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है। उत्तर प्रदेश आज ईज ऑफ डूईंग बिजनेस में 12वें स्थान पर है। हमें आशा है कि मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश देश में पहले स्थान पर होगा। माननीय मंत्री जी से मेरा एक ही प्रश्न है कि जो पुरानी सरकार थी वह बिजली कनेक्शन देने में प्रति किलोवाट के हिसाब से अवैध वसूली करती थी। मेरा बस यही प्रश्न है कि जो बिजली का कनेक्शन निवेशक को दिया जायेगा वह टाइम बाउण्ड होगा ?

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, माननीय सदस्य ने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। हमने एक पोर्टल लान्च किया है ईज आफ डूईंग बिजनेस के नाते से। हमने अधिकतर जितने भी उद्यमी हैं, इण्डस्ट्रिलिस्ट हैं उनको उस पोर्टल के ऊपर अपनी ग्रीवान्सेस, क्लियरेन्सेस के सारे के सारे आप्शन उस पर उपलब्ध कराये जायेंगे। ईज आफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में उत्तर प्रदेश ने बहुत तेजी से छलांग लगाई है। मान्यवर, 2016 में 84.52 प्रतिशत थी जो कि बहुत नीचे स्थान

पर थी। 2017 में 84 से 92.89 प्रतिशत बढ़ी है और कामर्शियल कोर्ट्स उत्तर प्रदेश में स्थापित करने की बात की गयी है।

श्री अध्यक्ष-

यह बिजली के कनेक्शन के बारे में पूछ रही हैं ?

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, जो भी निर्धारित समय है उसके अन्तर्गत वह पोर्टल पर लोड करेंगे और निर्धारित समय-सीमा के अन्तर्गत ही उसको दिया जायेगा।

प्रदेश में लघु एवं सीमांत किसानों को ब्याज मुक्त फसली ऋण दिलाने विषयक

***09-श्री अजय कुमार 'लल्लू'-**

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में लघु एवं सीमांत किसानों की जिलावार संख्या और उनके द्वारा धारित की गयी भूमि का रकबा कितना है ? प्रदेश में लघु एवं सीमांत किसानों को ब्याजमुक्त फसली ऋण की धनराशि दी गयी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार लघु व सीमान्त किसानों को ब्याज मुक्त फसली ऋण प्रदान करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

विवरण संलग्न है।†

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

कृषि विभाग में लघु एवं सीमान्त किसानों को ब्याज मुक्त फसली ऋण प्रदान किये जाने की कोई योजना प्रस्तावित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से दो सवाल करना चाहता हूं, चूंकि हमारा प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है और देश भी हमारा कृषि प्रधान देश है। हमारे प्रदेश में कुल 2 करोड़ 15 लाख 67 हजार 6 सौ 3 किसान हैं, जो हमारे अन्नदाता हैं जिनके खून पसीने की मेहनत से प्रदेश समृद्धि और विकास के रास्ते पर जाता है। महोदय, भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोक संकल्प पत्र के पेज नम्बर-01।

श्री अध्यक्ष-

इस प्रश्न में संकल्प-पत्र कहॉ से आ गया ?

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

मान्यवर, वादा याद दिलाना पड़ेगा, अगर वादा यहां नहीं याद दिलाएँगे, तो कहॉ पर याद दिलाएँगे ? लोक संकल्प-पत्र के पेज संख्या-01 पर किसानों को ब्याज मुक्त फसली ऋण देने की बात कही है और मैंनें इनसे सवाल किया तो इन लोगों ने कह दिया कि जी नहीं, तो महोदय, यह जुमला नहीं, तो क्या है ?

---

†देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ संख्या-232-234 पर।

श्री अध्यक्ष-

आप अनुपूरक प्रश्न पूछिये।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या लोक संकल्प-पत्र में जनता से किये गये वादों को निभाते हुए किसानों के फसली ऋण के ब्याज को सरकार माफ करेगी, दूसरे फसल ऋण योजना में आयी शिकायतों, जिसमें एक शिकायत है श्री धर्मेन्द्र कुमार, आई0डी0 संख्या 14840198, जो तमकुहीराज के हैं जिनका 87 हजार 6 सौ 25 रुपये का ऋण था।

श्री अध्यक्ष-

यह तो इस प्रश्न का भाग नहीं है।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

मान्यवर, प्रश्न का ही भाग है, ऋण माफी का है, कृषि से जुड़ा मामला है।

श्री अध्यक्ष-

जब आप व्यक्तिगत किसी किसान का उल्लेख करेंगे, तो उसका उत्तर तत्समय मन्त्री के पास नहीं होगा।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

मान्यवर, ऋण माफी में सरकार ने पीठ थप-थपायी है। माननीय अध्यक्ष जी, श्री धर्मेन्द्र कुमार, जिनका 87 हजार 6 सौ 25 रुपये के ऋण माफी का मामला था, लेकिन आज तक उसका ऋण माफ नहीं हुआ है। तो क्या सरकार फसल ऋण योजना में आयी हुए शिकायतों के निस्तारण की एक समय-सीमा निर्धारित करके उन लोगों का फसल-ऋण माफ करने की व्यवस्था सुनिश्चित करेगी। माननीय मन्त्री जी से यही मेरा दो सवाल है।

श्री सूर्य प्रताप शाही-

माननीय लल्लू जी के दूसरे भाग का जो प्रश्न है वह मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है, लेकिन अगर यह अलग से उनका विवरण और शिकायत भिजवा देंगे तो मैं उसका परीक्षण करवा लूँगा।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

मा0 अध्यक्ष जी, मैंने इसलिए उदाहरण दिया कि इस तरह की तमाम शिकायतें हैं। कर्ज माफी पर पूरी सरकार ने ढोल बजाया, जगह-जगह भाषणों में, मंचों पर, सदन में खूब वाह-वाही लूटी।

श्री अध्यक्ष-

यह प्रश्न का भाग नहीं है।

श्री अजय कुमार लल्लू-

यह प्रश्न कर्जा माफी से जुड़ा है और कर्जा माफी का प्रमाण है।

श्री अध्यक्ष-

आप सवाल करेंगे या प्रमाण दिखाएँगे, प्रश्नोत्तर में कहां प्रमाण होता है ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

आपका जो प्रश्न है, उसमें ऋण मोचन नहीं है, इस पर सरकार गम्भीर है। एक-एक किसान जो पात्र और अर्ह होगा, सबका ऋण मोचन करने के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है। किसानों की जो भी शिकायतें आ रही हैं, उनके शिकायतों का परीक्षण कराया जा रहा है और तद्नुसार उनको निस्तारित भी करते जा रहे हैं। इसी माह के भीतर लगभग 6 सौ किसानों के शिकायतों का हम लोगों ने समाधान किया है। जैसे-जैसे सूचना आती है, हम उनका परीक्षण कराते हैं और उनका समाधान करते हैं। मा0 योगी आदित्यनाथ जी की सरकार 31 मार्च 2016 के पहले जितने भी सीमान्त और लघु किसान हैं और राष्ट्रीयकृत या व्यावसायिक बैंकों से जो अधिसूचित हैं ऐसे बैंकों से कर्ज लिया और उनका 01 लाख रुपये तक का बकाया है उनके बकाये का ऋण मोचन किया जायेगा और हमारा काम निरन्तर प्रगति पर है। हम पंजाब जैसा काम नहीं कर रहे हैं। पंजाब में आपने ऋण माफी घोषित कर दिया लेकिन अभी 10 दिन पहले जो रिपोर्ट आयी है कि केवल 1115 करोड़ रुपये का ऋण माफ किया गया है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, पहले वाले अनुपूरक का उत्तर दे दीजिए।

श्री सूर्य प्रताप शाही-

मान्यवर, पहले वाले का ही जवाब दे रहा हूं। यह क्या करते थे? जब श्रद्धेय अटल बिहारी बाजपेयी जी के पहले इनकी सरकार थी तो इन्होंने किसी किसान को के0सी0सी0 की सुविधा प्रदान नहीं किया था, देश भर में एक किसान भी के.सी.सी. की सुविधा नहीं पाता था। यह जो किसानों के हितैषी हैं, किसान क्यों स्ट्रेस में गया ? किसान इसलिए स्ट्रेस में गया कि कांग्रेस पार्टी और यू0पी0ए0 ने किसानों की घोर उपेक्षा की और इसके परिणामस्वरूप देश का किसान और उत्तर प्रदेश का किसान कर्जदार हुआ। 31 मार्च, 2016 के पहले के कर्जे योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने माफ करने का फैसला किया है, क्या वह कर्जा योगी आदित्यनाथ जी की सरकार का है ? ये 10 साल के भीतर प्रदेश की कुर्सी पर बैठे हुए लोग जिनकी मदद् आप प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से करते रहे हैं उनकी यह जिम्मेदारी रही है जिनके कुशासन से उत्तर प्रदेश का किसान कर्जदार हुआ है और उसको राहत देने का काम योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया है। अब आता हूं इनके मूल प्रश्न के ऊपर। मैं यह कह रहा था कि जब यह सत्ता में थे, अनवरत 46 साल तक उत्तर प्रदेश के भीतर इन्होंने शासन किया और उस 46 साल के भीतर किसानों को साधन सहकारी समितियों से 18 प्रतिशत ब्याज पर खाद और बीज का ऋण दिया करते थे और यदि किसान ने किसी तरह से डिफाल्ट कर दिया तो चक्रवृद्धि ब्याज, सूदखोरों की तरह से सूद वसूलने का काम कॉग्रेस पार्टी की सरकार कर रही थी। यह किसानों के हितैषी बन रहे हैं ? किसानों के बारे में सबसे पहले किसी ने विचार किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

अध्यक्ष जी, इतिहास गवाह है, यू0पी0ए0 व कॉग्रेस की सरकार ने 01 लाख 72 हजार करोड़ रुपये का कर्ज माफ करके किसानों का सबसे बड़ा हित करने का काम किया है। रही बात पंजाब की बात कर रहे हैं तो मैं बताना चाहूंगा कि अभी तीन राज्यों में हमारी सरकार बनी। सरकार के बनते ही दो घण्टे में तीन राज्यों में दो-दो लाख तक के किसानों का कर्जा माफ करने का काम किया है।

श्री अध्यक्ष-

अब उत्तर आने दीजिए।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

हमने जो कहा है, वह दो घण्टे में ही करके दिखाया है और इनकी सरकार मात्र 10 उद्योगपतियों का साढ़े तीन लाख करोड़ का कर्जा माफ करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यह किसानों के हितैषी बन रहे हैं ? इनके राज में किसान परेशान है, आत्महत्या कर रहा है।

श्री अध्यक्ष-

इस तरह के आरोप-प्रत्यारोप उचित नहीं हैं।

श्री सूर्य प्रताप शाही-

उत्तर सुनने का साहस नेता कॉग्रेस के पास नहीं रह गया है।

(इसी बीच श्री सुरेन्द्र सिंह द्वारा खड़े होकर कुछ बोलने पर।)

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

माननीय अध्यक्ष जी, जो इस सदन का सदस्य नहीं है उसका नाम लेना उचित नहीं है। कैसे इन्होंने आदरणीय सोनिया गॉधी जी का नाम लिया ?

श्री अध्यक्ष-

वह कुछ नहीं कहे, वह आपको प्रेम करते हैं। अध्यक्ष खड़े हैं तो आप लोग बैठ जाईये।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

माननीय अध्यक्ष जी, यह उचित नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

आपस में इस तरह का वाद-विवाद जिसमें कटुता हो वह उचित नहीं है। मा0 अजय कुमार जी बहुत क्रुद्ध हो गये थे। गुस्साया चेहरा अच्छा नहीं लगता, आकर्षण घट जाता है। अब प्रश्नों का समय समाप्त हुआ, 12:20 हो गया है।

(प्रतिपक्ष की तरफ से आवाज आयी कि मा0 अध्यक्ष जी, अभी 01 मिनट शेष है।)

नोट :-तारांकित प्रश्न सं0 09 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

प्रदेश के मझवार जाति को उ0 प्र0 की अनुसूचित जाति की सूची में जगह एवं प्रमाण-पत्र निर्गत कराने विषयक

***10-डा0 मुकेश चन्द्र वर्मा-**

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की मंझवार जाति उ0प्र0 की अनुसूचित जाति की सूची में क्रमांक-53 पर सूचीबद्ध है ? यदि हां, तो क्या सरकार को जानकारी है कि जिला फिरोजाबाद सहित प्रदेश के विभिन्न मंझवार जाति के लोगों को अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र न देकर अन्य पिछड़ा वर्ग जाति में मल्लाह, केवट जाति श्रेणी का दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की जांच कराकर मंझवार जाति के लोगों को अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र दिलायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण मंत्री (श्री रमापति शास्त्री)-

जी हां।

प्रदेश के मझवार जाति के लोगों को नियमानुसार जाति प्रमाण-पत्र निर्गत किया जा रहा है। केवट एवं मल्लाह दोनों जातियां उत्तर प्रदेश की अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में सम्मिलित है। अतः केवट एवं मल्लाह जाति के व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्रों पर नियमानुसार कार्रवाई करते हुए जाति प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में गरीब महिलाओं जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के जीवन यापन तकनीकी प्रशिक्षण के सम्बन्ध में

***11-डा0 जमुना प्रसाद सरोज-**

क्या व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अन्य वर्ग की गरीब महिलाओं को उनके जीवनयापन हेतु उन्हें तकनीकी प्रशिक्षण दिलाने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चेतन चौहान-

व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के अधीन संचालित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में संचालित इंजीनियरिंग एवं नान इंजीनियरिंग के नामोदिष्ट व्यवसायों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अन्य वर्ग के गरीब महिलाओं सहित सभी वर्ग की महिलाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने की शिल्पकार प्रशिक्षण योजना संचालित है। इन व्यवसायों में प्रवेश के समय राज्य सरकार के प्राविधानों के अनुसार अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों हेतु 21 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु 02 प्रतिशत तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु 27 प्रतिशत आरक्षण विद्यमान हैं। प्रदेश में महिलाओं हेतु 20 प्रतिशत का क्षैतिज आरक्षण भी उनकी श्रेणी के अन्तर्गत प्रदान किया जाता है।

उक्त के अतिरिक्त एस0सी0एस0पी0 योजना के अन्तर्गत संचालित 84 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु 70 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु 15 प्रतिशत तथा सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु 15 प्रतिशत आरक्षण विद्यमान है।

व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के अधीन संचालित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में संचालित इंजीनियरिंग एवं नान इंजीनियरिंग के नामोदिष्ट व्यवसायों में प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु 300 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान संचालित है, जिनमें से महिलाओं हेतु 48 महिला शाखायें संचालित हैं। केवल महिलाओं के लिए प्रदेश में 12 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान संचालित हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में लड़कियों की शादी मुख्यालय पर न कराकर उन्हीं के गांव में कराने विषयक जानकारी

***12-श्री मोहम्मद असलम ''राइनी'' (एडवोकेट)-**

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सरकार द्वारा करायी जा रही निर्धन/कमजोर वर्ग की लड़कियों का विवाह योजना के अन्तर्गत क्या सरकार उनकी शादी उन्हीं के गांव में आयोजित कराने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री-

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

***13-श्री मनोज कुमार पाण्डेय-**

[16वें मंगलवार के ता0प्र0सं0-2 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

***14-श्री विजय मिश्र-**

[1ले मंगलवार के ता0प्र0सं0-19 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के विषय में

***15-श्री सहेन्द्र सिंह चौहान तथा श्री नाहिद हसन-**

क्या खेल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के युवा खिलाड़ी जो राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल कर मेडल लाते हैं, उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए सरकारी नौकरी का प्रावधान सरकार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चेतन चौहान-

जी हां।

शासनादेश संख्या 1809/बयालिस-2006-1/ए0क्यू0 4/05, दिनांक 11-9-2006 द्वारा प्रदेश के प्रतिभावान/कुशल खिलाड़ियों को प्रदेश की शासकीय/सार्वजनिक उपक्रमों में लोक

सेवा आयोग की परिधि के बाहर के पदों पर नियुक्ति हेतु 02 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था की गई है।

इसके अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल कर मेडल लाने वाले प्रदेश के खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार द्वारा सरकारी नौकरियों में 11 चिन्हित विभागों में अन्तर्राष्ट्रीय खेलों यथा ओलम्पिक, विश्वकप/विश्व चैम्पियनशिप (04 वर्ष के अन्तराल पर आयोजित होने वाले) एशियन गेम्स एवं कामनवेल्थ गेम्स में पदक विजेता (उत्तर प्रदेश के निवासी) खिलाड़ियों को राजपत्रित 49 पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्त किये जाने हेतु शासनादेश संख्या 76/2442/बयालिस-2015-117 (विविध)/2014, दिनांक 02 नवम्बर, 2015 के माध्यम से नीति बनायी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में अलग से अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन कराने के सम्बन्ध में

***16-श्री अक्षयवर लाल गोंड-**

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में अलग से अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन कराने की कोई योजना है ? क्या यह सही है कि भारत सरकार एवं अन्य प्रान्तों में अलग से अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन हो चुका है ? क्या सरकार उ0प्र0 में भी अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री-

प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों की शिकायतों के निस्तारण हेतु उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया है, जिसमें वर्तमान में 01 अध्यक्ष, 02 उपाध्यक्ष एवं 17 सदस्यों को नामित किया जा चुका है। मा0 आयोग द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रकरणों/संदर्भों पर यथा आवश्यक कार्यवाही की जाती है।

अतएव प्रदेश में अलग से अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन की कोई योजना नहीं है।

भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

प्रदेश के विद्यालयों एवं महाविद्यालयों की बची हुई छात्रवृत्ति को दिलाने विषयक

***17-श्री उमाशंकर सिंह-**

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्तमान में विभिन्न विद्यालयों/महाविद्यालयों के छात्र/छात्राओं की छात्रवृत्तियां पठन-पाठन सत्रावसान व मध्य सत्र बीत जाने के पश्चात् भी उन्हें नहीं प्राप्त हो सकने से प्रतिभाशाली छात्र/छात्राओं के पठन-पाठन

में व्यवधान उत्पन्न होने की जानकारी सरकार के संज्ञान में है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा विद्यालयों/महाविद्यालयों के छात्र/छात्राओं की बची हुई छात्रवृत्ति दिलायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री-

जी हां।

वर्तमान प्रश्न के अन्तर्गत किसी वर्ष विशेष अथवा छात्रों के वर्ग का उल्लेख नहीं है। समाज कल्याण विभाग से सम्बन्धित आख्या निम्नवत है :-

1-वर्ष 2016-17 में अनुसूचित जाति के दशमोत्तर कक्षाओं में छात्रवृत्ति के स्वीकृत आवेदन-पत्रों के सापेक्ष छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि केन्द्रांश प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप नियमावली में दी गयी व्यवस्थाओं के अनुसार भुगतान की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

2-वर्ष 2017-18 में निम्न विवरण के अनुसार छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति का भुगतान किया गया है :-

क्र0सं0	वर्ग	छात्र संख्या	वितरित धनराशि	अभ्युक्ति
1	पूर्वदशम् अनुसूचित जाति	416860	88.49 करोड़	शत-प्रतिशत छात्रों को वितरित
2	पूर्वदशम् सामान्य वर्ग	77777	16.64 करोड़	बजट की सीमा तक पात्र छात्रों को वितरित
3	दशमोत्तर अनुसूचित जाति	1221653	1778.07 करोड़	बिन्दु संख्या 3 में अंकित विवरण के अनुसार
4	दशमोत्तर सामान्य वर्ग	565637	659.96 करोड़	बजट की सीमा तक पात्र छात्रों को वितरित

3-ट्रांजेक्शन फेल की धनराशि सम्मिलित करते हुए 58093 अनुसूचित जाति छात्रों हेतु रुपये 177.43 करोड़ की देयता का भुगतान राज्य सरकार की वचनबद्ध देयता की धनराशि से किया जाना है, जो प्रक्रियाधीन है।

जी हां।

दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत अनुसूचित जाति छात्रों की छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु भुगतान की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में दिव्यांगों को बैटरी चालित ट्राई साईकिल दिये जाने की मांग

***18-श्री उज्जवल रमण सिंह-**

क्या दिव्यांगजन सशक्तीकरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में दिव्यांगजनों को बैटरीचलित ट्राई-साईकिल सरकार देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश राजभर-

जी नहीं।

वर्तमान में उत्तर प्रदेश में दिव्यांगजन को कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण खरीदने हेतु वित्तीय अनुदान स्वीकृत करने की नियमावली, 2016 में किये गये प्राविधान के अनुसार पात्र दिव्यांगजन को अधिकतम रु0 8000/- तक का कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण खरीदने हेतु अनुदान दिये जाने की व्यवस्था है जिसके अन्तर्गत यथास्थिति हस्ताचालित ट्राई साइकिल दी जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

जनपद वाराणसी मण्डल व आजमगढ़ संचालित हो रहे राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के सम्बन्ध में जानकारी

1-श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'-

क्या व्यावसायिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के वाराणसी व आजमगढ़ मण्डल में कितने राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान वर्तमान समय में संचालित हैं ? क्या सरकार छात्रों की संख्या के अनुपात में उनकी संख्या बढ़ाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चेतन चौहान-

उत्तर प्रदेश के वाराणसी मण्डल में 13 तथा आजमगढ़ मण्डल में 14 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान संचालित हैं। दोनों मण्डलों को सम्मिलित कर कुल 27 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान वर्तमान में संचालित हैं।

अवगत कराना है कि दोनों मण्डलों में युवाओं की जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा 14.08.2018 को वाराणसी मण्डल में जहूराबाद (गाजीपुर), मोहम्मदाबाद (गाजीपुर), बदलापुर (जौनपुर), पिण्ड्रा (वाराणसी) व चकिया (चन्दौली) में नये राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की घोषणा की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद वाराणसी व आजमगढ़ में सिक्योरिटी मिशन के तहत किसानों को फसलों पर मिलने वाले अनुदान के सम्बन्ध में

2-श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 2017-18 व 2018-19 में नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के तहत वाराणसी व आजमगढ़ मण्डल के कितने किसानों को कितनी-कितनी राशि फसलों पर अनुदान के रूप में दी गयी है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के तहत वाराणसी मण्डल में फसलों पर वर्ष 2017-18 में कुल 35008 कृषकों को रु0 695.77 लाख की धनराशि अनुदान के रूप में दी गई एवं वर्ष 2018-19 में कुल 9783 कृषकों को रु0 414.40 लाख की धनराशि अनुदान में दी गई। इसी प्रकार नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के तहत आजमगढ़ मण्डल में फसलों पर वर्ष 2017-18 में कुल 43331 कृषकों को रु0 624.44 लाख की धनराशि अनुदान के रूप में दी गई एवं वर्ष 2018-19 में 14800 कृषकों को रु0 208.26 लाख की धनराशि अनुदान में दी गई।

प्रश्न नहीं उठता।

जिलाधिकारी, कानपुर देहात का अर्द्ध शा0प0सं0 505/शि0लि0-का0, दिनांक 23/06/2018 जोकि भूखण्ड संख्या बी-5 औ0क्षे0, रनिया-1 पर कार्यवाही विषयक जानकारी

3-श्री विनोद कुमार कटियार-

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधिकारी, कानपुर देहात का अर्द्ध शा0प0सं0-505/शि0लि0-कां0, दिनांक 23-6-2018 जो कि भू-खण्ड संख्या-बी-5 औ0क्षे0, रनिया-1, विसायकपुर, कानपुर देहात की पैमाइश के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका सं0-25252/2017, दिनांक 31-5-2017 को पारित आदेश के क्रम में पैमाइश हेतु जिलाधिकारी, कानपुर देहात द्वारा गठित समिति द्वारा दिनांक 7-9-2017 की जांच रिपोर्ट के अनुरूप उक्त भू-खण्ड में कराये गये अवैध निर्माण को हटाने एवं उक्त रिट याचिका की याची को कब्जा दिए जाने विषयक है, प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0एस0आई0डी0सी0, उ0 प्र0, कानपुर को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सतीश महाना-

जी हां।

भूखण्ड संख्या-बी-5 उ0 प्र0 राज्य औद्योगिक विकास निगम के औद्योगिक क्षेत्र रनिया साइट प्रथम में स्थित है। उक्त भूखण्ड उद्यमी को इकाई स्थापित करने हेतु आवंटित किया गया था। स्थानीय निवासी श्री शंकर सिंह द्वारा इस भूमि पर अपना दावा किया गया था, जिसको गलत मानते हुए जिला प्रशासन द्वारा सहयोग प्रदान करते हुए बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कराया गया। श्री शंकर सिंह द्वारा वाद दायर करने के पश्चात् एवं उनके द्वारा विरोध करने के कारण उद्यमी को इकाई का निर्माण कार्य रोकना पड़ा। मा0 उच्च न्यायालय के दिशा-निर्देश पर दिनांक 07.09.2017 को जिला प्रशासन की टीम द्वारा मौके पर पैमाइश करते हुए आख्या दी गई कि उक्त भूखण्ड गाटा संख्या 2253 व 2257 के आंशिक भाग पर स्थित है, परन्तु भूखण्ड का कितना अंश किस गाटा संख्या पर है यह स्पष्ट नहीं किया गया। गाटा सं0 2253 का आंशिक भाग निगम के स्वामित्व की भूमि है। दिनांक 22.11.2018 को जिलाधिकारी, कानपुर देहात द्वारा प्रेषित पत्र में सूचित किया गया है कि जिला शासकीय अधिवक्ता (सिविल), कानपुर देहात से आख्या प्राप्त की गई। जिला शासकीय अधिवक्ता (सिविल), कानपुर देहात द्वारा अपना

विधिक मन्तव्य दिनांक 21.07.2018 को उपलब्ध कराते हुए अंकित किया गया है कि याची द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में प्रस्तुत रिट संख्या 25252/2017, शंकर सिंह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार आदि में पारित आदेश दिनांक 31.05.2017 में पैमाइश करने हेतु पूर्ण रूपेण विवादित स्थल चिन्हित किये जाने हेतु आदेशित किया गया है, जिसका अनुपालन दिनांक 07.09.2017 को गठित समिति द्वारा विधि अनुरूप पालन सुनिश्चित किया जा चुका है। जिलाधिकारी, कानपुर देहात की आख्या के अनुसार आवेदक द्वारा भूखण्ड में कराये गये अवैध निर्माण को हटाने एवं कब्जा प्राप्त करने के सम्बन्ध में जो अनुतोष चाहा गया है, वह सक्षम न्यायालय में वाद दायर करके प्राप्त किया जा सकता है।

उपरोक्तानुसार।

जनद झांसी आयोजित शून्य लागत प्राकृतिक कृषि प्रशिक्षण शिविर में प्राकृतिक कृषि कराये जाने की मांग

4-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी में सितम्बर, 2018 में आयोजित शून्य लागत प्राकृतिक कृषि प्रशिक्षण शिविर में प्राकृतिक कृषि कराये जाने के सम्बन्ध में पद्मश्री श्री सुभाष पालेकर द्वारा सुझाये गये सुझाव कृषि मंत्री द्वारा की गयी घोषणा के अनुसार कोई कार्य-योजना तैयार की गई है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ? यदि नहीं, तो कार्य-योजना कब तक बनायी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

लिखित सुझाव प्राप्त नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता है।

केन्द्र पोषित परम्परागत कृषि विकास योजना प्रदेश में संचालित है।

वर्ष 2018 में जैविक खेती से सम्बन्धित केन्द्र पोषित परम्परागत कृषि विकास योजना (पी0के0वी0वाई0) की संशोधित गाइडलाइन में कृषकों को यह स्वायत्तता दी गयी है कि वह अपनी सुविधानुसार जैविक खेती के किसी भी पैकेज ऑफ प्रैक्टिसिस को अपना सकते हैं, बशर्ते पार्टीशिपेटरी गारण्टी सिस्टम ऑफ इण्डिया (पी0जी0एस0 इण्डिया) के नियम एवं शर्तों को पूर्ण करता हो।

प्रदेश में खाद्यान्न एवं सब्जियों के उत्पादन में प्रयोग किये जाने वाले जहरीले कीटनाशकों की जगह गौमूत्र आदि से निर्मित प्राकृतिक उपायों के सम्बन्ध में

5-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में खाद्यान्न एवं सब्जियों के उत्पादन में प्रयोग किये जा रहे जहरीले कीटनाशकों के प्रयोग से मानव में फैलने वाली घातक बीमारियों के मद्देनजर ऐसे कीटनाशकों के स्थान पर गौमूत्र आदि से निर्मित प्राकृतिक उपायों पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

खाद्यान्न एवं सब्जी उत्पादन में प्रयोग किये जा रहे जहरीले कीटनाशकों के स्थान पर जैविक कीटनाशक यथा एजाडिरेक्टिन, ट्राकोडर्मा, ब्यूवेरिया वैसियाना, वर्टीसीलियम आदि को केन्द्रीय कीटनाशी बोर्ड एवं पंजीयन समिति (सी0आई0बी0एण्ड आर0सी0), फरीदाबाद, हरियाणा द्वारा संस्तुत करने के उपरान्त ही कृषि विभाग द्वारा कृषकों को प्रयोग हेतु सलाह दी जाती है। उपरोक्त जैविक कीटनाशकों का मानव स्वास्थ्य पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। जैविक कीटनाशकों को बढ़ावा देने हेतु विभाग द्वारा बायोपेस्टी साइड/बायोएजेण्ट पर 75 प्रतिशत अनुदान की भी सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है।

गोमूत्र से निर्मित प्राकृतिक कीटनाशक केन्द्रीय कीटनाशी बोर्ड एवं पंजीयन समिति (सी0आई0बी0एण्ड आर0सी0), फरीदाबाद, हरियाणा द्वारा परीक्षण के उपरान्त इसका पंजीयन प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने के उपरान्त उपयोग किया जा सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र कप्तानगंज के अन्तर्गत ग्राम पंचायत इंडोर स्टेडियम की स्थापना एवं प्रश्नकर्ता के पत्र संख्या 6/133980, दिनांक 14.03.2018 पर कार्यवाही विषयक जानकारी

6-श्री चन्द्र प्रकाश उर्फ सीए चन्द्र प्रकाश शुक्ल-

क्या युवा कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र कप्तानगंज के अन्तर्गत लिंकपुर ग्राम पंचायत के अन्तर्गत इंडोर स्टेडियम बनाये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या क-6/133980, दिनांक 14-3-2018 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चेतन चौहान-

जी हां।

भारत सरकार की खेलो इण्डिया योजनान्तर्गत उक्त स्थान पर मल्टीपरपज हॉल के निर्माण हेतु जनपद स्तर से प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जिसे यथा समय भारत सरकार को प्रेषित किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में दिव्यांगों को स्वावलम्बी बनाने के लिए वाटर एटीम व मोटराइज ट्राई साइकिल उपलब्ध कराये जाने की मांग

7-श्री चन्द्र प्रकाश उर्फ सीए चन्द्र प्रकाश शुक्ल-

क्या दिव्यांगजन सशक्तीकरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे दिव्यांगों को स्वावलम्बी बनाने के लिए वाटर एटीएम व मोटराइज्ड ट्राई साइकिल देने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश राजभर-

जी नहीं।

प्रदेश में दिव्यांगजन को स्वावलम्बी बनाने हेतु ''उत्तर प्रदेश दिव्यांग पुनर्वासन हेतु दुकान निर्माण/दुकान संचालन नियमावली, 2004'' संचालित है, जिसमें पात्र दिव्यांगजन को दुकान निर्माण/क्रय करने, दुकान को किराये पर लिये जाने व खोखा/गुमटी/हाथ ठेला क्रय किये जाने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान किये जाने का प्राविधान है।

दिव्यांगजन को कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण खरीदने हेतु वित्तीय अनुदान स्वीकृत करने की नियमावली, 2016 में किये गये प्राविधान के अनुसार पात्र दिव्यांगजन को अधिकतम रु0 8000/- तक का कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण खरीदने के लिए अनुदान दिये जाने की व्यवस्था है। उक्त नियमावली में दिव्यांगजन को मोटराइज्ड ट्राई साइकिल दिये जाने की व्यवस्था नहीं है।

जनपद लखीमपुर खीरी के अनुदान संख्या 011 (2018-2019) कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग के तहत किसानों को मिले अनुदान के सम्बन्ध में जानकारी

8-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी की अनुदान संख्या-011 (2018-19) कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभागों द्वारा किसानों को पं0 दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्ध योजना के तहत अनुदान देने की योजना है ? यदि हां, तो क्या तहसील धौरहरा के कौन-कौन किसान पात्र होगें और इसे प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

जी हां।

तहसील धौरहरा में जल समेट के आधार पर चयनित परियोजना क्षेत्र के समस्त कृषक एवं कृषक मजदूर इस योजना के लाभार्थी होंगे। परियोजना क्षेत्र के चयन में उन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाती है जहां भू-आवंटी, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं लघु/सीमान्त कृषकों की अधिकता होती है। परियोजना अन्तर्गत सामुदायिक प्रकृति के कार्य यथा बांध निर्माण, सुरक्षित जल निकास हेतु जल निकासी नाले का निर्माण आदि में यदि सामान्य कृषकों के खेत आ रहे हैं तो अपरिहार्य परिस्थिति में लाभार्थी के रूप में उन्हें भी सम्मिलित किया जा सकता है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी के अन्तर्गत विधान सभा धौरहरा में ग्राम मूसेपुर में पुरानी मण्डी सड़क की मरम्मत के सम्बन्ध में जानकारी

9-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या कृषि विपणन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी के अन्तर्गत विकास खण्ड धौरहरा में ग्राम मूसेपुर में पुरानी मण्डी सड़क आधी मरम्मत कर छोड़ दी गयी

है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अधूरे कार्य को पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

बाढ़ नियंत्रण, कृषि निर्यात, कृषि विपणन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्रीमती स्वाती सिंह)-

गड्ढामुक्तिकरण योजना के अधीन प्रथम चरण के अन्तर्गत सम्पर्क मार्ग ''एल0आर0पी0 रोड से मूसेपुर होते हुए खमरिया ईसानगर मार्ग'' लम्बाई 2.56 किमी0 तक के मरम्मत कार्य हेतु रु0 47.28 लाख की प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति समिति द्वारा दिनांक 16.05.2017 को प्राप्त होने के फलस्वरूप नियमानुसार खण्डीय स्तर पर कार्यवाही करते हुए दिनांक 08.07.2017 को कार्य प्रारम्भ कराया गया। तदोपरान्त उक्त मार्ग का मरम्मत/गड्ढामुक्तिकरण का कार्य निर्धारित गुणवत्ता एवं विशिष्टियों के अनुसार वास्तविक रूप से दिनांक 15.11.2018 को पूर्ण करा दिया गया है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मऊ में आदर्श प्रारम्भिक हरिजन विद्यालय, मिश्रौली मोलनपुर मधुबन में प्रधानाध्यापक सहित अध्यापकों की अवैधानिक नियुक्ति के सम्बन्ध में जानकारी

10-श्री हाकिम लाल बिन्द-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रमुख सचिव, समाज कल्याण, उ0प्र0 शासन, को सम्बोधित श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्रम मंत्री का पत्रांक-6831, दिनांक 04 सितम्बर, 2018 जो कि आदर्श प्रारम्भिक हरिजन विद्यालय मिश्रौली मोलनपुर, मधुबन मऊ में अवैधानिक रूप से प्रधानाध्यापक सहित अध्यापकों की नियुक्ति विषयक है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री-

जी हां।

प्रकरण की जांच हेतु निदेशालय के पत्र संख्या 1470-71/स0क0/शिक्षा-ब, दिनांक 04.12.2018 द्वारा जिला समाज कल्याण अधिकारी, मऊ को निर्देशित किया गया। जिला समाज कल्याण अधिकारी, मऊ द्वारा प्रेषित आख्या अपूर्ण होने के कारण प्रकरण की जांच हेतु उपनिदेशक, समाज कल्याण, आजमगढ़ मण्डल, आजमगढ़ को निर्देशित किया गया है।

उपरोक्तानुसार।

पिछड़े वर्ग के नौजवानों के लिए व्यवसाय हेतु अनुदान के सम्बन्ध में जानकारी

11-डा0 आर0 के0 वर्मा-

क्या पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग कल्याण वित्त विकास निगम, दिल्ली द्वारा वर्ष 2012 से 2016 तक उत्तर प्रदेश के पिछड़े वर्ग के बेरोजगार नौजवानों को व्यवसायिक व्यवसाय स्थापित करने हेतु अनुदान की कितनी देयता अभी

तक शेष है ? क्या सरकार उक्त शेष देय धनराशि की देयता पूर्ण करने हेतु केन्द्र सरकार से अनुरोध करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश राजभर-

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, नई दिल्ली की वर्ष 2012 से 2016 तक उत्तर प्रदेश के पिछड़े वर्ग के बेरोजगार नौजवानों को व्यवसायिक व्यवसाय स्थापित करने हेतु अनुदान की कोई देयता शेष नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, नई दिल्ली द्वारा उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लि0 को कोई भी अनुदान उपलब्ध नहीं कराया जाता है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश के आगरा एक्सप्रेस-वे के दोनों तरफ लगाये जाने वाले पेड़ों के सम्बन्ध में जानकारी

12-श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'-

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा एक्सप्रेस-वे के दोनों तरफ कितने पेड़ लगाये जाने हेतु प्रस्तावित है, उसमें से अभी तक कितने पेड़ लगाये जा चुके हैं, कितने शेष हैं ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सतीश महाना-

आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर आई0आर0सी0एस0पी0 : 21-2009 के मानकों के अनुसार मीडियन पर 2.50 लाख फूल वाले आकर्षक पौधों का रोपण तथा एक्सप्रेस-वे के किनारे 3.00 लाख पौधे इस प्रकार कुल 5.50 लाख पौधों का रोपण प्रस्तावित था। एक्सप्रेस-वे पर समस्त प्रस्तावित पौधों का रोपण वर्ष 2017-18 में किया गया तथा उसमें क्षतिग्रस्त 20 प्रतिशत पौधों का पुनः वर्ष 2018-19 के वर्षाकाल में रोपण किया जा चुका है। उक्त कुल रोपित पौधों में 90 प्रतिशत पौधे जीवित हैं। जी नहीं। विवरण अधिक विस्तृत होने के कारण सदन के पटल पर प्रस्तुत नहीं किया जा सकता।

उ0 प्र0 भवन, दिल्ली में साफ-सफाई एवं खान-पान व कम्बल की गुणवत्ता के सम्बन्ध में

13-श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश भवन, दिल्ली अतिथि गृह में गन्दे चादर, कम्बल व खान-पान की गुणवत्ता खराब होने के कारण अतिथियों को काफी असुविधा होने की शिकायतें सरकार के संज्ञान में है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अतिथि गृह में साफ-सफाई आदि में सुधार करने हेतु निर्देश जारी करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं।

उत्तर प्रदेश भवन, नई दिल्ली के सभी कक्षों की प्रतिदिन सफाई की जाती है। भवन में अध्यासित होने वाले महानुभावों के आने के पूर्व ही धुली हुई तौलिया, चादर, पिलोकवर लगा दिया जाता है। प्रयोग में लाये गये कम्बलों को समय-समय पर ड्राई क्लीन कराया जाता है।

अतिथि गृह में पधारने वाले मा0 अतिथियों/महानुभावों के लिए निर्धारित मानक के अनुसार खान-पान की व्यवस्था की जाती है, जिसमें मौसम के अनुसार उपलब्ध सब्जियां आदि सम्मिलित रहती हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी के ब्लाक ईसानगर व ब्लाक धौरहरा व ब्लाक रमिया बेहड़ के दिव्यांग एवं युवा बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के सम्बन्ध में

14-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी के ब्लाक ईसानगर, धौरहरा व रमिया बेहड़ में दिनांक 30 सितम्बर, 2018 तक कितने दिव्यांग एवं युवा बेरोजगारों को प्रशिक्षित कराकर रोजगार उपलब्ध कराया गया है ? क्या सरकार बतायेगी कि उपरोक्त विकास खण्डों में कहां-कहां प्रशिक्षण दिया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चेतन चौहान-

उ0 प्र0 कौशल विकास मिशन के अन्तर्गत जनपद लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड ईसानगर धौरहरा व रमिया बेहड़ में कुल 548 युवाओं को विभिन्न रोजगारपरक व्यावसायों में प्रशिक्षण प्रदान किया गया, जिनमें से 469 प्रशिक्षणार्थी मूल्यांकन के उपरान्त सफल घोषित किये गये। सफल मूल्यांकित प्रशिक्षणार्थियों में कुल 157 युवाओं को दिनांक 30 सितम्बर, 2018 तक सेवायोजित कराया गया है। प्रशिक्षित अथवा सेवायोजित प्रशिक्षणार्थियों में कोई दिव्यांग सम्मिलित नहीं है।

विकास खण्ड ईसानगर में वर्तमान में हिन्दुस्तान लेटेक्स फैमिली प्लानिंग प्रमोशन ट्रस्ट द्वारा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (राज्य घटक) के अन्तर्गत प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किया गया है। धौरहरा विकास खण्ड में वर्तमान में कोई प्रशिक्षण केन्द्र संचालित नहीं है, परन्तु इसके निकटवर्ती विकास खण्ड ईसानगर एवं रमिया बेहड़ में कौशल प्रशिक्षण केन्द्र संचालित किये जा रहे हैं।

विकास खण्ड रमिया बेहड़ में अखण्ड ज्योति जनकल्याण सेवा समिति का कौशल प्रशिक्षण केन्द्र संचालित है।

उल्लेखनीय है कि प्रदेश सरकार के संकल्प-पत्र में प्रदर्शित प्रतिबद्धता के अनुसार प्रत्येक तहसील में कम से कम एक कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र का संचालन सुनिश्चित किया जाना है और इस दृष्टि से तहसील धौरहरा संतृप्त है।

प्रत्येक विकास खण्ड में कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किये जाने की अनिवार्यता कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के दिशा-निर्देशों में नहीं है। प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना

प्रशिक्षण प्रदाता संस्थाओं के पास उपलब्ध अवस्थापनाओं, प्रशिक्षण केन्द्र की वायबिलिटी तथा प्रशिक्षण प्राप्त करने के इच्छुक युवाओं की संख्या पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी में कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्रों की संख्या एवं प्रशिक्षणोपरान्त रोजगार उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में

15-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी में कौशल विकास प्रशिक्षण के कितने केन्द्र किस-किस, विकास खण्ड में संचालित है तथा प्रशिक्षणोंपरान्त 30 सितम्बर, 2018 तक किन-किन पात्र युवाओं को प्रशिक्षित कर रोजगार उपलब्ध कराया गया है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चेतन चौहान-

जनपद लखीमपुर खीरी में कुल 07 तहसीलें एवं 15 विकास खण्ड हैं। जनपद की समस्त तहसीलें कौशल प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किये जाने के संदर्भ में संतृप्त हैं, जबकि 15 में से 13 विकास खण्डों में कौशल प्रशिक्षण केन्द्र संचालित किये जा रहे हैं। जनपद में संचालित कुल 33 प्रशिक्षण केन्द्रों की तहसीलवार/विकास खण्डवार सूची संलग्न है (संलग्नक-1)†

उल्लेखनीय है कि प्रदेश सरकार के संकल्प-पत्र में प्रदर्शित प्रतिबद्धता के अनुसार प्रत्येक तहसील में कम से कम एक कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र का संचालन सुनिश्चित किया जाना है और इस दृष्टि से जनपद लखीमपुर खीरी संतृप्त है।

जनपद लखीमपुर खीरी में प्रारम्भ से 30 सितम्बर, 2018 तक 1151 प्रशिक्षणार्थियों को सेवायोजित कराया जा चुका है, जिनकी वर्षवार संख्या निम्नवत् है :-

क्र0 सं0	वर्ष	संख्या
1	2015-16	113
2	2016-17	83
3	2017-18	99
4	2018-19 (30.09.2018 तक)	856
	योग . .	**1151**

जी हां। वर्षवार सेवायोजित कराये गये युवाओं का विवरण/सूची सदन के पटल पर रखे जाने हेतु संलग्न है।†

प्रश्न नहीं उठता।

†छापी नहीं गयी।

जनपद लखीमपुर खीरी के तहसील धौरहरा के अन्तर्गत वर्ष 2017 मार्च से अब तक दिव्यांग व्यक्तियों के लिए ट्राई साइकिल उपलब्ध कराये जाने विषयक जानकारी

16-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या दिव्यांगजन सशक्तीकरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी तहसील धौरहरा के अन्तर्गत वर्ष 2017 में मार्च से दिनांक 23-10-2018 तक किस-किस ग्राम के किन-किन दिव्यांग व्यक्ति को ट्राई साइकिल तथा मोटर चालित ट्राई साइकिल दी गयी है तथा किस-किस ग्राम में कौन-कौन दिव्यांगों को दिया जाना शेष है ? क्या सरकार सर्वे कराकर शेष दिव्यांगों को ट्राई साइकिल उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश राजभर-

कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण खरीदने हेतु वित्तीय अनुदान स्वीकृत करने की नियमावली, 2016 में हस्तचालित ट्राई साइकिल दिये जाने की व्यवस्था है। उक्त व्यवस्था के तहत जनपद लखीमपुर खीरी के तहसील धौरहरा में वर्ष 2017 में मार्च से दिनांक 23.10.2018 तक सर्वेनुसार पात्र कुल 151 दिव्यांगजनों को ट्राई साइकिल प्रदान किया जाना था। दिनांक 23.10.2018 तक 50 दिव्यांगजनों को ट्राई साइकिल प्रदान की गयी। अवशेष 101 दिव्यांगजनों में से 70 लाभार्थियों को दिनांक 08.12.2018 एवं 31 लाभार्थियों को दिनांक 13.12.2018 को ट्राई साइकिल उपलब्ध करायी जा चुकी है। लाभार्थियों की सूची संलग्न है।†

उक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी के तहसील धौरहरा में सिसैया धौरहरा हाइवे पर नवीन मण्डी की स्थापना कराने विषयक जानकारी

17-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या कृषि विपणन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी की तहसील धौरहरा में कृषि मण्डी स्थल सिसैया धौरहरा हाई-वे पर मुख्यालय से 60 किलो मीटर की दूरी पर होने के कारण किसानों को उत्पाद विक्रय हेतु अधिक दूरी तय करनी पड़ती है ? यदि हां, तो क्या सरकार नवीन मण्डी की स्थापना मुख्यालय में करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वाती सिंह-

जनपद लखीमपुर खीरी की तहसील धौरहरा में एक नग एग्रीकल्चरल मार्केटिंग हब (ए0एम0एच0) निर्मित है तथा संचालित है जिससे उस क्षेत्र के मण्डी की आवश्यकता की पूर्ति हो रही है। इसके अतिरिक्त कृषक अपना उत्पाद विक्रय हेतु लखीमपुर तथा समीप की मण्डी समिति, मिहीपुरवा ले जाते हैं जो कि मात्र 35 किमी0 की दूरी पर स्थित है।

†देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ संख्या-235-240 पर।

धौरहरा, सिसैया क्षेत्र में लाइसेंसधारियों की संख्या 31 तथा वार्षिक औसत आय लगभग रु0 20.70 लाख है जो पूर्ण मण्डी घोषित किये जाने के मानकों के अनुरूप नहीं है। मुख्य मण्डी घोषित करने हेतु वर्तमान निर्धारित मानक के अनुसार मुख्य मण्डी की कम से कम वार्षिक औसत आय रु0 1.50 करोड़ तथा लाइसेंसधारियों की संख्या कम से कम 50 अवश्य होनी चाहिए तथा उपमण्डी घोषित करने हेतु वर्तमान निर्धारित मानक के अनुसार उपमण्डी की कम से कम वार्षिक औसत आय रु0 50.00 लाख तथा लाइसेंसधारियों की संख्या कम से कम 25 अवश्य होनी चाहिए।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मेरठ में नियुक्त चतुर्थ श्रेणी के कर्मियों को वेतन भुगतान किये जाने विषयक

18-श्री मो0 मुजतबा सिद्दीकी-

क्या व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2017-18 में सेवा प्रदाता कम्पनी द्वारा राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मेरठ में कितने चतुर्थ श्रेणी के कार्मिकों को नियुक्त किया गया है ? क्या सरकार बतायेगी कि उन कार्मिकों को नियुक्ति तिथि से माहवार वेतन भुगतान किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चेतन चौहान-

आउटसोर्सिंग के माध्यम से चतुर्थ श्रेणी के पदों पर कार्यदायी संस्था, उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम्स कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीडेस्को) के माध्यम से सम्पादित अनुबन्ध के क्रम में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मेरठ में 03 कार्मिकों की नियुक्ति संबंधित कार्यदायी संस्था द्वारा की गयी है। सम्पादित अनुबन्ध के क्रम में कार्यदायी संस्था द्वारा तैनात कार्मिकों के कार्य करने के सापेक्ष माह अक्टूबर, 2018 तक के उपलब्ध कराये गये समस्त बिलों का भुगतान कार्यदायी संस्था के पक्ष में की जा चुकी है।

अन्य प्रदेशों की भांति प्रदेश में किसानों को समुचित मूल्य दिलाये जाने हेतु किसानों को प्रपत्र-6(6 आर) जारी कर मध्यान्तर योजना लागू कराने विषयक

19-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या कृषि विपणन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के किसानों की उपज का समुचित मूल्य दिलाये जाने हेतु किसानों को 6 आर0 जारी कर मध्य प्रदेश की भांति भावान्तर योजना लागू किये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वाती सिंह-

जी नहीं। प्रदेश में किसानों को समुचित मूल्य दिलाने की प्रक्रिया में उनकी उपज लाइसेंसी व्यापारी अथवा क्रय केन्द्र पर बेचते समय उन्हें प्रपत्र-6 (6 आर0) जारी किया जाता है। प्रदेश में किसानों को उपज का समुचित मूल्य दिलाये जाने हेतु खुली नीलामी से विक्रय तथा 100 मण्डियों में ई-नाम से डिजिटल माध्यम से बोली की व्यवस्था लागू है। मण्डी परिषद् द्वारा

शासन के निर्देशानुसार उ0 प्र0 चावल निर्यात प्रोत्साहन योजना, मेन्था निर्यात प्रोत्साहन योजना इसके साथ लहसुन, काला नमक चावल, प्रसंस्कृत तिल निर्यात प्रोत्साहन योजना लागू की गयी है ताकि संबंधित कृषकों को लाभकारी मूल्य प्राप्त हो सके। इसी प्रकार ताज ब्राण्ड आलू के ब्राण्ड प्रमोशन व भाड़ा अनुदान योजना के अन्तर्गत मण्डी परिषद् द्वारा लिये गये निर्णयानुसार उत्तर प्रदेश आलू निर्यात प्रोत्साहन योजना, 2018 भी लागू की गयी है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद गाजियाबाद के लोनी विधान सभा क्षेत्र में ट्रोनिका सिटी औद्योगिक क्षेत्र को विकसित कराने विषयक

20-श्री नन्द किशोर-

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजियाबाद के लोनी विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत ट्रोनिका सिटी औद्योगिक क्षेत्र में मूलभूत अवस्थापना सुविधाएं सरकार उपलब्ध करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सतीश महाना-

जनपद गाजियाबाद में लोनी के निकट लोनी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ट्रोनिका सिटी में 1707.00 एकड़ भूमि विकसित की जा चुकी है, जिसमें 12 आवासीय, 10 औद्योगिक एवं 02 वाणिज्यिक सेक्टर स्थापित/संचालित हैं, जिसमें मूलभूत सुविधाओं के अन्तर्गत सड़क, नाली, पुलिया, जलापूर्ति एवं सीवरेज तथा विद्युत सम्बन्धी व्यवस्थायें पूर्व से ही विद्यमान हैं, जिसके मरम्मत/अनुरक्षण का कार्य आवश्यकतानुसार समय-समय पर किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में जिलावार किसानों की संख्या तथा किसानों को दिये गये एनर्जी एफीशिएंट पम्प, ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई योजना से लाभान्वित कराये जाने के सम्बन्ध में

21-श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जिलावार किसानों की संख्या तथा कृषि भूमि का रकबा क्या है ? क्या सरकार बतायेगी कि जिलावार कितने किसानों को एनर्जी एफीशिएन्ट पम्प दिये गये है तथा कितने किसानों को ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई योजना से लाभान्वित किया गया है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

उत्तर प्रदेश में कुल किसानों की जिलावार संख्या तथा कृषि भूमि के रकबे (क्षेत्रफल में) का विवरण अनुलग्नक 'क' पर संलग्न है।†

एनर्जी एफीशिएन्ट पम्प योजना ऊर्जा विभाग द्वारा संचालित की जा रही है। ऊर्जा विभाग से प्राप्त सूचनानुसार दिनांक 30.11.2018 तक वाराणसी के 376, मऊ के 18, चन्दौली के 20, गाजीपुर के 102, झांसी के 60, सोनभद्र के 100, बागपत के 23 को मिलाकर कुल 699 किसानों को एनर्जी एफीशिएन्ट पम्प दिये गये हैं।

---

†देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ संख्या-241-245 पर।

वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में भूमि संरक्षण योजनान्तर्गत कृषि विभाग द्वारा स्प्रिंकलर सिस्टम से प्रदेश के 55 जनपदों में 10284 स्प्रिंकलर सेट वितरित किये गये हैं, जिसका जनपदवार विवरण अनुलग्नक-'ख' पर संलग्न है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजनान्तर्गत वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में कुल 108 कृषकों को स्प्रिंकलर सेट वितरित किये गये हैं, जिसका विवरण अनुलग्नक 'ग' पर संलग्न है।†

इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनान्तर्गत उद्यान विभाग द्वारा वर्ष 2018-19 में ''पर ड्राप मोर क्राप'' (माइक्रो इरीगेशन) के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष में अब तक 18449 किसानों को ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति से लाभान्वित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बदायूं के दातागंज वि0स0 क्षेत्र के वि0खं0 समरेर के ग्राम समरेर के निर्माणाधीन आई0टी0आई0 कालेज के निर्माण समयबद्ध सीमा में पूर्ण कराने विषयक

22-श्री राजीव कुमार सिंह उर्फ बब्बू भईया-

क्या व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र दातागंज, जनपद बदायूं के विकास खण्ड समरेर के ग्राम समरेर के निर्माणाधीन आई0टी0आई0 कालेज का निर्माण कार्य सरकार समयबद्ध सीमा में पूर्ण कराकर शिक्षण कार्य प्रारम्भ करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चेतन चौहान-

प्रश्न के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि सामान्य योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 में जनपद बदायूं की तहसील दातागंज में स्वीकृति किये गये नये राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के भवन निर्माण कार्य हेतु पुनरीक्षित मानकीकृत लागत रु0 799.19 लाख के सापेक्ष अब तक कुल रु0 687.89 लाख की धनराशि नामित कार्यदायी संस्था उ0 प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 को उपलब्ध कराई जा चुकी है, जिसके सापेक्ष वर्तमान में निर्माण कार्य प्रगतिमान है। वर्तमान तक निर्माण कार्य की भौतिक प्रगति लगभग 72 प्रतिशत है।

कार्यदायी संस्था द्वारा अवगत कराया गया है कि निर्माण कार्य को माह मई, 2019 तक पूर्ण कर नवनिर्मित भवन विभाग को हस्तगत करा दिया जायेगा। विभाग द्वारा आगामी वर्ष के प्रशिक्षण सत्र को नवनिर्मित भवन में संचालित किये जाने का लक्ष्य रखा गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा आवास आवंटन हेतु ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से कर्मियों को ग्रेड-पे एवं मैट्रिक्स लेवल के अनुसार आवंटन विषयक

23-श्री महेन्द्र प्रताप सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा आवास आवंटन हेतु नयी नियमावली जारी कर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की गयी है ? क्या यह सही है कि उक्त नियमावली में पद नाम के आधार पर आवास आवंटन का प्राविधान है ? यदि हां, तो क्या सरकार को जानकारी है कि ऐसे तमाम कर्मचारी जिनको विभागीय उदासीनता के कारण

उनका पद नाम नहीं मिला किन्तु पदनाम से दो, तीन स्तर ऊपर के वेतन लेवल में कार्यरत हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे कर्मियों को उनके पदनाम के स्थान पर वेतनमान, ग्रेड-पे एवं मैट्रिक्स लेवल के आधार पर आवास आवंटन करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा आवास आवंटन हेतु राज्य सम्पत्ति विभाग के नियंत्रणाधीन भवनों का आवंटन अधिनियम, 2016 एवं तत्क्रम में राज्य सम्पत्ति विभाग के नियंत्रणाधीन भवनों का आवंटन नियमावली, 2016 प्रख्यापित करते हुए शासनादेश संख्या 1/2018/आर-4146/32-2-2018-40/2017, दिनांक 12 जुलाई, 2017 एवं सपठित संशोधन आदेश संख्या आर 4638ए/32-2-2018-40/2017, दिनांक 23 अगस्त, 2018 द्वारा सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए आवास की ''ई-आवंटन'' प्रणाली प्रारम्भ की गई है।

राज्य सम्पत्ति विभाग के नियंत्रणाधीन भवनों का आवंटन अधिनियम, 2016 एवं राज्य सम्पत्ति विभाग के नियंत्रणाधीन भवनों का आवंटन नियमावली, 2016 में केवल पदनाम के आधार पर आवास आवंटन का प्रावधान न होकर सेवा समूह, पद प्रतिष्ठा, पदनाम एवं वेतनमान के आधार पर आवास आवंटन की व्यवस्था है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद लखीमपुर खीरी में दिव्यांगजन नागरिकों को पेंशन स्वीकृत कर धन खाते में भेजे जाने के सम्बन्ध में

24-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या दिव्यांगजन सशक्तीकरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी में जनवरी, 2017 से पात्र दिव्यांग नागरिकों की पेंशन के कुल कितने किस-किस के प्रस्ताव स्वीकृत के पश्चात् धन आवंटन हेतु लम्बित है। क्या सरकार उक्त पात्र लाभार्थियों के खाते में पेंशन भेजेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश राजभर-

जनपद लखीमपुर खीरी में जनवरी, 2017 से पात्र दिव्यांग नागरिकों की पेंशन का कोई प्रस्ताव स्वीकृति के पश्चात् धन आवंटन हेतु लम्बित नहीं है।

जी हां।

नई पेंशन स्वीकृत होने के बाद जब अगली किश्त भेजी जाती है तो उसमें ऐसे सभी नये स्वीकृत मामले सम्मिलित कर लिये जाते हैं और उन्हें किश्त अवमुक्त कर दी जाती है।

उक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के मोहनलालगंज क्षेत्र के जेल रोड मोहारी में बनी उप मण्डी में दुकानों के निर्माण कराये जाने की मांग

25-श्री अम्बरीश सिंह पुष्कर 'एडवोकेट'-

क्या कृषि विपणन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के मोहनलालगंज विधान सभा क्षेत्र के जेल रोड मोहारी में बनी उप मण्डी को औपचारिक रूप से संचालित कर 5 से बढ़ाकर 50-100 नई दुकानों का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वाती सिंह-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

पूर्व में निर्मित 05 दुकानों में से 02 दुकानें वर्तमान में रिक्त हैं। इस प्रकार अभी भी 02 दुकानों के रिक्त होने तथा नयी दुकानों का व्यापारी स्तर से मांग न होने के कारण अतिरिक्त दुकानों के निर्माण की वर्तमान में आवश्यकता नहीं है।

जनपद गाजीपुर के जंगीपुर विधान सभा क्षेत्र में वृद्धाश्रम खोलने विषयक

26-श्री वीरेन्द्र यादव-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर में निराश्रित वृद्ध महिलाओं एवं पुरुषों के संरक्षण हेतु जंगीपुर विधान सभा क्षेत्र के सभी विकास खण्डों में वृद्धाश्रम खोलने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री-

विभाग द्वारा उ0 प्र0 माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों को भरण-पोषण तथा कल्याण नियमावली, 2014 में दिये गये प्राविधानों के आधार पर प्रत्येक जनपद में एक-एक वृद्धाश्रम संचालित किये जाने की व्यवस्था है, जिसके अन्तर्गत पी0पी0पी0 माडल पर स्वैच्छिक संस्था पूर्वांचल सोशल डेवलपमेंट सोसाइटी, तिवारीपुर, गाजीपुर द्वारा उजाला पैलेस, महुआ, गाजीपुर में 150 वृद्धजनों की क्षमता का वृद्धाश्रम संचालित है, जिसमें जनपद के निःसहाय व असहाय वृद्धजनों हेतु निःशुल्क आवास, भोजन, औषधि एवं मनोरंजन आदि की सुविधा उपलब्ध है। उक्त आश्रम में जनपद स्तर पर प्राप्त सूचना के आधार पर 58 वृद्ध संवासी निवास कर रहे हैं। चूंकि पूर्ण क्षमता के अनुसार अभी तक आश्रम में वृद्ध निवासरत नहीं हैं। अतः प्रत्येक विकास खण्ड में अतिरिक्त वृद्धाश्रम खोलना औचित्यपूर्ण नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को गति प्रदान करने हेतु शासनादेश सं0 509/77-04-18-06, दिनांक 22-11-2017 एवं 04 जून, 2018 के अनुपालन के सम्बन्ध में जानकारी

27-श्री राजीव सिंह ''पारीछा''-

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को गति प्रदान करने हेतु सहायक प्रबन्धकों को उनकी सेवाओं के दृष्टिगत समायोजन हेतु शासनादेश

सं0-509/77-04-18-06, दिनांक 22-11-2017 एवं 04 जून, 2018 का अनुपालन करा दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्री सतीश महाना-

शासनादेश संख्या 1542/77-04-17-06 जीएन/16, दिनांक 27-11-2017 एवं तत्क्रम में शासनादेश संख्या 509/77-4-18-6 जीएन/16, दिनांक 04-06-2018 द्वारा श्री प्रभात शंकर, अवर अभियन्ता (सिविल), लोक निर्माण विभाग को ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण में सहायक प्रबन्धक (परि0) के पद पर संविलियन किये जाने हेतु मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर को निर्देशित किया गया था। उ0 प्र0 औद्योगिक विकास प्राधिकरण (केन्द्रीयत) सेवा नियमावली, 2018 दिनांक 22 जून, 2018 से लागू हो जाने के कारण अपर कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नोएडा के पत्र दिनांक 11-07-2018 द्वारा प्रकरण पुनः शासन को उपलब्ध कराया गया।

उ0 प्र0 औद्योगिक विकास प्राधिकरण (केन्द्रीयत) सेवा नियमावली, 2018 दिनांक 22 जून, 2018 के भाग-3 के प्रस्तर-6 में प्राविधानित व्यवस्था के क्रम में सहायक प्रबन्धक के पद पर संविलियन किये जाने हेतु कार्यालय ज्ञाप संख्या 2193/77-4-18-6जीएन/16, दिनांक 15-11-2018 द्वारा अनुवीक्षण समिति का गठन किया गया है। समिति की संस्तुति प्राप्त होने के पश्चात् विभाग द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ की 11 सहकारी समितियों द्वारा किये गये घोटाले में दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने की मांग

28-श्री मो0 फईम इरफान-

क्या वस्त्रोद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधिकारी, आजमगढ़ के पत्रांक 825/अ0 एवं सं0/कार्यवाही-बुन0समि0/2018, दिनांक 07 अगस्त, 2018 के माध्यम से कस्बा-मुबारकपुर, जिला-आजमगढ़ से सम्बन्धित 11 बुनकर सोसाइटियों द्वारा शासन से प्राप्त अनुदान धनराशि में की गई लगभग एक करोड़ चालीस लाख रुपये की व्यपहरित धनराशि की वसूली और दोषियों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकरण उपरान्त दण्डात्मक कार्यवाही करने के आदेश सहायक आयुक्त, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग परिक्षेत्र, मऊ को दिए गये हैं ? यदि हां, तो उक्त आदेश के परिपालन में अभी तक क्या कार्रवाई की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खादी ग्रामोद्योग, रेशम उद्योग, वस्त्रोद्योग मंत्री (श्री सत्यदेव पचौरी)-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जिलाधिकारी, आजमगढ़ के पत्र सं0 825/अ0एवं सं0/कार्यवाही-बुन0समि0/2018, दिनांक 07 अगस्त, 2018 से हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय, उ0प्र0, कानपुर के परिक्षेत्रीय

सहायक आयुक्त हथकरघा, मऊ को सम्बोधित तथा आयुक्त एवं निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय, उ0 प्र0, कानपुर को पृष्ठांकित 11 समितियों की जांच रिपोर्ट निदेशालय, कानपुर को दिनांक 2-01-2018 को प्राप्त हुई है। परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त, हथकरघा, मऊ द्वारा अपने पत्र सं0 1773/स0आ0ह0क0मऊ/जांच/2018-19, दिनांक 13-08-2018 द्वारा एक पत्र निदेशालय, कानपुर को भेजा गया है, जिसमें सम्बन्धित समितियों के विरुद्ध अग्रिम कार्यवाही हेतु दिशा-निर्देश मांगे गये हैं जो कि हथकरघा निदेशालय को दिनांक 24-08-2018 को प्राप्त हुआ है। इसी मध्य मुबारकपुर, आजमगढ़ के हथकरघा बुनकर श्री एहतेशाम व अन्य बुनकरगण (मो0नं0 8423862759) के मा0 मुख्यमंत्री महोदय को सम्बोधित प्रार्थना-पत्र पर श्री अतुल गर्ग, मा0 राज्य मंत्री, खाद्य एवं रसद, नागरिक आपूर्ति किराया नियंत्रण, उपभोक्ता संरक्षण, बाट-माप तथा खाद्य सुरक्षा तथा औषधि प्रशासन द्वारा आयुक्त एवं निदेशक, हथकरघा, कानपुर को दिये गये निर्देशों से सम्बन्धित पत्र जो कि जिलाधिकारी, आजमगढ़ को सम्बोधित है तथा आयुक्त एवं निदेशक, हथकरघा को पृष्ठांकित है, के साथ संलग्नक के रूप में दिनांक 20-08-2018 को प्राप्त हुआ है, जिसके अनुपालन में निदेशालय, कानपुर से पत्र सं0 393/सहकारिता अनु0/2018-19, दिनांक 21-08-2018 आयुक्त, आजमगढ़ मण्डल, आजमगढ़ को उक्त पत्र में की गई अपेक्षानुसार किसी वरिष्ठ अपर आयुक्त की अध्यक्षता में कमेटी गठित कर उपरोक्त जांच का पुनर्विचार कर आख्या देने तथा हथकरघा विभाग से जांच कार्यवाही में अपना पक्ष रखने हेतु श्री के0 पी0 वर्मा, उप आयुक्त, हथकरघा को नामित करने का आग्रह किया गया है। प्रकरण आयुक्त, आजमगढ़ मण्डल, आजमगढ़ के स्तर पर विचाराधीन है।

लखनऊ के राज्य सम्पत्ति कालोनी, टाइप 3, सेक्टर डी, जानकीपुरम् में अध्यासियों द्वारा नीचे भू-खण्ड पर अवैध रूप से किये गये कब्जे को हटवाने विषयक

29-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर स्थित राज्य सम्पत्ति कालोनी, टाइप-3, सेक्टर डी, जानकीपुरम् (निकट रिंग रोड टेढ़ी पुलिया) में ग्राउन्ड फ्लोर पर रहने वाले अध्यासियों द्वारा नीचे भू-खण्ड पर अवैध रूप से गैरेज तथा फीन्सिंग लगा कर कब्जा कर रखा है जिससे ऊपर के तलों पर रहने वालों को अपने वाहन व अन्य सामान ले जाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार अवैध कब्जे को हटायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां। कार पार्किंग न होने के कारण कतिपय अध्यासियों द्वारा गाड़ियों की सुरक्षा के दृष्टिगत गैराज एवं फेन्सिंग लगाकर कब्जा किया गया है।

जी हां। नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

30-श्री चेतराम-

[1ले सोमवार के अता0प्र0सं0-85 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद शाहजहांपुर के वि0स0 क्षेत्र पुवायां में वर्ष 2016-17 में पारिवारिक लाभ योजना से लाभान्वित परिवारों के सम्बन्ध में जानकारी

31-श्री चेतराम-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र पुवायां में वर्ष 2016-17 में कुल कितने व्यक्तियों (परिवार) को पारिवारिक लाभ योजना से लाभान्वित किया गया है ? क्या सरकार लाभान्वित व्यक्तियों (परिवार) का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री-

जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र पुवायां में वर्ष 2016-17 में 249 लाभार्थियों को पारिवारिक लाभ योजनान्तर्गत लाभान्वित किया गया है, जिसमें प्रति लाभार्थी धनराशि रु0 30,000/- की दर से कुल धनराशि रु0 74,70,000/- (रु0 चौहत्तर लाख सत्तर हजार मात्र) व्यय की गयी है।

जी हां। लाभान्वित व्यक्तियों की सूची संलग्न है।†

उपरोक्तानुसार।

जनपद बिजनौर के वि0स0 क्षेत्र नगीना में रोजगार हेतु सरकारी या प्राइवेट फैक्ट्री लगाये जाने की मांग

32-श्री मनोज कुमार पारस-

क्या लघु उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नगीना में रोजगार सृजन हेतु कोई फैक्ट्री लगवाने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सत्यदेव पचौरी-

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा प्रदेश में अधिक से अधिक रोजगार सृजित किये जाने तथा पूंजी निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा उ0 प्र0 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम प्रोत्साहन नीति, 2017 प्रख्यापित की गयी है, जिसके अन्तर्गत निजी क्षेत्र के निवेशकों को नवीन उद्यम स्थापना के प्रोत्साहन हेतु विभिन्न प्रकार की सुविधायें प्रदान की जाती हैं। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के स्तर पर राज्य सरकार की ओर से फैक्ट्री स्थापना का कोई प्रावधान नहीं है।

33-श्री अक्षयवर लाल गोंड-

[1ले मंगलवार के अताप्र0सं0-186 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

†छापी नहीं गयी।

प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जनपद मथुरा में भगवान कृष्ण के बड़े भाई दाऊजी महाराज जो कि बल्देव मे हैं उसे नोएडा-आगरा एक्सप्रेस-वे से जोड़े जाने की मांग

34-श्री पूरन प्रकाश-

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के जनपद मथुरा के बल्देव में दाऊजी महाराज के भव्य मंदिर के दर्शन के लिये प्रदेश व बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को नोएडा आगरा एक्सप्रेस-वे पर बल्देव में कट न होने के कारण आगरा अथवा मथुरा आना होता है ? यदि हां, तो क्या सरकार नोएडा आगरा एक्सप्रेस-वे से बल्देव में चढ़ने उतरने का कट बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सतीश महाना-

जी हां। जी नहीं। यमुना एक्सप्रेस-वे प्रवेश नियंत्रित होने के कारण इसमें सीमित प्रवेश/निकास का प्राविधान कंशैसन अनुबन्ध/डी0पी0आर0 में रखा गया था। एक्सप्रेस-वे की अनुमोदित डी0पी0आर0 के अनुसार यमुना एक्सप्रेस-वे पर वाहनों का ठहराव व किसी भी व्यक्ति का गलत तरीके से चढ़ना/उतरना पूर्णतः अवैध है। वाहनों को केवल एक्सप्रेस-वे के प्रवेश/निकास रैम्पस व इन्टरचैन्ज के माध्यम से नीचे उतरना एवं चढ़ना अनुमन्य है। स्वीकृत अनुबन्ध/डी0पी0आर0 के अनुसार बलदेव, मथुरा के समीप कट बनाया जाना प्रस्तावित नहीं है।

प्रदेश में वर्ष 2017-2018 में दिये गये वृद्धा पेंशन विषयक जानकारी

35-श्री मनोज कुमार पारस-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 2017-18 में कुल कितने वृद्धों को वृद्धावस्था पेंशन दी गयी ? क्या सरकार लाभार्थियों की सूची सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री-

प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन योजनान्तर्गत वर्ष 2017-18 में कुल 3747321 वृद्धजनों को वृद्धावस्था पेंशन दी गयी है।

लाभार्थियों से सम्बन्धित समस्त विवरण sspy-up-gov.in पोर्टल पर उपलब्ध है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद अलीगढ़ के ग्राम भरतपुर बझोड़ा के यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र अवैध रूप से स्थापित श्री शान्ति कोल्ड स्टोरेज को ध्वस्त कराये जाने विषयक

36-श्री सुखदेव राजभर-

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र ग्राम भरतपुर, बझोड़ा परगना, टप्पल तहसील खैर, जिला अलीगढ़ में अवैधानिक रूप से स्थित श्री शान्ति कोल्ड स्टोरेज को ध्वस्त कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 31-08-2018 मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सतीश महाना-

यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास अधिनियम, 1976 की धारा-10 के अन्तर्गत नोटिस दिया गया तथा विधिक प्रक्रिया के क्रम में सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिनांक 18-06-2018 को ध्वस्तीकरण का आदेश पारित किया गया। पीड़ित पक्ष द्वारा प्राधिकरण में उपरोक्त आदेश के विरुद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष न्यायिक प्रक्रिया के अन्तर्गत अपील की गई। अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 24-09-2018 द्वारा निर्णीत किया गया कि सक्षम अधिकारी का आदेश इस सीमा तक संशोधित किया जाता है कि अशमनीय निर्माण से सम्बन्धित अपराध को अपीलार्थिनी आगे गतिमान नहीं रखेगी और प्राधिकारण बोर्ड के निर्णय के पूर्व के निर्माण को अपने व्यय पर ध्वस्त करना सुनिश्चित करेगी। इम्पैक्ट फीस की गणना, शमन शुल्क का निर्धारण बोर्ड के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

विकास प्राधिकरण ग्रेटर नोएडा में प्राधिकरण की अधिसूचित क्षेत्र खसरा नं0-38 पर किये अवैध निर्माण के सम्बन्ध में जानकारी

37-श्री सुखदेव राजभर-

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विशेष कार्याधिकारी-यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ग्रेटर नोएडा के आदेश दिनांक 18-06-2018 जो कि प्राधिकरण की अधिसूचित क्षेत्र खसरा नं0-38 पर किये गये बिना अनुमति अवैध निर्माण को ध्वस्त किये जाने विषयक है, मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सतीश महाना-

यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास अधिनियम, 1976 की धारा-10 के अन्तर्गत नोटिस दिया गया तथा विधिक प्रक्रिया के क्रम में सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिनांक 18-06-2018 को ध्वस्तीकरण का आदेश पारित किया गया। पीड़ित पक्ष द्वारा प्राधिकरण में उपरोक्त आदेश के विरुद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष न्यायिक प्रक्रिया के अन्तर्गत अपील की गई। अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 24-09-2018 द्वारा निर्णीत किया गया कि सक्षम अधिकारी का आदेश इस सीमा तक संशोधित किया जाता है कि अशमनीय निर्माण से सम्बन्धित अपराध को अपीलार्थिनी आगे गतिमान नहीं रखेगी और प्राधिकारण बोर्ड के निर्णय के पूर्व के निर्माण को अपने व्यय पर ध्वस्त करना सुनिश्चित करेगी। इम्पैक्ट फीस की गणना, शमन शुल्क का निर्धारण बोर्ड के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बिजनौर के नगीना विधान सभा क्षेत्र में कताई मिल चलाये जाने की मांग

38-श्री मनोज कुमार पारस-

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नगीना में बन्द सहकारी कताई मिल को सरकार पुनः चालू करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सतीश महाना-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

लगातार हो रहे घाटे के कारण कार्यशील पूंजी के अभाव में नगीना कताई मिल वर्ष 2000 में विधिक रूप से बन्द घोषित कर दी गयी। मा0 उच्च न्यायालय, मुम्बई के आदेशानुसार नगीना कताई मिल परिसमापनाधीन है। वर्तमान में नगीना कताई मिल की परिसम्पत्तियां परिसमापक (जिलाधिकारी, बिजनौर) के अधीन है।

प्रदेश के वित्तीय वर्ष 2017-2018 में दशमोत्तर कक्षाओं के अन्तर्गत छात्रों की छात्रवृत्ति दिलाने के सम्बन्ध में जानकारी

39-श्री श्याम सुन्दर शर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में दशमोत्तर कक्षाओं के अन्तर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक वर्ग को छोड़कर) के कितने छात्र/छात्रायें छात्रवृत्ति से वंचित रहे हैं ? क्या सरकार वित्तीय वर्ष 2018-19 में इन वंचितों को शामिल करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश राजभर-

वित्तीय वर्ष 2017-18 में दशमोत्तर कक्षाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति की नियमावली में रु0 2.00 लाख वार्षिक आय वाले तथा 50 प्रतिशत से अधिक मेरिट में प्राप्तांक प्राप्त करने वाले छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति अनुमन्य की गयी है। तद्नुसार कोई भी छात्र/छात्रायें उक्त व्यवस्था के अन्तर्गत छात्रवृत्ति प्राप्त होने से वंचित नहीं रहे हैं। दशमोत्तर छात्रवृत्ति के अन्तर्गत नियमों में यह व्यवस्था भी है कि यदि उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने के बाद बजट शेष रहता है। तो कक्षा-11 व 12 के लिए मेरिट कटऑफ 50 प्रतिशत से नीचे भी लाया जा सकता है। तदनुसार उपलब्ध बजट की सीमा तक वित्तीय वर्ष 2017-18 में कक्षा-11 व 12 के छात्रों को 49.20 प्रतिशत कटऑफ मेरिट तक छात्रवृत्ति वितरित की गयी।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में डी0ए0पी0 का मूल्य पूर्ववत् किये जाने की मांग

40-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में डी0ए0पी0 खाद के दाम जो 2011 में रुपया 1061.00 थे पिछले माह बढ़ा कर अब रुपया 1450 हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार किसानों को राहत देने के लिए डी0ए0पी0 पर बढ़ाये गये मूल्य का पूर्ववत किए जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

जी हां।

भारत सरकार द्वारा लागू पोषक तत्व आधारित अनुदान (एन0बी0एस0) नीति के अन्तर्गत फास्फेटिक एवं पोटेशिक उर्वरकों यथा डी0ए0पी0, एम0ओ0पी0 आदि पर अनुदान की धनराशि निर्धारित करते हुए उर्वरक कम्पनियों को सीधे अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। इस नीति के अन्तर्गत अनुदानित फास्फेटिक एवं पोटेशिक उर्वरकों के अधिकतम खुदरा मूल्य को उचित स्तर पर निर्धारित करने की अनुमति उर्वरक कम्पनियों को दी गयी है। इस प्रकार डी0ए0पी0, एम0ओ0पी0 का मूल्य उर्वरक कम्पनियों द्वारा स्वयं निर्धारित किया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

सामाजिक भावनाओं के दृष्टिगत दलित शब्द को प्रतिबन्धित किये जाने के सम्बन्ध में

41-श्री सुखदेव राजभर, श्री मनोज कुमार पारस तथा श्री मोहम्मद असलम "राइनी" (एडवोकेट)-

विधान सभा के द्वितीय सत्र 2017 के प्रथम गुरुवार के लिये निर्धारित तारा0 प्र0 सं0-6 के उत्तर के क्रम में क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जब दलित शब्द की संवैधानिकता ही नहीं है, न ही शासकीय भाषा में उपयोग ही किया जाता है ? क्या सरकार सामाजिक भावनाओं के दृष्टिगत दलित शब्द को प्रयोग में लाया जाना प्रतिबन्धित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री-

'दलित' शब्द संवैधानिक शब्द नहीं है, न ही इसका उपयोग शासकीय भाषा में किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद के वि0स0 क्षेत्र सोरांव में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए आश्रम विद्यालय स्थापित कराने विषयक

42-डा0 जमुना प्रसाद सरोज-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र सोरांव में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के बच्चों की शिक्षा हेतु आश्रम विद्यालय नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार ग्राम दादूपुर, सोरांव में एक आश्रम विद्यालय की स्थापना करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री-

शासनादेश संख्या : 114/2015/आर0110वी0आई0पी0/26-3-2015-246सी0एम0/2015, दिनांक 06 अक्टूबर, 2015 के प्रस्तर-1 में यह नीति निर्धारित की गई है कि प्रदेश के जिन 16 जनपदों में अभी तक राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय स्थापित नहीं हैं, उनमें अनुसूचित जाति की जनसंख्या के अवरोही क्रम में आगामी 05 वर्षों में चरणबद्ध रूप से 01 विद्यालय स्थापित किया जायेगा।

जनपद इलाहाबाद में पूर्व से राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, सुरवल सहनी, खाई, करछना एवं कौड़िहार संचालित किये जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में जनपद इलाहाबाद में नवीन राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय स्थापित किया जाना सम्प्रति सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के आवास विहीन सरकारी कर्मचारियों के लिए पर्याप्त मात्रा में आवास उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में

43-श्री संजय गर्ग-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ शहर में आवास विहीन सरकारी कर्मचारियों को आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नवीन आवासों का निर्माण सरकार कराएगी ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां। श्रेणी-2 व श्रेणी-3 के आवासों हेतु लम्बित आवेदन-पत्रों को देखते हुए प्रदेश के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के दृष्टिगत उक्त श्रेणी के नये आवासों के बनाने पर विचार किया जायेगा।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश की कृषि उत्पादन मण्डी परिसरों में किसानों के लिए सस्ता व अच्छा भोजन उपलब्ध कराने विषयक जानकारी

44-श्री मो0 फईम इरफान-

क्या कृषि विपणन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में मध्य प्रदेश की तरह कृषि उत्पादन मण्डी परिसरों में किसानों को सरकारी कैंटीन स्थापित कर सस्ता और अच्छा भोजन सरकार उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वाती सिंह-

मण्डी परिषद् के मा0 संचालक मण्डल की 154वीं बैठक दिनांक 18-01-2018 में गेहूं व धान के क्रय सीजन के दौरान मण्डी स्थलों में आने वाले कृषकों की सुविधा के लिए जलपान/आहार की व्यवस्था मण्डी समितियों द्वारा अनुदानित दर पर किये जाने का निर्णय लिया गया है।

उत्तर प्रदेश में मण्डी परिसरों में वर्तमान में कोई सरकारी कैन्टीन संचालित नहीं है। वर्तमान में प्रदेश में कुल 251 मण्डी समितियां अधिसूचित हैं, जिनमें निर्मित मण्डी समितियों की संख्या 219 है। इनमें से 113 मण्डी समितियों के परिसर में कैन्टीन की अवस्थापना सुविधा उपलब्ध है तथा 19 मण्डी समितियों की कैन्टीन में भोजन व जलपान दोनों की व्यवस्था प्राइवेट वेन्डर्स द्वारा संचालित है तथा शेष 94 मण्डी समितियों में प्राइवेट वेन्डर्स संचालित कैन्टीन में केवल जलपान की ही व्यवस्था है। कृषकों को अनुदानित दर पर जलपान/आहार की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक अवस्थापना व्यवस्थायें सर्वाधिक आवक वाली कुछ मण्डियों में प्राथमिकता के आधार पर कराते हुए वर्ष 2019 के गेहूं एवं धान क्रय सीजन से यह सुविधा प्रारम्भ कराये जाने का लक्ष्य है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद मुरादाबाद के कृषि विज्ञान केन्द्र, बिलारी पर स्वीकृत पदों पर तैनाती एवं जिला मुरादाबाद व सम्भल में नये कृषि विज्ञान केन्द्र खोले जाने विषयक

45-श्री मो0 फईम इरफान-

क्या कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुरादाबाद के कृषि विज्ञान केन्द्र बिलारी में कृषि वैज्ञानिकों सहित कुल कितने पद स्वीकृत हैं ? क्या इन स्वीकृत पदों पर निश्चित समयावधि में नियुक्ति करने और जिला मुरादाबाद व सम्भल में नये कृषि विज्ञान केन्द्र खोलने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

जनपद मुरादाबाद के कृषि विज्ञान केन्द्र, बिलारी में कृषि वैज्ञानिकों सहित कार्मिकों के कुल 16 पद स्वीकृत हैं।

इन सभी स्वीकृत 16 पदों पर वैज्ञानिक एवं कार्मिक नियुक्त हैं। जनपद मुरादाबाद व सम्भल में नये कृषि विज्ञान केन्द्र खोलने हेतु भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली तथा उ0 प्र0 सरकार द्वारा निर्णय लिया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मऊ में संचालित समाज कल्याण प्राइमरी विद्यालयों में अध्यापकों की फर्जी नियुक्ति की जांच कराने विषयक

46-श्री मनोज कुमार पारस-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मऊ में समाज कल्याण द्वारा संचालित प्राइमरी विद्यालयों में अध्यापकों की फर्जी नियुक्ति की प्रचलित जांच पूर्ण कर दी गयी है ? यदि हां, तो जांच परिणाम क्या है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री-

जी हां।

जांच में 05 अध्यापकों की टी0ई0टी0 प्रमाण-पत्र प्रमाणित नहीं पाया गया।

सदन के पटल पर रखे जाने का औचित्य नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद प्रयागराज में बन्द पड़ी सरकारी, अर्द्ध सरकारी उद्योगों को पुनः संचालित किये जाने की मांग

47-डा0 जमुना प्रसाद सरोज-

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रयागराज में बन्द पड़ी सरकारी/अर्द्ध सरकारी उद्योगों को पुनः संचालित करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सतीश महाना-

जी नहीं।

वर्तमान में बन्द उद्योग धन्धों को पुनर्जीवित करने के लिए कोई कार्य योजना नहीं है।

प्रदेश में अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्रों को दी जा रही छात्रवृत्ति में वृद्धि करने विषयक जानकारी

48-डा0 जमुना प्रसाद सरोज-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण कर रहे अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के छात्रों के वर्तमान में दी जा रही छात्रवृत्ति में वृद्धि करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री-

जी हां।

अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के छात्रों को कक्षा 9-10 व 11-12 में छात्रवृत्ति की निर्धारित दरों में वृद्धि का निर्णय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन है।

भारत सरकार द्वारा कक्षा 9-10 पूर्वदशम् अनुसचित जाति छात्रवृत्ति योजना में वर्ष 2017-18 में माता-पिता की आय सीमा एवं छात्रवृत्ति की दरों में की गयी वृद्धि के क्रम में वर्ष 2018-19 में राज्य सरकार द्वारा माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 9-10 में अनुसूचित जाति छात्रों के माता-पिता की आय सीमा रु0 2.00 लाख से बढ़ाकर रु0 2.50 लाख तथा छात्रवृत्ति की दरों को रु0 2250/- प्रतिवर्ष से बढ़ाकर रु0 3000/- कर दिया गया है।

कक्षा 11-12 दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना में सम्मिलित है। इस योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा वर्ष 2010-11 में छात्रवृत्ति की दरों में वृद्धि की गयी थी। यदि भविष्य में भारत सरकार द्वारा छात्रवृत्ति की दरों में वृद्धि की जाती है, तो तदानुसार राज्य सरकार वृद्धि करने पर विचार करेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण-पत्र जारी करने में आवश्यक साक्ष्य व आधार बनाने हेतु प्रक्रिया निर्धारण शासनादेश जारी करने सम्बन्धी जानकारी

49-श्री मो0 फईम इरफान-

क्या पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजस्व विभाग से जारी होने वाले पिछड़े वर्ग के जाति प्रमाण-पत्र में 1359 फसली खसरे की जाति सम्बन्धी प्रविष्टियों के साथ-साथ पंचायत के परिवार रजिस्टर, शिक्षा संस्थाओं से जारी स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र, रजिस्टर्ड क्रय-विक्रय व वसीयत प्रपत्र, वर्ष 1994 व 2015 का पिछड़ी जाति सर्वेक्षण, 2012 की जातिवार आर्थिक जनगणना आदि सहित अन्य निजी दस्तावेजों को भी जाति प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु साक्ष्य/आधार बनाने सम्बन्धी कोई दिशा-निर्देश सरकार देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश राजभर-

जी नहीं, क्योंकि इस तरह का कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं है।

उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग की सूची में दर्ज कसौधन एवं कान्टू जाति के जिला संतकबीर नगर में वर्ष 2010 में जाति प्रमाण-पत्र जारी करने की समस्या का प्रकरण शासन के संज्ञान में आने के उपरान्त पिछड़ा वर्ग कल्याण अनुभाग-1 शासनादेश सं0 563/64-1-2010-70/96, दिनांक 21-04-2010 द्वारा जारी किया गया है, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि ''1359 फसली के अभिलेखों को ही जाति प्रमाण-पत्र का आधार न माना जाय। अपितु आवेदक के विषय में सही जानकारी प्राप्त करने के लिए गांव के तथा आस-पास के निर्विवादित कसौधन एवं कान्टू परिवारों से स्थलीय पूछतांछ/जांच, पड़ताल, कुटुम्ब रजिस्टर, शैक्षिक संस्थाओं (स्कूल/विद्यालय) के टी0सी0 प्रमाण-पत्रों आदि के आधार पर जांच-पड़ताल के उपरान्त जाति प्रमाण-पत्र निर्गत किये जायं।''

तदोपरान्त जनपद गोण्डा, बलरामपुर एवं श्रावस्ती में कसौधन एवं कान्टू जाति के जाति प्रमाण-पत्र निर्गत करने में आ रही कठिनाई का संज्ञान आने के पश्चात् शासनादेश संख्या : 427/64-1-2010-70/96, दिनांक 13-04-2012 द्वारा उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 21-04-2010 के माध्यम से निर्गत निर्देश के अनुसार जाति प्रमाण-पत्र निर्गत करने हेतु सम्बन्धित जिलाधिकारी को निर्देश जारी किये गये हैं।

वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण-पत्र जारी करने के सम्बन्ध में कोई समस्या नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में भारत सरकार की भांति विधान मण्डल सदस्यों के बंगलों एवं आवासों के आवंटन के सम्बन्ध में जानकारी

50-श्री महबूब अली-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार में माननीय सांसदों को उनके निर्वाचित होने की अवधि के आधार पर सरकार फ्लैट व बंगला आवंटित किये जाने की नीति की भांति उ0प्र0 विधान मण्डल के माननीय सदस्यों को नीति बनाकर उनके निर्वाचित होने की अवधि के आधार पर सरकारी फ्लैट व बंगला आवंटित करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां। वर्तमान में प्रभावी उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल के सदस्यों के निवास स्थान सम्बन्धी नियमावली, 1963 के स्थान पर विधान मण्डल की सदस्यता अवधि के आधार पर आवास आवंटन नियमावली बनाये जाने की कार्रवाई प्रचलित है।

प्रश्न नहीं उठता।

समाज कल्याण मंत्री को जाति प्रमाण-पत्र निर्गत कराने के लिए न्याय सूचना, खेल एवं युवा कल्याण राज्य मंत्री के पत्र पर कार्रवाई किये जाने की मांग

51-श्री महेन्द्र प्रताप सिंह-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधायी न्याय, सूचना, खेल एवं युवा कल्याण राज्य मंत्री का पत्र संख्या-98, दिनांक 22-02-2018 जो जाति प्रमाण-पत्र को जिला जाति प्रमाण-पत्र सत्यापन समिति से एक माह में जांच कराकर कार्रवाई किये जाने विषयक था, जिलाधिकारी, हरदोई को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई के जिला समाज कल्याण अधिकारी, हरदोई द्वारा पत्र सं0 707/स0क0/ जाति सत्यापन/2018-19, दिनांक 08-08-2018 के सम्बन्ध में जानकारी विषयक

52-श्री महेन्द्र प्रताप सिंह-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला समाज कल्याण अधिकारी जिला हरदोई द्वारा पत्र संख्या-707/स0क0/जाति सत्यापन/2018-19, दिनांक 08-08-2018 द्वारा जाति प्रमाण-पत्र सत्यापन समिति की बैठक किस दिनांक को हुई थी तथा उस बैठक में कौन-कौन अधिकारी सम्मिलित थे ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री-

जिला समाज कल्याण अधिकारी, हरदोई के पत्र संख्या 707/स0क0/जाति सत्यापन/ 2018-19, दिनांक 08-08-2018 द्वारा जाति प्रमाण-पत्र सत्यापन समिति की बैठक दिनांक 26-07-2018 को हुई थी।

उक्त बैठक जिलाधिकारी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई थी, जिसमें जिला समाज कल्याण अधिकारी सदस्य/सचिव, उपजिलाधिकारी सदर/सदस्य एवं अपर जिलाधिकारी/सदस्य के रूप में सम्मिलित हुए थे।

हां। (विवरण संलग्न)।†

प्रश्न नहीं उठता।

---

†देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ संख्या-246-247 पर।

जनपद बस्ती के राजकीय बालिका छात्रावास के सुरक्षा में तैनात रक्षक दल जवान को प्रतिदिन दिये जाने वाले वेतन भुगतान के सम्बन्ध में जानकारी विषयक

53-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती में राजकीय बालिका छात्रावास की सुरक्षा के लिये दिनांक 27 दिसम्बर, 2011 से लगाये गये प्रान्तीय रक्षक दल जवानों को वर्ष 2015 से 31 अक्टूबर, 2018 के बकाया मानदेय का भुगतान सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री-

जी हां।

निदेशक, समाज कल्याण, उ0 प्र0 से प्रस्ताव प्राप्त होने पर धनराशि की व्यवस्था कराकर नियमानुसार भुगतान की कार्रवाई की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश की राज्य सम्पत्ति विभाग की कालोनियों में बाहर की रंगाई-पुताई एवं राज्य सम्पत्ति विभाग की भूतनाथ, लखनऊ की बी-417 एवं बी-409 संख्या की कालोनियों के सम्बन्ध में जानकारी

54-श्री राजीव सिंह ''पारीछा''-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की राज्य सम्पत्ति विभाग की कालोनियों में बाहर की रंगाई-पुताई कितने साल में होने का प्राविधान है ? क्या सरकार के संज्ञान में है कि राज्य सम्पत्ति विभाग की भूतनाथ, लखनऊ स्थित कालोनियों के मकान संख्या बी-417 एवं बी-409 में विगत कई वर्षों से बाहर की रंगाई-पुताई नहीं हुई है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मकानों की रंगाई-पुताई करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां। 03 वर्ष में एक बार रंगाई-पुताई कराये जाने का प्राविधान है।

जी हां।

नियमों के अन्तर्गत उपर्युक्त मकानों की रंगाई, पुताई का कार्य वित्तीय संसाधन की उपलब्धता के आधार पर कराया जायेगा।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में समस्त ब्लाकों में छात्रों को खेल में प्रोत्साहन करने हेतु खेल स्टेडियम बनाये जाने की मांग

55-डा0 जमुना प्रसाद सरोज-

क्या युवा कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के समस्त ब्लाकों में छात्रों को खेल में प्रोत्साहित करने हेतु एक खेल स्टेडियम बनाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चेतन चौहान-

जी नहीं।

उत्तर प्रदेश शासन, राज्य योजना आयोग-1, योजना भवन, लखनऊ के अर्द्धशासकीय पत्र सं0 10(4)/35-1/2001-97, दिनांक 31 अक्टूबर, 2011 द्वारा ग्रामीण स्टेडियम की योजना ड्रॉप कर दी गई है।

जनपद सीतापुर के तहसील महमूदाबाद के अन्तर्गत नेताजी सुभाष चन्द्र बोस स्टेडियम में स्वीमिंग पूल की खराब ट्यूबवेल को ठीक कराये जाने की मांग विषयक

56-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या खेल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद के अन्तर्गत नेताजी सुभाष चन्द्र बोस स्टेडियम, महमूदाबाद में स्वीमिंग पूल पिछले सत्र में ट्यूबवेल खराब होने से नहीं चला था व लर्निंग पूल भी सत्र के बीच में खराब होने की वजह से बन्द कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार स्वीमिंग पूल व लर्निंग पूल को ठीक करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चेतन चौहान-

जी नहीं।

पिछले वर्ष 2017-18 में स्वीमिंग पूल व लर्निंग पूल का संचालन 01 अप्रैल, 2017 से 30 सितम्बर, 2017 तक किया गया था। वर्तमान में मोटर खराब है।

जी हां।

दिनांक 31-03-2019 तक।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में डी0ए0पी0 की कीमत 1061 रुपये से 389 रुपये करने एवं पोटाश की कीमत बढ़ाये जाने की मांग

57-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में किसानों को राहत देने के लिए पोटाश तथा डी0ए0पी0 में की गयी मूल्य वृद्धि को वापस लेने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

जी नहीं।

भारत सरकार द्वारा लागू पोषक तत्व आधारित अनुदान (एन0बी0एस0) नीति के अन्तर्गत फास्फेटिक एवं पोटेशिक उर्वरकों यथा डी0ए0पी0, एम0ओ0पी0 आदि पर अनुदान की धनराशि निर्धारित करते हुए उर्वरक कम्पनियों को सीधे अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। इस नीति के अन्तर्गत अनुदानित फास्फेटिक एवं पोटेशिक उर्वरकों के अधिकतम खुदरा मूल्य को उचित स्तर पर निर्धारित करने की अनुमति उर्वरक कम्पनियों को दी गयी है। इस प्रकार डी0ए0पी0, एम0ओ0पी0 का मूल्य उर्वरक कम्पनियों द्वारा स्वयं निर्धारित किया जाता है।

उपर्युक्तानुसार।

भूमि संरक्षण अधिकारी, गोमती, शाहजहांपुर के कार्यालय में वर्ष 2015-16, 2016-17, 2017-18 15 अगस्त, 18 तक प्राप्त धनराशि के सम्बन्ध में

58-'प्रिन्स' वीर विक्रम सिंह-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भूमि संरक्षण अधिकारी, गोमती, शाहजहांपुर के कार्यालय में वित्तीय वर्ष 2015-16, 2016-17 तथा 2017-18 में 15 अगस्त, 2018 तक कितनी-कितनी धनराशि कब-कब प्राप्त हुई तथा उपरोक्त वर्षों में उक्त धनराशि से जनपद में क्या-क्या कार्य कब-कब कराये गये ? क्या सरकार उक्त का वर्षवार विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

वर्ष 2015-16 में प्राप्त वित्तीय लक्ष्य के अनुसार नाबार्ड योजनान्तर्गत विकास खण्ड कॉट, मदनापुर, जैतीपुर, जलालाबाद, तिलहर में चयनित परियोजनाओं में कण्टूर बन्डिंग, पेरीफेरल/मार्जिनल बन्डिंग, समतलीकरण, पक्की संरचनायें, फसलोत्पादन, वनीकरण/उद्यानीकरण के कार्यों पर रु0 12575700.00 तथा भूमि सेना योजनान्तर्गत विकास खण्ड जैतीपुर, मदनापुर, जलालाबाद, ददरौल, मिर्जापुर, कॉट, तिलहर, सिंधौली में चयनित परियोजनाओं में कण्टूर बन्डिंग, पेरीफेरल/मार्जिनल बन्डिंग, समतलीकरण, पक्की संरचनायें, फसलोत्पादन, वनीकरण/ उद्यानीकरण के कार्यों पर रु0 150000.00 व्यय किया गया है।

वर्ष 2016-17 में नाबार्ड योजनान्तर्गत विकास खण्ड कॉट, जैतीपुर, मदनापुर, जलालाबाद एवं तिलहर में चयनित परियोजनाओं में कण्टूर बन्डिंग, पेरीफेरल/मार्जिनल बन्डिंग, समतलीकरण, पक्की संरचनायें, फसलोत्पादन, वनीकरण/उद्यानीकरण के कार्यों पर रु0 8321381.00 एवं भूमि सेना योजनान्तर्गत विकास खण्ड जलालाबाद, मदनापुर ददरौल, जैतीपुर, मिर्जापुर में चयनित परियोजनाओं में कण्टूर बन्डिंग, पेरीफेरल/मार्जिनल बन्डिंग, समतलीकरण, पक्की संरचनायें, फसलोत्पादन, वनीकरण/ उद्यानीकरण के कार्यों पर रु0 9043874.00 तथा विकास खण्ड ददरौल, भावलखेड़ा, मदनापुर में चयनित ऊसर की परियोजनाओं में जिप्सम मिक्सिंग लीचिंग, ढैंचा, फसलोत्पादन के कार्यों पर रु0 1300814.00 एवं एन0एम0एस0ए0 (आर0ए0डी0 घटक) योजनान्तर्गत विकास खण्ड जलालाबाद में चयनित परियोजना इमलिया बुजुर्ग में रु0 1030000.00 व्यय किया गया है।

वर्ष 2017-18 में नाबार्ड योजनान्तर्गत विकास खण्ड कॉट, जैतीपुर, मदनापुर, जलालाबाद, तिलहर में चयनित परियोजनाओं में फसलोत्पादन के कार्यों पर रु0 1774783.00 तथा पं0 दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजनान्तर्गत विकास खण्ड कॉट, जलालाबाद में चयनित परियोजनाओं में कण्टूर बन्डिंग, पेरीफेरल/मार्जिनल बन्डिंग, समतलीकरण के कार्यों पर रु0 4599915.00 एवं एन0एम0एस0ए0 (आर0ए0डी0 घटक) योजनान्तर्गत चयनित परियोजना बुढ़ानपुर, विकास खण्ड निगोही में रु0 2994000.00 व्यय किया गया है।

वर्ष 2018-19 में सितम्बर, 2018 तक पं0 दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजनान्तर्गत विकास खण्ड कॉट, जलालाबाद में चयनित परियोजनाओं में कण्टूर बन्डिंग,

पेरीफेरल/मार्जिनल बन्डिंग, समतलीकरण, फसलोत्पादन के कार्यों पर रु0 1455622.00 व्यय किया गया है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

भूमि संरक्षण अधिकारी, गोमती, शाहजहांपुर के कार्यालय द्वारा वर्ष 2016-17, 2017-18 तथा सितम्बर, 18 तक कृयान्वित योजना एवं व्यय धनराशि के सम्बन्ध में

59-'प्रिन्स' वीर विक्रम सिंह-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भूमि संरक्षण इकाई (गोमती) शाहजहांपुर के द्वारा वर्ष 2016-17, 2017-18 तथा 01 सितम्बर, 2018 तक किस-किस योजना के तहत किस-किस परियोजना तथा विकास खण्ड में क्या-क्या कार्य कितनी-कितनी धनराशि के कब कराये गये हैं ? क्या सरकार उक्त का विवरण उपलब्ध करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

वर्ष 2016-17 में नाबार्ड योजनान्तर्गत विकास खण्ड कॉट, जैतीपुर, मदनापुर, जलालाबाद एवं तिलहर में चयनित परियोजनाओं में कण्टूर बन्डिंग, पेरीफेरल/मार्जिनल बन्डिंग, समतलीकरण, पक्की संरचनायें, फसलोत्पादन, वनीकरण/उद्यानीकरण के कार्यों पर रु0 8321381.00 एवं भूमि सेना योजनान्तर्गत विकास खण्ड जलालाबाद, मदनापुर, ददरौल, जैतीपुर, मिर्जापुर, में चयनित परियोजनाओं में कण्टूर बन्डिंग, पेरीफेरल/मार्जिनल बन्डिंग, समतलीकरण, पक्की संरचनायें, फसलोत्पादन, वनीकरण/उद्यानीकरण के कार्यों पर रु0 9043874.00 तथा विकास खण्ड ददरौल, भावलखेड़ा, मदनापुर में चयनित ऊसर की परियोजनाओं में जिप्सम मिक्सिंग लीचिंग, ढैंचा, फसलोत्पादन के कार्यों पर रु0 1300814.00 एवं एन0एम0एस0ए0 (आर0ए0डी0 घटक) योजनान्तर्गत विकास खण्ड जलालाबाद में चयनित परियोजना इमलिया बुजुर्ग में रु0 1030000.00 व्यय किया गया है।

वर्ष 2017-18 में नाबार्ड योजनान्तर्गत विकास खण्ड कॉट, जैतीपुर, मदनापुर, जलालाबाद, तिलहर में चयनित परियोजनाओं में फसलोत्पादन के कार्यों पर रु0 1774783.00 तथा पं0 दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजनान्तर्गत विकास खण्ड कॉट, जलालाबाद में चयनित परियोजनाओं में कण्टूर बन्डिंग, पेरीफेरल/मार्जिनल बन्डिंग, समतलीकरण के कार्यों पर रु0 4599915.00 एवं एन0एम0एस0ए0 (आर0ए0डी0 घटक) योजनान्तर्गत चयनित परियोजना बुढ़ानपुर, विकास खण्ड निगोही में रु0 2994000.00 व्यय किया गया है।

वर्ष 2018-19 में सितम्बर, 2018 तक पं0 दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजनान्तर्गत विकास खण्ड कॉट, जलालाबाद में चयनित परियोजनाओं में कण्टूर बन्डिंग, पेरीफेरल/मार्जिनल बन्डिंग, समतलीकरण, फसलोत्पादन के कार्यों पर रु0 1455622.00 व्यय किया गया है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

भूमि संरक्षण अधिकारी, गोमती, शाहजहांपुर के कार्यालय में अधिकारी/कर्मचारी के स्थानान्तरण विषयक

60-'प्रिन्स' वीर विक्रम सिंह-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कार्यालय भूमि संरक्षण अधिकारी, गोमती, शाहजहांपुर के कार्यालय में कितने अधिकारी/कर्मचारी ऐसे हैं जिन्हें उक्त कार्यालय में दस वर्षों से अधिक समय हो गया है ? क्या सरकार ऐसे अधिकारी/कर्मचारियों के स्थानान्तरण, स्थानान्तरण नीति के अनुरूप जनपद से बाहर करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

भूमि संरक्षण अधिकारी, गोमती, शाहजहांपुर के कार्यालय में श्री महेन्द्र पाल सिंह, वरिष्ठ प्राविधिक सहायक ग्रुप ए तथा सतेन्द्र कुमार सिंह, वरिष्ठ प्राविधिक सहायक ग्रुप बी और एक लिपिक तथा दो चतुर्थ श्रेणी कार्मिक 10 वर्ष से अधिक समय से कार्यरत हैं।

जी नहीं। उपर्युक्त अधिकारी एवं कर्मचारीगण वार्षिक स्थानान्तरण नीति से आच्छादित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री महेन्द्र पाल सिंह की सेवानिवृत्ति दिनांक 31-12-18 को होने तथा श्री सतेन्द्र कुमार सिंह शासन द्वारा मान्यता प्राप्त भूमि एवं जल संरक्षण प्राविधिक एसोसिएशन, उ0 प्र0 के अध्यक्ष होने के कारण वार्षिक स्थानान्तरण नीति, 2018-19 के प्रस्तर-13 के प्राविधानानुसार स्थानान्तरण की परिधि में नहीं आते हैं। उक्त स्थानान्तरण नीति में समूह ग व समूह घ के कार्मिकों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में कोई प्राविधान नहीं है।

[12:20]

सत्र काल में विधान भवन के गेट नं0-07 एवं 08 के रूट पर ट्रैफिक व्यवस्था सुचारु रूप से कराये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, मेरा एक निवेदन है। कल मैंने देखा जब सदन आरम्भ होने में 5-10 मिनट बाकी था मैंने देखा माननीय मंत्री जी लोग सड़क पर गाड़ी छोड़कर दौड़ कर सदन में आ रहे थे। गेट नम्बर-7 और गेट नम्बर-8 पर इतना जाम हो गया था और हम लोगों ने भी सड़क पर ही गाड़ी छोड़ दी कि अगर सड़क पर नहीं छोड़ी जायेगी तो गाड़ी अन्दर आने में डेढ़ घंटा लग जायेगा। हम आपसे अनुरोध कर रहे हैं कोई ऐसी बात नहीं है। अगर सदन तक व्यवस्था गेट नम्बर-7 और गेट नम्बर-8 की कर दी जाय तो ठीक रहेगा। कल तीन मंत्री जी बहुत दूर गाड़ी छोड़कर दौड़ते हुए सदन में आये इसलिये हम चाहते हैं कि अगर हो सके तो उस रूट पर थोड़ा व्यवस्था कर दें।

श्री अध्यक्ष-

आपके सुझाव पर पूरा विचार करेंगे और जो लोग लेट आते हैं उनसे भी सुझाव है कि थोड़ा पहले आ जाया करें। यह जो आपका सुझाव है इस पर भी कार्रवाई करायेंगे लेकिन

जैसे बताया माननीय राजभर जी ने कि कोई मंत्री भागते हुए आये तो वह थोड़ा पहले भी चल सकते हैं। आपका सुझाव सिर माथे।

[12:21]

नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 20-12-18 को नियम-301 के अर्न्तगत कुल 46 सूचनायें प्राप्त हुईं जिसमें 20 माननीय सदस्यों की सूचनायें स्वीकार की गयीं। पहली सूचना श्री जवाहर लाल राजपूत की जनपद झांसी अन्तर्गत गरौठा तहसील के एरच कुरैठा मार्ग पर ससुर नाले पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है। दूसरी सूचना श्री ज्ञान तिवारी की जनपद सीतापुर में स्वच्छ भारत मिशन के तहत बनाये गये ओ0डी0एफ0 की जॉच कराये जाने के सम्बन्ध में है। तीसरी सूचना डा0 अरूण कुमार की बरेली नगर क्षेत्र में बस स्टेशन बनाये जाने के सम्बन्ध में है। चौथी सूचना श्रीमती संगीता यादव की पैक्सफेड गोरखपुर शाखा में किये जा रहे भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। पॉचवी सूचना श्री पल्टूराम की जनपद बलरामपुर में महिला चिकित्सा अधिकारी डा0 नीना वर्मा के खिलाफ उच्च स्तरीय जॉच कराये जाने के सम्बन्ध में है। छठवीं सूचना श्री लाल बहादुर की जनपद कौशाम्बी के विधान सभा क्षेत्र मंझनपुर अन्तर्गत अलवारा झील का सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है। सातवीं सूचना श्री रजनीकान्त मणि त्रिपाठी की कुशीनगर क्षेत्र में मैत्रेय परियोजना से संबंधित भूमि अधिग्रहण के मालिकाना हक स्थानीय जनता को दिये जाने के सम्बन्ध में है। आठवीं सूचना डा0 सतीश चन्द्र द्विवेदी की राज्य कर्मचारियों की पेंशन बहाली का निस्तारण न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। नवीं सूचना श्री मसूद अख्तर की जनपद सहारनपुर स्थित ढमोला नदी से लगे ग्राम गोकुलपुर के क्षतिग्रस्त रपटे की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है। दसवीं सूचना श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा की जनपद सीतापुर के अन्तर्गत कतिपय क्षेत्रों में लोक निर्माण विभाग द्वारा अधूरे कार्यों को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में है। ग्यारहवीं सूचना श्री अमिताभ बाजपेयी की कानपुर नगर में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच हेतु लैब की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में है। बारहवीं सूचना श्रीमती वन्दना सिंह की जनपद अलीगढ़ में भारी वाहनों से हो रही अवैध वसूली रोकने के सम्बन्ध में है। तेरहवीं सूचना श्री संजय गर्ग की सहारनपुर नगर विधान सभा के अन्तर्गत लो0नि0वि0 द्वारा खुमरान पुल का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में है। चौदहवीं सूचना श्री रितेश पाण्डेय की जनपद अम्बेडकरनगर के विकास खण्ड भियांव में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस में इंट्री प्वाइंट दिये जाने के सम्बन्ध में है। पन्द्रहवीं सूचना श्री उमाशंकर सिंह की जनपद बलिया की विधान सभा क्षेत्र रसड़ा के विकास खण्ड चिलकहर लखनऊ-बलिया सम्पर्क मार्ग पर पड़ने वाले कतिपय पुलियों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है। सोलहवीं सूचना श्री कुं0 नरेन्द्र पाल सिंह की जनपद जालौन के विकास खण्ड महेवा में ग्राम लौना से सरसई के मध्य रपटा बनाये जाने के सम्बन्ध में है। सत्रहवीं सूचना श्री बहोरन लाल मौर्य की जनपद बरेली की चीनी मिल सेमीखेडा की पेराई क्षमता को बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में है। अट्ठारहवीं सूचना श्री अम्बरीश सिंह पुष्कर एडवोकेट की एन0एच0 56 बी पर अनूपगंज (गोसाईंगंज) रेलवे क्रासिंग पर आर0ओ0बी0 बनाये जाने के सम्बन्ध में है। उन्नीसवीं सूचना डा0 लीना

तिवारी की जनपद जौनपुर के विधान सभा मडियाहूं अन्तर्गत कतिपय सड़कों की विशेष मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है। बीसवीं सूचना श्री रामनरेश रावत की जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र बछरावां में धान खरीद न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। माननीय सदस्य श्री देवेन्द्र कुमार निम, श्री सुभाष त्रिपाठी एडवोकेट, श्री सत्यवीर त्यागी, श्रीमती माधुरी वर्मा, श्री दिनेश चौधरी, कुं0 बृजेश सिंह, श्रीमती हेमलता दिवाकर कुशवाहा, श्री किशन लाल राजपूत, श्री मूलचन्द्र सिंह, श्री नरेश सैनी, श्री नफीस अहमद, डा0 संग्राम यादव, श्री सुशील कुमार शाक्य, श्री संजय प्रताप जायसवाल, श्री बृजभूषण राजपूत उर्फ गुड्डू भइया, श्री लाल जी वर्मा, श्री आजाद अरिमर्दन, श्री राम अचल राजभर, श्री सुखदेव राजभर, श्री संगम लाल गुप्ता, श्री राहुल प्रकाश, श्री अजय कुमार ''लल्लू'', श्री संजय सिंह गंगवार, श्री रोशन लाल वर्मा, श्री विरेन्द्र कुमार यादव, श्रीमती जयदेवी की सूचनाएं अस्वीकार की गयीं। स्वीकार करी गयीं सभी सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गई।

(सदन की सहमति से सभी सूचनायें पढ़ी हुई मानी गई।)

जनपद झांसी अन्तर्गत गरौठा तहसील के एरच-कुरैठा मार्ग पर ससुर नाले पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जवाहर लाल राजपूत-

[मान्यवर, सादर अवगत कराना है कि गरौठा तहसील के एरच-कुरेठा मार्ग पर गोंती ग्राम के निकट ससुर नाला निकलता है। जिस पर बरसात के समय 15-20 गांव का आवागमन बिल्कुल बन्द हो जाता है। जिस कारण लोगों को 50 किमी0 घूम कर जाना पड़ता है। उक्त नाले पर जनहित में पुल का निर्माण अत्यन्त ही आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाही करने की मांग करता हूं।]

जनपद सीतापुर में स्वच्छ भारत मिशन के तहत बनाये गये ओ0डी0एफ0 की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री ज्ञान तिवारी-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि मेरी विधान सभा सेवता, जनपद सीतापुर को स्वच्छ भारत मिशन के तहत शासन की मंशा के अनुरूप ओ0डी0एफ0 घोषित किया गया है। जबकि पूरे जिले में अभी भी हजारों परिवार शौचालय की मांग कर रहे हैं। हाल में ही क्षेत्र के भ्रमण के दौरान यह पाया गया कि जो शौचालय बनाये गये हैं। वह मानक विहीन हैं और उनका उपयोग भी नहीं किया जा रहा है। शौचालय निर्माण में भ्रष्टाचार भी किया गया है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में अनेकों ग्राम पंचायत ऐसी हैं, जहां एक भी शौचालय नहीं बनाये गये हैं, जिन गांवों में शौचालय बने भी वहां भी सैकड़ों परिवार वंचित रह गये हैं। यही हाल पूरे जिले का है। ऐसे में प्रशासन द्वारा जिले को ओ0डी0एफ0 घोषित करके शासन को गुमराह किया गया है। ऐसे में सीतापुर को ओ0डी0एफ0 घोषित करने व बनाये गये शौचालयों की जांच शासन स्तर से टीम गठित कराये जाने की आवश्यकता है।

नोट :-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्रवाई की मांग करता हूं।]

बरेली नगर क्षेत्र में बस स्टेशन बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 अरूण कुमार-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र, 124 बरेली नगर के अन्तर्गत कोई बस स्टेशन नहीं है। बस स्टेशन पहुंचने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है तथा जाम की समस्या रहती है। यहीं से जनपद पीलीभीत, नैनीताल एवं नई दिल्ली के बसें गुजरती हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा बरेली नगर क्षेत्र एक रोडवेज बस स्टेशन बनाने की घोषणा के अनुपालन में केन्द्रीय कारागार की मिनी बाईपास के पार पड़ी 50 बीघा अप्रयोज्य भूमि में से 6 एकड़ भूमि जिलाधिकारी, बरेली एवं प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग, उ0 प्र0 के प्रस्ताव पर रोडवेज बस स्टेशन निर्माण हेतु उक्त जमीन हस्तान्तरित करा दें, ताकि क्षेत्र की जनता की परेशानी का सामना न करना पड़े। जनहित में उक्त रोडवेज बस स्टेशन निर्माण कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए उक्त रोडवेज बस स्टेशन निर्माण किये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूं।]

पैक्सफेड, गोरखपुर शाखा में किये जा रहे भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती संगीता यादव-

[मान्यवर, सरकार द्वारा कार्यों में पारदर्शिता एवं भ्रष्टाचार को रोकने हेतु यह शर्त लगा रखी है कि कोई प्रशासनिक कार्यालय उस विभाग से संचालित होने वाली संस्था से ठेका लेने वाले ठेकेदार के घर के लोग एवं सम्बन्धी रिश्तेदार नहीं ठेका प्राप्त कर सकेंगे। परन्तु पैक्सफेड, गोरखपुर की इकाई महोद्दीपुर में स्थित श्री अजय सिंह टप्पू के घर से संचालित हो रही है। श्री अजय सिंह असोसिएट के नाम की स्वयं की संस्था से ठेकेदारी भी करते हैं। पैक्सफेड के अधिशासी अभियन्ता श्री विनय सिंह भी श्री अजय सिंह के रिश्तेदार हैं।

चौरी-चौरा में शहीद स्मारक के विकास कार्य स्वीकृत हुआ था जिनका टेण्डर श्री अजय सिंह द्वारा संचालित अजय एसोसिएट एवं उनके ही द्वारा परोक्ष रूप से संचालित संस्था मनोज के द्वारा आवेदन किया गया। इसी प्रकार परिवहन विभाग द्वारा भी पैक्सफेड को कार्यदायी संस्था बनाया गया है उसका कार्य भी अधिशासी अभियन्ता श्री विनय सिंह द्वारा श्री मनोज सिंह को दिया गया है। जो शासन की नीतियों के विरुद्ध है। जनहित में विकास के कार्यों को कराये जाने हेतु स्वीकृत धनराशि का बन्दर बांट किये जाने का कार्य है। इससे जनमानस में आक्रोश है।

नोट :-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए प्रभावी कार्रवाई किये जाने की मांग करती हूं।]

जनपद बलरामपुर में महिला चिकित्सा अधिकारी डा0 नीना वर्मा के खिलाफ उच्च स्तरीय जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री पल्टू राम-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि जनपद बलरामपुर के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की स्थिति अत्यन्त दयनीय है। महिला चिकित्सालय, बलरामपुर में विगत 8 वर्षों से महिला चिकित्सा अधीक्षक, डा0 नीना वर्मा तैनात हैं, इनके खराब व्यवहार व अभद्र भाषा के कारण महिला चिकित्सालय के परिसर में करोड़ों रुपये के उपकरण गायब करके चोरी दिखा दिया गया है। करोड़ों रुपये के गायब हुए उपकरण की उच्च स्तरीय जांच एवं डा0 नीना वर्मा को जनपद बलरामपुर महिला चिकित्सालय से हटाया जाना जनहित में अत्यन्त आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय जनता की लोक महत्व के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए उक्त करोड़ों रुपये के गायब हुए उपकरण की उच्च स्तरीय जांच एवं डा0 नीना वर्मा को जनपद बलरामपुर महिला चिकित्सालय से हटाये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद कौशाम्बी के विधान सभा क्षेत्र मंझनपुर अन्तर्गत अलवारा झील का सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री लाल बहादुर-

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र मंझनपुर, जनपद कौशाम्बी में लगभग 2200 एकड़ में फैली अलवारा झील है। जिसमें प्रत्येक वर्ष जाड़े में साइवेरियन पक्षी हजारों की संख्या में आते हैं। यह एक बहुत ही बड़ी झील है जिसका सौन्दर्यीकरण कराकर पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने के साथ-साथ पर्यटकों के आकर्षण का केन्द्र बनेगा और सरकार को इससे बहुत अधिक राजस्व की प्राप्ति होगी। इसके अतिरिक्त सिंचाई एवं मछली पालन के लिए भी उपयोगी भी होगा। इसमें बहुत बड़े पैमाने पर कमलगट्टा भी होता है। क्षेत्र की जनता एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा मांग किये जाने पर इसके सौन्दर्यीकरण हेतु डी0पी0आर0 तैयार करके शासन को प्रेषित किया गया है। परन्तु अभी तक कोई कार्रवाई न होने से यह झील पूर्ण रूप से अनुपयोगी अतिक्रमण का शिकार हो रही है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए अलवारा झील का सौन्दर्यीकरण करके पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूं।]

नोट :-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

कुशीनगर क्षेत्र में मैत्रेय परियोजना से सम्बन्धित भूमि अधिग्रहण के मालिकाना हक स्थानीय जनता को दिये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रजनीकान्त मणि त्रिपाठी-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र कुशीनगर में वर्ष 2004 में मैत्रेय परियोजना से सम्बन्धित की गयी भूमि अधिग्रहण अध्यादेश वापस लेते हुए भूमि का मालिकाना हक कायम रखने हेतु स्थानीय जनता द्वारा निरन्तर संघर्ष एवं प्रदर्शन किया जाता रहा है। आम जनमानस में इस कारण भारी आक्रोश व्याप्त है। उक्त अध्यादेश वापस किया जाना जनहित में अत्यन्त ही आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई करने की मांग करता हूं।]

राज्य कर्मचारियों की पेंशन बहाली का निस्तारण न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 सतीश चन्द्र द्विवेदी-

[मान्यवर, पूरे उत्तर प्रदेश में राज्य कर्मचारी एवं शिक्षक पुरानी पेंशन बहाली को लेकर आन्दोलनरत हैं। कर्मचारियों द्वारा कई बार पेंशन बहाली को लेकर धरना-प्रदर्शन भी किया गया और उन पर लाठी चार्ज भी हुआ। परन्तु अभी भी कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली को लेकर आन्दोलित हैं। जनहित में इसका निस्तारण किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए राज्य कर्मचारियों के पेंशन बहाली हेतु कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद सहारनपुर स्थित ढमोला नदी से लगे ग्राम गोकुलपुर के क्षतिग्रस्त रपटे की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मसूद अख्तर-

[मान्यवर, जनहित में अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र 4, सहारनपुर में ब्लाक पुवांरका के ग्राम गोकुलपुर में ढमोला नदी के रपटे का क्षतिग्रस्त हो जाने से आवागमन में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस रास्ते से लगभग 20 गांव जुड़े हुए हैं, हजारों लोगों का आना-जाना होता है, छोटी गाड़ियां जैसे आटो रिक्शा, कार, जीप आदि का भी आवागमन है। उक्त रापटा काफी दिनों से क्षतिग्रस्त है। ऐसी स्थिति में चिकित्सकीय कार्य आदि में काफी परेशानी होती है। जनहित में उक्त क्षतिग्रस्त रपटे का पुनर्निर्माण कराया जाना अति आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर क्षतिग्रस्त रपटे का पुनर्निर्माण कराये जाने हेतु सरकार का ध्यान अकृष्ट कराते हुए शीघ्र कार्रवाई की मांग करता हूं।]

नोट :-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद सीतापुर के अन्तर्गत कतिपय क्षेत्रों में लोक निर्माण विभाग द्वारा अधूरे कार्यों को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं कि जनपद सीतापुर के अन्तर्गत महमूदाबाद में लोक निर्माण विभाग द्वारा अधूरे कार्य पैतेपुर पुल से केश्वारा (त्वरित विकास योजना), तम्बौर महमूदाबाद-सिधौली चौड़ीकरण एवं उच्चीकरण समशाबाद डामर रोड से लोनजिगनियां डा0 राम मनोहर लोहिया गांव गुलामपुर से बनगवां धर्मपुर से धोबीन पुरवां, व्यापार विकास निधि यह कार्य अधूरे पड़े हुए हैं। जिनका कार्य कराया जाना जनहित में आवश्यक है यह लोक महत्व है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए सरकार से अधूरी पड़ी डामर रोडों को लेपन स्तर तक बनाये जाने की मांग करता हूं।]

कानपुर नगर में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच हेतु लैब की सथापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अमिताभ बाजपेयी-

[मान्यवर, आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। कानपुर नगर में विभिन्न खाद्य पदार्थों की बड़ी थोक बाजारें स्थापित हैं जिसमें किराना, मेवा, खोया, दूध सहित विभिन्न खाद्य पदार्थ पूरे प्रदेश में विक्रय करे जाते हैं। बड़ी संख्या में खुदरा व्यापारी व लाखों उपभोक्ता भी हैं।

खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता जांच हेतु खाद्य विभाग समय-समय पर सैम्पलिंग करता है जिसमें प्राप्त सैम्पल लखनऊ लैब में भेजे जाते हैं व रिपोर्ट प्राप्त होने में लम्बा समय लग जाता है। तब तक खाद्य पदार्थ विक्रय होकर उपभोक्ता तक पहुंच जाता है। यदि विक्रेता स्वयं जांच करना चाहे कि जो पदार्थ हम विक्रय कर रहे हैं वह मानक के अनुकूल है या नहीं, इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। यदि उपभोक्ता जांच करना चाहे कि हम जो खरीद रहे हैं वह मानक के अनुकूल है तो इसकी भी कोई व्यवस्था नहीं है।

अतः मैं इस लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कानपुर नगर की थोक बाजार के निकट एक ऐसी फूड चेकिंग लैब स्थापित करने की मांग करता हूं जिससे विक्रेता अथवा उपभोक्ता अथवा सरकारी महकमा जब चाहे त्वरित जांच करा सके।]

जनपद अलीगढ़ में भारी वाहनों से हो रही अवैध वसूली रोकने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती वन्दना सिंह-

[मान्यवर, मैं सदन के माध्यम से सरकार के संज्ञान में लाना चाहती हूं कि अवैध तरीके से जिला प्रशासन द्वारा जनपद अलीगढ़ की शहरी सीमा के अन्दर नुमाइश ग्राउण्ड से चलने वाले प्रत्येक अवैध भारी वाहन (ट्रक) से 1500 रुपये की पर्ची काटी जाती है। नुमाइश ग्राउण्ड से चलने वालों ट्रकों से 1500 रुपये प्रति ट्रक मनमाने तरीके से वसूल किया जाता है

नोट :-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जिसका कोई लेखा-जोखा नहीं है। इस प्रकार लोडर ट्रकों का अवैध संचालन एवं मनमानी तरीके से हो रही अवैध वसूली से आम नागरिकों में काफी असंतोष व्याप्त है। अतः अनुरोध है कि कृपया लोडर ट्रकों का अवैध संचालन एवं अवैध वसूली रोकने के लिए सरकार द्वारा सख्त कदम उठाया जाय।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर मैं सदन के माध्यम से सरकार से कार्रवाई की मांग करती हूं।]

सहारनपुर नगर विधान सभा के अन्तर्गत लो0नि0वि0 द्वारा खुमरान पुल का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री संजय गर्ग-

[मान्यवर, इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि सहारनपुर नगर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग द्वारा पांवधोई नदी पर बनाये जा रहे खुमरान पुल के निर्माण कार्य को अपरिहार्य कारणों से रोक दिया गया है, खुमरान पुल सहारनपुर नगर का अत्यन्त महत्वपूर्ण पुल है इसके निर्माण में अवरोध उत्पन्न होने के कारण नगर के नागरिकों एवं विशेषतः व्यापारियों को भारी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। मुख्य बाजारों का व्यापार बुरी तरह से प्रभावित है। वैकल्पिक रास्ता भी खराब होने के कारण अधिकांशतः जाम की स्थिति बनी रहती है। इस कारण आम जनमानस में भारी रोष व्याप्त है तथा स्थिति कभी भी विस्फोटक रूप ले सकती है।

अतः इस अति लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए सरकार से मांग करता हूं कि उक्त खुमरान पुल का निर्माण शीघ्र कराये जाने हेतु शासन को निर्देशित करने का कष्ट करें।]

जनपद अम्बेडकरनगर के विकास खण्ड भियांव में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस में इंट्री प्वांइट दिये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रितेश पाण्डेय-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि जिला अम्बेडकरनगर के जलालपुर विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड भियांव अन्तर्गत ग्राम सभा नूरपुर कलां (कटका बाजार) से होकर गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे गुजर रही है। यह अम्बेडकरनगर, आजमगढ़ सीमा पर पड़ता है। यहां के समीपवर्ती 50 ग्रामों की लगभग पचास हजार जनता में प्रदेश की राजधानी एवं अन्य महत्वपूर्ण नगरों में जाने के लिए एक्सप्रेस-वे पर इंट्री प्वाइंट न होने से जनता में काफी आक्रोश व्याप्त है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जनहित में नूरपुर कलां (कटका बाजार) में एक्सप्रेस-वे पर इंट्री प्वाइंट का निर्माण कराये जाने की मांग करता हूं।]

नोट-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद बलिया की विधान सभा क्षेत्र रसड़ा के विकास खण्ड चिलकहर-लखनऊ-बलिया सम्पर्क मार्ग पर पड़ने वाले कतिपय पुलियों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री उमाशंकर सिंह-

[मान्यवर, मैं एक अत्यन्त ज्वलन्त एवं जनहित के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए सदन को यह अवगत कराना चाहता हूं कि जनपद बलिया की विधान सभा रसड़ा के चिलकहर ब्लाक में लखनऊ-बलिया मार्ग से निकलने वाला सम्पर्क मार्ग जो खलीलपुर, उचेड़ा, तिवारीपुर होते हुए बछरजा तक जाता है जिस पर कई गांव स्थित हैं तथा उनको मुख्य मार्ग पर आने हेतु एकमात्र यही मार्ग है परन्तु इस मार्ग पर पड़ने वाली 3 जर्जर पुलिया अत्यन्त जीर्ण-शीर्ण अवस्था में होने के कारण ग्रामवासियों को आवागमन में काफी असुविधा होने के साथ ही समय-समय पर क्षतिग्रस्त पुलियों के कारण दुर्घटनायें भी कारित हो रही हैं जिसमें विगत कुछ समय पूर्व एक गाड़ी नहर में गिर जाने से एक व्यक्ति की जान भी जा चुकी है। यही नहीं नहर खुलने पर नहर का पानी इन पुलियों पर सड़क के ऊपर आ जाता है जिससे आवागमन अत्यधिक दुरूह हो जाता है।

अतः जनहित एवं लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर विधान सभा क्षेत्र रसड़ा के चिलकहर ब्लाक में लखनऊ-बलिया मार्ग से निकलने वाले सम्पर्क मार्ग जो खलीलपुर, उचेड़ा, तिवारीपुर होते हुए बछरजा तक जाता है पर पड़ने वाली तीनों क्षतिग्रस्त पुलियों को अविलम्ब बनाये जाने हेतु शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद जालौन के विकास खण्ड महेवा में ग्राम लौना से सरसई के मध्य रपटा बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

कुँ0 नरेन्द्र पाल सिंह-

[मान्यवर, मेरी विधान सभा क्षेत्र कालपी के विकास खण्ड महेवा में ग्राम लौना से सरसई के बीच मलंगा नाला पड़ता है, जिससे ग्रामीणों को अपनी ही खेतों में तथा कालपी जाने हेतु काफी लम्बा चक्कर लगाना पड़ता है।

अतः अनुरोध है कि ग्राम लौना से सरसई के मध्य रपटा बनवाने की कृपा करें।]

जनपद बरेली की चीनी मिल सेमीखेड़ा की पेराई क्षमता को बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बहारेन लाल मौर्य-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि जनपद बरेली के भोजीपुरा विधान सभा में किसान सहकारी चीनी मिल जो सेमीखेड़ा में स्थित है जिसकी पेराई क्षमता 25 हजार कुन्तल प्रतिदिन पेरने की है जिससे क्षेत्रीय किसानों का गन्ना पेराई के लिए शेष रह जाता है और किसानों को आर्थिक क्षति होती है। जनहित में मिल की पेराई क्षमता 50 हजार कुन्तल प्रतिदिन होना एवं डिसलरी शुरू करना अत्यन्त आवश्यक है।

नोट-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोकमहत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई करने की मांग करता हूं।]

एन0एच0, 56बी पर अनूपगंज (गोसाईगंज) रेलवे क्रासिंग पर आर0ओ0बी0 बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अम्बरीश सिंह पुष्कर एडवोकेट-

[मान्यवर, मैं एक अत्यन्त जनहित के मामले पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। जनपद लखनऊ के अन्तर्गत एन0एच0-56बी जो गोसाईंगंज से मोहनलालगंज को जोड़ता है, उस पर कानपुर से सुल्तानपुर, जौनपुर, फैजाबाद, वाराणसी आदि जनपदों को जाने वाले सैकड़ों भारी एवं हल्के वाहनों का प्रतिदिन आवागमन रहता है। चूंकि लखनऊ-सुल्तानपुर-जौनपुर-वाराणसी रेलवे लाइन, डबल लाइन हो गयी है, इसलिए इस रूट पर ट्रेनों का काफी दबाव बढ़ गया है, फलस्वरूप अनूपगंज (गोसाईगंज) रेलवे क्रासिंग पर कई- कई घण्टे ट्रैफिक जाम हो जाता है, जिसके कारण हजारों लोगों को प्रतिदिन ट्रैफिक जाम की इस गम्भीर समस्या से जूझना पड़ता है। अतएव इस गम्भीर स्थिति के समाधान हेतु अनूपगंज रेलवे क्रासिंग (गोसाईगंज) पर आर0ओ0बी0 बनाया जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मैं अनूपगंज रेलवे क्रासिंग (गोसाईगंज) पर आर0ओ0बी0 बनाये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मड़ियाहूं अन्तर्गत कतिपय सड़कों की विशेष मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती लीना तिवारी-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से ध्यान आकृष्ट कराना चाहती हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र मड़ियाहूं, जनपद जौनपुर के अन्तर्गत निम्न सड़कें काफी जर्जर हो चुकी हैं जिससे क्षेत्रीय जनता के आवागमन में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

1-रामपुर से मुरारपुर ल0 17 किमी0।

2-सहनपुर से सेमुही होते हुए दुबेपुर तक ल0 12 किमी0।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जनहित में मेरे विधान सभा क्षेत्र मड़ियाहूं, जनपद जौनपुर में उपरोक्त दोनों सड़कों की विशेष मरम्मत कराये जाने की मांग करती हूं।]

जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र बछरांवा में धान खरीद न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम नरेश रावत-

[मान्यवर, निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र बछरावां, जनपद रायबरेली में पार्टी व सरकार के द्वारा दिये गये दायित्वों व कार्यों के निष्पादन हेतु सरकार द्वारा चलाई जा रही

नोट-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

विभिन्न महत्वाकांक्षी योजनाओं का सीधा लाभ राज्य के हर एक व्यक्ति तक पहुंचने में सफल रहा है जिससे सरकार की स्वच्छ छवि भी बनी है लेकिन क्षेत्र के किसानों द्वारा बराबर यह मांग की जाती रही है कि सरकार द्वारा धान की खरीद के लिए जो भी क्रय केन्द्र बनाये गये हैं वह विगत वर्षों की अपेक्षा बहुम कम बनाये गये हैं जिससे कि किसानों द्वारा पैदा किये गये धान को क्रय केन्द्र पर बेच पाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है तथा धान की खरीद न हो पाने के कारण क्षेत्र के किसानों पर आर्थिक संकट भी मंडराने लगा है। इसके साथ ही रायबरेली जनपद में क्षेत्र की भूमि एक फसलीय भूमि होने के साथ-साथ साल्ट भूमि है और क्षेत्र के किसानों की एक मांग यह भी है कि धान से निकलने वाले लाल भूसे की बिक्री तो हो जाती है परन्तु सफेद भूसे को कोई भी नहीं खरीदता है जिससे किसानों की हानि हो रही है के कारण भी सरकार के प्रति अत्यन्त रोष व्याप्त है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर जनहित में विधान सभा क्षेत्र बछरावां, जनपद रायबरेली के किसानों के धान की सही समय पर क्रय केन्द्रों पर खरीद व सफेद भूसे की बिक्री हेतु मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं।]

(कई सदस्यो के यह कहने पर कि माननीय अध्यक्ष जी हमारी सूचना भी ले लें।)

श्री अध्यक्ष-

कल ले लेंगे।

(माननीय सदस्यों द्वारा यह कहना कि मान्यवर कल भी नहीं हो पाई थी। आज ले लें।)

[12:22] नियम-301 एवं नियम-51 की सभी सूचनायें लिये जाने का आग्रह

श्री अध्यक्ष-

लाल जी वर्मा कुछ कहना चाहते हैं।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, आपसे आग्रह किया था कि चूंकि तीन दिन का ही सदन कुल मिलाकर है इसलिये नियम-301 और नियम-51 की यह सूचनाएं जितनी भी आवें नियमानुसार उन सबको ले लें। मान्यवर, आपका कृपापूर्वक संरक्षण चाहिए। माननीय सदस्य, चूंकि समस्यायें अनेक हैं अपने अपने क्षेत्र की तमाम समस्याओं का जिक्र करते हैं, आप कृपा कर देंगें मान्यवर तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जिन सदस्यों ने भी नियम-301 और नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं दी हैं उनको आज भी ले लें और कल भी ले लें।

श्री अध्यक्ष-

हम अभी देख लेंगें। आपका सुझाव विचारणीय। इस पर विचार कर लेंगे।

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 20 दिसम्बर, 2018 को नियम-300 के अन्तर्गत 7 सूचनाएं प्राप्त हुईं। पहली सूचना श्री प्रभु नारायण सिंह यादव की विगत सत्रकाल में माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा

नोट-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

सदन के अन्दर माननीय विधायकों की संस्तुति पर प्रत्येक विधान सत्र में विकास हेतु पांच करोड़ रुपये की धनराशि खर्च किये जाने की घोषणा करने के सम्बन्ध में है। यह सूचना जब आई थी तो ऐसा स्मरण नहीं आ रहा अभी कार्यवाही हमने नहीं दिखाई। आपने इसमें कहा है कि सदन की घोषणा तो क्या आप इससे सुनिश्चित हैं कि सदन की घोषणा है।

मा0 मुख्य मंत्री द्वारा सदन में सदस्यों के उनके क्षेत्र के विकास हेतु रु0 5 करोड़ की धनराशि की घोषणा किये जाने के सापेक्ष सदस्यों के कार्य न होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री प्रभु नारायण सिंह यादव-

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा किया था यहां भी किया था। मान्यवर, उसमें परिस्थिति यह आ गई कि प्रस्ताव तो जो भी दिये जा रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में।

श्री अध्यक्ष-

आप अपनी बात कहिये लेकिन सदन में घोषणा की बात से आप सुनिश्चित हैं। हम आपको सुनने जा रहे हैं। आपका यह अंश कि यहां सदन में घोषणा हुई थी, आप सुनिश्चित हैं क्या। बस इतनी बात हम पूछ रहे हैं।

श्री प्रभु नारायण सिंह यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे यह निवेदन करना चाह रहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह घोषणा किया था और इसका जी0ओ0 भी बन गया था उसके बाद माननीय सदस्यों ने माननीय मुख्य मंत्री कार्यालय में पत्र दिया। चूंकि यह माननीय विधायकों से संबंधित घोषणा है, यह अधिकार क्षेत्र उनका है अब उसके बाद कार्यवाही के सम्बन्ध में यह कहा जा रहा है अधिकारियों के द्वारा चाहे वह पंचम तल हो या अधिकारी हों कि जब तक क्षेत्रीय सांसद इसमें अपनी संस्तुति नहीं देते, सहमति नहीं देते तब तक यह काम नहीं किया जायेगा।

माननीय विपक्ष के सदस्यों के सामने यह प्राब्लम है, कि जहां सत्तापक्ष के सदस्य हैं, सांसद हैं, वहां ऐसी स्थिति नहीं है। जहां विपक्ष के सांसद नहीं हैं वहां के विधायकों के प्रस्ताव पर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। यह विधायकों के हित का सवाल है, उनके अधिकार का सवाल है, औचित्य का प्रश्न है, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस पर आपकी व्यवस्था हो ताकि जो क्षेत्र के विधायक हैं, जो क्षेत्र के विकास की बात है, माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा थी कि पूरे प्रदेश में हम विधायकों के विधान सभा क्षेत्र में विकास का कार्य हो, वह पूरी तरह बाधित है मैं आपसे मांग करता हूं और आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

उज्जवल रमण जी का नोटिस में नाम है बात आ गई है लेकिन जोड़ दें उसमें।

श्री उज्जवल रमण सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, सदस्य विधान सभा का हास-परिहास, इस सदन का बड़ा ही गम्भीर विषय है, नियमों से सदन चलता है हमने अपनी नोटिस में कहा है कि 31-5-2018 के क्रम में एक शासनादेश जारी हुआ जिसके क्रम में यह कहा गया कि हर विधायक पांच करोड़

की सड़कें दे सकता है। आज कुछ विधायकों को तो यह सड़कें दी जा रही हैं बाकी को वंचित किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से, सरकार से बस इतना ही कहना चाहता हूं कि आपने सड़क की नपाई करवा दी, सड़क के बारे में गांव में पता लग गया कि माननीय विधायक ने उस गांव में सड़क दे दी। आप स्थिति समझिए उस विधायक की, कि आज उसका कितना हास-परिहास हो रहा है। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि यह गम्भीर विषय है। नियमों के तहत आता है, संविधान में धारा 14 में सबकी समानता है जितने भी माननीय सदस्य हैं। किसी के संवैधानिक अधिकार का हनन न हो, इसलिए हम चाहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं हैं, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे हैं यह घोषणा कर दें कि सबको समान रूप से पांच करोड़ की सड़कें दी जाएंगी इससे सरकार पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है।

श्री संजय गर्ग-

मान्यवर, एक मिनट का समय दे दें।

श्री अध्यक्ष-

संजय जी, इस विषय पर पूरी बात आ गई है। नोटिस में आपका नाम नहीं है।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, 300 में यह परम्परा है नहीं।

श्री अध्यक्ष-

पूरी बात आ गई है।

श्री संजय गर्ग-

श्रीमन् एक मिनट के लिए आपका संरक्षण चाहिए। मान्यवर, पूरे प्रदेश के विकास के लिए, प्रदेश की प्रशासनिक मशीनरी से प्रस्ताव लेने हेतु, जिले के स्तर पर, तहसील स्तर पर, ब्लाक स्तर पर, प्रशासनिक अधिकारियों से पूरे प्रदेश का सरकार विकास कराती है। परन्तु श्रीमन् घोषणा जो विधान सभा क्षेत्रों को लेकर हुई है कि प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र, जब विधान सभा क्षेत्र की बात है तो उसमें आपका संरक्षण चाहते हैं कि 323 विधायक हैं 323 विधायकों में अगर एक तिहाई विधायकों को भी संरक्षण मिल जाएगा तो निश्चित रूप से इनकी नीयत साफ हो जाएगी।

श्री अध्यक्ष-

आपका विषय आ गया है, अब बैठें।

श्री संजय गर्ग-

आपका संरक्षण इसलिए भी चाहिए कि जहां पर सांसद भारतीय जनता पार्टी का नहीं है वहां इस बात का उल्लेख किया गया है कि भारतीय जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष वहां की संस्तुति करेगा तब वह काम किया जाएगा।

श्री अध्यक्ष-

नहीं ऐसा नहीं है।

श्री संजय गर्ग-

मान्यवर, यह घोर आपत्तिजनक बात है शासनादेश में लिखा गया है कि जनप्रतिनिधियों से प्रस्ताव लिए जाएंगे।

श्री अध्यक्ष-

अब आप जबर्दस्ती कर रहे हैं इसमें आप भाषण क्यों कर रहे हैं।

श्री संजय गर्ग-

प्रशासकीय स्तर पर डी0एम0 से भी प्रस्ताव ले सकते हैं। हम आपके माध्यम से केवल इतना संरक्षण चाहते हैं कि इस सदन का सदस्य होने के नाते विधान सभा क्षेत्र, जहां के विपक्ष के जनप्रतिनिधि हैं उसमें आपका संरक्षण चाहते हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, यहां पर जो पुराने सदस्य हैं वह भी कई बार हमारी अच्छाइयां भूल जाते हैं। 1998 में माननीय कल्याण सिंह जी की सरकार थी। उन्होंने पहली बार विधायक निधि प्रारम्भ की। 'विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि' उसमें जितने सत्तापक्ष के सदस्य थे उनको भी मिला और जितने विपक्ष के सदस्य थे उनको भी मिला। माननीय राम प्रकाश गुप्ता जी आए उसके बाद, उन्होंने उस विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि में इजाफा किया जब उसमें वृद्धि की तब भी सभी लोगों को उसमें बराबर दिया। उसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया। इन लोगों को तो केवल अखबारी सुर्खियां लूटना है।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर व्यवधान।)

श्री अध्यक्ष-

उत्तर आने दीजिए आप तीन लोगों ने बोला है तो क्या वह अकेले भी नहीं बोल सकते हैं ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, हमने इन लोगों की बात तो गम्भीरता से सुनी है, जिनकी सूचना भी नहीं थी, उन लोगों ने भी अपनी बात कह दी है और जब हम अपनी बात कह रहे हैं तो आप लोग सुनना नहीं चाहते हैं। इसके पीछे मंशा क्या है ? मान्यवर, इनसे यह पूछिये कि विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि किसकी देन है ? उसमें जो इजाफा हुआ वह किसकी देन है ? प्रारम्भ किसने किया है ? क्रेडिट उसी को देना चाहिए, जो योजना प्रारम्भ करे। अगर आप वह भी नहीं देना चाहते हैं तो इस बात के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, लेकिन शासन का पैसा है और जो यहां पर भेदभाव की बात आयी है तो मैं कहना चाहता हूं कि 'डिसक्रिमनेशन एमंग द क्लास' एक तरह के लोगों में किसी तरह का भेदभाव या विषमता नहीं की जायेगी, लेकिन जो कागजी कार्यवाही है, चाहे डी.पी.आर. बनाने की हो, चाहे क्षेत्रीय स्तर पर उसकी जांच करवाने की हो या उसमें किसी संस्तुति की बात हो तो उसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। उसमें आपत्ति इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि विधान सभा क्षेत्र के विकास के लिए सड़कें तो सबके चलने के लिए हैं। हमारी तरफ से किसी प्रकार का कोई विभेद नहीं है। इसमें ऐसी कोई

चीज नहीं है, जो हममें और आपमें फर्क करे, इसलिए किसी को इसमें शंका नहीं करनी चाहिए। 5-5 करोड़ रु0 हर विधान सभा क्षेत्र को दिये जायेंगे।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर व्यवधान।)

श्री अध्यक्ष-

अब इससे ज्यादा और क्या आश्वासन चाहिए ?

श्री अजय कुमार लल्लू-

मान्यवर, इन्होंने यह तो कहा कि 5-5 करोड़ रु0 हर विधान सभा क्षेत्र को दिये जायेंगे।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, 5-5 करोड़ रु0 की सड़कें दी जायेंगी, 5-5 करोड़ रु0 नहीं दिये जायेंगे।

श्री अजय कुमार लल्लू-

मान्यवर, इन्होंने 5-5 करोड़ रु0 की सड़कें देने की जो बात कही है, उसमें क्या मा0 सांसदों से संस्तुति नहीं लेनी पड़ेगी बस इतनी ही घोषणा कर दें ?

श्री अध्यक्ष-

जो इस सदन के सदस्य सदस्य नहीं हैं, हम उनके बारे में इस सदन में चर्चा नहीं कर सकते हैं।

श्री अजय कुमार लल्लू-

मान्यवर, यही तो मूल विषय है, जिस पर यह बात उठी है। हम लोगों को मा0 सांसदों से संस्तुति नहीं लेनी पड़ेगी बस इसी बात को यह कह दें। इसी का आश्वासन दे दें। मा0 विधायकों से प्रस्ताव लिये जायेंगे, उस पर किसी की संस्तुति की जरूरत नहीं पड़ेगी।

श्री अध्यक्ष-

मा0 सांसदों के बारे में हम लोग यहां पर चर्चा नहीं कर सकते हैं। अब आपकी बात आ गयी है और यह नियम-300 में नहीं आता है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, नियम-300 में चर्चा तो होती नहीं है और हमने पूरी बात का जवाब भी दे दिया है कि किसी भी प्रकार का कोई डिसक्रिमनेशन नहीं है, कोई विषमता नहीं है।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, मैं भी इस बात से सहमत हूं कि यह नियम-300 में तो नहीं आता है, लेकिन सदन में हमेशा जब मा0 विधायक के विधान सभा क्षेत्र के हित की बात आती है तो कृपापूर्वक संज्ञान लेकर उस पर बातचीत की जाती है, इसलिए आपका संरक्षण चाहिए कि सभी विधान सभा के मा0 सदस्यों के विधान सभा क्षेत्र में अगर 5 करोड़ रु0 की सड़कें बननी हैं, उनसे लोक निर्माण विभाग ने प्रस्ताव मांग भी लिया है फिर उन्होंने निर्देश दिया कि आप मा0 मुख्य मंत्री जी के यहां अपना प्रस्ताव दे दीजिए, वह भी दे दिया गया और अगर अब नहीं

होगा तो निश्चित रूप से उसमें मा0 विधायकों की छवि धूमिल होगी, इसलिए कृपापूर्वक मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी भी यहां उपस्थित हैं और मा0 उप मुख्य मंत्री जी भी यहां उपस्थित हैं, यह आश्वासन सदन को दे दें कि सभी मा0 सदस्यों के प्रस्ताव पर कोई क्लाज नहीं लगाया जायेगा। इस आधार पर मा0 विधायकों की संस्तुति पर 5 करोड़ रु0 की सड़क स्वीकृत करने का काम किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

अब उत्तर तो आ गया।

श्री अजय कुमार लल्लू-

अध्यक्ष जी पूर्व में जब यह नेता भारतीय जनता पार्टी थे तो इस तरह की विषमताओं को अक्सर उठाते थे। आज यह हम लोगों को भूल गए इसी का बड़ा दुख है।

श्री अध्यक्ष-

भूलेंगे नहीं।

श्री अजय कुमार लल्लू-

आप सरकार में हैं सारे विधायकों के हित और मान सम्मान की सुरक्षा आपके हाथों में है। महोदय आपका संरक्षण चाहिए आपसे अनुरोध है आप ही अध्यक्ष जी व्यवस्था दे दें कि यह विधायकों के प्रस्ताव से ही लिए जाएं किसी दूसरे के संस्तुति की आवश्यकता न हो बस यही आपसे अनुरोध चाहते हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी हम यह आश्वस्त करते हैं कि हम कभी लल्लू जी को भूलेंगे नहीं। लल्लू जी ने कहा है कि हम इनको भूल गए हैं तो हम ताउम्र इनको भूलेंगे नहीं। यह मैं आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

हम भूल गए हर बात मगर तेरा साथ नहीं भूले।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैंने यह कहा कि जो भी उसमें औपचारिकताएं हैं जो शासनादेश में औपचारिकताएं हैं चूंकि एक शासनादेश इन्होंने कोट किया है इसलिए उसको हम दिखवा लेंगे और शासनादेश के अनुरूप हम कार्यवाही करवा देंगे।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। शासनादेश का पालन होगा।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जी मान्यवर।

श्री संजय गर्ग-

अध्यक्ष जी शासनादेश में जनप्रतिनिधियों लिखा है। मैं केवल आपसे संरक्षण चाह रहा हूं कि एक विधान सभा क्षेत्र में क्या विधायक की हैसियत जन प्रतिनिधि की होगी कि नहीं होगी और क्या एक जनप्रतिनिधि की हैसियत से विधायक के प्रस्ताव पर सरकार कार्यवाही करेगी।

श्री अध्यक्ष-

विधायक ही जनप्रतिनिधि होता है ।

श्री लाल जी वर्मा-

अध्यक्ष जी प्रधान भी जनप्रतिनिधि है जिला पंचायत सदस्य भी जनप्रतिनिधि है। तो उसके सब प्रस्ताव को ले लें और विधायक को न रखें।

श्री अध्यक्ष-

मंत्री जी इसे देख लेंगे।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, मैंने नियम-311 में सूचना दी थी ।

श्री अध्यक्ष-

नियम-311 कहां आ जाएगा। आप संसदीय कार्य मंत्री रहे हैं आप वरिष्ठ और सुयोग्य नेता हैं।

श्री लाल जी वर्मा-

आपने कहा था कि प्रश्नकाल के बाद उठाने का अवसर दे देंगे।

श्री अध्यक्ष-

311 में उठाने के लिए मैंने कब कहा।

एक वर्ष में प्राविधानित 90 उपवेशन के सापेक्ष वर्तमान वर्ष में मात्र 21 उपवेशन चलाये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, इसे नियम-56 में ले लीजिए। लेकिन अवसर दे दीजिए।

श्री रितेश पाण्डेय-

माननीय अध्यक्ष जी आपने औचित्य के प्रश्न को उठाने का अवसर दिया इसके लिए धन्यवाद। विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-14 सभा के अधिवेशन अनुच्छेद-174 के अधीन प्रत्येक वर्ष सभा के तीन अधिवेशन आय व्यय, वर्षाकालीन एवं शीतकालीन और 90 दिन के उपवेशन का प्राविधान है। वर्तमान वर्ष में तीनों अधिवेशन में कुल 21 दिनों की बैठकें हुई हैं जो कुल होने वाली बैठक के एक तिहाई हिस्से से भी कम है। अभी आय व्यय 8 फरवरी से 27 मार्च तक हुआ था जिसमें 15 सिटिंग हुई थीं और वर्षाकालीन 23 अगस्त से 31 अगस्त तक हुआ था जिसमें कुल 6 सिटिंग हुई थीं। मान्यवर, क्षेत्र की तमाम समस्याएं रहती हैं जब यहां पर सदन चलता है तो पूरे प्रदेश का भविष्य सुनिश्चित किया जाता है क्षेत्र की तमाम समस्याओं को यहां पर सुना जाता है। जब नियमों के अनुसार 90 दिन के उपवेशन नहीं होंगे तो कहीं न कहीं यह प्रदेश की जनता के साथ धोखा है। यहां पर संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे हुए हैं इनको इस चीज का संज्ञान लेना चाहिए कि जनता की आवाज सुनने के लिए जनता के मुद्दों को सुनने की जरूरत है और जो नियमावली में उपवेशन के 90 दिन का समय दिया गया है इसका पूरी तरह से अनुपालन होना चाहिए ताकि जनता की समस्याएं यहां सदन में आएं और उनके ऊपर काम हो सके और जनता को सही रिस्पाँस जा सके इस तरह से इस सदन की नियमावली के अनुकूल न चलने के औचित्य के इस प्रश्न पर व्यवस्था देने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष-

मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी, एक बात के लिये तो हम रितेश पाण्डेय जी को बधाई दे दें कि यह काफी पढ़ते-लिखते हैं, लेकिन जब यह इधर बैठते हैं तब यह बातें भूल जाते हैं। जिस पार्टी से यह चुनकर आए और वर्ष 2007 में जब इनकी सरकार थी तो जरा देख लीजिये कि कितने-कितने दिन सदन चला। मान्यवर, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वर्ष 2006, 2007 में 26 दिन, 2008 में 22 दिन, 2009 में 13 दिन सदन चला। मा0 रितेश पाण्डेय जी, आप पढ़ाई-लिखाई का इन्तजाम दोनो तरफ से किया कीजिये। आपको इस वक्त यह हरी वाली किताब दिखाई पड़ रही है और जब आपके लोग इधर बैठते हैं तब यह किताब खो जाती है और इसकी चाभी कहीं और चली जाती है। पहले चाभी लाई जाए फिर किताब निकाली जाए। मान्यवर, 2008 में 22 दिन, 2009 में 13 दिन, 2010 में 20 दिन और 2011 में 14 दिन सदन चला। यह एक साल में 90 दिन की बात कर रहे हैं, बसपा की सरकार में टोटल 95 दिन सदन चला है। यह तो इनका इतिहास है, अब इनका भी इतिहास सुन लें। मान्यवर, 2012 में 28 दिन, 2013 में 30 दिन, 2014 में 24 दिन, 2015 में 27 दिन और 2016 में 24 दिन सदन चला। यह इनका इतिहास है। हमनें एक कहावत पढ़ी थी कि 'जिनके अपने महल शीशे के होते हैं वह दूसरों पर पत्थर नहीं फेकते हैं।' जब इनकी सरकार थी।

श्री अध्यक्ष-

लगता है यह लोग आपसे पूरा शेर सुनना चाहते हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, यह हम पूरे पॉचों साल का बता रहे हैं। हमनें ज्यादा से ज्यादा सदन चलाने की पूरी कोशिश की है। हमनें तो इनकी गैर मौजूदगी में भी जब यह पिछली बार सदन का बहिष्कार करके चले गये थे तब भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अकेले अपने दम पर यह सदन चलाया था।

(सत्ता पक्ष द्वारा मेजों की थपथपाहट) इसके लिये आप लोग हमें एक बार बधाई दीजिये।

श्री अध्यक्ष-

आदरणीय लल्लू भी बधाई देना चाहते हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मा0 अध्यक्ष जी, हमारी यह कोशिश है कि यह सदन पूरे समय चले। हमारे मा0 मुख्य मंत्री जी ने यह घोषणा भी की और मा0 मुख्यमंत्री जी यह चाहते भी हैं। जब आप लोग यहां से चले गये तो हमनें आपकी गैर मौजूदगी भी यह सदन चलाया।

श्री लाल जी वर्मा-

आप कृपया बता दीजिये कि कितने दिन सदन चला है ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

आज 25वीं सिटिंग है, कल 26 सिटिंग हो जायेंगी। आपके समय में जितने दिन अधिकतम सदन चला है उतने तो हम कल पूरे कर लेंगे। अगर कोई बिजनेस हो तो हाउस चला लें। अब यह तो आएंगे और तख्तियां ले आयेंगे। अब बताइये कि तख्तियां मा0 अध्यक्ष जी को दिखायेंगे। अब सवाल यह है कि सदन किसलिये चलाएं ? सदन तख्तियां चलाने के लिये तो है नहीं। मान्यवर, आपने इनको कई बार इस बात का कर्तव्यबोध कराया है, लेकिन इनमें से एक को भी अभी तक इसका कर्तव्यबोध नहीं हुआ है और शोर-शराबे में तो यह सबसे ज्यादा माहिर हैं। अगर बिजनेस होगा तो सदन चलेगा। अब आप देख लें कि आज बिल पास हो जायेंगे तो कल का बिजनेस नहीं है और कल का दिन कीमती दिन है। लोक सभा की एक मिनट की कार्यवाही पर 2.5 लाख रुपये खर्च होते हैं। हम विधान सभा का भी निकलवा लेंगे कि कितना खर्च होता है।

(इसी मध्य सदस्य श्री सुखदेव राजभर जी के अपने स्थान पर खड़े होकर अपनी बात कहने का प्रयास करने पर।)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मा0 राजभर जी, कृपया मेरी पूरी बात आ जाने दीजिये, उसके बाद हम आपकी बात सुन लेंगे।

श्री सुखदेव राजभर-

ठीक है। आप अपनी बात कह लीजिये। हम बैठ जाते हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मा0 सुखदेख राजभर जी, आप बहुत सम्मानित सदस्य हैं, आप विधान सभा के अध्यक्ष रहे हैं और व्यक्तिगत रूप से भी मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ और यह बात आपको अच्छे से पता भी है।

श्री सुखदेव राजभर-

आपने बोध कराया है और कह रहे हैं कि बिजनेस नहीं है। आपकी बात सही है लेकिन एक-एक दिन में 10-10 संकल्प, 15-15 प्रस्ताव अगर हैं तो इसी पर बिल तय करिये, आज संकल्प हमारे पास है उनको प्रस्तुत मान लिया जाये आज ही विधेयक आ रहा है और आज ही पारित हो रहा है। ऐसे महत्वपूर्ण जनहित से जुड़े हुए संकल्प हैं और प्रस्ताव हैं जो कि 15-15 लिए गये हैं। जब हम लोग संकल्प प्रस्तुत करते हैं तो वे टाल दिए जाते हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मा0 अध्यक्ष जी, जो आज बिल की बात हुई है, कल का दिन बिना वजह खराब किया गया कल हम सोच रहे थे कि प्रश्नकाल में हो जायेगा, उसके बाद जब सब लोग आपके चैम्बर में बैठे थे तो उसमें इस पर सहमति भी हो गयी थी। दूसरी बात नियमानुसार दूसरे

हाउस की बात इस हाउस में नहीं की जा सकती है, लेकिन यह परिस्थितिवश है। हमने यह सोचा था कि यहां पर कुछ बिल हम आज ले लेंगे और कुछ बिल कल ले लेंगे, लेकिन कल यह परिस्थितिवश हुआ कि हमें बिल आज ही लेने पड़ रहे हैं। हम आपकी बात का जवाब दे रहे हैं और आप संकल्प की बात कर रहे हैं। आप अपनी सरकार और इनकी सरकार का पिछले दस सालों का रिकॉर्ड देख लें, पुराने वाले संकल्प कल इसीलिए मा0 अध्यक्ष जी ने लगाये हैं। यह बात ठीक है जो नियमावली में दिया हुआ है हम इस बात से सहमत हैं लेकिन उसमें एक शब्द यह भी दिया है कि यथासम्भव। मान्यवर, मैं आपसे आग्रह करूँगा कि यह नियम-300 में नहीं आता है इसको आग्राह्य कर दिया जाये। जैसा कि आपने इन लोगों को सुन के संज्ञान ले लिया उसके लिए हम आपके आभारी हैं।

श्री अध्यक्ष-

यह सूचना आग्राह्य की जाती है।

श्री अजय कुमार लल्लू-

मा0 अध्यक्ष जी, मेरी भी नियम-300 में सूचना है।

श्री अध्यक्ष-

आपका तो बिल्कुल इसको स्पष्ट भी नहीं करता। शेष जो सूचनायें हैं वह आग्राह्य हैं।

श्री लाल जी वर्मा-

मा0 अध्यक्ष जी, कार्य-स्थगन ले लीजिए। आगरा में बहुत बड़ी घटना हो गयी है।

श्री अध्यक्ष-

लेइंग आईट्म्स हो जायें उसके बाद कार्य-स्थगन ले लिया जायेगा।

श्री अजय कुमार लल्लू-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं यह औचित्य में लेकर आया हूँ।

श्री अध्यक्ष-

नहीं, औचित्य में आता नहीं है। हमने तीन औचित्य सुने हैं जिनमें थोड़ी बहुत बात थी। आप वाला हमने थोड़ा-बहुत ध्यान से पढ़ा है।

श्री अजय कुमार लल्लू-

मा0 अध्यक्ष जी, यह विधान सभा की गरिमा का सवाल है।

श्री अध्यक्ष-

आप विधान सभा की गरिमा बनाये रखिये।

श्री मनोज कुमार पारस-

मा0 अध्यक्ष जी, नियम-56 में आग्रह है कि हमें सुन लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

अभी कार्य-स्थगन जब आयेगा तब तद्नुसार वहां पर आपको अवसर दिया जायेगा। कार्य-स्थगन आने दीजिए।

श्री इकबाल महमूद-

मा0 अध्यक्ष जी, पहले बात हुई थी कि कार्य-स्थगन आप पहले ले लेंगे।

श्री अध्यक्ष-

यह तो लेइंग आईटम्स हैं, इनमें कोई बहस नहीं है। पहले इन्हें हो जाने दीजिए।

श्री लाल जी वर्मा-

मा0 अध्यक्ष जी, कार्य-स्थगन पहले ले लें।

श्री अध्यक्ष-

आप लोग मेरी बात सुन लें। लेइंग आईटम्स के तत्काल बाद ले लेंगे। लेइंग आईटम्स हैं 34 तक केवल इनको पढ़ना है।

श्री इकबाल महमूद-

मा0 अध्यक्ष जी, यह आपका ही आश्वासन दिया हुआ था कि हम कार्य-स्थगन पहले ले लेंगे।

श्री अध्यक्ष-

पहले लेने का आश्वासन यह था कि बजट पर डिश्कशन होने के पहले कार्य स्थगन हो जायेगा। अब इसमें एक-एक मिनट लगेगा इसे हो जाने दीजिए।

[2.50]

संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या क0नि0-2-2028/ग्यारह-9(47)-17-उ0प्र0 ऐक्ट-1-2017 आदेश (151)-2018, दि0 22 अक्टूबर, 2018†

वित्त मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या क0नि0-2-2028/ग्यारह-9(47)-17-उ0प्र0 ऐक्ट-1-2017-आदेश(151)-2018, दिनांक 22 अक्टूबर, 2018 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूँ।

संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या क0नि0-2-2029/ग्यारह-9(47)-17-उ0प्र0 ऐक्ट-1-2017 आदेश (152)-2018, दि0 22 अक्टूबर, 2018†

वित्त मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या क0नि0-2-2029/ग्यारह-9(47)-17-उ0प्र0 ऐक्ट-1-2017-आदेश(152)-2018, दिनांक 22 अक्टूबर, 2018 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

†छापी नहीं गयी।

संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या क0नि0-2-2030/ग्यारह-9(47)-17-उ0प्र0 ऐक्ट-1-2017 आदेश (153)-2018, दि0 22 अक्टूबर, 2018†

वित्त मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या क0नि0-2-2030/ग्यारह-9(47)-17-उ0प्र0 ऐक्ट-1-2017-आदेश(153)-2018, दिनांक 22 अक्टूबर, 2018 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (तेइसवां संशोधन) नियमावली, 2018†

वित्त मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या क0नि0-2-2004/ग्यारह-9(42)-17-उ0प्र0 जी0एस0टी0 नियम-2017-आदेश-(154)-2018 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (तेइसवां संशोधन) नियमावली, 2018 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

इसी मध्य 12 बजकर 51 मिनट पर अधिष्ठाता श्री सुखदेव राजभर पीठासीन हुए।

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (चौबीसवां संशोधन) नियमावली, 2018†

वित्त मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या क0नि0-2-2005/ग्यारह-9(42)-17-उ0प्र0 जी0एस0 टी0 नियम-2017-आदेश(155)-2018, दिनांक 13 नवम्बर, 2018 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (चौबीसवां संशोधन) नियमावली, 2018 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या क0नि0-2-2217/ग्यारह-9(57)-17-उ0प्र0अधि0-5-2018 आदेश (157)-2018, दि0 14 नवम्बर, 2018†

वित्त मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या क0नि0-2-2217/ग्यारह-9(57)-17-उ0प्र0 अधि0-5-2008-आदेश(157)-2018, दिनांक 14 नवम्बर, 2018 को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित अधिनियम, 2008 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-5 सन् 2008) की धारा-5 की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

†छापी नहीं गयी।

संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या क0नि0-2-2218/ग्यारह-9(57)-17-उ0प्र0अधि0-5-2018 आदेश (158)-2018, दि0 14 नवम्बर, 2018†

वित्त मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या क0नि0-2-2218/ग्यारह-9(57)-17-उ0प्र0 अधि0-5-2008-आदेश(158)-2018, दिनांक 14 नवम्बर, 2018 को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित अधिनियम, 2008 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-5 सन् 2008) की धारा-5 की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद् का आर्थिक चिट्ठा एवं आय-व्यय खाता वित्तीय वर्ष 2012-2013†

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् का आर्थिक चिट्ठा एवं आय-व्यय खाता वित्तीय वर्ष 2012-2013 को उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965 की धारा-63 की उपधारा (5) के खण्ड (क) की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

उप लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन सं0-7-2016 (उप लो0 आ0) (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उप लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या-7-2016 (उप लो0आ0) (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) को उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा-12 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश की सत्रहवीं विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2018 (दि0 23-08-2018 से 31-08-2018 तक) में नियम-301 के अधीन प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्रवाई का विवरण

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश की सत्रहवीं विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2018 (दिनांक 23-08-2018 से 31-08-2018 तक) में उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रकिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-301 के अधीन प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्रवाई का विवरण उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया सम्बन्धी निदेश (पन्द्रहवां संस्करण) के निदेश संख्या-14(3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

श्री अधिष्ठाता-

मद संख्या-12 में कुछ नहीं है।

†छापी नहीं गयी।

उत्तर प्रदेश की सत्रहवीं विधान सभा की ''प्रतिनिहित विधायन समिति'' वर्ष (2017-2018) का चतुर्थ प्रतिवेदन†

डॉ0 जी0एस0 धर्मेश-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की ''प्रतिनिहित विधायन समिति'' वर्ष (2017-2018) का चतुर्थ प्रतिवेदन जो संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन विभाग से सम्बन्धित है, सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश की सत्रहवीं विधान सभा की ''प्रतिनिहित विधायन समिति'' वर्ष (2017-2018) का पंचम प्रतिवेदन†

डॉ0 जी0एस0 धर्मेश-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की ''प्रतिनिहित विधायन समिति'' वर्ष (2017-2018) का पंचम् प्रतिवेदन जो संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन विभाग से सम्बन्धित है, सदन के पटल पर रखता हूं।

प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति (2017-2018) का द्वितीय प्रतिवेदन†

श्री पंकज गुप्ता-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से 'प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा-परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति (2017-2018) का द्वितीय प्रतिवेदन जो स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग के प्रतिवेदन वर्ष (2012-2013) में उल्लिखित आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के अधीन वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित आडिट आपत्तियों पर आधारित है, सदन के पटल पर रखता हूं।

प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति (2017-2018) का तृतीय प्रतिवेदन†

श्री पंकज गुप्ता-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से 'प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा-परीक्षा प्रतिवेदनों की जॉच सम्बन्धी समिति (2017-2018) का तृतीय प्रतिवेदन जो स्थानीय निधि लेखा-परीक्षा विभाग के प्रतिवेदन वर्ष (2012-2013) में उल्लिखित नगर विकास विभाग के अधीन नगर निगम झांसी से सम्बन्धित आडिट आपत्तियों पर आधारित है, सदन के पटल पर रखता हूं।

श्री बृजेश कुमार रावत, सदस्य, विधान सभा द्वारा जनपद उन्नाव से सम्बन्धित 06 याचिकायें

श्री बृजेश कुमार रावत-

(1) मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद उन्नाव के वि0स0 क्षेत्र भगवन्तनगर के अन्तर्गत मौरांवा-बिहार मार्ग को प्राथमिकता के आधार पर बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री अरूण कुमार सिंह प्रधान निवासी ग्राम अलावलपुर, पो0 बिहार, जनपद उन्नाव द्वारा हस्ताक्षरित याचिका सदन के पटल पर रखता हूं।

†छापे नहीं गये।

(2) मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद उन्नाव के वि0स0 क्षेत्र भगवन्तनगर एवं वि0स0 क्षेत्र मोहान में जीर्ण-शीर्ण तारों के स्थान पर नए तार एवं खम्भे व अधिक क्षमता वाले ट्रांसफार्मरों को लगाये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती प्रियंका सिंह प्रधान निवासी ग्राम-परौरी, वि0ख0-बीघापुर, जनपद-उन्नाव द्वारा हस्ताक्षरित याचिका सदन के पटल पर रखता हूं।

(3) मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद उन्नाव के वि0स0 क्षेत्र भगवन्तनगर में सभी समस्याग्रस्त गांवों में आर0ओ0 टंकी लगाये जाने के लिए बजट स्वीकृत व स्थापना की कारवाई कराने के सम्बन्ध में श्री भोले सिंह ग्राम प्रधान निवासी ग्राम बैगूलाल खेड़ा, वि0ख0 बीघापुर, जनपद उन्नाव द्वारा हस्ताक्षरित याचिका सदन के पटल पर रखता हूं।

(4) मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद उन्नाव के वि0स0 क्षेत्र भगवन्तनगर में सरकारी एलोपैथिक अस्पतालों में डाक्टर एवं स्टाफ नर्सेज मेडिकल अटेन्डेन्ट्स की नियुक्ति/तैनाती कराये जाने के सम्बन्ध में श्री आनन्द अवस्थी निवासी ग्राम-अचलगंज, जनपद-उन्नाव द्वारा हस्ताक्षरित याचिका सदन के पटल पर रखता हूं।

(5) मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद उन्नाव के वि0स0 क्षेत्र भगवन्तनगर में नलकूप कनेक्शन हेतु अतिरिक्त ट्रांसफार्मरों की आपूर्ति कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रमेश चन्द्र तिवारी निवासी ग्राम व पोस्ट पाटन, विधान सभा क्षेत्र भगवन्तनगर, जनपद उन्नाव द्वारा हस्ताक्षरित याचिका सदन के पटल पर रखता हूं।

(6) मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद उन्नाव के अन्तर्गत मोहान विधान सभा क्षेत्र में हसनगंज विकास खण्ड में राजकीय इन्टर कालेज की यथाशीघ्र व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मुन्नीलाल शर्मा, निवासीगण जनपद उन्नाव द्वारा हस्ताक्षरित याचिका सदन के पटल पर रखता हूं।

श्री अमिताभ बाजपेई, सदस्य, विधान सभा द्वारा जनपद कानपुर नगर से सम्बन्धित 03 याचिकायें

श्री अमिताभ बाजपेई-

(1) मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद कानपुर नगर की शिवराजपुर नगर पंचायत में सरकारी जमीनों एवं तालाबों पर से अवैध कब्जा हटाये जाने के सम्बन्ध में श्री सौरभ मिश्रा व अन्य निवासीगण जनपद-कानपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका सदन के पटल पर रखता हूं।

(2) मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद कानपुर नगर की विधान सभा आर्यनगर क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में पेयजल परियोजनाओं के सम्पूर्ण क्रियान्वयन के सम्बन्ध में श्री अजय गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद-कानपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका सदन के पटल पर रखता हूं।

(3) मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद कानपुर नगर के फूलबाग मैदान में गांधी प्रतिमा स्थल व स्व0 श्याम लाल गुप्त पार्षद प्रतिमा के सम्बन्ध में श्री नीरज सिंह व अन्य निवासीगण जनपद-कानपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका सदन के पटल पर रखता हूं।

डॉ0 डी0 सी0 वर्मा, सदस्य, विधान सभा द्वारा जनपद बरेली से सम्बन्धित 03 याचिकायें

डॉ0 डी0सी0 वर्मा-

(1) मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बरेली की तहसील मीरगंज में ग्राम हल्दीकलां में पुलिस चौकी बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री वीरपाल पाण्डेय व अन्य ग्राम हल्दीकलां जनपद-बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका सदन के पटल पर रखता हूं।

(2) मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बरेली की तहसील मीरगंज में ग्राम दिनरा-मिर्जापुर से वाया शाही अमौडा होते हुए भोजीपुरा तक रोड का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मुकेश रस्तोगी व अन्य नगर पंचायत शाही मीरगंज जनपद-बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका सदन के पटल पर रखता हूं।

(3) मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बरेली की तहसील मीरगंज में बहगुल नदी द्वारा ग्राम-जवनेर, बहेली पहाड़पुर, रेतीपुरा, सल्था-पल्था, बंशीपुर आदि गांवों को कटान से बचाने हेतु पत्थरों की ठोकरें बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री नरायनदास लोधी व अन्य निवासीगण जनपद-बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका सदन के पटल पर रखता हूं।

श्री अजय कुमार लल्लू, सदस्य, विधान सभा द्वारा जनपद कुशीनगर से सम्बन्धित 02 याचिकायें

श्री अजय कुमार लल्लू,-

(1) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र-331, तमकुहीराज के अन्तर्गत तमकुहीराज में नगर पंचायत द्वारा आधे-अधूरे कार्य को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अजय गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

(2) मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र-331, तमकुहीराज के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में व्यापार विकास निधि योजना के अन्तर्गत मार्गो का निर्माण कार्य से सम्बन्धित शेष धन अवमुक्त कर पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मनोज पुत्र श्री हजारी लाल व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, उपस्थित करता हूं।

श्री श्याम सुन्दर शर्मा, सदस्य, विधान सभा द्वारा जनपद मुजफ्फरनगर से सम्बन्धित याचिका

श्री श्याम सुन्दर शर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद मुजफ्फरनगर में 4 मार्गों के अवशेष 36 परमिट धारकों को जनहित में बस संचालन के बारे में शासन को उपरोक्त अधिसूचना के द्वारा परमिट जारी कर निगम के साथ निजी बस संचालन को निर्दिष्ट कराने के सम्बन्ध में श्री सतीश कुमार व अन्य निवासीगण जनपद मुजफ्फरनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, उपस्थित करता हूं।

(इसी मध्य 01 बजकर 01 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

श्री विनोद कुमार कटियार, सदस्य, विधान सभा द्वारा
जनपद कानपुर देहात से सम्बन्धित 05 याचिकायें

श्री विनोद कुमार कटियार-

(1) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद कानपुर देहात के वि0स0 क्षेत्र भोगनीपुर में उरई-कानपुर रूट की तर्ज पर उरई-घाटमपुर (वाया चौरा-अकबराबाद) रूट पर बस चलाये जाने के सम्बन्ध में श्री अमित कुमार व अन्य निवासीगण जनपद-कानपुर देहात द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

(2) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद कानपुर देहात के विधान सभा क्षेत्र भोगनीपुर के पुखरायां से कल्ला-डढवापुर-शाहजहांपुर तक पक्का मार्ग बनवाने के सम्बन्ध में श्री राजुल पुत्र श्री जगरूप सिंह निवासीगण ग्राम-हैदरापुर मलासा, जनपद-कानपुर देहात द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

(3) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद कानपुर देहात के ग्राम गौर पाठक में राजकीय नलकूप (बी0जे0जी0 116) ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विमलेश पाठक व अन्य निवासीगण जनपद-कानपुर देहात द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

(4) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद कानपुर देहात के वि0स0 क्षेत्र भोगनीपुर के पुखरायां कस्बे में तालाबों को अतिक्रमण मुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में श्री आशीष शुक्ला व अन्य निवासीगण जनपद-कानपुर देहात द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

(5) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद कानपुर देहात के वि0स0 क्षेत्र भोगनीपुर के ग्राम सुजौर विकास खण्ड अमरौधा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री आनन्द कुमार व अन्य निवासीगण जनपद-कानपुर देहात द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

डॉ0 सतीश चन्द्र द्विवेदी, सदस्य, विधान सभा द्वारा
जनपद सिद्धार्थनगर से सम्बन्धित याचिका

डॉ0 सतीश चन्द्र द्विवेदी-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद सिद्धार्थनगर के अंतर्गत विकास खण्ड भनवापुर के ग्राम गागापुर में सड़क को ऊँचा करने हेतु प्रभावी कार्रवाई कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राज शुक्ला व अन्य निवासीगण जनपद-सिद्धार्थनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

श्री प्रभात कुमार वर्मा, सदस्य, विधान सभा द्वारा
जनपद गोण्डा से सम्बन्धित याचिका

श्री प्रभात कुमार वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद गोण्डा के छपिया एवं बभनजोत के विकास खण्ड के अन्तर्गत सड़कों के निर्माण हेतु प्रभावी कार्रवाई कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अजय कुमार तिवारी पुत्र श्री राजमन तिवारी व अन्य निवासीगण ग्राम जिगिरिया, पोस्ट फततेपुर, ब्लाक बभनजोत, जनपद गोण्डा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या 25 में कुछ नहीं है।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 19 दिसम्बर, 2018 की बैठक में निम्नलिखित सिफारिशें की हैं :-

1-दिनांक 21 दिसम्बर, 2018 को निधन के निर्देश अर्थात् निधन सम्बन्धी सूचनायें ली जायं।

2-दिनांक 20 दिसम्बर, 2018 को उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2018 पर विचार एवं उनके पारण सम्बन्धी मदें ले ली जायं।

तद्नुसार दिनांक 20 दिसम्बर से दिनांक 21 दिसम्बर, 2018 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नवत् रखा जाय :-

<u>दिसम्बर, 2018</u>

20 गुरुवार (1) निधन के निर्देश अर्थात् निधन की सूचनायें।

(2) वित्तीय वर्ष 2018-2019 के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों पर चर्चा, मांगों पर विचार एवं मतदान तथा तत्सम्बन्धी विनियोग विधेयक का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण।

(3) निम्नलिखित विधेयक पर विचार एवं उनका पारण :-

''उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2018''।

21 शुक्रवार (1) विधायी कार्य।

(2) असरकारी दिवस (आधा दिन)।

(3) श्री विनय शंकर तिवारी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित एवं दिनांक 22 दिसम्बर, 2017 को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा :-

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद गोरखपुर में तहसील गोला मुख्यालय पर बस स्टेशन की स्थापना करायी जाय।''

(4) श्री सुखदेव राजभर एवं श्री अजय कुमार लल्लू, सदस्यगण, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित एवं दिनांक 22 दिसम्बर, 2017 को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा :-

''यह सदन केन्द्र सरकार से सिफारिश करता है कि वर्ष 2004 के बाद से नियुक्त उ0 प्र0 के कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल किये जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही की जाय।''

(5) श्री अजय कुमार लल्लू, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित एवं दिनांक 22 दिसम्बर, 2017 को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा :-

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद कुशीनगर की बांसी नदी के तट पर स्थित गौरी घाट, गोला घाट, धोकरहा घाट तथा खैरवा घाट पर जनहित में पुलों का निर्माण शीघ्र कराया जाय।''

(6) श्री देवमणि द्विवेदी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित एवं दिनांक 31 अगस्त, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा :-

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद सुल्तानपुर का नाम बदल कर 'कुश भवनपुर' कर दिया जाय।''

(7) श्री जवाहर लाल राजपूत, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित निम्नलिखित प्रस्तावों का प्रस्तुत किया जाना एवं उन पर आधे-आधे घण्टे की चर्चा :-

(क) ''प्रदेश में खाद्यान्न एवं सब्जी उत्पादन में कीटनाशक एवं रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से जन स्वास्थ्य को हो रहे नुकसान को देखते हुए प्राकृतिक खेती किये जाने की कार्य योजना बनाई जाय।''

(ख) ''जनपद झांसी की ब्लाक मोंठ के ग्राम लोहागढ़, ब्लाक गुरसराय के ग्राम एवनी तथा ब्लाक बामौर के ग्राम ककरवई में एक-एक राजकीय इण्टर कालेज की स्थापना की जाय।''

(ग) ''जनपद झांसी के पारीछा बांध से निकलने वाली गुरसराय मुख्य नहर एवं उसके गढ़वई, भसनेह तथा एरच राजबहों में टेल तक पानी पहुंचाया जाय।''

(8) श्री अजय कुमार लल्लू, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित निम्नलिखित प्रस्तावों का प्रस्तुत किया जाना एवं उन पर आधे-आधे घण्टे की चर्चा :-

(क) ''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में तैनात आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को विनियमित करने, राज्य कर्मचारी का दर्जा दिये जाने एवं उन्हें राज्य कर्मचारियों की भांति वेतन, भत्ता बढ़ाये जाने तथा अन्य समस्त सुविधायें अविलम्ब दिये जाने की कार्यवाही शीघ्र की जाय।''

(ख) ''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में तैनात ग्राम पंचायत अधिकारी व ग्राम विकास अधिकारी का वेतन बढ़ा कर प्रदेश में कार्यरत शिक्षकों के समान/बराबर वेतन किये जाने की कार्यवाही शीघ्र की जाय।''

(ग) ''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश के ग्राम सभाओं में तैनात चौकीदारों को विनियमित करने एवं राज्य कर्मचारी का दर्जा प्रदान कर उन्हें राज्य कर्मचारियों की भांति उन्हें वेतन, भत्ता एवं अन्य समस्त सुविधायें अविलम्ब दिये जाने की कार्यवाही शीघ्र की जाय।''

(घ) ''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में पुलिस विभाग में तैनात पुलिस कार्मिकों की वेतन विसंगति दूर किये जाने की कार्यवाही शीघ्र की जाय।''

(ङ) ''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में तैनात लेखपालों का वेतन बढ़ाये जाने एवं प्रदेश में कार्यरत शिक्षकों की भांति वेतन, भत्ता प्रदान किये जाने तथा अन्य समस्त सुविधायें अविलम्ब दिये जाने की कार्यवाही शीघ्र की जाय।''

(च) ''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में तैनात आशाकर्मियों को विनियमित करने एवं राज्य कर्मचारी का दर्जा दिये जाने तथा उन्हें राज्य कर्मचारियों की भांति वेतन, भत्ता एवं अन्य समस्त सुविधायें अविलम्ब दिये जाने की कार्यवाही शीघ्र की जाय।''

(छ) ''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में तैनात रोजगार सेवकों का विनियमितीकरण करने एवं राज्य कर्मचारी का दर्जा दिये जाने तथा उन्हें राज्य कर्मचारियों की भांति वेतन, भत्ता एवं अन्य समस्त सुविधायें अविलम्ब दिये जाने की कार्यवाही शीघ्र की जाय।''

(ज) ''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में तैनात होमगार्डों का विनियमितीकरण करने एवं राज्य कर्मचारी का दर्जा प्रदान कर उन्हें राज्य कर्मचारियों की भांति वेतन, भत्ता एवं अन्य समस्त सुविधायें अविलम्ब दिये जाने की कार्यवाही शीघ्र की जाय।''

(झ) ''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद कुशीनगर की नगर पंचायत सेवरही को जिला बनाये जाने की कार्यवाही शीघ्र की जाय।''

(9) प्रिन्स वीर विक्रम सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुत किया जाना एवं उन पर आधा घण्टा की चर्चा :-

''यह सदन जनपद शाहजहांपुर के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र 131, कटरा में बस स्टैण्ड अति जर्जर होने के कारण कटरा बस स्टैण्ड का नवनिर्माण कराया जाय।''

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश से जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गयी है, से सदन सहमत है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिशों के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने आज सदन में प्रस्तुत किया है उससे यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-26 पर पूरे सदन को सूचित करना है कि श्री संजय प्रताप जायसवाल मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा श्री अर्जुन कुमार, खनन अधिकारी, बस्ती के सम्बन्ध में अधिसूचित सूचना दिनांक 10 मई, 2018 पर मैंने निर्णय लिया है और उसमें सदन की अवमानना तथा विशेषाधिकार हनन का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त न पाये जाने के कारण सूचना अग्राह्य कर दी गयी है।

श्री संजय प्रताप जायसवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा श्री अर्जुन कुमार, खनन अधिकारी, बस्ती के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री संजय प्रताप जायवसाल, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-63/64 के अन्तर्गत श्री अर्जुन कुमार, खनन अधिकारी, बस्ती के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन की सूचना दी गयी है।

माननीय सदस्य द्वारा सूचित किया गया है कि जनपद बस्ती के ईंट भट्ठा मालिकों द्वारा मा0 सदस्य को अवगत कराया गया कि खनन कार्यालय, बस्ती में खनन अधिकारी के द्वारा ई0 सी0 बनवाने के नाम पर रुपये की मांग की जा रही थी। इस प्रकरण पर उन्होंने अपने मोबाइल नम्बर से श्री अर्जुन कुमार, खनन अधिकारी, बस्ती के सी0यू0जी0 नम्बर पर कई बार आवश्यक कार्य हेतु फोन किया गया लेकिन खनन अधिकारी ने न तो उनका फोन रिसीव किया और न ही उनके द्वारा काल बैक की गयी। मा0 सदस्य द्वारा उक्त अधिकारी के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन के अन्तर्गत कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया।

प्रश्नगत प्रकरण में माननीय भू-तत्व एवं खनिकर्म मंत्री के माध्यम से श्री अर्जुन कुमार, खनन अधिकारी, बस्ती का स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया।

श्री अर्जुन कुमार, खनन अधिकारी, बस्ती द्वारा स्पष्ट किया गया है कि मा0 सदस्य से दूरभाष पर वार्ता सम्भवतः नेटवर्क/तकनीकी खराबी के कारण नहीं हो सकी होगी। मा0 सदस्य के प्रतिनिधि द्वारा दूरभाष पर अवगत कराये जाने पर वह दिनांक 31 मई, 2018 को स्वयं मा0 सदस्य के आवास पर गये एवं मा0 सदस्य से व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क किया। मा0 सदस्य द्वारा खनन सम्बन्धी जो भी कार्य मौखिक रूप से करने हेतु निर्देशित किया गया उस सम्बन्ध में समस्त कार्य नियमानुसार करने/उच्च अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु मा0 सदस्य को

आश्वासन किया गया। उक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराया गया कि ईंट भट्ठों के संचालन हेतु ईंट मिट्टी के खनन के लिए पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण-पत्र निर्गत करने हेतु प्राप्त आवेदन-पत्रों के सम्बन्ध में जिला स्तरीय विशेषज्ञ आंकन समिति की बैठक मा0 अध्यक्ष, जिला स्तरीय पर्यावरण संघात प्राधिकरण की अनुमति से दिनांक 16 अप्रैल, 2018 को की गयी। परियोजनाओं से सम्बन्धित प्रस्तुतकर्ता द्वारा डी0ई0ए0सी0 के समक्ष की गयी, प्रस्तुति के क्रम में समिति द्वारा अपनी संस्तुति जिला स्तरीय पर्यावरण संघात प्राधिकरण को उपलब्ध कराया गया जिस पर डी0ई0आई0ए0ए0 द्वारा बैठक दिनांक 18 अप्रैल, 2018 को आयोजित करते हुए नियमानुसार डी0ई0ए0सी0 द्वारा संस्तुति परियोजनाओं हेतु पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण-पत्र निर्गत करने हेतु अनुमोदित किया गया। अनुमोदन के पश्चात् दिनांक 19 अप्रैल, 2018 को ही सम्बन्धित ईंट भट्ठा स्वामियों को पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण-पत्र निर्गत कर दिया गया। इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि/विलम्ब नहीं किया गया है तथा किसी व्यक्ति से किसी प्रकार की धनराशि की मांग का आरोप सही नहीं है। मा0 सदस्य द्वारा खनन सम्बन्धी की गयी शिकायतों के क्रम में मा0 आयुक्त, फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद द्वारा जांच की जा रही है। खनन अधिकारी द्वारा मा0 सदस्य को कष्ट पहुंचाने के लिए खेद प्रकट किया गया है।

उक्त स्पष्टीकरण के सापेक्ष मा0 सदस्य द्वारा अपने अभिकथन में उक्त अधिकारी के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन की कार्रवाई की पुनः मांग की गई। मा0 सदस्य की सूचना एवं उसके सन्दर्भ में प्राप्त आरोपित अधिकारी के स्पष्टीकरण के सापेक्ष मा0 सदस्य के पक्ष का परिशीलन किया गया। जिससे परिलक्षित होता है कि मा0 सदस्य द्वारा खनन अधिकारी, बस्ती के विरुद्ध अवैध खनन एवं वसूली के सम्बन्ध में फोन पर बात न सुनने एवं केवल जिलाधिकारी की बात सुनने की शिकायत की गयी है और प्रश्नगत घटनाक्रम/प्रकरण में मा0 सदस्य के किसी विधायी कार्य अथवा सदन के किसी कार्य में अवरोध उत्पन्न नहीं हुआ। जहां तक कथित अमर्यादित व्यवहार का प्रश्न है तो उक्त अधिकारी द्वारा मा0 सदस्य से मिलकर स्थिति स्पष्ट की जा चुकी है एवं लिखित रूप से भी खेद प्रकट किया गया है। उक्त अधिकारी का स्पष्टीकरण संतोषजनक है।

प्रश्नगत प्रकरण का सम्बन्ध न तो सदन से है और न ही सदन की किसी समिति के कार्य से है। आरोपित अधिकारी द्वारा खेद प्रकट किया गया है वर्णित स्थिति में प्रश्नगत मामले में विशेषाधिकार हनन का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त नहीं है।

अतः मैं प्रश्नगत सूचना को अग्राह्य करता हूं।

श्री अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि उत्तर प्रदेश विधान सभा के प्रथम सत्र, 2018 के तृतीय मंगलवार, दिनांक 27 फरवरी, 2018 के अतारांकित प्रश्न संख्या-16 के उत्तर के सम्बन्ध में श्री शरदवीर सिंह, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा निदेश संख्या-166/167 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना दिनांक शून्य के सम्बन्ध में ग्राम्य विकास विभाग, उ0 प्र0 शासन से वस्तुस्थिति की जानकारी उपलब्ध कराये जाने हेतु बार-बार स्मरण कराये जाने के बावजूद शासन द्वारा कोई जानकारी उपलब्ध नहीं करायी गयी। इसलिए प्रश्नगत प्रकरण को मैंने जांच, अनुसंधान तथा प्रतिवेदन हेतु दिनांक 24 सितम्बर, 2018 को विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट कर दिया है।

श्री अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि उत्तर प्रदेश विधान सभा के प्रथम सत्र, 2018 के चतुर्थ मंगलवार, दिनांक 20 मार्च, 2018 के अतारांकित प्रश्न संख्या-85 के उत्तर के सम्बन्ध में दिनांक 12 अप्रैल, 2018 को निदेश संख्या-166/167 के अन्तर्गत श्री अनिल सिंह, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा अभिसूचित सूचना के सम्बन्ध में बेसिक शिक्षा विभाग, उ0 प्र0 शासन से वस्तुस्थिति की जानकारी उपलब्ध कराये जाने हेतु बार-बार स्मरण कराये जाने के बावजूद शासन द्वारा कोई जानकारी उपलब्ध नहीं करायी गयी। इसलिए प्रश्नगत प्रकरण को मैंने जांच, अनुसंधान तथा प्रतिवेदन हेतु दिनांक 22 नवम्बर, 2018 को विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट कर दिया है।

श्री अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि उत्तर प्रदेश विधान सभा के प्रथम सत्र, 2018 के पंचम मंगलवार दिनांक 27 मार्च, 2018 के अतारांकित प्रश्न संख्या-14 के उत्तर के सम्बन्ध में दिनांक 12 अप्रैल, 2018 को निदेश संख्या-166/167 के अन्तर्गत श्री हाकिम लाल बिन्द, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा अभिसूचित सूचना के सम्बन्ध में राजस्व विभाग, उ0 प्र0 शासन से वस्तुस्थिति की जानकारी उपलब्ध कराये जाने हेतु बार-बार स्मरण कराये जाने के बावजूद शासन द्वारा कोई जानकारी उपलब्ध नहीं करायी गयी। इसलिए प्रश्नगत प्रकरण को मैंने जांच, अनुसंधान तथा प्रतिवेदन हेतु दिनांक 22 नवम्बर, 2018 को विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट कर दिया है।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-27 में कुछ नहीं है।

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2018†

वित्त मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2018 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2018 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री राजेश अग्रवाल-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2018 को पुरःस्थापित करता हूं।

उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2018†

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2018 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

---

†दिनांक 20 दिसम्बर, 2018 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2018 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2018 को पुरःस्थापित करता हूं।

अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2018†

प्राविधिक शिक्षा एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री आशुतोष टण्डन 'गोपाल जी')-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2018 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2018 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री आशुतोष टण्डन 'गोपाल जी'-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2018 को पुरःस्थापित करता हूं।

आज पुरःस्थापित विधेयकों को विचारण एवं पारण हेतु आज ही लिये जाने का निर्णय

श्री अध्यक्ष-

यदि सदन सहमत हो तो जो विधेयक आज पुरःस्थापित हुए हैं वह विचारण और पारण के लिए आज ही ले लिये जाएं कार्य-स्थगन के पश्चात्।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, आज इस पर कुछ मालूम नहीं है, हमारी जो नियमावली है उसके अनुसार तीन दिन का समय मिलना चाहिए, हमें उस पर कोई अवसर नहीं मिला है।

श्री अध्यक्ष-

चूंकि हम लोग कार्य-मंत्रणा की बैठक में बैठते हैं इसलिए सदन स्थगित करना पड़ता है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, इन विधेयकों के बारे में कोई जानकारी तो है नहीं और इस पर कोई चर्चा नहीं हो पाएगी।

---

†दिनांक 20 दिसम्बर, 2018 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, चूंकि आपने यह प्रस्ताव किया है और हम इससे पूरी तरह सहमत है कि आज ही ले लिया जाए और आप यदि सदन से पास करा लेते हैं तो मैं समझता हूं कि कार्य-मंत्रणा समिति वाला समय भी बच जाएगा। मान्यवर, इस पर मतदान करा लें।

[01:12] कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, अब हम कार्य-स्थगन लेते हैं।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, आगरा में बड़ी दर्दनाक घटना हुई है।

श्री अध्यक्ष-

पहले हम अपने क्रम वाले सुन लेते हैं।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि आगरा वाला पहले ले लीजिए।

श्री अध्यक्ष-

पहले आप सब ने जो नोटिस दिया है उसे ले लेते हैं, आगरा वाले को शेष समय में देखेंगे।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, यह बहुत बड़ी घटना है इसे ले लीजिए।

श्री अध्यक्ष-

तो क्या बिना नोटिस वाले ले लें ?

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, इसका नोटिस है, नियम 56 में भी आगरा वाले की नोटिस है।

श्री अध्यक्ष-

एक मिनट बैठ जाइए, मैं नोटिस पढ़ देता हूं। हमारे पास मा0 इकबाल महमूद, मा0 नरेंद्र सिंह वर्मा, मा0 अजय जी, श्रीमती आराधना जी, मा0 मसूद अख्तर जी, श्री नरेश सैनी, सुश्री अदिति सिंह जी की है, ये किसानों को मूलभूत सुविधायें न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। दूसरी है, मा0 लालजी वर्मा, मा0 रामअचल जी, मा0 सुखदेव राजभर जी, मा0 उमाशंकर जी, मा0 आजाद अरिमर्दन जी, वंदना जी, श्री रितेश पाण्डेय जी, किसानों से धान क्रय न होने के संबंध में। ये महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं। तीसरी है, श्री मनोज पाण्डेय, श्री सोबरन सिंह जी की हैं।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, आगरा की घटना नियम 56 में है और मैंने 311 में दिया तो आपने कहा कि मैं इसे 56 में कन्वर्ट कर देंगे।

श्री अध्यक्ष-

अभी हमने कहां कहा। 311 तो हमने सुना ही नहीं। क्या जो पहले वाले हैं उन पर आप बल नहीं दे रहे हैं।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, हम इस पर भी बल दे रहे हैं, लेकिन आपको चार सुनना है। पहले, आगरा वाली ले लीजिए उसके बाद शेष ले लीजिए।

श्री अध्यक्ष-

नियम 56 में आगरा वाला नहीं है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, नियम 56 में मा0 उमाशंकर सिंह जी, श्री रितेश पाण्डेय जी की तरफ से है। मान्यवर, आप देख लें।

श्री अध्यक्ष-

मैं नियम 56 की सारी सूचनाएं पढ़ देता हूं। ये सूचनाएं हैं श्री अमिताभ बाजपेई जी की मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय एटा में रखता हूं। श्री अमनमणि त्रिपाठी जी की महाराजगंज विधान सभा क्षेत्र के वन ग्रामों में पुलिस के उत्पीड़न के संबंध में। फिर अगली है श्री दुर्गा प्रसाद यादव जी, श्री आलमबदी जी, श्री संग्राम यादव जी की, आजमगढ़ में दलित वर्ग की शिक्षिका से रेप। फिर चौथी है, श्री इकबाल महमूद, श्री शैलेन्द्र जी, श्री नरेंद्र वर्मा, श्री अजय कुमार जी, श्रीमती आराधना जी की किसानों की मूलभूत सुविधाओं के संबंध में। पांचवीं है, श्री उमाशंकर सिंह जी, श्री रितेश पाण्डेय, श्री संजय गर्ग की प्रदेश में महिलाओं के प्रति बढ़ रहे अपराध के संबंध में।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, श्री रितेश पाण्डेय जी की जो सूचना है, वह आगरा के ही संबंध में है।

श्री अध्यक्ष-

इसमें आगरा नहीं है, प्रदेश के बारे में है।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

मान्यवर, यह बहुत ही गंभीर प्रकरण है।

श्री अध्यक्ष-

गंभीर है तो हम क्या करें, ये कागज हटा दें। ये तो आपका कागज है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, आप श्री रितेश पाण्डेय की सूचना पढ़ लें, उसमें आगरा का ही उल्लेख है।

(समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर।)

श्री अध्यक्ष-

इतने लोग जब एक साथ बोलेंगे तो बात कैसे बने ? सब लोग अपने-अपने कागज पर जोर दे रहे हैं।

श्री उमाशंकर सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, नियम-56 में जो मेरी सूचना है, आप उसकी पहली लाइन पढ़ लें, वही आगरा का प्रकरण है।

श्री अध्यक्ष-

क्या इस तरह जबरदस्ती की जाती है ?

श्री उमाशंकर सिंह-

नहीं, मान्यवर।

श्री लालजी वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, आप नोटिस देख लें, वह नोटिस आगरा की घटना पर ही केन्द्रित है।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने का प्रयास करने लगे।)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग बैठ जायें।

श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल-

माननीय अध्यक्ष जी, हमारा बहुत आवश्यक सब्जेक्ट है, उसको एक मिनट सुन लीजिए। मान्यवर, हम बुन्देलखण्ड राज्य को बनाने की मांग करते हैं और बुन्देलखण्ड राज्य को बनाने के लिए घोषणाएं होती रहीं, जितनी भी सरकारें आयी हैं।

श्री अध्यक्ष-

आपने कोई नोटिस नहीं दिया है, इसलिए आपका यह भाग लिखा नहीं जायेगा।

(श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल कुछ बोलते रहे लेकिन कुछ स्पष्ट सुनायी नहीं दे रहा था।)

आप बैठिए, आपने कोई नोटिस नहीं दिया है। यह कार्यवाही का भाग नहीं बनेगा, आप बैठें, आप बैठें। आपका यह वक्तव्य लिखा नहीं जा रहा है। आप शोर मचाना चाहते हैं तो मचाइये।

श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल-

अध्यक्ष जी, मैं चाहता हूं कि बुन्देलखण्ड को राज्य बनाये जाने की घोषणा की जाए। हम लोग बुन्देलखण्ड राज्य को बनाने के लिए तत्पर हैं, इसकी घोषणा करें।

श्री अध्यक्ष-

अब आप बैठिए। आप जबरदस्ती बोल रहे हैं, मैं आपको रोक रहा हूं, यह कार्यवाही का भाग नहीं है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, यह तो सरकार के खिलाफ अविश्वास है। यह तो अविश्वास प्रस्ताव है।

(श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल लगातार बोलने का प्रयास करते रहे।)

श्री अध्यक्ष-

यह कार्यवाही का भाग नहीं है। आपकी कोई भी बात लिखी नहीं जा रही है। आपका कोई भी अंश लिखा नहीं जायेगा।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

चन्देल जी, आप बैठ जाइये, कार्यवाही को चलने दीजिए। माननीय अध्यक्ष जी, अगर चाहें तो आगे की मद ले लें।

श्री अध्यक्ष-

वर्मा जी, आगरा की जिस सूचना की बात आप कह रहे हैं, वह हमारे पास नहीं है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मेरी बात एक मिनट सुन लें, जो शंका है, उसका समाधान हो जाएगा।

श्री अध्यक्ष-

नहीं, हमारी कोई शंका नहीं है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, जो श्री रितेश पाण्डेय और उमाशंकर सिंह जी की सूचना है, वह आगरा के सम्बन्ध में ही है, उसकी पहली लाइन ही लिखी गयी है, इसलिए उसमें उसका पूरा डिटेल नहीं आ रहा है। मान्यवर, आप उस सूचना को आगे पढ़ लें।

श्री अध्यक्ष-

श्री उमाशंकर सिंह की सूचना तो आपके साथ है ?

श्री लालजी वर्मा-

नहीं, मान्यवर, एक दूसरी इनकी सूचना अलग से है, रितेश पाण्डेय जी की।

श्री अध्यक्ष-

तो कितनी सूचनाओं पर आप हस्ताक्षर करेंगे ?

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, उसमें श्री रितेश पाण्डेय और श्री उमाशंकर सिंह की सूचना है, आप देख लें, उसको इन्होंने आपको दिखाया भी है, वह आगरा के सम्बन्ध में ही है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, आपका निर्णय सर्वोपरि होगा, लेकिन आपसे आग्रह कर रहे हैं कि इसको प्राथमिकता से पहले नम्बर पर ले लें उसके बाद दूसरी ले लें।

श्री अध्यक्ष-

मेरे पास सूचना नहीं है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, संजय गर्ग की भी इस संबंध में सूचना नियम 56 में दी गई है जो आगरा के संबंध में ही है।

श्री अध्यक्ष-

हमने जो डिसीजन लिया है उस पर हमें बोलने दीजिए।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, यह बहुत ही दर्दनाक घटना है और यह इस प्रदेश के कानून से जुड़ी हुई है।

श्री अध्यक्ष-

आप तो बोलने लगे। अभी हमने आपको अनुमति कहां दी बोलने की?

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, अवसर दे दें, यह आपकी इच्छा है। आपका आदेश सर्वोपरि है।

श्री अध्यक्ष-

मूल नोटिस दूसरा है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, यह नियम 311 में मैंने दिया है।

श्री अध्यक्ष-

नियम 311 हमने निरस्त कर दिया।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, इन्होंने नियम 56 में दिया। अगर नियम 56 को ले लें तो मुझे भी बोलने का अवसर दे दें। इतना ही तो अन्तर है।

श्री अध्यक्ष-

नियम 56 तो धान के संबंध में है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, नहीं-नहीं अभी यह दिखा के आए हैं आपको।

श्री अध्यक्ष-

नियम 56 की सारी फाइलें मेरे पास हैं।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

मान्यवर, यह सदन उत्तर प्रदेश के 22 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करता है।

श्री अध्यक्ष-

अब यह नई बात आ गई यह 22 करोड़ तो हम जानते ही हैं। इसमें नई बात आप क्या बता रहे हैं ?

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

मान्यवर, अगर किसी लड़की को जिन्दा जला दिया गया है इससे गंभीर बात और क्या हो सकती है ? मान्यवर, क्या यह कानून व्यवस्था का विषय नहीं है ?

श्री अध्यक्ष-

कानून व्यवस्था क्या आपने लिखकर दिया ? कानून व्यवस्था तो कल था और कल आपने सदन चलने नहीं दिया। आपने नियम 56 में जो नोटिस दिए हैं, आपका कहना यह है कि जो इस सब को छोड़कर के पहले केवल आगरा पर बात हो।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, आप हमारी बात सुन लें। आप खड़े हो गए हैं तो मैं बैठ जाता हूं।

श्री अध्यक्ष-

हां बताइये।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, नोटिस आपके पास बहुत आती हैं, उसी नोटिस में रितेश पाण्डेय, उमाशंकर सिंह जी ने नियम 56 के अर्न्तगत दी है और ललई यादव और संजय गर्ग जी ने 56 के अर्न्तगत दी है। मान्यवर, आप चाहे तो नोटिस देख लें। रितेश पाण्डेय की नोटिस देख लें।

श्री अध्यक्ष-

इसमें आधा घण्टा लग गया। अगर मैं उसी क्रम में सुना होता तो जैसे तय किया था तो बात हो जाती।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, उसी को मैंने दूसरी नोटिस में दिया था, क्योंकि आज सुबह जब वहां के लोगों ने जानकारी दी तो वह लड़की मर चुकी थी तो इसलिए आपसे यह आग्रह है।

श्री अध्यक्ष-

आपका यह कहना है कि उमाशंकर सिंह, रितेश पाण्डेय ने महिलाओं के प्रति बढ़ रहे अपराध के बारे में नोटिस दे दिया है। यही है।

श्री लालजी वर्मा-

जी मान्यवर।

श्री अध्यक्ष-

आपका कहना है कि आगरा की घटना मुख्य है।

(सदस्य श्री अमन मणि त्रिपाठी द्वारा लगातार बोलने का प्रयास करते रहने पर।)

कृपया आप बैठ जाएं, क्या आप यह चाहते हैं कि मैं कोई ऐसा आदेश दूं जो हमारे लिए अप्रिय हो। आप यही चाहते हैं न। आप यह चाहते हैं कि मैं यहां से कोई ऐसी बात कहूं जो मेरे लिए बड़ी दुखदायी हो।

श्री अमन मणि त्रिपाठी-

मा0 अध्यक्ष जी, एक मिनट मेरी बात सुन लें।

श्री अध्यक्ष-

एक मिनट नहीं, मैं आधा मिनट भी आपको नहीं सुनूंगा। आप अपने मन से चिल्लाकर बोलते हैं, यह तरीका ठीक नहीं है। देखिए आप फिर बोलने लगे। अब मा0 उमा शंकर सिंह।

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

मा0 अध्यक्ष जी, हमारा निवेदन सुन लीजिए। नियम-56 में सबसे बड़े दल की सूचना आप पहले सुन लें। कृपा करके समाजवादी पार्टी के सदस्यों श्री संजय गर्ग, श्री मनोज पारस जी की सूचना को पहले सुन लें।

श्री अध्यक्ष-

आप बीच में क्यों आ गए, मैंने मा0 उमा शंकर सिंह को बुला लिया है। हमने उनको बुलाया है आप बैठिए। मैं कहता हूं कि आप बैठिए।

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

मान्यवर, सबसे पहले बड़े दल के सदस्यों की सूचना सुनिए। पहले बड़े दल को सुना जाता है।

श्री अध्यक्ष-

यह हम तय करेंगे न, आप बड़ा दल कैसे हैं?

(तत्पश्चात् मा0 सदस्य श्री राकेश प्रताप सिंह द्वारा बोलने का प्रयास करने पर।)

अब आप भी बोलने लगे। अब आप ही बोलिए। अगर अध्यक्षी आपको ही करनी है तो करिए।

श्री उमा शंकर सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, नियम-56 में हमने एक सूचना दी जो आगरा से सम्बन्धित है। यह माना जाता है कि जब हमारा सत्र चल रहा हो तो कम से कम उस समय प्रदेश में कहीं ऐसी अराजकता न हो। यह सदन ऐसी बातों का हमेशा संज्ञान लेता है और यह माना जाता है कि ऐसी स्थिति कहीं उत्पन्न नहीं होगी लेकिन एक दिल दहलाने वाली घटना ऐसी हुई कि दिनांक 18-12-2018 को जनपद आगरा के ग्राम ललऊ निवासी श्री हरेन्द्र सिंह जाटव की 15 वर्षीय पुत्री संजलि जो अशर्फी देवी चिद्दू सिंह इण्टर कॉलेज, नौमील मालपुरा, अकोला, आगरा में कक्षा-10 की छात्रा थी। वह दिन के लगभग 01 बजकर 15 मिनट पर स्कूल से घर के लिए लौट रही थी और देखिए कितनी बड़ी दुस्साहसपूर्ण घटना हुई कि सवा एक बजे दिन-दहाड़े उस लड़की को अराजक तत्वों ने रोक कर पेट्रोल डाल कर जला दिया। वह लड़की लगभग

80 परसेण्ट जल गई, उस लड़की को इलाज के लिए भेजा गया और आज सुबह की रिपोर्ट है कि वह लड़की मर भी गई है। मा0 अध्यक्ष जी, इस तरह की महत्वपूर्ण, ज्वलन्त और दुस्साहसपूर्ण घटना को अंजाम देने की क्षमता अभी भी अपराधी रख रहे हैं और वे अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। मा0 अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से हम सरकार से इस बात का आश्वासन चाहेंगे कि ऐसे लोगों के खिलाफ इतनी कड़ी कार्रवाई हो क्योंकि जब हमारा सदन चल रहा है उसके बाद भी कुछ मनगढ़न्त लोग ऐसी घटना कर रहे हैं तो उनके खिलाफ ऐसी कठोर कार्रवाई हो ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति ऐसा कृत्य करने के लिए कभी न सोचे और ऐसा करने से पहले ही उसकी रूह कांप जाए। यदि हम केवल उन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाल देंगे तो इसका कोई बहुत औचित्य नहीं है। हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे आगे दोबारा कभी कोई व्यक्ति इस तरह का दुस्साहस करने की हिम्मत न कर सके।

श्री संजय गर्ग-

मा0 अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपका बहुत आभारी हूं। वास्तव में यह विषय बहुत तात्कालिक है और पूरे प्रदेश की जनता का दिल बहुत बुरी तरीके से दहलाने वाला है। मान्यवर, 18 तारीख को जिस समय हम और आप यहां पर बैठे हुए थे, हाउस चल रहा था। विशेषकर मैं यह बात इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि उत्तर प्रदेश की पुलिस के शीर्षतम अधिकारी डी0जी0पी0 उस दिन वहां आगरा के सेवेन स्टार होटल अमर विलास पैलेस में थे। ऐसे मौके पर जब पूरी पुलिस एलर्ट होनी चाहिए तो दसवीं की एक छात्रा जो साइकिल से अपने घर वापस जा रही हो, दिन दहाड़े उसका अपहरण करके, उस पर पेट्रोल छिड़क करके उसे लाइटर से आग लगा दी जाए, उसकी गम्भीरता को देखते हुए उसे दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में भर्ती कराया जाए तो आज पूरा का पूरा प्रदेश इस बात से अचंभित है। अब जबकि उस छात्रा की मौत हो गई है तो ऐसे में निश्चित रूप से कानून व्यवस्था और तमाम चीजों का ढोंग पीटते हुए जिस तरह से एण्टी रोमियो स्क्वायड की बात की गई थी। मुझे समझ नहीं आया कि वह एण्टी रोमियो स्क्वायड इस समय कहां चला गया है। इसी घटना के साथ ही आगरा में उसी दिन शाम को एक दूसरी घटना एक दूसरी लड़की के साथ होती है। जहां एक बीटेक की छात्रा खन्दारी क्षेत्र के आगरा स्थित एक कम्प्यूटर सेन्टर में कोचिंग के लिए जा रही थी।

श्री अध्यक्ष-

आप नियम 56 में बोल रहे हैं तो एक सुनिश्चित विषय पर ही बोलें। यह दूसरी घटना बता रहे हैं।

श्री संजय गर्ग-

मान्यवर, यह दूसरी घटना है परन्तु आगरा से ही जुड़ी हुई है और इसमें भी एक महिला के साथ गैंगरेप हुआ है और वह अभी एस0एन0 मेडिकल कालेज में एडमिट है। मैं इसमें गंभीरता इसलिए बताना चाहता हूं क्योंकि नेता सदन भी आज यहां पर मौजूद हैं, ऐसे में उन अपराधियों को जो इस तरह का अपराध करने का हुनर अभी भी रख रहे हैं। इन तमाम चीजों के बाद जब हम इस बात के लिए पीठ थपथपाते हैं कि हमने हजारों लोंगों का इनकाउण्टर किया। जब हम इस तरह से अपनी पीठ थपथपाने का काम करते हैं कि हम

अपराधियों को ठोक देंगे उसके बावजूद कोई व्यक्ति यदि डी0जी0पी0 की मौजूदगी में इस तरह की हरकत करने का काम करता है तो निश्चित रूप से दिल दहल जाता है और लोग दहशत में आ जाते हैं। मैं माननीय अध्यक्ष जी, आपसे संरक्षण चाहता हूं कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। पहले जब माननीय अखिलेश जी की सरकार थी तो उस समय 1090 महिला हेल्पलाइन के जरिए यह कोशिश की गई थी कि महिलाओं को इस तरह से सम्मान दिलाया जाने का काम किया जा सके। इसलिए हम आपसे संरक्षण चाहते हुए हम इस बात की मांग करते हैं कि जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई का आश्वासन देने की यह सरकार बात करे।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, जो विषय अभी इस सदन के संज्ञान में आया है वह निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है लेकिन जो पहली घटना माननीय सदस्य उमा शंकर जी ने इंगित की है। उसके सम्बन्ध में मुकद्मा पंजीकृत कर दिया गया है और जब लड़की का डाइंग डिक्लेरेशन हुआ तो उसने किसी का नाम नहीं लिया उसने परिवार की ओर इशारा किया कि यह घटना परिवारिक कारणों से हुई है। पहली घटना जो उमाशंकर जी ने इंगित की थी उसके सम्बन्ध में केवल इतनी बात कहनी है कि जिन लोगों ने भी ऐसा किया है उसमें निश्चित रूप से सख्त से सख्त कार्यवाई की जाएगी उसमें किसी प्रकार की कोई कोताही, कोई लापरवाही नहीं होगी, यह निर्देश माननीय मुख्य मंत्री जी ने जैसे ही यह घटना संज्ञान में आई वैसे ही सक्षम अधिकारियों/वरिष्ठ अधिकारियों को दे दिये। दूसरी घटना जो थाना आगरा की ही माननीय संजय गर्ग जी ने बताई उसमें मुकद्मा तो पंजीकृत कर दिया गया है। इसमें दो लोगों की गिरफ्तारी हो गई। इस तरह से शासन पूरी तरीके से सचेत है और किसी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं होगी और कई बातें इन्होंने अपने भाषण में कहीं हम उसका जवाब जरूर दे दें कि यह सरकार महिलाओं के प्रति जो भी अपराध होते हैं उसके प्रति पूरी गंभीरता के साथ सचेत है। माननीय मुख्य मंत्री श्री योगी जी की जब से सरकार आई तब एण्टी रोमियो स्कवाइड का गठन किया गया था और उस अभियान के तहत 49 लाख 99 हजार लोगों की अभी तक चेकिंग की गई और 19 लाख 75 हजार लोगों को चेतावनी दी गई तथा 3173 मुकदमें पंजीकृत किये गये और 5303 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। साथ ही साथ मान्यवर, छेड़खानी को रोकने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई क्योंकि वह सामान्यतया उससे ही जुड़ा हुआ मैटर होता है। दिनांक 01-01-2018 से 30-11-2018 तक 19246 व्यक्तियों के विरूद्ध कार्रवाई की गई। इसलिए मैं विशेष रूप से इस बात पर बल देना चाहता हूं कि किसी प्रकार से किसी भी लड़की या महिला के मामले में कोई उत्पीड़न यह सरकार हरगिज-हरगिज बर्दास्त नहीं करेगी और जितनी सख्त से सख्त हो सकती है वह कार्यवाई की जाएगी। 1090 को भी पूरी तरीके से सक्रिय किया गया है और यू0पी0-100 का जो रिस्पॉन्स टाइम अभी तक वर्ष 2017 में 16 मिनट का था उसको घटाकर अब हमने 14 मिनट कर दिया है ताकि जल्दी-से-जल्दी पुलिस मौके पर पहुँच सके और उसका संज्ञान लेकर उसमें समुचित कार्रवाई की जा सके। हम आपके माध्यम से पूरे सदन को और पूरे प्रदेश को यह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि किसी भी मामले में कोई लापरवाही और कोई कोताही नहीं होगी और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त-से-सख्त कार्यवाई होगी।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है इसको अग्राह्य करते हैं और अगली सूचना माननीय श्री शैलेन्द्र यादव जी की और माननीय अजय कुमार 'लल्लू' जी की जो कि किसानों की सुविधाओं से सम्बन्धित है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, इसी के साथ मेरा विषय भी अटैच कर दें जो कि धान क्रय से सम्बन्धित है। यह भी किसानों से ही सम्बन्धित है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान किसानों की बदहाल होती जा रही स्थिति की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। प्रदेश में गन्ना किसानों को 14 दिनों के अंदर गन्ने का बकाया मूल्य देने की बात कही गयी थी। आज भी पूरे उत्तर प्रदेश में 31 अरब, 04 करोड़ गन्ना किसानों का बकाया गन्ना मूल्य बाकी है। गन्ने का उत्पादन लगभग 21.63 प्रतिशत रकबा बढ़ गया है, मिडिल हेड चली है और गन्ने के मूल्य में एक रुपये की बढ़ोत्तरी इस वर्ष नहीं की गयी है। गन्ने के मूल्य में बढ़ोत्तरी न होने के कारण किसान परेशान हैं और जो रकबा गन्ना किसानों का बढ़ा लगभग 22 प्रतिशत उसके अतिरिक्त मण्डी सप्ताह न होने के कारण किसान खानसारी क्रेशर पर, कोल्हू पर अपना गन्ना 150, 160, 170 रुपये प्रति क्विंटल बेचने को मजबूर है। इसी तरह धान के मामले में घोषणा हुई, धान क्रय केन्द्र लग गये, बैनर लग गये लेकिन सम्पूर्ण प्रदेश में जो धान की एस0एल0पी0 17 से 50 रुपये घोषित की गयी थी आज देहात की मंण्डियों में साढ़े 11 सौ, 12 सौ, 13 सौ रुपये प्रति क्विंटल धान बिक रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, खाद के दाम महंगे हो गये डी0ए0पी0 साढ़े 14 सौ पहुंच गयी एन0पी0के0 साढ़े 13 सौ पहुंच गयी। पोटाश के दाम बढ़ गये। यूरिया 5 किलो प्रति बैग में सस्ती हो गयी। पुराना आलू जो कोल्ड स्टोर में रखा हुआ था नया सत्र आने के बाद औने-पौने दामों पर किसान बेचने को मजबूर है। कहीं-कहीं पुराना आलू कोल्ड स्टोर के मालिकों ने कोल्ड स्टोर से बाहर फेंक दिया है। बाराबंकी में तो कुछ किसानों ने सड़क पर पुराना आलू न बिकने के कारण फेंक दिया है। माननीय अध्यक्ष जी, धान के बारे में जो लक्ष्य है उस लक्ष्य के सापेक्ष में धान की खरीद बहुत कम हुई है। किसान परेशान है। धान के क्रय केन्द्र धान के किसानों से न खरीदकर कुछ दलाल वहां पर पूरे प्रदेश में किसानों का शोषण कर रहे हैं और धान किसान परेशान हो रहा है।

श्री अध्यक्ष-

अब आप संक्षेप करिए।

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, अखबार में आया है और आपने भी देखा होगा कि बाराबंकी की गल्ला मण्डी में किसान जो धान सेण्टर पर लेकर गया था उसने धान के बोरों सहित अपनी ट्रॉली में आग लगा दी। अध्यक्ष जी, अगर धान महंगा होता तो कोई किसान क्यों धान की ट्रॉली में आग लगा देता? अगर उसका आलू बाजार में बिक रहा होता तो कोई किसान क्यों सड़कों

पर आलू फेंकने को मजबूर होता ? गन्ने के भुगतान का बुरा हाल है, किसान मजबूर होकर कोल्हू पर, क्रशों पर अपना गन्ना औने-पौने दामों पर बेचने को मजबूर है। खाद महंगी हो गयी है, आलू का हाल बुरा है, नहर का टेल तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है, अधिकांश राजकीय नलकूप बंद पड़े हुए हैं इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि यह विषय लोकमहत्व का है, अविलंबनीय है इसलिए इसको एप्रूव करते हुए इस पर चर्चा कराये जाने की मांग करता हूं।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश में लगभग 2 करोड़ 15 लाख 67 हजार किसान हैं। जो हमारे अन्नदाता हैं और जिनके खून-पसीने की मेहनत से प्रदेश का विकास होता है।

श्री अध्यक्ष-

आप समस्या का उल्लेख करिए।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

महोदय, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लोक संकल्प पत्र में किसानों को ब्याज मुक्त फसली ऋण देने की बात कही, आज तक इस तरह की कोई योजना नहीं लायी गयी। किसानों को दोगुना भाव देने की बात कही गयी उसका भी कहीं कोई अब तक इम्पलीमेण्ट नहीं हुआ। स्पकिंलर सेट देकर विकसित कृषि अर्जन संरक्षण के प्रयास करने का वायदा किया गया लेकिन इसकी भी कहीं कोई हकीकत बयान नहीं हुई। प्रधानमंत्री जी ने पर ड्राप मोर क्रॉप की बात कही।

श्री अध्यक्ष-

आप यहां उत्तर प्रदेश सरकार के इस.....

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

मान्यवर, पूरे देश में प्रदेश उत्तर प्रदेश भी आता है। यह योजना यहां भी संचालित है पर ड्रॉप मोर क्रॉप की ।

श्री अध्यक्ष-

संविधान देश पर डिसकस करने की अनुमति नहीं देता।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

महोदय, 2 करोड़ 15 लाख 67 हजार 603 के बीच में मात्र 29 हजार 540 किसानों को ही यह लाभ मिल पाया है। अध्यक्ष महोदय, पिछले साल आलू अत्यधिक पैदा हुआ। हालात यह हुआ कि किसानों ने सड़कों पर आलू फेंका। कोल्ड स्टोरेज से आलू सड़कों पर फेंक दिये गये। कन्नौज, फर्रूखाबाद, एटा, मैनपुरी और इटावा यहाँ के तमाम किसानों.....

श्री अध्यक्ष-

आपकी नोटिस में किसानों को सुविधायें न देने की बात है। जो सुविधायें न मिल रहीं हो वो बताओं आप तो आलू बता रहे हो।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

किसान में सब किसान आते हैं आलू भी आते हैं, मक्का भी आते हैं, धान भी आते हैं, गेहूँ भी आते हैं। किसानों पर ही तो चर्चा करने के लिए दिया गया है। पिछले साल वस्तु हस्तक्षेप योजना के अन्तर्गत 2 लाख मीट्रिक टन आलू खरीद का लक्ष्य रखा गया था और मात्र 12 से 15 प्रतिशत ही आलू खरीदा गया और किसानों के आलू का उत्पादन का जो मूल्य था वह भी सरकार द्वारा नहीं किया गया। कोल्ड स्टोरेज में आलू का किराया अत्यधिक होने के कारण किसान हताश और निराश रहे। अभी 8 दिसम्बर को सूदखोरी के नाते, बैंक से कर्ज लेने के नाते बाँदा जिले में चटचटन गाँव, निवासी-बड़ुआ, 9 दिसम्बर को गुड़सहायगंज, कोतवाली क्षेत्र के सियरमऊ गाँव के सुभाष पाल और 12 दिसम्बर को खांसीपुरवा के बृजेश यादव ने अपनी जान दे दी, अत्महत्या कर ली। यह बड़े दुःख का विषय है। धान क्रय केन्द्र की हालत यह है।

श्री अध्यक्ष-

अब हम मा0 वर्मा जी को बुला रहे हैं।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

दो मिनट बस सुन लेने दीजिए अध्यक्ष जी, अब हमें ही इतना टोकेंगे तो कैसे चलेगा।

श्री अध्यक्ष-

हम टोक नहीं रहे। हम आपका ध्यान आकर्षित करा रहें है कि समय हो गया।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

एक-एक विषय पर दो-दो मिनट तो सुन लीजिये।

श्री अध्यक्ष-

अब आपका विषय तो आ गया।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

दो दिन तो सदन है और उसमें भी अगर आप ऐसा करेंगे तो धान क्रय केन्द्र में अध्यक्ष महोदय जिन लोगों ने 50 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य रखा और मात्र 26 से 27 हजार मीट्रिक टन इन लोगों ने खरीद लिया, अध्यक्ष जी। यह है इनकी खरीद और यह है इनका किसानों के प्रति लगाव। अध्यक्ष जी, 14 दिनों में गन्ना भुगतान की बात कही और 14 दिन गन्ना भुगतान तो छोड़िये 7 महीने किसान गन्ना लेकर फैक्ट्री के आगे रोज धरना-प्रदर्शन किया, लाठी खाया, जेल गया, यहाँ तक कि मेरठ से लेकर गाजियाबाद तक आंदोलन चला, दिल्ली तक आंदोलन, पद यात्रा किया गया। कुछ ही दिन पहले मुरादाबाद में एक किसान बुदरकी थाना क्षेत्र का हसा नगला निवासी, मृतक किसान अहमद, 20 बीघा उसकी खेती थी और गन्ने का पैसा न पाने के कारण उसका.....

श्री अध्यक्ष-

आप मूल विषय से बाहर जा रहे हैं।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

हम इसी पर आ रहे हैं। अंत में आ रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

नहीं, आ रहे हैं। अब समाप्त करिये। बस हो गया।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

अध्यक्ष जी, बस मैं आपके माध्यम से 3-4 सवाल कर लूँ।

श्री अध्यक्ष-

3-4 सवाल नहीं। बस अन्तिम वाक्य बोलिये। सवाल नहीं करना है।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

जब हम पूछेंगे ही नहीं तो यह सरकार जवाब क्या देगी ?

श्री अध्यक्ष-

यह सवाल का पीरियड नहीं है।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

इस साल सरकार ने वस्तु हस्तक्षेप योजना के अन्तर्गत कितने लाख कुण्टल आलू खरीद का लक्ष्य रखा है यह बता दे।

श्री अध्यक्ष-

आपका नोटिस कार्य स्थगन पर है। अब आप बैठिये-अब आप बैठिये। मा0 लाल जी वर्मा। आप विषय पर बोले ही नहीं।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

मैं उसी पर बोल रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष-

नहीं बोल रहे हो, आप किसानों की प्राब्लम पर नहीं बोले आप घटनायें सुना रहे हैं।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

मैं आंकड़ों के साथ बोल रहा हूँ, अध्यक्ष जी। घटनाओं का उल्लेख नहीं किया जायेगा तो क्या कहा जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

आप 10 मिनट से बोल रहे हैं।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

जो सरकार किसानों की हितैषी बनती थी, उस सरकार ने किसानों के साथ धोखा किया, छलावा किया, अध्यक्ष जी हम आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहते हैं.....

श्री अध्यक्ष-

मा0 लाल जी वर्मा। बैठे-बैठे, कृपया बैठें।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

अध्यक्ष जी, इस पर चर्चा करा ली जाय।

श्री अध्यक्ष-

अब आप विषय पर आये हैं। मा0 लाल जी वर्मा।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, मैं स्पेसिफिक बोलूंगा और अपने विषय पर ही रहूंगा। प्रदेश सरकार द्वारा किसानों के धान का समर्थन मूल्य 1750 रुपये घोषित किया गया और 20 रूपया अलग से बोनस देकर 1770 रुपया निर्धारित किया गया। लेकिन पिछली बार भी इसी तरह से दाम घोषित था और किसान का कायदे से क्रय न होने के कारण और क्रय केन्द्रों का संचालन ठीक ढंग से न होने के कारण धान किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मान्यवर, अभी प्रश्न प्रहर में एक सवाल आया था जिसमें धान की कीमत की चर्चा थी, सरकार ने निर्णय लिया था कि हम 150 प्रतिशत अधिक धान का दाम देंगे और माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया था कि हमने 2450 रुपये प्रति क्विंटल की मांग की थी लेकिन 2450 तो नहीं बल्कि 1750 रुपये जो समर्थन मूल्य घोषित है, वह भी किसान को नहीं मिल पा रहा है। क्रय केन्द्र दिखावे में तो अपना बोर्ड लगाये हैं लेकिन खरीद नहीं हो रही है। कहीं-कहीं मिल मालिकों के द्वारा, कहीं राइस मिलरों के द्वारा खरीदने का काम किया जा रहा है, कहीं अगर सोसाइटियों पर खरीद हो भी रही है तो किसानों से प्रति क्विंटल 10 किलो कटौती की जा रही है। कहा जा रहा है कि परता नहीं आ रहा है आपका धान खराब है और 10 किलो काट के पैसा दिया जा रहा है। मान्यवर, मेरे ही जिले के अशरफपुर- पचाऊ में सोसाइटी है, वहॉं पर 10 किलो की कटौती की जा रही है, इसी तरह मुरादनगर में एक क्रय केन्द्र है, वहां पर प्रति क्विंटल 5 किलो कटौती करने का काम किया जा रहा है। इस तरह से आज धान किसान को 1300-1400 प्रति क्विंटल के दाम पर अपना धान बेचने को मजबूर होना पड़ रहा है। मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि आज पूरे प्रदेश के किसान को जो 2500 प्रति क्विंटल का दाम मिलना चाहिये था, वह 1750 रूपया पाने को भी मोहताज हो रहा है और उसे 1300-1400 रुपये में अपना धान बेचने पर मजबूर होना पड़ रहा है। मान्यवर, माननीय मंत्री जी और माननीय मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि किसान के लिये धान केन्द्र सब चल रहे हैं, मान्यवर, निश्चित रूप से यह आकंड़ों में चलते हैं, आप कहीं भी जायेंगे तो देखने में आज वहां खरीदने का काम होने लगे, लेकिन आप यदि आपने माननीय सदस्यों के साथ बैठक करके उनसे ही इस बात की जांच कर लें कि क्या वास्तव में धान का क्रय, क्रय केन्द्रों पर हो रहा है, सदन में तो निश्चित रूप से सब कह देंगे कि हो रहा है लेकिन अगर अलग से आप बैठक लेंगे तो आपको यह फीडबैक मिलेगा कि किसानों का धान क्रय नहीं हो रहा है । इसलिये मैं चाहूंगा कि इस विषय को कार्य-स्थगन में स्वीकार करके इस पर आप चर्चा कराने का काम करें जिससे सभी माननीय सदस्य इस पर अपनी बात रख सकें और किसानों का लाभ हो सके और

जो समर्थन मूल्य 1770 रुपये प्रति क्विंटल है, उतना कम से कम किसानों को मिल सके, ऐसा मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा, धन्यवाद ।

श्री सुखदेव राजभर-

माननीय अध्यक्ष जी, एक समस्या है जो धान क्रय केन्द्र खुले हैं वहां किसानों का पंजीकरण कराया जाता है। किसान रजिस्टर्ड होते हैं और उनको एकाउन्ट नम्बर भी दे दिया जाता है उसी में उनका पैसा जाता है और धान क्रय केन्द्र उन्हीं का धान लेता है जिनका वहाँ रजिस्ट्रेशन है या जिनके वहां एकाउन्ट्स हैं। आज पूरे प्रदेश में यह स्थिति है, मैंने तो कई जगह देखा है कि जिन किसानों का रजिस्ट्रेशन नहीं है वह भी 10-15 क्विंटल धान पैदा किये हैं और वह अपना धान बेचना चाहते हैं लेकिन क्रय केन्द्र उनका धान ले नहीं रहे हैं। इसलिये वह औने-पौने दाम पर छोटे-छोटे व्यापारियों को अपना धान दे रहा है और वह उसको 1300-1400 रूपया दे रहे हैं। जब वह व्यापारी वह धान ट्रक या ट्राली पर लादकर ले जा रहा है तो पुलिस सीधे उनकी गाड़ी का चालान किये दे रही है और धारा 3/7 में मुकदमा दर्ज किये दे रही है। मैं इस बात का पक्षधर नहीं हूं कि कोई अवैध भंडारण कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्यवाही न हो । लेकिन यह छोटा किसान कहां जाय, उसको अपना 15 क्विंटल धान बेचना है अपनी दवा के लिये, बच्चों की शादी-ब्याह के लिये और छोटे व्यापारी उसके धान को ले रहे हैं तो पुलिस, तहसीलदार, एस0डी0एम0 उनकी ट्राली, ट्रक को रोककर 3/7 का मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में अब वह व्यापारी भी उसके धान को नहीं ले रहा है, वह कह रहा है कि या तो आप हमारी गाड़ी पास कराइये, तब तो ले जायेंगे, नहीं तो हम आपका धान नहीं लेंगे। इस विषय पर माननीय मंत्री जी संज्ञान लें और अगर इस तरह का हो रहा है तो मैं यह तो नहीं कहूंगा कि इस पर छूट कर दें। लेकिन आप इन क्रय केन्द्रों पर छोटे किसानों को भी बुला लें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इस कार्य स्थगन का उत्तर माननीय राणा जी देंगे।

गन्ना विकास एवं चीनी मिलें राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री सुरेश राणा)-

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से चूंकि यह हमारे विद्वान साथियों ने सवाल उठाया है तो अभी विषय आया कि 21 प्रतिशत क्षेत्रफल गन्ने का उत्तर प्रदेश में बढ़ा है। सबसे पहले तो मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्य मंत्री, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को बधाई देता हूं कि किसान ने मजबूर होकर के, किसान ने भुगतान से त्रस्त हो करके गन्ने की खेती से मुंह मोड़ लिया था तो मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि आपके कुशल नेतृत्व में जो ऐतिहासिक काम हुआ है, उसी का परिणाम हैं कि दो साल के अंदर 21 परसेण्ट गन्ने का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश के अन्दर बढ़ा है, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं।

(सत्तापक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपाईं।)

मान्यवर, मैं आपने मित्र को यह आंकड़े याद दिलाना चाहता हूं कि 2014-15 में उत्तर प्रदेश के अंदर 74 करोड़ क्विंटल गन्ने की क्रेसिंग हुई थी और 2015-16 में वह घटकर

के हुई है 64 करोड़ क्विंटल। यदि 2014-15 में 74 करोड़ क्विंटल थी तो 2015-16 में वह 64 करोड़ क्विंटल इसलिए हुई, चूंकि गन्ना किसानों का भुगतान नहीं हो रहा था। गन्ना किसान परेशान था, तीन-तीन साल का भुगतान रूका हुआ था, वह लगातार धरना देता था, प्रदर्शन करता था, जब सरकार ने नहीं सुनी, गूंगी-बहरी सरकार ने नहीं सुनी तो गन्ना किसान ने अपना क्षेत्रफल कम करना शुरू कर दिया और गन्ने की पैदावार भी 64 करोड़ क्विंटल रह गई। मैं बधाई देना चाहता हूं, माननीय मुख्य मंत्री जी को कि हमारी सरकार आई और 2016-17 में जो गन्ने की पैदावार हुई, वह 64 करोड़ क्विंटल से बढ़कर के पहले ही साल में 82 करोड़ क्विंटल उत्पादन हुआ और जैसे ही यह साल आया, चूंकि हमारे बहुत सारे विद्वान साथी हैं, इस साल हमने 2017-18 में उत्तर प्रदेश के अंदर सारे रिकार्ड तोड़ते हुए 111 करोड़ क्विंटल गन्ने की पिराई की है।

(सत्तापक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपाईं।)

आपने भुगतान की बात की है। मैं जानता हूं, जिस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चीनी का रेट था, लगातार शंकायें बनी हुई थी, लगातार तमाम साथी कहते थे, सदन के अंदर भले ही इस बात को न कहा हो, लेकिन बाहर विपक्ष के भी मित्र मुझसे मिलते थे, जो हमारे शुभचिंतक साथी हैं, वह कहते थे कि बड़ा टफ सीजन है, गन्ना मंत्री जी क्या होगा ? अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चीनी का रेट बहुत कम है। मैं यशस्वी मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। आपने किसानों के दर्द को समझा, आपने गन्ना किसानों के भुगतान पर फोकस किया और जैसे ही हमारी सरकार योगी जी के नेतृत्व में आई, मैं बताना चाहता हूं, आपकी ही सरकार के समय का 4443 करोड़ रुपये का गन्ना किसानों का बकाया भुगतान योगी सरकार ने किया है, मैं आपको यह जानकारी देना चाहता हूं।

(सत्तापक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपाईं।)

श्री सुरेश राणा-

मैं इस आंकड़े को और विस्तार के साथ आपको बताना चाहता हूं, जहां हमने केवल भुगतान को फोकस नहीं किया, हमने गन्ने के उत्पादन पर भी फोकस किया, हमने किसान को तकनीक के साथ जोड़ा, जब हम लोगों की सरकार आई थी, उससे पहले 2015-16 में गन्ने का जो उत्पादन था, वह 68 टन प्रति हेक्टेयर था। हमारी सरकार आने के बाद पहले ही साल में चूंकि तकनीक से किसान को जोड़ा, हमने खाद समय पर उपलब्ध कराया, हमने उसकी चिंता की, हमने बिजली उसको उपलब्ध कराई तो परिणाम आया, पहले ही साल 72 टन प्रति हेक्टेयर उत्पादन हुआ, 66 से बढ़कर के और 2017-18 में उस उत्पादन को हम लोगों ने 72 टन से बढ़ा करके इस बार 80 टन प्रति हेक्टेयर कर दिया है तो उत्पादन भी बढ़ाया। आप भुगतान की चर्चा कर रहे थे तो मैं भुगतान का थोड़ा सा आंकड़ा आपको बताना चाहता हूं।

(विपक्ष के सदस्यों के बोलने का प्रयास करने पर।)

माननीय मित्रों सुनने का धैर्य रखिये। मैं आपको भुगतान का आंकड़ा बताना चाहता हूँ। 2013-14 में उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों का भुगतान हुआ था, 18,332 करोड़, 2014-15 में 18,680 करोड़ का भुगतान हुआ, 2015-16 में 17,070 करोड़ का भुगतान हुआ, आज तक का आंकड़ा दे रहा हूं और अभी जो हमारा 2017-18 है, 2016-17 में हमारी सरकार आई और 2016-17 में 24,733 करोड़ और 2017-18 में ऐतिहासिक 33,186 करोड़ रुपये का भुगतान गन्ना किसानों का हमने किया था।

(सत्तापक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपाईं।)

श्री सुरेश राणा-

मान्यवर, मैं एक बात और कहना चाहता हूं और आपके माध्यम से सभी साथियों के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि 2015-16 में गन्ने की खरीद 18,000 करोड़ की हुई, हम किसानों की आमदनी बढ़ाना चाहते हैं। जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करना चाहते हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि इस साल आपने साढ़े तैतीस हजार करोड़ रूपये का गन्ना किसानों से गन्ना खरीदा यह अपने आप में एक ऐतिहासिक आकड़ा है। अभी हमारे लल्लू जी बोल रहे थे, हमारे मित्र भी हैं, आपने अपने जनपद का गन्ने का आंकड़ा दिया है, मैं बताना चाहता हूं कि खड्डा चीनी मिल में 2015-16 में अब तक 43 करोड़ रूपये का भुगतान हुआ था, वह 2016-17 में 55 करोड़ हुआ है और 2017-18 में 80 करोड़ रूपये का भुगतान हुआ है। बस्ती में कप्तान गंज शुगर मिल में 2015-16 में 53.59 करोड़ रूपये और 2016-17 में 102.23 करोड़ रूपये और इस बार 147.02 करोड़ रूपये से अधिक का भुगतान हुआ है। हाटा शुगर मिल में 2015-16 में 160 करोड़ 2016-17 में 176.98 करोड़ और इस साल 291.80 करोड़ किया है। यह योगी सरकार है लगातार हमने किसानों के भुगतान पर फोकस किया है। एक बात आपने कही थी कि रकबे के अनुरूप पर्ची का वितरण नहीं हो रहा है। इस बात को लेकर माननीय मुख्य मंत्री जी प्रति दिन समीक्षा करते हैं लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आदरणीय योगी जी ने जो व्यवस्था की है, जिस प्रकार गन्ना माफिया उत्तर प्रदेश में उत्पीड़न करते थे गन्ना किसानों का, एक कुंटल गन्ना नहीं होता था हजारो-हजारों कुंटल की पर्चियां होती थीं, यह व्यवस्था हमने की है हमने सोसाइटियों की पर्ची की व्यवस्था की है और हमने अभियान चलाया है कि उत्तर प्रदेश में गन्ना माफियाओं को जड़ से उखाड़ कर फेंक देंगे जिससे आज किसान को न्याय मिलें आज किसान को व्यवस्था मिलें, हमारा उद्देश्य केवल एक है किस प्रकार किसान को ज्यादा से ज्यादा सुविधा दे सके। चूंकि सरकार के एजेण्डे में किसान है हम केवल इस आधार पर बात करना नहीं चाहते क्योंकि हम भाषणों के आधार पर राजनीति नहीं करना चाहते हैं हम काम के आधार पर राजनीति करना चाहते हैं, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देता हूं कि पूरे देश का 38 प्रतिशत यानी कि 120 लाख टन चीनी का उत्पादन करके आज उत्तर प्रदेश देश में नम्बर एक पर बहुत बड़ी छलांग पर है। फिर भी जो हमारे मित्रों के सुझाव आयेंगे फिर भी इस प्रदेश के किसानों की भलाई के लिए जो सदन में चर्चा होगी फिर भी जो महत्वपूर्ण सुझाव आयेंगे हम किसानों के हित में निर्णय लेने वाले हैं। आदरणीय योगी जी हमेशा खुले मन से चर्चा करते हैं, खुले मन से बात को सुनते हैं हमेशा

सदन में इतना समय देकर बैठते हैं। इसलिए जो चर्चा अच्छी आये उस पर चिन्तन करते हैं, फिर भी हम किसानों के हित में जो बेहतर होगा उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।

(मेजों की थपथपाहट।)

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, धान के मूल्य के बारे में कुछ नहीं आया।

श्री अध्यक्ष-

धान खरीद के बारे में बता दें।

खाद्य एवं रसद नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री (श्री अतुल गर्ग)-

मान्यवर, हम यह उम्मीद करते हैं कि इन लोगों से कुछ सीखेंगे पर आज बहुत लोगों द्वारा जो आंकड़े सदन के अन्दर दिये गये हैं तो मुझे समझ नहीं आता कि तू जफा करे, मैं वफा करूं, मेरी वफा भी काम न आये तो मैं क्या करूं। अभी साथियों ने बोला कि 15 प्रतिशत की भी धान की खरीद नहीं हुई है। मान्यवर, आप हमारा पोर्टल देख लें 50 लाख के सापेक्ष हमने 15 लाख टन धान परसों तक खरीद लिया है जो 30 प्रतिशत होता है। आप कह रहे हैं कि 26 हजार टन धान खरीदा गया, 26 हजार के पीछे दो बिन्दु लगाये तो 26 लाख होता है एक बिन्दु लगायें तो 2 लाख 60 हजार होता है। हमने 15 लाख टन धान आज तक खरीद लिया है। आपको यह बताना चाहता हूं कि 2016-17 इन्होंने कुल 35 लाख टन धान खरीदा और सारा धान बिचौलियों के थ्रू।

मान्यवर, हमारे मुख्य मंत्री जी ने एक साहसिक निर्णय लिया, एक ऐसा साहसिक निर्णय लिया जिसके लिए सब सशंकित थे, इन्होंने कहा कि हम सारा का सारा धान एवं गेहूं बिना बिचौलियों के खरीदेंगे और भुगतान सीधे किसान के खाते में भेजेंगे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं बहुजन समाज पार्टी के नेता को कि इन्होंने सदन के सामने स्वीकार किया कि सारा पैसा किसान के खाते में जा रहा है, अगर सारा पैसा किसान के खाते में जा रहा है तो यह उदाहरण दें कि किस बिचौलिये के खाते में पैसा गया है और अगर बिचौलियों के खाते में पैसा नहीं जा रहा है तो मेरे को शंका होती है कि कहीं यही दल तो सामने नहीं आ रहा है। यह सरकार 24 घन्टे काम करने वाली सरकार है। मुख्य मंत्री को आप कभी भी सम्पर्क कर सकते हैं, आपका मुख्य मंत्री 20 घन्टे काम करता है, हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं, आप किसी भी मन्त्री को पकड़ लो, हमें दो-चार उदाहरण तो बताओं, जिनका हमने निराकरण न किया हो। मान्यवर, आपने कहा कि छोटे किसान की खरीद होनी चाहिए, तो 100 क्विंटल तक के किसान की खरीद के लिए कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। मान्यवर, इस समय चाहे किसानों की बात हो, चाहे आर्थिक मामले हों, हर बात के अंदर तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो पायेंगे कि किसान देवता का रूप होता है, भगवान का रूप होता है। अगर इन्होंने वर्ष 2016-2017 तक भगवान को किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचाया हो या किसी भी तरीके से प्रताड़ित किया हो,

तो यह मौका है प्रायश्चित करने का, दल भावना से ऊपर उठकर धन्यवाद दें कि योगी जी किसानों के लिए हम तुम्हारे साथ हैं।

श्री अध्यक्ष-

कार्य स्थगन की यह सूचना मैं अग्राह्य करता हूं, गन्ना मन्त्री जी का वक्तव्य आ गया, दो-दो मंत्रियों ने अपना वक्तव्य दिया, सब विषय आ गये हैं।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, भाषण देना अलग बात है।

श्री अध्यक्ष-

सब विषय आ गये हैं।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर।)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, इस विषय पर काफी चर्चा हो गयी है, जवाब भी पूरा आ गया है, अगर कोई बात रह गयी हो, तो माननीय मुख्य मंत्री जी जब बजट पर बोलेंगे, तो जवाब दे दीजियेगा।

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

मा0 अध्यक्ष जी, माननीय मन्त्रीगण पहले कह रहे थे कि इस सरकार के आने पर आलू का उत्पादन बढ़ गया है।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर शोर।)

श्री अध्यक्ष-

वर्मा जी, उत्तर आ गया है। मैंने कार्य स्थगन की सूचना को अग्राह्य कर दिया है, इसके अलावा श्री मनोज कुमार पाण्डेय, श्री सोबरन सिंह यादव, श्री अम्बरीश सिंह पुष्कर एडवोकेट, श्री अमिताभ बाजपेई, श्री प्रभुनारायण सिंह यादव एवं श्री नाहिद हसन की सूचना प्रदेश में छुट्टा जानवरों द्वारा फसलों को हो रहे नुकसान से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, इस पर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री अमनमणि त्रिपाठी, श्री अमिताभ वाजपेई, श्री दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आलमबदी, श्री संग्राम यादव एवं श्री कल्पनाथ की सूचना को भी सरकार के लिए संदर्भित कर दिया है।

माननीय श्री सुखदेव राजभर, श्री शाहआलम उर्फ गुड्डू जमाली, श्री आजाद अरिमर्दन एवं श्रीमती वन्दना सिंह की सूचना को भी सरकार के लिए निर्देशित कर दिया है।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर शोर।)

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, यह सरकार किसानों के मुद्दे पर गम्भीर नहीं है, किसानों को उनके पैदावार का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है, किसान परेशान हैं, सरकार किसान की समस्याओं पर कतई गम्भीर नहीं है, इसलिए इसके विरोध में मैं और मेरा दल सदन का बर्हिगमन करता है।

(श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा समाजवादी पार्टी के सदस्यों के साथ सदन त्याग कर चले गये।)

श्री लाल जी वर्मा-

मा0 अध्यक्ष जी, यह सरकार किसानों की हितैषी नहीं है, किसान बदहाल हैं, उनको अपने पैदावार का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है, इसलिए इसके विरोध में मैं और मेरा दल सदन का बर्हिगमन करता है।

(श्री लाल जी वर्मा अपने दल के सदस्यों के साथ सदन त्याग कर चले गये।)

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

मान्यवर, यह सरकार किसानों की समस्याओं के प्रति गम्भीर नहीं है, किसान विरोधी है, किसानों के धान की खरीद नहीं हो रही है और सरकार इसके प्रति गम्भीर नहीं है, इसलिए मैं और मेरा दल इसके विरोध में सदन का बर्हिगमन करता है।

(श्री अजय कुमार 'लल्लू' अपने दल के सदस्यों के साथ सदन त्याग कर चले गये।)

[02:02] वित्तीय वर्ष 2018-2019 के द्वितीय अनुपूरक मांगों पर साधारण चर्चा

मुख्य मंत्री (श्री योगी आदित्यनाथ)-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से वर्ष 2018-19 के द्वितीय अनुपूरक मॉगों पर चर्चा करने के लिए सदन में खड़ा हुआ हूं। हमारी सरकार ने इस सदन में वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए 4 लाख 28 हजार 3 सौ 84.52 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तुत किया था और अगस्त 2018 में 34 हजार 8 सौ 37.24 करोड़ रुपये का प्रथम अनुपूरक अनुदान भी इस माननीय सदन से पारित कराया था। हमारे वित्त मंत्री जी ने अभी 8054.49 करोड़ रुपये की द्वितीय अनुपूरक मॉगे इस आदरणीय सदन में प्रस्तुत किये हैं। जिस दक्षता के साथ सरकार के सभी मंत्रालयों ने कार्य करके प्रदेश के अन्दर आमजन से जुड़ी हुई योजनाओं को और प्रदेश के इन्फ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए जिस त्वरित गति से कार्य किया है वह अपने-आप में एक उदाहरण है। इसलिए आज मैं इस सदन में, इस बात को ले करके खड़ा हूं कि इस पर माननीय सदन चर्चा करके इसको पारित करने में अपना सहयोग करें। महोदय, हमारी सरकार को प्रदेश में 23 करोड़ जनता की सेवा करते हुए पौने दो वर्ष पूरे हुये हैं और इस पौने दो वर्ष के अंदर हम लोगों ने विकास की योजनाओं का फोकस बिना भेद-भाव के समाज के उस तबके तक पहुँचाने का प्रयास किया है जिन्हें वर्षों से इन योजनाओं से वंचित किया गया था। इस अनुपूरक मॉगों में भी हमने किसी व्यक्ति, किसी जाति, किसी क्षेत्र, किसी मत और मजहब को केन्द्रित करके नहीं बल्कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की भावनाओं के अनुरूप, जो उन्होंने इस बारे में कहा था कि सरकारें गॉव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलायें और समाज के प्रत्येक तबके के हितों के लिए कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। उत्तर प्रदेश की हमारी सरकार ने भी इन्हीं भावनाओं को ध्यान में रख करके कार्य किया। स्वभाविक रूप से जब इस पर कार्य किया तो उसके परिणाम भी देश के सामने, सबके सामने आयेंगे और बेहतर परिणाम भी सबके सामने आये हैं। अलग-अलग क्षेत्र में, पूरे देश के अन्दर हर जगह एक ही प्रश्न उठता था कि केन्द्र सरकार की फ्लैक्सी स्कीम में अगर उत्तर प्रदेश सफल होगा तो ही देश सफल हो पायेगा, उत्तर प्रदेश में अगर यह योजना फेल हुई तो देश का मिशन भी फेल हो जायेगा। एक चैलेंज था।

महोदय, हमने इस अनुपूरक मॉग में स्वच्छ भारत मिशन के लिए धनराशि की व्यवस्था की है। स्वच्छ भारत मिशन हमारे लिए केवल स्वस्थ भारत मिशन का ही आधार नहीं, आम नागरिक स्वस्थ हो यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है ही लेकिन साथ ही साथ नारी गरिमा का सम्मान भी हो, इस बात को ध्यान में रख करके हर परिवार के पास अपना व्यक्तिगत शौचालय हो, इस दिशा में एक लम्बी छलांग उत्तर प्रदेश ने लगायी है। स्वच्छ भारत मिशन जब प्रारम्भ हुआ था तो उत्तर प्रदेश का जो कवरेज था वह केवल 23 परसेण्ट था, नेशनल एवरेज 44 परसेंट था। हर व्यक्ति कहता था कि स्वच्छ भारत मिशन सफल नहीं हो पायेगा। मैं अपने सभी मंत्रि-मण्डल के सहयोगियों को, अपने सभी माननीय विधायकों को, जनप्रतिनिधियों को हृदय से धन्यवाद दूँगा कि हम लोगों ने इस देश के अंदर ही नहीं दुनिया के अन्दर सबसे अच्छी छलांग लगाई। आज नेशनल कवरेज 96 परसेन्ट है उत्तर प्रदेश अपना बेस लाइन सर्वे के अनुसार 100 परसेन्ट कवरेज अपने को कर चुका है।(मेजों की थपथपाहट) दुनिया के अन्दर सबसे अच्छी छलॉग 2 करोड़ 49 लाख परिवारों को एक एक शौंचालय देने का कार्य हमारी सरकार ने प्रदेश के अंदर किया है। और यही नहीं बेस लाइन सर्वे के बाहर छूटे हुए 44 लाख परिवारों को भी कवर करने की योजना हमने बना ली है और हम उनको भी शौचालय उपलब्ध कराने जा रहे हैं। मैंने स्वंय उन गॉवों में जाकर देखा है मुसहर बस्ती में जा करके, वनटॉगिया गॉवों में जा करके, थारू जनजाति के गॉवों में जा करके, कोल जाति से जुड़े हुए गॉवों में जा करके, समाज के उन वंचित तबकों के बीच मे जा करके स्वंय मैंने देखा है कि उनके घर में आज एक एक शौचालय बना है। जिसमें न केवल स्वस्थ भारत मिशन की भावना निहित है अपितु नारी गरिमा की भावना भी निहित है। यह वास्तव में उत्तर प्रदेश में एक सामयिक प्रयास है। शहरी क्षेत्र में भी और ग्रामीण क्षेत्र में भी जो सफलता प्राप्त की गई यह अनुपम है। मैं उस ऑकड़ें में नहीं जाना चाहता कि पिछली सरकारों ने क्या किया लेकिन उत्तर प्रदेश का परसेप्शन बदलने के लिये यह आवश्यक था। जब मैं इन्टरनेशनल सेमिनार में दिल्ली में गया दुनिया के कई देशों के लोग आये थे और सबके द्वारा एक ही बात कही जाती थी कि उत्तर प्रदेश ने जो यह उपलब्धियॉ हासिल की हैं यह दुनिया के लिये और खास तौर पर पहले तो अफ्रीकन देशों के लिये नहीं तो दुनिया के तमाम उन देशों के लिये जो आज भी इसमें बहुत पीछे हैं। यह अपने आप में एक उपलब्धि है उत्तर प्रदेश के बारे में। क्योंकि उससे पहले यह धारणा थी कि उत्तर प्रदेश नहीं अचीव कर पायेगा लेकिन आज उत्तर प्रदेश ने इसको अचीव किया है और यह इसलिये संभव हो पाया क्योंकि टीम भावना के साथ एक कार्य आगे बढ़ाया गया।

प्रधानमंत्री आवास योजना, उत्तर प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना में 2015-2016, 2016-2017 में कोई आवास नहीं बन पाया। प्रदेश में क्या कोई गरीब नहीं था कि हम उसको चयन कर सकते। एक अच्छी राशि प्रधानमंत्री जी ने उसके लिये घोषित की थी एक लाख बीस हजार रुपये। मनरेगा के अन्तर्गत 15,900 रुपये उसको अतिरिक्त देना था। एक टॉयलेट भी उसे उपलब्ध कराना था। 12 हजार रुपये भी उस गरीब को मिलता लेकिन ध्यान नहीं दिया गया। हमारी सरकार ने अब तक प्रदेश के अंदर ग्रामीण क्षेत्र में 8 लाख 81 हजार प्रधानमंत्री आवास योजना बना करके तैयार कर दिये हैं और कुछ ही महीने के अंदर एक लाख अतिरिक्त आवास बनाकर हम तैयार कर लेंगें। यह 9 लाख 81 हजार आवास

ग्रामीण क्षेत्र में गरीबों के बने हैं, दलितों के बने हैं, वंचितों के बने हैं, उन लोगों के बने हैं जो वास्तव में पात्रता रखता था। बिना भेदभाव के शासन की योजनाएं कैसे समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुँचानी चाहिए। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में 2015-2016 जीरो, 2016-2017 जीरो। आज विगत पौने दो वर्ष के दौरान सवा सात लाख से अधिक आवास शहरी क्षेत्र में स्वीकृत हुए जिसमें से एक लाख आवास पूरी तरीके से समर्पित उन गरीबों को उपलब्ध कराये जा चुके हैं। यह एक लम्बी छलॉग है पूरे देश के अंदर। सौभाग्य योजना के अन्तर्गत हर गरीब को विद्युत के कनेक्शन उपलब्ध हों। अध्यक्ष जी मैं गोरखपुर से पॉच बार सांसद भी रहा और मैं इस बात को मानता था कि एक सांसद को एक गॉव में विद्युतीकरण कराने के लिये, देश के अंदर संसदीय क्षेत्रों में विद्युतीकरण के लिये सांसद निधि का पैसा जाय। मैं पहला सांसद था जिसने विद्युतीकरण के लिये अपनी सांसद निधि की धनराशि देना प्रारम्भ की थी। अब आज पंडित दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना और सौभाग्य योजना के अन्तर्गत हर गॉव और मजरे तक विद्युतीकरण का कार्य सरकार स्वंय इस कार्य को प्रोत्साहित करके विद्युतीकरण के इस कार्य को प्राप्त करना चाहती है और विगत पौने दो वर्ष के अन्दर, अकेले उत्तर प्रदेश के अन्दर हम लोगों ने एक लाख 12 हजार मजरों तक विद्युतीकरण का कार्य पूरा किया और लगभग हम लोगों ने 92 लाख से अधिक परिवारों को सौभाग्य योजना के अन्तर्गत निःशुल्क विद्युत कनेक्शन भी उपलब्ध कराये हैं। यह कार्य केन्द्र की एक फ्लेक्सिव स्कीम थी जिसके अन्तर्गत हमेशा प्रश्न खड़े होते थे कि उत्तर प्रदेश की जो कार्य पद्धति है, उसमें क्या यह हो पाएगा? उत्तर प्रदेश के अन्दर इतने ज्यादा लोग वंचित हैं इन योजनाओं से, क्या यह कार्य वहां पर हो पाएंगे? इन सब योजनाओं के बारे में हमेशा प्रश्न खड़े होते थे, क्या इसमें कोई सफलता प्राप्त हो पाएगी? मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के अन्दर इन योजनाओं ने सबसे अच्छा काम किया है। हमने विद्युत वितरण की जो दुर्व्यवस्था थी उसको भी दूर किया। हमने जहां सब स्टेशन लगने थे वहां सब स्टेशन भी लगाए। जहां पर फीडर की स्ट्रेन्थिनिंग की आवश्यकता थी वह भी कार्य किया। ट्रांसफार्मर की क्षमता जहां बढ़ानी थी वह भी कार्य युद्ध स्तर पर किए और कार्य चल रहे हैं यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और साथ ही साथ प्रदेश में निवेश के लिए अनुकूल माहौल बने, जब इसकी चर्चा होती थी तो दो-तीन मुद्दे अक्सर उठते थे कहीं भी, क्या उत्तर प्रदेश में सुरक्षा मिल पाएगी ? क्या उत्तर प्रदेश में शान्ति से हम अपना निवेश कर पाएंगे? क्या प्रदेश के अन्दर लालफीता शाही और नौकरशाही के मकड़जाल से, क्या निवेश के अनुकूल माहौल बनाने में हमें मदद मिल पाएगी? क्या प्रदेश के अन्दर हमें विद्युत मिल पाएगी ? आज देश के अन्दर अगर दुनिया के अन्दर भारत निवेश का सबसे अच्छा डेस्टिनेशन बना है तो देश के अन्दर उत्तर प्रदेश सबसे अच्छा केन्द्र के रूप में निवेश का जरिया बना है।

(मेजें थपथपाई गईं।)

क्योंकि यहां पर एक साफ सुथरी पारदर्शी व्यवस्था देने,सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था करने और विद्युत की निरंतर आपूर्ति उद्योगों को प्रदान करने की जो प्रतिबद्धता, न केवल उद्योगों को अपितु आम नागरिकों को भी, अगर फसल का उत्पादन बढ़ा है उस पर विद्युत की नियमित आपूर्ति भी एक कारण है। अगर किसान के जीवन में खुशहाली इसके माध्यम से लाने का कार्य

किया है तो यह भी उसके पीछे का एक कारण है। क्योंकि जब किसान अपना पम्पिंग सेट चलाता था, डीजल खर्च करता था, 25/-रुपये प्रति यूनिट उसे डीजल पड़ता था । आज उसे बिजली एक रुपये या 80/- पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली दे रहे है। उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जो ग्रामीण क्षेत्र में भी 18 घंटे की विद्युत आपूर्ति किसानों को कर रहा है।

(मेजें थपथापाई गईं।)

यह उत्तर प्रदेश के लिए अपने आप में उपलब्धियॉ हैं। आज आप जाइए उत्तर प्रदेश के अन्दर, पहले हमारी पहचान बनती थी जहां से अंधेरा शुरू हो उत्तर प्रदेश दिखता था, लोग कहते थे उत्तर प्रदेश आ गया। जहां से सड़कों पर गड्ढे शुरू हों वहां से लोग मान लेते थे कि उत्तर प्रदेश शुरू हो गया होगा। आज प्रदेश के अन्दर युद्ध स्तर पर बन रहे राजमार्ग, प्रदेश के अन्दर स्टेट हाइ-वे प्रदेश के अन्दर ग्रामीण क्षेत्रों में जो कार्य किए गए और प्रदेश के अन्दर जो विद्युत वितरण की व्यवस्था की गई, आज सड़कें जहां कोई विवाद होगा उसको छोड़ करके शेष सड़कों को हम लोगों ने चलने लायक बनाया है। जहां पर उत्तर प्रदेश के अन्दर बिना भेद-भाव के, हमने यह नहीं कहा कि फलां नेता का जनपद है फलॉने से जुड़े लोग हैं, हमने प्रदेश के अन्दर हर जगह, प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 24 घंटे बिजली मिलेगी तो इटावा और मैनपुरी के जिला मुख्यालयों को भी 24 घंटे विद्युत की आपूर्ति होगी कोई भेद-भाव इसमें नहीं किया। लोक तंत्र में जाति, मत, मजहब क्षेत्र और भाषा के आधार पर भेद-भाव, यह लोकतंत्र के साथ सबसे बड़ा विश्वासघात है और यह विश्वासघात प्रदेश के अन्दर विगत कई वर्षों से, कई दशकों से लगातार किया जा रहा था, उस विश्वासघात से उबारने का कार्य प्रदेश की, हमारी भारतीय जनता पार्टी ने इस एन0डी0ए0 की सरकार ने प्रदेश के अन्दर ऐसा माहौल बनाया आज उसके परिणाम सबके सामने हैं। अभी मैं चर्चा सुन रहा था किसानों के बारे में । मुझे बहुत अच्छा लगा कि विपक्ष में ही सही, लेकिन हमारे विपक्ष के मित्र किसानों को याद तो कर रहे हैं। प्रदेश में प्रक्योरमेंट की पॉलिसी क्या होनी है यह हमारी सरकार ने तय किया। माननीय अध्यक्ष जी, हमारी सरकार उसको लेकर आयी है। विगत वर्ष भी और इस वर्ष भी हमने गेहूं का क्रय सीधे किसानों से किया है। हमने धान भी किसानों से विगत वर्ष भी सीधे क्रय किया था और इस वर्ष भी सीधे किसानों से क्रय किया जा रहा है। हमने गन्ना मूल्य का वर्षों से लंबित भुगतान विगत वर्ष भी दिया है और इस वर्ष भी दिया है। अगर केवल मैं अकेले गन्ने पर ही आऊं तो उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने अब तक लगभग 44 हजार करोड़ रुपये इस वर्ष गन्ना मूल्य का भुगतान कराया है और देश के बहुत सारे राज्य हैं, जिनका बजट ही 44 हजार करोड़ है। अकेले गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान प्रदेश सरकार करा रही है। धान क्रय का इस वर्ष जब मा0 वर्मा जी कह रहे थे, मैं देखकर ताज्जुब कर रहा था, उनके द्वारा कहा जा रहा था कि बिचौलिये इसमें बीच में आ गये हैं, हम लोगों ने तो किसानों का रजिस्ट्रेशन कराया है, पैसा आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से किसानों के खाते में जा रहा है। अब तक लगभग 2100 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि किसानों के खातों में जा चुकी है।

15 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद सीधे किसानों से की जा चुकी है। हाइब्रिड धान में रिकवरी के प्रतिशत को 67 प्रतिशत से घटाकर के 64 प्रतिशत भी हमारी सरकार ने किया है, क्योंकि बहुत सारी जगह इसकी मांग हो रही थी। हमने वित्त मंत्री जी की

अध्यक्षता में कमेटी गठित करके कहा कि इसमें अविलम्ब निर्णय लिया जाना चाहिए। जिलाधिकारियों को इस बात के लिए अधिकार दिये गये कि वह तय करें कि कोई लघु और सीमांत किसान है, 100 कुंतल से अधिक उसके पास धान है और वह सचमुच किसान है, धान की उत्पादन क्षमता बढ़ी धान खेत में नया बीज आने के कारण ज्यादा उत्पादन हो रहा है। अगर 100 कुंतल से अधिक है जिलाधिकारी इसकी जांच करके इसकी छूट भी किसानों को दें। पूरे प्रदेश में 3 हजार धान के क्रय केन्द्र हम लोगों के द्वारा स्थापित किये गये हैं। वह अनवरत रूप से चल रहे हैं, किसानों को वहां सुविधायें दी जा रही हैं। हर प्रकार की सुविधायें देने के बावजूद मुझे लगता है कि हम लोगों को स्वयं भी उन क्रय केन्द्रों का निरीक्षण करना चाहिए, मैं तो सभी मा0 जनप्रतिनिधियों को बार-बार आमंत्रित भी करता हूं, क्योंकि आम जनता में यदि जागरूकता होगी तो कहीं पर अगर कोई लीकेजेज है तो उस लिकेजेज को हम उसी स्तर पर रोक सकते हैं, उस पर प्रभावी भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं और मैं मा0 जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित भी करता हूं। बहुत सारे जनप्रतिनिधि, हमारे मा0 मंत्रीगण उन केन्द्रों का निरीक्षण करने, जहां कोई कमी दिखती है, वहां पर उस प्रकार का कदम उठाने के लिए भी कार्य करते हैं, लेकिन इस दिशा में एक साथ सामयिक प्रयास हो तो मुझे लगता है कि कहीं भी कोई शिकायत की गुंजाइश नहीं हो सकती है। अनुपूरक बजट में गन्ना किसानों के लिए ही हम लोगों ने प्रदेश के अन्दर जहां अनुदान की व्यवस्था की थी, वहीं साथ ही साथ सॉफ्ट लोन की, 5 हजार, 500 करोड़ रुपये की अनुदान और सॉफ्ट लोन की व्यवस्था की थी और उत्तर प्रदेश पहला राज्य है, अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में चीनी के दाम कम होने के बावजूद हम लोगों ने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है और प्रदेश के अन्दर किसानों को राहत देने का कार्य किया है। उत्तर प्रदेश का किसान जानता है कि कौन उसका सही हितैषी है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हो, ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से 'पर ड्रॉप मोर क्रॉप' की भावना को जमीनी धरातल पर उतारने का हो, यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही किया है और इसको युद्ध स्तर पर जहां हम लोग लागू कर रहे हैं, बाण सागर परियोजना कब की थी, 1973 में योजना आयोग ने बाण सागर की परियोजना को अपनी अंतिम सहमति दी थी। 1978 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मोरार जी देसाई जी ने इसका फाउंडेशन रखा था और तब से लंबित थी, किसी को फुरसत नहीं थी, उसके बाद 10 वर्षों तक प्रदेश में कांग्रेस का शासन था, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी की कई बार सरकारें आयीं, लेकिन कभी भी इनको फुरसत नहीं थी कि यह बाण सागर परियोजना पर ध्यान दे सकें। कभी इन लोगों को फुरसत नहीं थी कि यह लोग सरयू राष्ट्रीय परियोजना पर ध्यान दें, मध्य गंगा पर ध्यान दें या बुन्देलखण्ड में जो विभिन्न प्रकार की योजनायें चल रही हैं, उन सिंचाई की परियोजना पर ध्यान दे करके एक बार में इन योजनाओं को लेकर के राष्ट्र के हित में, किसानों के हित में इन योजनाओं को पूरा करें। मैंने स्वयं इन कार्यों की समीक्षा की और समीक्षा करने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा था कि अगर हम एक बार में इन योजनाओं को पैसा देते हैं सारा कार्य टाइम बाउंड कराते हैं तो इसका लाभ किसानों को मिल जाएगा हमने इन सभी योजनाओं को एक साथ लिया है चाहे वह बाण सागर परियोजना की बात हो जिसको प्रधानमंत्री जी ने 15 जुलाई को राष्ट्र को समर्पित किया है डेढ़ लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई की सुविधा प्राप्त हो रही है और एक लाख सत्तर हजार किसान इससे सीधे सीधे

लाभान्वित होने जा रहा है। सरयू नहर परियोजना सात जनपद इससे सीधे सीधे लाभान्वित होंगे और 14 लाख हेक्टेयर खेती इससे सिंचाई की सुविधा प्राप्त करेगी।

ऐसे ही मध्य गंगा परियोजना तीन जनपद इससे सीधे सीधे लाभान्वित होने जा रहे हैं और हमने सबके लिए धनराशि की व्यवस्था की है। हम लोग आगामी 2019 के अन्त तक प्रदेश के अन्दर 20 लाख हेक्टेएयर से अधिक भूमि को सिंचन की सुविधा के लिए जल उपलब्ध कराने सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में पूरे युद्ध स्तर पर कार्य कर रहे हैं, ड्रिप एरीगेशन के मामले में भी हमारी सरकार ने ही किसानों को सब्सिडी देना प्रारम्भ किया है। प्रयागराज में 2019 में कुंभ है, जनवरी से कुंभ का आयोजन होगा लेकिन इस कुम्भ के पहले भी अनेक प्रकार के कुंभ हुए उसमें से एक कुंभ यहीं लखनऊ में गन्ना संस्थान में कृषि कुंभ का हुआ किसानों को जागरूक करना यह लोग हर मुद्दे को तिल को ताड़ बनाना तो जानते हैं, लेकिन वास्तव में किसानों का हित हो इस पर कभी ध्यान देने का कोई ईमानदारी से प्रयास हमारे विपक्ष के मित्रों के पास कभी नहीं रहा करना भी नहीं चाहते सोच ही नहीं है वे कटे छंटे सड़े हुए आलू को राजभवन के सामने और विधान भवन के सामने तो फेंक सकते हैं क्योंकि षडयंत्र की मानसिकता अभी भी नहीं गई है आदत बहुत जल्दी सुधरती नहीं है। उस आदत को सुधारने में मुझे लगता है कि समय लगता है कई जन्म लेने होते हैं और मुझे लगता है कि वह सुधरेगी भी नहीं सुधरना भी नहीं है। इसलिए वे कटे छंटे आलू काटकर सड़े हुए आलू कोल्ड स्टोरेज से लाकर यह भी नहीं जानते कि यह जहां से उठा रहे हैं वहॉ भी सी0सी0कैमरे होंगे कैमरे की नजर से कोई बच थोड़े सकता है। वे सब कैमरे में कैद हो रहे हैं वहॉ से आ रहे हैं रास्ते में दिखाई दे रहे हैं यहां आकर चोरी-चोरी रात्रि में कुछ चुपचाप विधान भवन के सामने, कुछ राजभवन के सामने सड़े हुए आलू डालकर दिखाने का प्रयास होता है । आलू किसानों के लिए समर्थन मूल्य की घोषणा पहली बार हमारी सरकार ने की है और किसानों को राहत देने का कार्य भी किया है। मक्के का समर्थन मूल्य हमारी सरकार ने किया है। आजादी के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने एम0एस0पी0घोषित करके वर्षों से जो मांग आ रही थी अभी वर्मा जी कह रहे थे कि मांग इतनी की गई थी मिला इतना एम0एस0पी0 घोषित करते समय भारत सरकार ने स्पष्ट कहा कि हम किसानों को लागत का डेढ़ गुना दाम देंगे। एक किसान को हम डेढ़ गुना से अधिक दाम दे रहे हैं। एक किसान जब धान की अपनी उपज लेता है उसकी जो लागत आती है, लगभग एक हजार रुपए प्रति कुंतल आती है और हम लोग उसे 1750 रुपए सरकार का न्यूनतम समर्थन मूल्य दे रहे हैं और 20 रुपए बोनस का अतिरिक्त उसे देने का कार्य कर रहे हैं। हमने जो कहा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसे किया है। यह किसानों को पहली बार मिल रहा है अकेले धान के किसानों को 200 रुपए प्रति कुंतल न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि हुई है 20 रुपए का हमने उन्हें अतिरिक्त बोनस भी दिया है। ऐसे ही गेहूं के किसानों को हम लोगों ने इसी प्रकार की सुविधा दी। हमारा प्रयास है कि आने वाले समय में प्रदेश के अन्दर न्यूनतम समर्थन मूल्य में आच्छादित होने वाली हर फसल का दाम प्रदेश के किसानों को प्राप्त हो। लेकिन साथ ही साथ किसानों को अच्छी तकनीकी जानकारी भी मिले भारत सरकार 2014 से कह रही थी कि हर जनपद में एक कृषि विज्ञान केन्द्र होना चाहिए पिछली सरकार को फुर्सत ही नहीं थी क्योंकि

भारत सरकार सीधे पैसा देती बीच के बिचौलिए गायब हो जाते इसलिए जो पहले से मौजूद कृषि विज्ञान केन्द्र थे उन्हीं को संचालित नहीं होने दिया। कहीं कोई कर्मचारी अटैच कर दिया, कहीं कोई कृषि वैज्ञानिक अटैच कर दिया 20 कृषि विज्ञान केन्द्र हमारी सरकार के आने के बाद प्रदेश के अन्दर नए खुलने जा रहे हैं या खुले हैं उसके लिए प्रदेश सरकार ने भूमि उपलब्ध कराई है। कृषि विज्ञान केन्द्र किसानों की आय को दुगुना करने के साथ साथ किसानों के जीवन में आमूल चूल परिवर्तन करने में बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ फसलों का विविधीकरण भी हो, इस दिशा में भी किसानों को जागरूक करने, उन्हें उन्नत करने, उन्हें उन्नत तकनीक, उन्नत बीज उपलब्ध कराने की दिशा में भी परम्परागत खेती के अलावा हार्टीकल्चर में भी चाहे वह वेजिटेबल्स के उत्पादन में जाए, वह फिशरीज में जाए, वह डेयरी में जाए, वह अलग-अलग क्षेत्रों को चुने, इस उद्देश्य से भी कृषि विज्ञान केन्द्रों की बड़ी भूमिका हो सकती है और कृषि विज्ञान केन्द्रों को कृषि विश्वविद्यालयों से जोड़ते हुए प्रदेश के चारों कोनों में स्थित चार कृषि विश्वविद्यालयों को भी उसके प्रति जवाबदेह बनाने का कार्य भी पहली बार उत्तर प्रदेश के अन्दर हुआ और यही नहीं, प्रदेश के अन्दर धान उत्पादन करने वाले किसानों की संख्या पूर्वी उत्तर प्रदेश में ज्यादा है और फिलीपींस की मदद से सेन्टर आफ एक्सिलेंस की स्थापना वाराणसी में हो चुकी है और वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुनिया में सर्वाधिक धान की किस्में फिलीपींस ने अपने यहां विकसित की हैं तो उत्तर प्रदेश के अन्दर भी यहां का किसान उससे लाभान्वित हो सकेगा।

अलग-अलग सेन्टर आफ एक्सिलेंस जैसे इजरायल की मदद से वेजिटेबल के लिये सेन्टर आफ एक्सिलेंस के लिये हम लोगों ने कन्नौज और बस्ती के अन्दर हार्टीकल्चर आफ बेजिटेबल और हार्टीकल्चर के लिये जहां इजरायल के साथ एक एम0ओ0यू0 हुआ और वह एम0ओ0यू0 लागू भी हो चुका है वहीं पर साथ ही साथ फिलीपींस के साथ मिलकर एक सेन्टर आफ एक्सिलेंस वहॉं पर स्थापित करने का कार्य किया है और बड़ी मात्रा में इससे किसानों को लाभ प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार से प्रदेश के अन्दर अन्य कार्यों में भी चाहे वह प्रधानमंत्री सड़क योजना हो, चाहे वह नदियों की बाढ़ हो, इस संबंध में सिंचाई विभाग और बाढ़ नियंत्रण विभाग द्वारा काफी कार्य हुए हैं। इस वर्ष विगत वर्ष की तुलना में ज्यादा बारिश हुई, लेकिन इस वर्ष जो बाढ़ प्रबन्धन के उपाय पहले से किये गये थे उसके बेहतर परिणाम आए। कम पैसा खर्च करके बाढ़ नियंत्रण का कैसे उचित प्रबन्धन किया जा सकता है यह भी प्रदेश के अन्दर किया गया। हमने घाघरा और सरयू जी में जहां पर एल्गिन ब्रिज के पास अक्सर गोण्डा और बाराबंकी दोनों जनपदों में भीषण रूप से जन और धन की हानि होती थी, इस बार हम लोगों ने वहॉं पर डेजिंग का सहारा लिया। जिसमें नदी को डेजिंग करके और नदी की धारा को मूल बिन्दु से लेकर दोनों ओर कहीं पर भी नुकसान न होने पाए, उसके बहुत अच्छे परिणाम आए। विगत वर्ष मुझे बाराबंकी, गोण्डा, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, अम्बेडकरनगर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर इन सभी जनपदों में जाना पड़ा जहां पर इस वर्ष डेजिंग के उपाय किये गये थे। बलरामपुर और श्रावस्ती में तो बाढ़ भी आयी, क्योंकि नदी का जल स्तर बढ़ गया था और बारिश भी तेज हुई थी, लेकिन उसके बहुत अच्छे परिणाम आए। गोण्डा और बाराबंकी में भी डेजिंग के बहुत अच्छे परिणाम आए। हमनें इस बार भी

अलग-अलग स्थानों पर इसको चिन्हित करके इस कार्य योजना को आगे बढ़ाने का कार्य किया है और युद्ध स्तर पर जहां आवश्यक हो चाहे वह गंगा जी का हो, यमुना जी का हो, सरयू जी और घाघरा जी का हो, राप्ती का हो, गण्डक का हो, रामगंगा का हो या किसी भी नदी से जुड़े हुए बाढ़ के प्रति संवेदनशील जो क्षेत्र थे वहाँ पर प्राथमिकता के आधार पर स्थायी समिति की बैठक करवा करके यह कहा गया कि समय पर बाढ़ नियंत्रण के उपाय युद्ध स्तर पर करा करके जन और धन की हानि को रोका जाए। जो लोग उसके बाद भी बाढ़ की चपेट में आए उनको राहत प्रदान करने का कार्य किस स्तर पर होना चाहिये यह आपने युद्ध स्तर पर देखा होगा। पर्याप्त मात्रा में सामग्री हर पीड़ित को बिना भेद-भाव देने का कार्य हुआ यानी सरकार किसी के साथ कोई भेद-भाव नहीं करना चाहती है। साथ ही साथ मनरेगा आदि योजनाओं का उपयोग किस रूप में हो सकता है उसमें बहुत अच्छा कार्य हुआ है। उसमें हम इसका कन्वर्जन करके काउज शेल्टर हाउस बना सकते हैं। इसमें व्यक्तिगत किसानों को भी लाभान्वित कर सकते हैं। ऐसी अनेक योजनाएं हैं। भूमि सुधार के कार्यक्रमों को भी हम इसके साथ जोड़ सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ हम नदियों के स्रोत की पूजा करते रहे हैं और हम गंगा जी के साथ-साथ गौमुख की पूजा करते हैं। गंगोत्री हम जाते है, यमुनोत्री में जाकर पूजा करते हैं क्योंकि वह यमुनोत्री यमुना जी का उद्गम स्थल है। हमारे नगर में, हमारे जनपद में जो पवित्र नदियाँ हैं इन पवित्र नदियों के उद्गम स्थल को भी हम ढूँढ करके उनके स्रोत को ढूँढ़ सकें इस दिशा में भी बहुत सारे जनपदों में हमारे जनप्रतिनिधियों के सहयोग से उनके द्वारा नेतृत्व देने के कारण मनरेगा का बेहतर प्रबंधन उन क्षेत्रों में हुआ है।

गोमती नदी को उसके उद्गम स्थल पर पुनः जीवित कर दिया गया है। ऐसे ही अन्य जनपदों में भी कार्य हुए हैं। लगभग 7-8 ऐसी नदियाँ हैं जिन पर कार्य चल रहा है और उन योजनाओं का भरपूर उपयोग करके इन नदियों के पुनरूद्धार का कार्य युद्धस्तर पर प्रारंभ हुआ है। महोदय, इस बार कुम्भ का आयोजन 2019 में होना है, कुम्भ के लिए भी हमने धनराशि की व्यवस्था इस बजट में की है। हम सब आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, जिनके प्रयास से कुम्भ को यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता दी है। (सत्ता पक्ष द्वारा मेजें थपथपाई गयीं) और हजारों-वर्षों के इतिहास में पूरा भारत गौरवान्वित होता है जब उसकी किसी परंपरा और किसी एक धरोहर को यूनेस्को या दुनिया के द्वारा मान्यता प्रदान होती है। इससे पहले योग की परपंरा को दुनिया ने मान्यता दी है, कुम्भ के आयोजन को यूनेस्को के द्वारा मान्यता दिया जाना भारत की परंपरा और भारत की विरासत के प्रति इससे बड़ी गौरव की बात नहीं हो सकती। हम सब आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जिनके प्रयास से यह कार्य हुआ है। कुम्भ अलौकिक हो, भव्य हो, दिव्य हो इसको उसी रूप में आगे बढ़ाने का एक प्रयास भी हमारे स्तर पर हो रहा है। सरकार के स्तर पर यह कार्य हुआ है और अभी इस कुम्भ से जुड़ी हुई चार हजार करोड़ रुपये से अधिक की जो परियोजना है वह आदरणीय प्रधानमंत्री जी व प्रदेश और केन्द्र सरकार के प्रयास से ही संभव हुईं है। उनका लोकार्पण भी प्रयागराज में किया गया है। पहली बार दस ओवर ब्रिज और फ्लाई ओवर प्रयागराज की धरती पर बने हैं। छः अण्डर पासेज बने हैं, 264 से अधिक सड़के सिगंल लेन से डबल लेन, डबल लेन से फोर लेन, फोर लेन से सिक्स लेन के बनाने का कार्य प्रयागराज

में सम्पन्न हुआ है, उनके चौराहों का सुन्दरीकरण का कार्य, पर्याप्त मात्रा में रैन बसेरा बसाने का कार्य प्रयागराज की पहचान वेणीमाधव का पवित्र स्थल हो या फिर प्रयागराज से जुड़ी हुई भारद्वाज की स्मृति को पुनर्जीवित करने का कार्य हो, इन सभी कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर करते हुए प्रयागराज में साढ़े चार सौ वर्षों के बाद पहली बार यह अवसर प्राप्त होगा जब प्रयागराज में श्रद्धालुओं को वहां पर अक्षयवट वृक्ष और सरस्वती कूप के दर्शन करने का अवसर भी प्राप्त होगा। आजादी के बाद पहले प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जो प्रयागराज के दौरे के समय अक्षयवट वृक्ष का दर्शन करने स्वयं अन्दर गये थे, उन्होंने वहां पर श्रद्धालुओं की सुविधा के बारे में पूरी जानकारी ली और उसको फिर से कैसे देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत कर सकें कि हम अपनी विरासत के प्रति अपनी आस्था के माध्यम से इतने संवेदनशील है, यह भाव प्रकट किया है। देश के प्रथम राष्ट्रपति डा0 राजेन्द्र प्रसाद जी प्रयागराज में आते थे, कल्पवास भी करते थे और किले में उस दौरान उनके आने के प्रमाण भी हैं लेकिन उसके बाद से देश का कोई भी संवैधानिक प्रमुख प्रयागराज की धरती पर स्थित किले में मौजूद इन दो महत्वपूर्ण प्रतीकों के प्रति वहां आ सकें, देख सकें और आम श्रद्धालुओं के लिए इसे खोल सकें, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की कृपा से यह कार्य वहां पर आज संभव हो सका है और इस बार के कुम्भ में यह भी एक अवसर प्राप्त होगा जब वहां पर अक्षयवट के दर्शन करने और साथ ही साथ सरस्वती कूप के दर्शन करने का भी एक अलौकिक अवसर देश और दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं को प्राप्त होगा। प्रधानमंत्री जी के प्रयास से पहली बार 70 देशों के राजदूत और उनके जो भारत में मिशन हेड हैं, वे स्वयं प्रयागराज की धरती पर आए थे। उन्होंने देखा वहां की व्यवस्था को, कैसे एक स्वतः स्फूर्तिभाव के साथ स्वयं एक टाऊनशिप अपने आप में बस जाती है। वास्तव में 12 से 15 करोड़ की आबादी स्वतः स्फूर्तिभाव के साथ प्रयागराज कुम्भ में आती है। यह एक अलौकिक अनुभव है और कौतुहल का विषय है, लेकिन एक वास्तविकता भी है और इस वास्तविकता को चरितार्थ करने के लिए सरकार अपने स्तर पर कार्य कर रही है। कुम्भ के क्षेत्रफल को 1700 हेक्टेयर से बढ़ाकर 3200 हेक्टेयर करने की व्यवस्था, वहां की लाइटिंग की व्यवस्था और कुम्भ के भव्य आयोजन की व्यवस्था के कार्य युद्ध स्तर पर वहां चल रहे हैं। मैं चाहूंगा कि कुम्भ के आयोजन को और दिव्य तथा भव्य बनाने के लिए हम सबको वहां पर जाना चाहिये। पहले भी हम लोगो ने निमंत्रण भेजे हैं, हमारे मंत्रि-मण्डल के सहयोगीगण देश के अंदर विभिन्न राज्यों के दौरे पर जा रहे हैं जिससे वहां के मुख्य मंत्री, वहां के राज्यपाल, वहां के लेफ्टिनेंट गर्वनर, वहां के अन्य प्रमुख धर्माचार्यों को भी कुम्भ में आने का निमंत्रण और आमंत्रण दे सके। हम लोगो ने कुम्भ के आयोजन को अपनी सप्लीमेण्ट्री डिमाण्ड में महत्व देने का कार्य किया है।

माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश के अंदर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग ने बेहतर दिशा में कार्य करना प्रारम्भ किया है। भारत सरकार 150 एडवान्स लाइफ सपोर्ट एम्बुलेन्सेस उत्तर प्रदेश को देना चाहती थी लेकिन पिछली सरकार को फुर्सत नहीं थी और वह इन्हें लेना ही नहीं चाहती थी। लाइफ सपोर्ट एम्बुलेन्स जिसमें किसी व्यक्ति को नया जीवन दान देने के लिए सारे उपकरण मौजूद थे, वहां पर वेन्टीलेटर भी थे, वहां पर मानीटर भी थे, वहां पर सारी सुविधायें उपलब्ध थी, लेकिन पिछली सरकार ने उसको महत्व नहीं दिया। हमारी

सरकार ने आते ही भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा और उत्तर प्रदेश को 150 लाइफ सपोर्ट एम्बुलेन्सेस मिली जिससे प्रत्येक जनपद को हमने दो-दो एम्बुलेन्स उपलब्ध कराई हैं। साथ ही साथ 108 सेवा के रिस्पान्स टाइम को और बेहतर करने तथा प्रत्येक नागरिक तक इसकी अधिकाधिक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए हमने लगभग 600 से अधिक नई एम्बुलेन्स का एक नया बेड़ा जोड़ने की दिशा में कार्य किया है। बहुत सारी चीजों को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाने का कार्य हुआ है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में इन्सेफ्लाइटिस, डेंगू, कालाज्वर, चिकुनगुनियां आदि तमाम प्रकार की बीमारियों से भारी संख्या में मौतें होती थी लेकिन किसी को फुर्सत ही नहीं थी और नजरदांज करते थे। चालीस वर्षों से गोरखपुर और उसके आसपास के जनपदों में जुलाई, अगस्त, सितम्बर, अक्टूबर, नवम्बर और दिसम्बर तक मौतों का लम्बा सिलसिला चलता था। हमारी सरकार ने आकर इसे रोकने के कार्य को आगे बढ़ाया है और आज इसके परिणाम सामने हैं। हमने स्वास्थ्य विभाग को नोडल विभाग बनाया। स्वास्थ्य विभाग के साथ महिला कल्याण, बाल विकास, नगर विकास, पंचायती राज, ग्राम्य विकास, चिकित्सा शिक्षा इत्यादि विभागों को जोड़ करके एक सामूहिक प्रयास प्रारम्भ किया और उसका परिणाम भी सामने आया। पिछले 25 वर्षों से गोरखपुर के बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज के आंकड़ों को मैंने देखा है। प्रतिवर्ष अगस्त महीने में अकेले बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज में 400 से 500 मरीज आते थे। यह मरीज पूर्वी उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों से होते थे, उत्तर-पश्चिम बिहार से होते थे नेपाल से भी होते थे और प्रतिवर्ष यहां पर 100-150 मौतें होती थीं। बड़ी भयावह और वीभत्स स्थिति होती थी। पहली बार वहां पर सामूहिक प्रयास के बेहतर परिणाम आये और जहां हर वर्ष 400 से 500 पेशेण्ट आते थे वहीं इस वर्ष मात्र 86 पेशेण्ट आये हैं। जहां हर वर्ष 100 से 150 मौतें होती थी वहीं इस वर्ष मात्र 06 मौतें हुई हैं। हमारा प्रयास होगा कि इसको और न्यूनतम स्तर पर लाया जाये जिसके लिए लगातार प्रयास चल रहे हैं। डेंगू, चिकुनगुनियां, कालाजार, इन सभी की रोकथाम करने के लिए भी प्रभावी प्रयास प्रदेश के अंदर हुये हैं। प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंदर भी हम बेहतर प्रगति कर सके हैं। लोग बड़े-बड़े नारे देते हैं और बड़ी-बड़ी डींगे हांकते हैं। आजादी के बाद उत्तर प्रदेश में केवल 13 गवर्नमेन्ट मेडिकल कालेजेस बन पाये थे किंतु वर्तमान में भारत सरकार के सहयोग से प्रदेश सरकार 15 नये मेडिकल कालेज बना रही है। इसमें से 6-7 मेडिकल कालेज ऐसे हैं जिनमें इस नये सत्र से क्लासेज भी प्रारम्भ करायेंगे, जिसमें एम0बी0बी0एस0 की पढ़ाई प्रारम्भ हो जायेगी। गोरखपुर में एम्स का निर्माण युद्ध स्तर पर चल रहा है। रायबरेली एम्स में ओ0पी0डी0 जुलाई माह में प्रारम्भ हो चुकी है और प्रधानमंत्री जी के हाल के ही दौरे में वहां के चिकित्सालय और अन्य भवनों के शिलान्यास का कार्य भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर-कमलों से रायबरेली में सम्पन्न हो गया है। यह कार्य युद्ध स्तर पर भारत सरकार के सहयोग से प्रदेश के अंदर चल रहे हैं और साथ-साथ 4 मेडिकल कालेजेस में सुपर स्पेसिलिटी ब्लॉक निर्माण का कार्य कम्पलीट हो गया है और 2 मेडिकल कालेजों कानपुर और आगरा में कार्य प्रारम्भ होने जा रहा है। बाकी गोरखपुर, झांसी, प्रयागराज और मेरठ में कार्य सम्पन्न हो चुका है। सरकारें वहीं, पैसा वहीं लेकिन कार्य करने का तरीका कैसे व्यापक प्रसेप्शन को बदल सकता है।

चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में भी प्रदेश के अंदर काफी कार्य हुआ है। प्रदेश के अंदर 1 करोड़ 18 लाख ऐसे परिवार हैं जिसमें 6 करोड़ लोग ऐसे है जो आयुष्मान भारत से कवर होंगे। हम लोगों ने अभी प्रारम्भिक सर्वे कराया है जिसमें 10 लाख परिवार ऐसे हैं जो इससे छूटे हुए हैं। हम इन 1 करोड़ 18 लाख परिवारों को कार्ड देने जा रहे हैं। जिससे वह कहीं भी जायेंगे इम्पैनल्ड किसी भी अस्पताल में जायेंगे तो उसको 5 लाख रुपये सालाना स्वास्थ्य सुविधा निःशुल्क उपलब्ध हो सकेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत में 60 और 40 के अनुपात की व्यवस्था की है। केन्द्र सरकार 60 प्रतिशत सहयोग करेगी और प्रदेश सरकार 40 प्रतिशत सहयोग करेगी। लेकिन हमने बचे हुए लोगों को कवर करने का भी कार्य प्रारम्भ कर दिया है और प्रदेश के अंदर आयुष्मान भारत योजना और प्रधानमंत्री जन आरोग्य अभियान के अंतर्गत काम होने जा रहा है। इसके अंतर्गत हम लोग प्रदेश के अंदर एक बड़ी छलांग लगाने जा रहे हैं। साथ-ही-साथ प्रदेश के अंदर डायलिसीस की सुविधा हर जिला अस्पताल में उपलब्ध हो सके। अब आठ मण्डल स्तरीय जिला चिकित्सालयों में से पांच अन्य जिला चिकित्सालयों में यह सुविधा उपलब्ध कराई जा चुकी है। आने वाले समय में हमारा यह प्रयास है कि हर जिला अस्पताल में 10-10 यूनिट के डायलिसीस की सुविधा निःशुल्क गरीबों को उपलब्ध हो सके। भारत सरकार के सहयोग से इस कार्य को हम आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। परिवहन के क्षेत्र में भी परिवहन विभाग ने एक बड़ा कार्य किया है। जो 14 हजार 561 गांव अब तक बस सेवा से असेवित थे उनको भी बस सेवा से जोड़ने का कार्य किया गया है। साथ-ही-साथ हम लोगों ने कुम्भ के लिए भी 500 से अधिक शटल बसेज की व्यवस्था पहले ही कर दी है। जिससे कुम्भ में आने वाले श्रद्धालुओं को कोई असुविधा न हो और साथ-ही-साथ कुछ अन्य ऐतिहासिक कार्य भी हुए हैं जैसे- जनकपुर को अयोध्या से जोड़ने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बस सेवा प्रारम्भ की थी। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम इस बस सेवा को आगे बढ़ा रहा है। इसी प्रकार से हम लोगों ने गोरखपुर, काठमाण्डू, लखनऊ एवं नेपालगंज इन सभी कार्यों को भी आगे बढ़ाने का कार्य प्रदेश के अंदर युद्ध स्तर पर प्रारम्भ किया है। हर क्षेत्र में हमने कार्य को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। मैं जब यहां पर निवेश की संभावनाओं की बात कर रहा था और निवेश के लिए जो तीन बातें आवश्यक होती हैं कि एक तो प्रदेश के अंदर आम नागरिक के सामने या जो निवेशक है उसके सामने सुरक्षा की एक बृहत्तर व्यवस्था हो वह इस बात को महसूस कर सके कि प्रदेश के अंदर सुरक्षा का एक माहौल है। दूसरा अनावश्यक लालफीताशाही की चपेट में उसे परेशान नही होना पड़े और तीसरा विद्युत की निर्बाध आपूर्ति उसको प्राप्त हो सके। प्रदेश ने इन तीनों में ही सफलता प्राप्त की है। हम लोगों ने इसके लिए टेक्नोलॉजी का भी उपयोग किया है और साथ-ही-साथ इस पर कार्य भी किये हैं। प्रदेश के अंदर अपराध नियंत्रण में आर्गेनाइज क्राइम पर प्रदेश सरकार ने प्रभावी नियंत्रण किया है। प्रदेश के अंदर होने वाली घटनाओं को खासतौर पर महिला सम्बंधी अपराधों को रोकने के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ इस बात के लिए प्रदेश की जनता को आश्वस्त करती है कि हम लोग किसी भी प्रकार के अपराध को कभी स्वीकार नहीं करेंगे और महिला सम्बंधी अपराध के प्रति प्रदेश सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ कार्य करेगी और पूरी सख्ती के साथ ऐसे तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करेगी जो महिला संबंधी अपराध में लिप्त हैं। चाहे वह वूमेन पावर लाइन 1090 का हो या फिर हेल्प लाइन 181 को और प्रभावी बनाने का हो या फिर हम लोगों

के द्वारा प्रारम्भ किये गये उन सभी योजनाओं को और तेजी के साथ आगे बढ़ाने का हो इस पर पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेंगे और उसका आज परिणाम भी सामने आया है। जिसमें डकैती में अगर आप विगत वर्ष की तुलना में देखें तो 2016 की तुलना में 2017 में काफी कमी आयी थी। और 2017 की तुलना में 2018 में लगभग 42.31 प्रतिशत की कमी आयी है। लूट की घटनाओं में 2017 की तुलना में 2018 में 21.48 प्रतिशत की कमी आयी है। हत्या के मामले में 6.26 प्रतिशत की कमी आयी है। बलवा में 3.76 प्रतिशत की कमी आयी है। गृहभेदन में 10.57 प्रतिशत की कमी आयी है। रोड होल्डअप में भी काफी कमी आयी है। फिरौती आदि के मामले में 30.23 प्रतिशत की कमी आयी है। दहेज मृत्यु में 3.32 प्रतिशत की कमी आयी है। बलात्कार की घटनाओं में 8.12 प्रतिशत की कमी आयी है। यह स्थिति तब है जब हर हाल में हर प्रकार की एफ0आई0आर0 को दर्ज करने के निर्देश हर पुलिस थानों को प्रदेश सरकार के द्वारा दिये गये हैं। इसके साथ ही साथ प्रदेश के अंदर हम लोगों ने जहां पूरे युद्धस्तर पर इस कार्य को किया है। यहां पर चर्चा हो रही थी कि किसानों का गेहूं और धान नहीं खरीदा जाता है।

महोदय 2013-14 में केवल 6.83 लाख मी0टन गेहूं का क्रय हुआ था। 2014-15 में 6.28 लाख मी0टन का हुआ। 2016-17 में 7.97 लाख मी0टन गेहूं का ही क्रय हुआ है। और विगत वर्ष यानी 2017-18 में 37 लाख मी0टन का हमारी सरकार ने किया था और 2018-19 में 53 लाख मी0टन गेहूं का क्रय हमारी सरकार ने किया था। सीधे किसानों के खाते में आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से धनराशि दी गयी थी। धान का अगर देखेंगे तो धान के प्रिक्योरमेंट की जो स्थिति है कल सांय काल तक हमारी सरकार 15 लाख मी0टन धान का क्रय सीधे किसानों से कर चुकी है। लेकिन अगर 2013-14 में आप देखेंगे तो 9.05 लाख मी0टन केवल हुआ था वह भी आढ़तियों के माध्यम से। 2014-15 में 18.18 लाख मी0टन का प्रिक्योरमेंट आढ़तियों के माध्यम से किया गया। किसानों से सीधे नहीं किया गया। 2017-18 में अगर आप देखेंगे तो 43 लाख मी0टन का क्रय किसानों से सीधे किया गया और इस वर्ष अब तक 15 लाख मी0टन का क्रय किया जा चुका है। इसके बारे में मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि आगे जो हम लोगों ने कदम उठाये हैं। गन्ना के बारे में यह लोग चर्चा कर रहे थे। वर्ष 2016-17 में इनके द्वारा केवल 14 हजार 297 करोड़ रुपये का भुगतान आज के दिन तक किसानों का किया गया था। और हमारी सरकार में आज के दिन तक 33 हजार 214 करोड़ रुपये का भुगतान किया है। 14 हजार और 33 हजार करोड़ में कोई अंतर ही नहीं है क्या। इस वर्ष का भी अब तक गन्ना किसानों का 01 हजार 63 करोड़ रुपये का गन्ना मूल्य का भुगतान यानी इस करेंट सीजन का भी हम लोग कर चुके हैं। महोदय, प्रदेश के अंदर किसानों के लिए जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड अब तक हुआ है इसमें 2.28 करोड़ जो स्वायल हेल्थ कार्ड प्रदेश के अंदर किसानों को उपलब्ध कराये गये हैं। मान्यवर, हमने राजस्व को भी बढ़ाने का काम किया है। राजस्व में यदि हम जी0एस0टी0 में देखेंगे तो नवम्बर, 2018 तक लगभग 10 हजार करोड़ रुपये से अधिक के राजस्व की वृद्धि प्रदेश को हुई है। आबकारी विभाग में 4 हजार 895 करोड़ रुपये का स्टैम्प और निबंधन विभाग में 1594 करोड़ रुपये का और परिवहन विभाग लगातार घाटे में चलता था विगत डेढ़ वर्ष से लगातार उसमें लाभ आ

रहा है। इस वर्ष अब तक 400 करोड़ रुपये से अधिक का लाभांश परिवहन विभाग ने कमाया है। खनन में 658 करोड़ रुपये की अतिरिक्त वृद्धि हुई है और मंडी समिति में भी 218 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय राज्य में मंडी समिति को हुई है। यह तब हुआ है जब किसानों को सुविधायें दी गयी हैं। मंडी समितियों का आधुनिकीकरण करने, उनके सुंदरीकरण करने तथा उनको स्ट्रेंथनिंग करने का कार्य हुआ है और प्रदेश के अंदर सभी 240 मंडियों के साथ-साथ जहां जनप्रतिनिधियों ने मंडी की डिमांड की थी वहां के लिए भी धनराशि देने के साथ-साथ मंडी समिति के ही पैसे से प्रदेश के अंदर 2 हजार किलोमीटर से अधिक की सड़कों की स्ट्रेंथनिंग करने का कार्य भी प्रदेश के अंदर किया गया है।

मान्यवर, यहां पर अक्सर चर्चा होती है कि बहुत भेद-भाव हो रहा है। मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे मा0 सदस्य हैं जिन लोगों ने मुख्य मंत्री राहत कोष से उन परिवारों को जिनकी आय कम होती है या मा0 सदस्य की संस्तुति पर धनराशि उपलब्ध करवाते हैं और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इसमें हर दल के सदस्य हैं। उन सभी सदस्यों का नाम में पढ़ना नहीं चाहता हूं, लेकिन इसमें बहुत सारे सदस्य ऐसे हैं जैसे फिरोजाबाद से हमारे मा0 सदस्य मनीष असीजा जी हैं इनके 334 केस ऐसे थे जिसमें इन्होंने गरीबों को मुख्य मंत्री राहत कोष से अनुदान दिलाने का कार्य किया है और कुल 3 करोड़ 62 लाख 82 हजार रुपये की धनराशि इन्होंने गरीबों को स्वास्थ्य अनुदान की दृष्टि से दिलाया है और मुझे लगता है कि मेरे पास जो आंकड़े हैं इसमें 375 ऐसे मा0 सदस्य हैं जिनकी संस्तुति पर 11 हजार 636 ऐसे प्रकरण हैं जिसमें यह धनराशि पूरे प्रदेश के अंदर उपलब्ध कराई गई है और मुझे लगता है कि अगर आप देखेंगे तो मंत्रियों ने इसका सर्वाधिक लाभ लिया है। सुहेलदेव राजभर पार्टी के नेता श्री ओम प्रकाश राजभर जी ने 175 प्रकरण में इन्होंने यह राशि उपलब्ध कराई है। इस मामले में मुझे लगता है कि मा0 अध्यक्ष जी की भी संस्तुति पर 45 ऐसे प्रकरणों पर गरीबो के लिए जिनके लिए सारी आस समाप्त हो जाती हैं, लेकिन जब आप लोग उसकी संस्तुति करते हैं और उनके पास जब पैसा पहुंच जाता है तथा स्वस्थ होकर जब वह वापस चला आता है तो उसके परिवार में कितनी खुशहाली होती होगी ? मान्यवर, बिना भेद-भाव के जिसकी भी संस्तुति आई है वहां पर धनराशि का उपयोग किया है। इसमें हमारे कई विभाग हैं। जिसमें विभागों ने पिछली बार की तुलना में बहुत अच्छे ढंग से बजट का जो पैसा है उसको समय पर खर्च करने की स्थिति और प्रदेश के अंदर अब तक की जो प्रोग्रेस है वह बहुत अच्छी है। ऊर्जा का जो कुल बजट 35 हजार 4 सौ 39 करोड़ रुपये का था जिसमें 22 हजार 103 करोड़ रुपये अब तक व्यय किये हैं। इसी प्रकार से पंचायती राज में 20 हजार 8 सौ 56 करोड़ में 13 हजार 930 करोड़ रुपये उन्होंने व्यय किये है। इनके पास अभी भी धनराशि की जो बचत है उसमें इनके द्वारा कार्य किया जा रहा है और युद्ध स्तर पर जो बेस लाइन सर्वे के बाहर के जो बचे हुए 44 लाख परिवार हैं उनको भी टॉयलेट उपलब्ध करवाने की कार्यवाही कर रहे हैं। इसी प्रकार से लोक निर्माण विभाग में हम लोगों ने 22 हजार 78 करोड़ रुपये का बजट दिया था जिसमें 8 हजार 430 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं शेष पर युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है और यथा समय सारे कार्य हम लोग पूरे करेंगे। नगर विकास विभाग के 14 हजार 363 करोड़ रुपये में से 5 हजार 676 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं। शेष कार्यों को भी प्राथमिकता के आधार पर

पूरा कराया जा रहा है। अन्य सभी विभागों ने अपने-अपने स्तर पर लग करके युद्धस्तर पर इन कार्यों को आगे बढ़ाया है। यह अनुपूरक बजट 8 हजार 54 करोड़ रूपए का है, ये प्रदेश की खुशहाली के लिए है, आम जन के जीवन में खुशहाली लाने के लिए एक वृहत्तर प्रयास प्रदेश सरकार द्वारा किया गया है। मुझे लगता है कि आजादी के बाद से, इस अनुपूरक बजट को भी हम जोड़ देंगे, पहले हमारा मूल बजट और फिर अनुपूरक बजट को भी जोड़ देंगे तो अब तक का सबसे बड़ा बजट उत्तर प्रदेश के इतिहास में, उत्तर प्रदेश का है और शायद ही किसी भी राज्य का होगा। मुझे लगता है कि यह बढ़कर लगभग 4 लाख 71 हजार करोड़ रूपए का होगा, यानी बजट भी हमारा वैसे बढ़ रहा है जैसे प्रदेश के अंदर निवेश हो रहा है, क्योंकि निवेश और ये आस-पास ही जा रहा है। जब हमारा बजट आया था तो उस समय हम लोगों ने 4 लाख 28 हजार करोड़ रूपए का बजट प्रस्तुत किया था और ऐसा संयोग था कि इस दिन इन्वेस्टर्स समिट हुआ था उस दिन 4 लाख 28 हजार करोड़ रूपए के एम0ओ0यू0 हमें प्राप्त हुए थे। आज हम बढ़ा करके इसको 4 लाख 71 हजार करोड़ रूपए तक अपने बजट को लेकर चले गए हैं तो 4 लाख 41 हजार के आस-पास ही हमारा निवेश भी आ रहा है। यह एक शुभ लक्षण है, प्रदेश बदल रहा है, प्रदेश का परसेप्शन बदल रहा है, प्रदेश में विकास आज दिखाई दे रहा है। गांव, गरीब, किसान, महिलाएं, नौजवान इन सबके जीवन में व्यापक परिवर्तन देखने को मिल रहा है।

आम नागरिक इस परसेप्शन को स्वीकार कर रहा है और मुझे लगता है कि यह अनुपूरक बजट उसी बदलते हुए उत्तर प्रदेश, समृद्धि की ओर अग्रसर हो रहे उत्तर प्रदेश, आम जन के विश्वास का उत्तर प्रदेश के रूप में प्रस्तुत करने का एक प्रयास हुआ है। मैं अपने वित्तमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने अनुपूरक बजट को यथासमय पूरा करने का प्रयास किया और हमारा प्रयास रहेगा कि फरवरी में हम नया बजट प्रस्तुत करने का कार्य करें, जिससे प्रदेश के विकास को एक लंबी छलांग के साथ आगे बढ़ाया जा सके। मैं आप सबसे अपील करूंगा कि आप सभी इस अनुपूरक बजट को पास करने में अपना योगदान दें। माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया है इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। हमारे मित्रगण इस पूरी कार्यवाही का हिस्सा बन सकें, वे अपनी बातों को भी रख सकें और साथ-साथ सत्तापक्ष के जवाब को भी सुन सकें, इस दृष्टि से मैं बहुत ज्यादा समय न लेते हुए, आपने मुझे बोलने का मौका दिया आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

(सत्तापक्ष के मा0 सदस्यों द्वारा मेजें थपथपाई गयीं।)

श्री अध्यक्ष-

माननीय उपनेता समाजवादी पार्टी कुछ कहेंगे।

श्री संजय गर्ग-

मान्यवर, हम कहना चाहेंगे।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

श्री संजय गर्ग-

मान्यवर, आपने मुझे अनुपूरक बजट पर बोलने का मौका दिया, मैं इसके लिए आपका बहुत आभारी हूं। वास्तव में, हमारे नेता प्रतिपक्ष बहुत ही गंभीर बीमारियों से जूझने के कारण आज यहां नहीं आए हैं, नहीं तो यह बात बहुत ही गंभीरता के साथ उन्हें निश्चित रूप से रखनी थी, पर उसके बावजूद भी मा0 सदन की शुभकामनाओं से, ईश्वर के आशीर्वाद से, उन्हें जो जीवन-दान मिला है और जल्दी वे स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सदन में हम सभी साथियों के बीच रहेंगे ऐसी शुभ कामना है। इस अनुपूरक बजट को रखते हुए मा0 नेता सदन जी ने बहुत ही विस्तृत रूप में वर्तमान सरकार की योजनाओं का उल्लेख करने की बात की है। बहुत-सी चीजें जो अनुपूरक बजट में नहीं भी हैं, परन्तु बजट के अन्तर्गत उनके प्रावधान किए गए थे, उन योजनाओं में कहां तक पहुंचे, कहां तक नहीं, कुछ चीजें सही थीं, कुछ चीजें जुमलेबाजी के रूप में रहीं। परन्तु इन सबके बावजूद अनुपूरक बजट लाने का प्रावधान क्यों करना पड़ा ? माननीय अध्यक्ष जी, मैं केवल इतनी बात कहना चाहता हूं कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 202, 203, 204 वित्तीय विवरण तैयार करने का प्रावधान करता है। राज्य सरकार को यह अधिकार देता है कि पूरे वर्ष के खर्चों का विवरण तैयार करके सदन के पटल पर रखें और इसे पास कराएं। लेकिन कभी-कभी कोई दिक्कत आती है तो अनुच्छेद-205 सरकार को अधिकार देता है कि वह अनुपूरक बजट लाकर उसकी पूर्ति कर सकता है। परन्तु अनुपूरक बजट कभी विकास का आधार हो सकता है, तो कभी वित्तीय अनुशासनहीनता की प्रतिपूर्ति का आधार भी हो सकता हैं। ये प्रतिपूर्ति का आधार हैं। आपके लोक संकल्प में किए गये वायदों के अनुरूप बजट की व्यवस्था मा0 वित्तमंत्री जी को करनी थी तो निश्चित रूप से उसे बजट में रखते हुए उन तमाम प्रावधानों को उसके अन्तर्गत रखने का काम किया जाना चाहिए था। कोई और अन्यत्र नयी मांग की बात होती तो उसके लिए अगर यह अनुपूरक बजट लाने की बात होती तो ज्यादा अच्छा था। माननीय वित्त मंत्री जी की यह दूरदर्शिता होनी चाहिए थी कि जिस प्रकार इन खर्चों के लिए आप अनूपूरक बजट लाते हैं, उसको आप अपने वार्षिक बजट में ही शामिल कर लेते। आप अपने वार्षिक बजट में होशियारी इसलिए दिखाते हैं कि आपके खर्चे ज्यादा और आमदनी कम होती है तो राजस्व घाटे को उस समय कम दिखाने के इरादे से यह बात की जाती है और वार्षिक बजट में आप पूरा विवरण तैयार नहीं कराते और अनुपूरक मांगे लाने की बात आती है। श्रीमन्, इसी वित्तीय वर्ष में यह दूसरा अनुपूरक बजट है। श्रीमन्, संविधान द्वारा सदन को बजट पास करने का जो अधिकार दिया गया है, वह आपका दायित्व है, पूरा वार्षिक वित्तीय विवरण तैयार कराने का। यह जो स्थिति उत्पन्न हो रही है, इससे वित्त मंत्री जी की सजगता पर निश्चित रूप से प्रश्नचिन्ह लगता है। यह अनुपूरक बजट 8 हजार 54 करोड़ 49 लाख 27 हजार रुपये का प्रस्तुत किया गया है। मुख्य बजट 4 लाख 28 हजार करोड़ रुपये का था और उसमें 45 हजार करोड़ का अनुपूरक बजट, अनुपूरक बजट प्रथम में लिया गया, परन्तु इस सब के बावजूद माननीय मुख्यमंत्री जी ने, नेता सदन ने बहुत ही पीठ थपथपाने का काम कुछ विभागों का किया।

मैं ऐसे भी विभाग आपको बतला देता हूं कि जिन विभागों के लिए इसी सदन ने जिस बजट को पास करने का काम किया था, उन विभागों के द्वारा 40 फीसदी से भी कम बजट

अभी तक व्यय किया गया है। जहां तक अन्दाजा है, फरवरी में अगले वर्ष का बजट सत्र आने वाला है, दिसम्बर गुजरने वाला है, एक तिहाई समय बचा है और वह विभाग अभी तक 40 प्रतिशत बजट भी खर्च करने का काम नहीं कर सके हैं तो कितना विकास वह कर रहे होंगे और कितने के वायदे पूरे हो रहे होंगे या नहीं हो रहे होंगे, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्नचिन्ह् है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं 31 दिसम्बर तक की बात बता रहा हूं, आवास विभाग ने अभी तक 31.25 प्रतिशत मात्र बजट खर्च किया है, लघु उद्योग विभाग के लघु उद्योग और निर्यात प्रोत्साहन में मात्र 23.96 प्रतिशत पूरे बजट का जो बजट पास हुआ था, मेन बजट में, उसका खर्च हुआ है और इसी प्रकार उद्योग विभाग के अन्तर्गत खादी और ग्रामोद्योग के द्वारा 39.10 प्रतिशत मात्र बजट अभी तक खर्च हुआ है। उद्योग विभाग, हथकरघा उद्योग में 36.33 प्रतिशत बजट मात्र अभी तक खर्च हुआ है। उद्योग विभाग, भारी मध्यम उद्योग में मात्र 34.98 प्रतिशत बजट खर्च हुआ है। इसी तरह हमारे कृषि और अन्य सम्बद्ध, भूमि विकास और जल संसाधन में मात्र 20.81 प्रतिशत बजट खर्च हुआ है। कृषि विभाग के द्वारा ग्राम्य विकास द्वारा मात्र 31.05 प्रतिशत खर्च किया गया है। इसी तरह से कार्मिक विभाग के अन्य व्यय में मात्र 5.02 प्रतिशत अभी तक बजट का व्यय हुआ है। इसी के साथ-साथ चिकित्सा विभाग, परिवार कल्याण में मात्र 31.62 प्रतिशत बजट अभी तक खर्च हुआ है। हमारे नगर विकास विभाग के द्वारा अभी तक मात्र 40.36 प्रतिशत बजट खर्च किया गया है। नियोजन विभाग के द्वारा मात्र 14.10 प्रतिशत बजट खर्च किया गया है। इसी प्रकार पर्यटन विभाग के द्वारा 38.63 प्रतिशत मात्र बजट खर्च किया गया है और मुस्लिम वक्फ विभाग में केवल 20.79 प्रतिशत बजट खर्च हुआ है। राजस्व विभाग के दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत आदि में 21.73 प्रतिशत मात्र खर्च हुआ है। राष्ट्रीय एकीकरण विभाग में मात्र 12.24 प्रतिशत बजट खर्च हुआ है। लोक निर्माण विभाग, भवन में 25.84 प्रतिशत बजट खर्च हुआ है। लोक निर्माण विभाग, विशेष क्षेत्र कार्यक्रम में मात्र 9.26 प्रतिशत बजट खर्च किया गया है। लोक निर्माण विभाग, संचार साधन सड़कों में मात्र 31.80 प्रतिशत धन खर्च हुआ है और इसी प्रकार वित्त विभाग की ऋण सेवा और व्यय में मात्र 34.64 प्रतिशत खर्च हुआ है। वित्त विभाग सामूहिक बीमा में मात्र 7.50 प्रतिशत बजट खर्च हुआ है। इसी तरह समाज कल्याण, विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग में मात्र 25.65 प्रतिशत बजट खर्च हुआ है। समाज कल्याण विभाग के जनजाति कल्याण विभाग द्वारा 39.25 प्रतिशत बजट मात्र अभी तक खर्च हो पाया है और इसी के साथ-साथ संस्कृति विभाग के द्वारा मात्र 22.30 और सिंचाई विभाग निर्माण कार्य के द्वारा मात्र 36.85 प्रतिशत बजट मा0 अध्यक्ष जी खर्च हुआ है। हम तो यह उम्मीद कर रहे थे कि जब अनुपूरक बजट आया तो निश्चित रूप से जो रूकी हुई योजनाएं थी उनका भी प्रावधान लाने की कोशिश करने का काम किया जाएगा। शिक्षा मित्र लगातार 70 दिन से धरने पर बैठे हैं और वहां महिलाएं भी मुण्डन कराने के लिए मजबूर हो रही हैं, परन्तु इन सबके बावजूद भी महज उनके लिए कोई भी इसमें व्यवस्था करने का काम नहीं हुआ है।

यहां तक कि मदरसा आधुनिकीकरण योजना में 2013-14 में जिन लोगों की 15 हजार रुपये मान देय पर नियुक्ति हुई थी पिछले दो वर्षों से उन्हें एक भी पैसा नहीं मिला है। बिना पैसों के दो वर्षों से ढ़ाई वर्षों से वह लोग किस तरह से काम कर रहे होंगे यह बात निश्चित रूप से हमारे आपके लिए बहुत बड़ी चुनौती है। मैं इस बात की भी उम्मीद कर रहा

था कि जो पिछली सरकार की योजनाएं अधूरी पड़ी हैं उनके लिए कम से कम इस अनुपूरक बजट में कुछ व्यवस्था करने की कोशिश की जाएगी। यहां त्वरित विकास योजना के अधूरे कार्य पड़े हैं। व्यापार विकास के अधूरे काम पड़े हैं। राम मनोहर लोहिया गांव में तमाम योजनाएं शुरू हुई हैं और तमाम योजनाएं अधूरी पड़ी हुई हैं या पैसा उनका पाईप लाईन में है। मैं मा0 अध्यक्ष जी आपके माध्यम से बहुत गंभीरता के साथ इन तमाम चीजों को रखते हुए 17 विभागों के बजट मौजूदा अनुपूरक बजट में रखे गए हैं मैं उनकी भी व्यवस्था आपके सामने रख देना चाहता हूं। उससे आपको यह सारी बात समझ में आ जाएगी कि कितना विकास हुआ है और कितना विकास नहीं हो पाया है। आबकारी मंत्री जी के द्वारा कम्प्यूटराईजेशन के लिए मात्र एक करोड़ रुपये मांगे गए हैं। आपकी सरकार के तो मान्यवर डिजिटल इण्डिया की बात हो रही थी। कम्प्यूटराईजेशन करना था तो यह व्यवस्था उसी मुख्य बजट में कर लेनी चाहिए थी। बजाए इसके की इसे अनुपूरक मांग के रूप में एक करोड़ की व्यवस्था मौजूदा अनुपूरक बजट में रखने की बात की गई। इसी तरह ऊर्जा मंत्री जी के द्वारा ऊर्जा विभाग में 7.63 प्रतिशत बजट अभी तक मात्र खर्च हुआ है और इसमें आई0पी0डी0एस0 योजना के अन्तर्गत अंश पूजी के रूप में 7 सौ करोड़ रूपया और दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अन्तर्गत 2935.13 करोड़ रुपये अंश पूजी के रूप में मांग की गई है। यह दोनों योजनाएं केंद्र सरकार की बहुत पुरानी चल रही है और अंश पूंजी के रूप में इस बात का पहले से ही आकलन किया जाना चाहिए था। हमारे वित्त मंत्री जी के द्वारा और उसी के अन्तर्गत यह व्यवस्था कर लेनी चाहिए थी, परन्तु इसकी मांग इस रूप में अनुपूरक मांग के रूप में लाने की कोशिश की गई इसलिए कि जिससे की राजस्व घाटे को कम करके दिखाया जा सके। फिर हमारे कृषि विभाग के मद संख्या 14, पंचायती राज में 2 हजार 3 सौ 10 करोड़ रुपये की मांग की गई है शौचालय निर्माण के लिए। शौचालय निर्माण के लिए 3 हजार करोड़ रुपये अलग-अलग मदों के अन्तर्गत मांगने की बात हुई है और शौचालय निर्माण में निश्चित रूप से जो बात मा0 नेता सदन ने कही है वह कितनी सही है और कितनी नहीं। अगर धरातल पर जाकर देखते हैं तो स्थिति कुछ विचित्र दिखती है। यहां जिन्हें 12 हजार रुपये सरकार ग्रामीण लोगों को देने की वायदा करती है उन ग्रामीण लाभान्वित होने वाले नागरिकों को कितने पैसे वास्तव में मिल रहे हैं इस बात का सर्वेक्षण कर लेना चाहिए और किस तरह से जहां शौचालय बने नहीं वह भी सूची के अन्तर्गत शामिल हैं इस तरह के घोटाले तमाम तरह के यहां पर सामने आए हैं और खासतौर से हमारे बहुत से जनपद प्रयागराज, सीतापुर, मुज्जफरनगर, बिजनौर, गाजीपुर आदि में करोड़ों के घोटाले हुए हैं तो धन कहीं बंदरबांट के लिए तो नहीं लिया जा रहा है। इसलिए ईमानदारी के तहत वह बजट की व्यवस्था उस रूप में हो अगर शौचालय का निर्माण हुआ तो वहां पानी की व्यवस्था नहीं है। पानी की व्यवस्था के बिना किस तरह से शौचालय का उपयोग होगा। कितने शौचालय आपने बनाए उसमें से कितने उपयोग में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं उनके अंदर दरवाजे नहीं है किसी के अंदर सैप्टिक टैंक नहीं है किसी के अंदर दिखाने के लिए केवल सीट लगाने का काम कर दिया गया है तो इसी तरह की चीजों का सर्वेक्षण करके जांच की जानी चाहिए। तभी जाकर अगर हम पैसे की व्यवस्था की मांग करते तो ज्यादा बेहतर था परन्तु 3 हजार करोड़ रूपया अलग-अलग मद में इसके अन्तर्गत लेने की बात हुई है। इसी तरह से मद संख्या-20 में लोक सेवा आयोग के लिए

40 करोड़ रुपया परीक्षाएं आयोजित करने के लिए लिए गए। दो वर्ष हो गए परन्तु लोक सेवा आयोग के द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं का कोई नतीजा नहीं निकला। हर एक के अन्दर कुछ न कुछ अड़चन आ गई और किसी को भी नौकरी मिलने का काम नहीं हुआ। जब आप आवेदन लेते हैं तो उस आवेदन के अन्दर भी आप फीस लेते हैं और अगर आपको इतने पदों को सृजित करके लोक सेवा आयोग के जरिए भर्ती करानी थी तो यह बात आपको पहले से मालूम थी।

इस बात के लिए निश्चित अगर पहले ही मुख्य बजट में व्यवस्था कर ली जाती तो ज्यादा बेहतर था और वह प्रदेश के वित्तीय अनुशासन को और ज्यादा बल प्रदान करने का काम करता। इसी तरह गृह विभाग के अन्तर्गत पुलिस के लिए 53 करोड़ रुपये की मांग की गई है। जो ग्राम प्रहरी का मानदेय बढ़ाने और नये अग्नि शमन केन्द्र स्थापित करने के लिए है। निश्चित रूप से अगर नए अग्नि शमन केन्द्र बनाने थे तो वे योजना के अन्तर्गत पहले से शामिल रहे होंगे। मानदेय की व्यवस्था में हम मान सकते हैं कि बाद में सरकार ने इसका निर्णय लिया हो और उसकी व्यवस्था के लिए मांग की गई हो। इसी तरह चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी के द्वारा 10 करोड़ 5 लाख रुपये 6 नए मेडिकल कॉलेज बनाने हेतु लिए गए। अभी इसी वित्तीय वर्ष में मेडिकल काउंसिल ऑफ इण्डिया ने उत्तर प्रदेश के कई सरकारी राजकीय मेडिकल कॉलेजेज की मान्यता खत्म करने के नोटिस दिए हैं कि इनकी मेडिकल कॉलेज की मान्यता समाप्त हो जाएगी जब तक आप अमुक-अमुक शर्तें पूरी करने का काम नहीं करते हैं। नए पदों का सृजन होगा नहीं, पदों पर नियुक्ति होगी नहीं तो किस तरह से हम लोग शिक्षक और छात्र के रेशियो को बराबर रखते हुए उसकी गुणवत्ता को बनाकर रख सकेंगे या नहीं रख सकेंगे। वह पुराने मेडिकल कॉलेज जो अपने रूप में कुछ सही चल रहे थे उन मेडिकल कॉलेजेज के स्टाफ को आपने वहाँ पर ट्रांसफर कर दिया और उन मेडिकल कॉलेजेज को जो सही तरीके से चल रहे थे उन्हें भी बीमार कर दिया। कोई भी मेडिकल कॉलेज इस समय सही रूप में उस तरह से नहीं चल पा रहा है। यह अच्छा होता कि उत्तर प्रदेश के जो राजकीय मेडिकल कॉलेज पहले के हैं, उनका सुदृढ़ीकरण किया जाता। सहारनपुर में शेख-उल-हिन्द मेडिकल कॉलेज में जो प्रथम वर्ष के छात्र थे, आज वे चतुर्थ वर्ष में पहुँच गए परन्तु आज भी उनकी स्थिति सोचनीय है और उनका कहना है कि इससे अच्छी व्यवस्था प्रथम वर्ष में थी। अब तो दिन प्रति दिन वहाँ न तो कोई स्पेशलिस्ट है, न ही कोई एक्सपर्ट है और वहाँ जो तदर्थ रूप में पैरा मेडिकल स्टाफ वहाँ रखा गया है उसका भी रिन्युअल नहीं हुआ जिसके कारण हर 6 महीने बाद वहाँ पर स्ट्राइक होती है और बार-बार दबाव देकर उन्हें चार-चार, पाँच-पाँच महीने की तनख्वाहें और मानदेय इकट्ठा रूप से देने का काम किया जाता है। मैं यह व्यवस्था उदाहरण के रूप में आपके माध्यम से नेता सदन के संज्ञान में भी लाना चाहता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि इस तरफ निश्चित रूप से कुछ नई बात होनी चाहिए। जिससे हम अपने प्रदेश की सुदृढ़ स्वास्थ्य व्यवस्था को और ज्यादा बेहतर करने का काम कर सकें। मा0 अध्यक्ष जी, इसी तरह अनुदान संख्या-37 नगर विकास विभाग के द्वारा एक सौ करोड़ रुपया कुम्भ मेले के लिए वर्ष 2019 के प्रयाग राज मेले के लिए मांग की गई है। कुम्भ में हम सब की आस्था है और निश्चित रूप से पिछली सरकार में भी कुम्भ मेले के लिए हॉरवर्ड यूनिवर्सिटी से एक्सपर्ट्स ने आ करके उस समय के कुम्भ के निजामत की प्रशंसा की थी और उसका पूरा का

पूरा आलेख रखने के लिए मा0 मुख्य मंत्री जी को हॉरवर्ड यूनिवर्सिटी में बुलाया गया था और उन्हीं तमाम चीजों की प्रक्रिया के साथ आज यूनेस्को ने उसे इस बात का सम्मान देने की बात की है। इसलिए कुम्भ के अन्दर जितने भी चार चॉद लगाए जा सकते हों, लगाए जाएँ। इससे उलट कोई बात निश्चित रूप से हमारे द्वारा भी नहीं है। इसी के साथ-साथ नागरिक उड्डयन विभाग के द्वारा 500 करोड़ रुपया मांगा गया है जिसमें पहले से ही वे योजनाएँ चालू थीं। अन्तर राष्ट्रीय एयर पोर्ट जो जेवर में बनना था उसकी घोषणा पिछले साल में हो गई थी। वहॉ क्या राज्यांश जाना है, किस तरह से भूमि का अधिग्रहण करना है, उसका कितना खर्चा आना है। इन तमाम चीजों की व्यवस्था अगर पहले बजट में कर ली जाती तो मैं समझता हूं कि शायद ज्यादा बेहतर होता। मा0 अध्यक्ष जी, इसी के साथ-साथ अनुदान संख्या-43 परिवहन विभाग के द्वारा एक लाख रुपये की मांग की गई। मोटर एक्सीडेण्ट क्लेम ट्रिब्युनल की स्थापना के लिए पहले से योजना के अन्तर्गत व्यवस्था होनी चाहिए थी। पर्यावरण विभाग के अन्तर्गत 5 करोड़ रुपये की व्यवस्था एन0जी0टी0 के द्वारा निर्देशित कुछ अनुश्रवण समितियों के लॉजिस्टिक और सप्लीमेण्ट को लेकर की गई हैं परन्तु पर्यावरण विभाग की हालत क्या है, इंसान किस तरह की हवा में, कैसे सॉस लेकर घुट रहा है? वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है।

उद्योगों के द्वारा किए जाने वाले प्रदूषण पर जिस तरह के संयंत्र लगने चाहिए, उस तरह के संयंत्रों की व्यवस्था के लिए पर्यावरण विभाग सजग नहीं है। इसी तरह महिला एवं बाल कल्याण द्वारा 25 करोड़ रुपये की मांग की गई और इनके द्वारा पास बजट में सें मात्र 34.92 प्रतिशत बजट अभी तक खर्च हुआ है। यह अपने आप में इनकी सक्रियता को दिखाता है और ये ऑगनबाड़ी कार्यकत्रियों के मानदेय के रूप में आपने मॉग की है। लोक निर्माण मंत्री जी ने सेतु हेतु 80 करोड़ रुपये की मॉग की है और ये वही सारी योजनाएँ हैं जो पहले से चल रही थीं जो आर0ओ0बी0 के रूप में, ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों, नाव के, पुल के संरक्षण के रूप में इन सबका आंकलन पहले से विभाग के शीर्ष अधिकारियों के द्वारा किया जाना चाहिए था और वित्त मंत्री जी द्वारा उसको पहले मुख्य बजट में शामिल किया जाना चाहिए था। इसी रूप में लोक निर्माण विभाग साधन सड़कों में 200 करोड़ रुपये की मॉग की गई और ये सब केन्द्रीय सड़क निधि के रूप में ये भी चालू योजनाएँ हैं जो कि पहले से चल रही थीं केन्द्रीय निधि के रूप में शामिल करने की बात है। इसी रूप में अनुदान संख्या-59 राज्य संपत्ति निदेशालय के द्वारा 22 करोड़ बजट की बात आई है। मैं जल्द ही अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। माननीय अध्यक्ष जी आपसे इस बात को कहते हुए कि ये जितना भी सामाजिक वानिकी में वन विभाग के द्वारा 100 करोड़ रुपये की बात केवल सामाजिक वानिकी योजनान्तर्गत अग्रिम मृदा कार्य को आकस्मिक निधि के रूप में मॉग की गई है जबकि पिछले बजट का 45.30 प्रतिशत बजट ये अभी तक खर्च कर पाये हैं।

समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण मंत्री के द्वारा 60 करोड़ रुपये की मॉग स्वच्छ भारत मिशन में शौचालय के लिए की गई है जबकि ये भी पिछले बजट का मात्र 39.25 प्रतिशत बजट ही खर्च कर पाये हैं। समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों के लिए 650 करोड़ रुपये की मॉग की गई है जिसमें से 630 करोड़ रुपये शौचालयों के लिए है और ग्रामीण क्षेत्रों में जो कार्य ऑलरेडी चल रहे थे उनके लिए साढ़े दस करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है जबकि पूर्व में निर्धारित बजट का मात्र

41.76 प्रतिशत इनके द्वारा अभी तक खर्च किया गया है। मैं उम्मीद कर रहा था कि पिछली सरकार ने जो लाखों लोगों को समाजवादी पेंशन योजना का लाभ पहुँचाया था उसके लिए अनुपूरक बजट में कुछ मांग करके उसे फिर से देने की बात की जाती। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के सम्बन्ध में हम कुछ न कुछ उम्मीद कर रहे थे कि माननीय नेता सदन अपनी कुछ बात इसमें रखते परन्तु उसके लिए भी कोई विशेष मॉग अथवा बात रखने की कोशिश करने का काम यहां पर नहीं हो पाया है। मैं अपनी इन्हीं बातों पर बल देते हुए आप लोगों का ध्यान कुछ और चीजों पर लाना चाहता हूं कि माननीय कृषि मंत्री जी ने अपनी जो बात रखी है उसके सम्बन्ध में मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी की जो योजना मृदा स्वास्थ्य सुधार योजना है जिससे कि किसान की आय दोगुनी होगी परन्तु मुझे अफसोस है कि माननीय कृषि मंत्री जी इस समय चले गए उन्होंने इसकी जॉच भी की है परन्तु वह जॉच पूरी नहीं हुई। केवल वर्ष 2018 और वर्ष 2019 की जॉच ऐसी उन फर्जी संस्थाओं को जहां ई-टेण्डरिंग की व्यवस्था थी लेकिन फिर भी बिना ई-टेण्डर करे कृषि विभाग के निदेशक महोदय ने इस तरह की कंपनियों को जॉच सुपुर्द कर दी जिन कंपनियों का कोई भी अनुभव मृदा जॉच में नहीं था और न ही उनके पास कोई लैब थी। जो यश सॉल्यूशन के नाम से आभूषण बनाने का काम करते थे। ज्वैलरी बनाने वाली कंपनी को ठेका दे दिया गया और 25-30 करोड़ रुपये की बंदरबॉट कर दी गई। उसके लिए वर्ष 2018-19 में जॉच हुई। मैं आपके माध्यम से माननीय अध्यक्ष जी यह मॉग करता हूं कि वर्ष 2017-2018 के पीरियड की भी जॉच कृषि निदेशक को हटाकर की जानी चाहिए क्योंकि उन्हीं के संरक्षण में यह काम हुआ है। यदि आप दूध की रखवाली के लिए बिल्ली को बैठाने का काम कर देंगे तो आपसे इस बात की उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि किसी भी रूप में हम उसमें न्याय पाने की बात कर सकेंगे। मैं आपके माध्यम से इसमें संरक्षण चाहता हूं कि कम से कम इस तरह की लूट बंद होनी चाहिए। इसी रूप में उत्तर प्रदेश के 20 जनपद जो गंगा की तराई के हैं, उनका भूमिगत जल आर्सेनिक और फ्लोराइड से घिरा हुआ है। जहां पर उनकी मात्रा मानक के अनुरूप 0.01 एम0जी0 से बढ़कर 01 एम0जी0 तक मिली, ऐसा यूनिसेफ और जल निगम की जॉच में पाया गया है। यदि इससे मुक्ति के लिए कोई योजना उन गॉवों के लिए ली जाती तो निश्चित रूप से उनको एक नया मौका मिलने की बात होती। किसानों को मिल रही बिजली को लेकर माननीय नेता सदन अभी अपनी पीठ थपथपाकर चले गए। माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार में किसानों का बिजली का बिल मात्र 180 रुपये आता था।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, सदन को व्यवस्थित करा दें। अलग-अलग पंचायतें चल रही हैं।

श्री अध्यक्ष-

ठीक बात है, मा0 सदस्य कृपया आपस में बातचीत न हो।

डॉ संजय गर्ग-

180 रुपये के बजाए 600 रुपये का बोझ किसानों पर बढ़ा है जो 350 फीसदी से भी ज्यादा है और अब वह किसान जो कर्ज से डूबा हुआ था, आत्महत्या कर रहा था अगर बिजली का बिल नहीं दे पाया तो उसके एरियर के लिए उसके बिजली का बिल काटकर और उसके ऊपर रिकवरी करने के मुकदमे दायर करने की बात कई-कई गुना की जा रही है जिससे कि पूरा का पूरा किसान निश्चित रूप से बहुत ज्यादा परेशान है।

68 हजार 5 सौ शिक्षकों की भर्ती कितने दिनों से लम्बित पड़ी है, इस भर्ती की व्यवस्था किस तरह से की गयी ? क्या कारण हुआ कि हाईकोर्ट को इसमें इन्वॉल्व होना पड़ा और उसे यह निर्देश देने पड़े कि इसकी सी0बी0आई0 से जांच की जाये। इसका दो महीने में पुनर्मूल्यांकन कर लेना चाहिए। तमाम बच्चे और बिना शिक्षकों के तमाम विद्यालय खाली पड़े हैं और ऐसे में वह तमाम लोग जब हड़ताल पर हैं उस सबके बावजूद भी अगर इस तरह की लापरवाही होगी और शिक्षकों के जजमेण्ट में हाईकोर्ट ने यह मैन्शन किया है कि उनके कोड आपस में बदले गये हैं, फाइलें और कापियां बदली गयी हैं इसकी जितनी भी निन्दा की जाये वह कम है और हम इसकी कड़े शब्दों में निन्दा करते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, शिक्षा के लिए यह सरकार जितनी गम्भीरता से पेश आनी चाहिए थी निश्चित रूप से नहीं आ पायी जो पूरे प्रदेश के विकास के सूचकांक का एक सबसे बड़ा मानक है। पिछली सरकार के बजट से 9 हजार 4 सौ 14 करोड़ रुपये की कटौती मौजूदा सरकार ने की है और इस तरह से वित्तविहीन मान्यता प्राप्त विद्यालय जो हैं जो 14 अक्टूबर, 1986 से चल रहे थे तमाम वित्तविहीन शिक्षक इस बात की मांग कर रहा है कि समान लेबर के साथ समान काम के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। इतना ही नहीं सुप्रीमकोर्ट ने भी इसके लिए 2 सितम्बर, 2009 को यह निर्देश दिया कि माध्यमिक विद्यालयों को वरिष्ठता के आधार पर अनुदानित सूची में लाया जाये और 19 हजार 2 सौ 70 विद्यालय इस समय उत्तर प्रदेश में हैं और वह सभी लोग हड़ताल पर इस बात के लिए आंदोलित हैं। हम यह उम्मीद कर रहे थे कि इस बात के लिए कुछ अनुपूरक मांग संवेदनशील सरकार के द्वारा लायी जायेगी परंतु उन सबके बावजूद उन तमाम चीजों को इग्नोर करने का काम जिस तरह से किया गया है, गन्ना किसानों के लिए पीठ थपथपायी गयी 14 दिन के अंदर गन्ना किसानों से बकाये का वायदा किया गया उनका वोट लिया गया परंतु 10 हजार करोड़ रूपया उसका अभी भी लम्बित पड़ा है। 36 हजार करोड़ रुपये ऋण मोचन के लिए डिक्लेयर किया गया पिछले बजट में व्यवस्था और मांग की गयी परंतु अभी भी 15 सौ करोड़ रुपये बकाया है और शर्म तब आती है जब किसान के पास 80 पैसे, 1 रुपये, 2 रुपये, 10 रुपये के ऋण मोचन के सर्टिफिकेट भेजे जाते हैं।

यह वायदा किया जाता है कि 2 महीने में गड्ढामुक्त सड़कें होंगी परन्तु कुछ जगह सड़कें गड्ढामुक्त हुईं और कुछ जगह नहीं हुईं, जहां हुईं वहां दोबारा से गड्ढायुक्त सड़कें लोगों को एक्सीडेंट के लिए आमंत्रित करने का काम कर रही हैं। यह तमाम योजनायें इस बात को दिखाती हैं। कानून व्यवस्था के हालात क्या हैं इसके लिए तमाम लोग एक नयी संस्कृति सीख गये हैं और वह नयी संस्कृति है 'ठोको संस्कृति' । उस ठोको संस्कृति के अंतर्गत पहले तो पुलिस वालों ने ठोकने का काम किया और पुलिस वालों ने आम जनता को ठोका और आम जनता में भी उन्हें केवल दलित, पिछड़े और मुस्लिम दिखायी दिये और कोई दूसरी जाति के लोग दिखायी नहीं दिये। 2 हजार 3 सौ 51 शूटआउट और 63 इन्काउंटर मौजूदा इस सरकार के द्वारा कर दिये गये परंतु इन सबके बावजूद भी आज तक लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति आगरा की घटना से ज्यादा अपने आप ही आईना दिखाने का काम करती है। इतना ही नहीं बल्कि इसी के साथ-साथ निश्चित रूप से पुलिस वालों के ऊपर जिस तरह से दूसरे भक्तों ने ठोकने का काम शुरू कर दिया तो यह एक नया दल हमारे बीच में लॉ एण्ड आर्डर को

बनाने के लिए आ गया। पिछले दिनों उन्होंने जिस तरह से हमारे एक साथी सुबोध कुमार, इन्सपेक्टर की जो हत्या हुई है, एन0डी0 टी0वी0 पर उसकी पत्नी और बच्चे ने अभी दो दिन पहले खुलकर कहा कि सरकार उसके साक्ष्य ही मिटा रही है और अपराधियों को बचा रही है, संरक्षण दे रही है। किसी भी रूप में जिस दल से शामिल होने वाले लोगों ने हत्या की थी उसका नाम भी लेने का काम नहीं किया जा रहा है तो यह कैसे उम्मीद की जा सकती है कि लॉ एण्ड आर्डर बरकरार रहेगा या नहीं रहेगा। दर्जनों घटनाएं इस तरह की हैं जो मेरे पास हैं जहां पुलिस के ऊपर हमले हुए हैं, पुलिस के ऊपर शराब माफियाओं ने और दूसरे माफियाओं ने, भक्तों ने जिस तरह से हमले करने का काम किया है वह तमाम चीजें दिखाती हैं कि यह प्रदेश किस तरफ जा रहा है। निवेश की बात अभी माननीय नेता सदन कहकर गये हैं, इस समय वह सदन में नहीं है, मैं यह प्रश्न उनसे करना चाहता था कि लगभग 4 लाख कुछ करोड़ के निवेश के अनुबंध हुए हैं उतने अनुबंध में से धरातल पर कितने उतरे हैं, कौन-से बैंकों ने उन्हें ऋण दिये हैं। सारे बैंक कंगाल हैं, कोई बैंक ऋण देने को तैयार नहीं है। एक पैसे का निवेश अनुबंध होने के अलावा उत्तर प्रदेश में नया नहीं आया है और उन सबके बावजूद झूठे रूप में कमर थप-थपाकर जिस तरह की बात की जा रही है। इसे जुमलेबाजी का बजट अगर हम कहें तो कोई अतिश्योक्ति नहीं है। मैं केवल इतनी बात कहकर कि ये वित्तीय अनुशासनहीनता है। इन तमाम चीजों के लिए बजट के मुख्य बजट में व्यवस्था की जानी चाहिए थी। उसे इग्नोर करके जिस तरह से अनुपूरक बजट लाने की कोशिश की गयी है कोई जरूरत उस तरह की नहीं थी। यह किसी भी रूप में हमारे प्रदेश के वित्तीय अनुशासन को बिगाड़ने का काम करता है।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, आपने अनुपूरक बजट पर चर्चा में हिस्सा लेने का अवसर दिया। उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मान्यवर, ये नई-नई परंपराएं पड़ रही हैं। इसके पहले कभी भी मैंने ऐसा अवसर नहीं देखा कि वित्त मंत्री या नेता सदन पहले चर्चा में हिस्सा लें।

श्री अध्यक्ष-

नहीं, वित्त मंत्री जी बाद में बोलेंगे। आपके बाद।

श्री लाल जी वर्मा-

नेता सदन भी पहले हिस्सा लें।

श्री अध्यक्ष-

वह तो बजट के बीच में अपनी बात कह सकते हैं।

श्री लाल जी वर्मा-

पहले कभी शुरूआत में ऐसा नहीं हुआ। शुरूआत तो हमेशा नेता विरोधी दल करता है। लेकिन नई-नई परंपरायें बन रही है। अनुपूरक बजट में जिनके लिए अनुपूरक ही नहीं है उन पर भी चर्चा करके पीठ थपथपा रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि मा0 मुख्यमंत्री जी को काम करने से ज्यादा अपनी प्रशंसा करने में ज्यादा आनन्द आता है और इसलिए अपनी प्रशंसा

के लिए अनुपूरक बजट पर चर्चा में हिस्सा लेने का काम करते हैं। दूसरा कोई उनकी प्रशंसा करे तो थोड़ा अच्छा भी लगता है। स्वयं मियां मिट्ठू बनना अपने मुँह से ही, यह बड़ा वाजिब नहीं है ? मान्यवर, मैं ज्यादा लम्बी-चौड़ी बात नहीं करना चाहूँगा। दो-तीन मुद्दों पर अपनी बात रखना चाहूँगा। एक तो यह जो अनुपूरक बजट लाया गया, 8 हजार 54 करोड़ रुपये का, इसकी पूर्ति कहां से हो इसका उल्लेख करना होगा। मा0 वित्त मंत्री जी ने कहा कि 5 हजार 18 करोड़ तो हमें केन्द्र की सरकार से मिल रहा है और बाकी 3 हजार करोड़ रुपये कहां से आयेगा इसका कोई उल्लेख नहीं है? यह उल्लेख किया गया कि हम बचत करके और विभिन्न योजनाओं में कर एवं राजस्व में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करके अनुत्पादक व्यय में कमी करके किया जायेगा। मान्यवर, निश्चित रूप से अनुत्पादक मूल्य में तो कोई कमी हो नहीं रही है और करेत्तर जो हमारी राजस्व प्राप्तियाँ हैं उसमें भी कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हो रही है। मैं अभी देख रहा था नवम्बर तक जितना हमारा टारगेट था, लक्ष्य था, विभिन्न मदवार प्राप्तियों का उसमें ज्यादातर 88 परसेन्ट, 89 परसेन्ट यानि हमने 100 प्रतिशत कहीं अचीव नहीं किया है, कुछ छोटी मदों को छोड़कर। तो इसलिए हमारा निश्चित रूप से जो मा0 संजय गर्ग जी ने कहा कि मूल बजट कम करके और उसमें इसका उल्लेख न करके हम बार-बार अनुपूरक लाकर और घाटे को कम प्रदर्शित करने का काम करते हैं। दूसरा मान्यवर, यह 8 हजार, 54 करोड़ का जो बजट है इसमें से दो मदें महत्वपूर्ण हैं जिसमें 6 हजार 204 करोड़ लेने का काम किया गया। 8054 में से दो विभाग-एक ऊर्जा विभाग में 3894 करोड़ की इस अनुपूरक बजट में व्यवस्था की गयी है और स्वच्छ भारत मिशन में 2310 करोड़, यानि केवल दो मदों में 6204 करोड़। बाकी विभागों में धनराशि को बहुत कम रखने का काम किया गया। मान्यवर, निश्चित रूप से अगर नौजवानों को रोजगार देने के लिए धन की व्यवस्था की गयी होती तो निश्चित रूप से हम उसकी तारीफ करते। मान्यवर, गरीबों के हितों के लिए, बालिकाओं के पढ़ने के लिए, उनके लिए कोई स्कॉलरशिप अलग से देने की व्यवस्था की गयी होती। सावित्री बाई फूले शिक्षा मदद योजना की तरह तो हम भी उसकी तारीफ करने का काम करते। बालिका आशीर्वाद योजना को पुनर्जीवित करके फिर से उसके ढ़ंग से काम करने का प्रयास किया गया होता तो निश्चित रूप से हम उसकी तारीफ करते।

मान्यवर, जो हमारा अनुपूरक बजट है। हम जो मूल बजट में व्यवस्था किये हैं। हम उसको ही नहीं खत्म कर पायें। मैं विभिन्न विभागों पर चर्चा नहीं करूँगा। मा0 संजय गर्ग ने विस्तार से उसको देने का काम किया है। लेकिन जो जनता से जुड़े हुए 5-6 विभाग हैं। मैं केवल उनकी चर्चा आपके बीच में करना चाहूँगा। कृषि विभाग में हमने मूल बजट में रखा था 9 हजार 4 सौ 41 करोड़ और खर्च किया है 5 हजार 3 सौ 62 करोड़। मान्यवर, इसी तरह से चिकित्सा शिक्षा, हम मेडिकल कालेज 15 ले आ रहे हैं। मान्यवर, मूल बजट में 4,748 करोड़ था और खर्च किया है 2,476 करोड़ यानी आधे के करीब। लोक निर्माण विभाग जो सड़क का विभाग है, जिसमें सड़क बननी है, सड़क और निर्माण वाला जो मद संख्या-58 है, उसमें 17,472 करोड़ था और खर्च हुआ है, 5,553 करोड़ यानी 31 परसेण्ट। इसी तरह से चिकित्सा स्वास्थ्य, जिसकी बड़ी चर्चा माननीय मुख्य मंत्री जी ने की है कि हमने बड़ा सुधार किया है, लोगों को स्वास्थ्य मुहैया कराने का काम किया, उसमें 7,694 करोड़ का मूल बजट था

और खर्च हुआ है 3,321 करोड़ यानी 45 प्रतिशत। प्राथमिक शिक्षा में 50,534 करोड़ का मूल बजट था और खर्च किया है, 19,890 करोड़, यानी 44 परसेण्ट, मान्यवर, यह 17 दिसम्बर तक का है जो इस अवधि तक खर्च हुआ है, यह उसका ब्योरा है। समाज कल्याण, पिछड़ा वर्ग में 2,764 करोड़ का बजट था और खर्च हुआ है 636 करोड़ यानी 25 परसेण्ट भी खर्च नहीं हुआ है। मान्यवर, समाज कल्याण विभाग के मद संख्या-80 में 4,554 करोड़ का बजट था और खर्च हुआ है 1484 करोड़ यानी 33 परसेण्ट। समाज कल्याण विशेष घटक, मद संख्या-83 में 26,243 करोड़ का बजट था और खर्च हुआ है 10,609 करोड़ यानी 41 परसेण्ट। मान्यवर, अगर दिसम्बर तक हम 25 परसेण्ट, 41 परसेण्ट, 55 परसेण्ट खर्च कर रहे हैं तो जनवरी, फरवरी, मार्च, तीन महीने में हम सारा खर्च कर लेंगे ऐसा सम्भव नहीं है। मान्यवर, इसलिए बजट में तो लम्बा-चौड़ा प्रावधान करके और उनको कहीं न कहीं से काटना है। मान्यवर, उदाहरण के लिए जैसे लोक निर्माण विभाग में जिला योजना की सड़कें हम पास करते हैं, विभिन्न जिलों में जाकर प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में जिला योजना का बजट पास किया जाता है। हर जिले का बढ़ाकर बजट पास होता है, लेकिन आज तक मान्यवर, जिला योजना के मद में नए निर्माण के लिए एक भी पैसा खर्च करने का काम नहीं किया गया। किसी भी जिले में जिला योजना के अंतर्गत एक भी नई सड़क, एक कि0मी0 भी स्वीकृत करने का काम नहीं किया गया है। मान्यवर, जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा कि भेद-भाव नहीं होगा, मुख्य मंत्री जी ने कहा कि यह सरकार भेद-भाव की बात नहीं करती। मान्यवर, अभी सुबह औचित्य के प्रश्न के रूप में एक विषय आया था, माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की थी कि हर विधान सभा क्षेत्र में प्रतिनिधियों के माध्यम से, विधायकों के माध्यम से 5 करोड़ की योजनायें, सड़कें स्वीकृत की जायेंगी। मान्यवर, आज तक विपक्ष के किसी भी एक सदस्य की एक करोड़ की भी योजना को स्वीकृत करने का काम नहीं किया गया, इससे बड़ा भेद-भाव क्या हो सकता है?

मान्यवर, दूसरी बात, माननीय मुख्य मंत्री जी गोरखपुर से आते हैं। गोरखपुर मेडिकल कॉलेज, बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज की मान्यता नहीं हो पा रही थी। परमानेण्ट रिकग्नाइजेशन नहीं हो पा रहा था। उसकी मान्यता का प्रश्न लगता था, माननीय राधामोहन दास अग्रवाल जी बार-बार उस बात को उठाते थे। हमने उसकी सारी कमियों को पूरा करके रिकग्नाइजेशन कराने का काम किया, सभी विषयों में। लेकिन मान्यवर, आज इस सरकार के माध्यम से भेद-भाव किया जा रहा है। हमारे यहां महामाया मेडिकल कॉलेज, अम्बेडकरनगर है। 300 स्टाफ नर्स के पद स्वीकृत हैं, 66 स्टाफ नर्स कार्यरत हैं। उसमें से भी 22 का ट्रान्सफर गोरखपुर कर दिया जाता है। मान्यवर, इसी तरह से आजमगढ़ से गोरखपुर कर दिया जाता है। मान्यवर, इसी तरीके से कन्नौज से गोरखपुर कर दिया जाता है। यह पक्षपातपूर्ण रवैया नहीं है तो क्या है? मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि हम 15 नये मेडिकल कॉलेज ला रहे हैं। कहना तो आसान है, लेकिन मेडिकल कॉलेज हवा में चलेगा, बिल्डिंग बना देने से चलेगा? फैकल्टी जो पुराने मेडिकल कॉलेज हैं, उसमें पूरी नहीं है। मैं बार-बार इस हाउस में प्रश्न लगा रहा हूं कि अम्बेडकरनगर मेडिकल कॉलेज में हम एम0एस0 और एम0डी0 के क्लासेज कब तक शुरू करने का काम करेंगे ? हर तीसरे वर्ष के बाद जब तीसरे साल की मान्यता मिल

जाती है, मान्यवर, पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल तो हम पी0जी0 के क्लास के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आज तक अम्बेडकरनगर के मेडिकल कालेज का पॉच वर्ष तो पूरा हो गया, छठवॉ, सातवॉ, आठवॉ वर्ष चल रहा है, लेकिन उसमें पी0जी0 क्लासेज के लिए अप्लाई करने का काम नहीं किया गया। हम प्रश्न करते हैं तो जवाब दिया जाता है कि फैकल्टी की कमी है। अगर पुराने मेडिकल कालेजों में फैकल्टी की कमी है तो नये मेडिकल कालेज जो 15 खालेंगे आप कहां से चला ले जायेंगे उसमें फैकल्टी की पूर्ति कहां से करेंगे कोई आसमान से लाने का काम करेंगे। संविदा पर जो चिकित्सक रखे जाते हैं स्वास्थ्य विभाग में उनकों एक लाख से ज्यादा वेतन देने का काम किया जा रहा है और चिकित्सा शिक्षा विभाग में बच्चों को पढाने और इलाज करने के लिए संविदा पर जो टीचर/लेक्चरर रखे जा रहे हैं जो एम0डी0 और एम0एस0 हैं उनका मानदेय जो है जो उनको संविदा पर दिया जा रहा है वह 40 हजार 45 हजार रूपया है। 45 हजार रूपया पाकर कौन एम0डी0 और एम0एस0 डाक्टर मेडिकल कालेज में नौकरी करने जायेगा इस बात पर आपको विचार करने की जरूरत है। निश्चित रूप से यह पक्षपातपूर्ण रवैया नहीं है तो और क्या है। आप चाहते हैं कि लोगों का स्वास्थ्य अच्छा हो हमारे मेडिकल कालेज अच्छे से संचालित हों तो जो 13-14 मेडिकल कालेज पहले से स्थापित हैं जो चल रहे हैं जिसमें एम0बी0बी0एस0 के क्लासेस चल रहे हैं पहले उसमें एम0डी0 और एम0एस0 चलने लायक उसकी फैकल्टी की व्यवस्था करने का काम करें उसमें सारी सुविधायें मुहैया कराने का काम करिये। आज किसी भी मेडिकल कालेज में जो नये मेडिकल कालेज हैं उसमे रेडियो डायग्नोस्टिक का लेक्चरर कार्यरत नहीं है। निश्चित रूप से हम उस कमी को पूरा करने की दिशा में कोई ठोस उपाय नहीं कर रहे हैं, उनका वेतन बढ़ाने की दिशा में हम कोई ठोस उपाय करने का काम नहीं कर रहे हैं। केवल गोरखपुर के मेडिकल कालेज को आप ठीक कर ले बाकी मेडिकल कालेजों को रोने के लिए छोड़ दें तो इसे निश्चित रूप से सुधार होने का काम नहीं होगा। आज बड़े पैमाने पर पक्षपात पूर्ण रवैया अपनाया जाने का काम किया जा रहा है।

मान्यवर, दूसरी तरफ माननीय मुख्य मंत्री जी ने अभी किसानों पर चर्चा करने का काम किया कि हमने किसानों के धान के क्रय के लिए और गेंहूं के क्रय के लिए केन्द्र खोलकर अपनी पीठ थपथपाने का काम किया। मान्यवर, मैं भी जनप्रतिनिधि हूं आप भी जनप्रतिनिधि हैं मैं आज भी गांव में रहता हूं, किसानी भी स्वयं करता हूं धान भी स्वयं बेचने का काम करता हूं। मान्यवर, मैने जो व्यवहांर में देखने का काम किया है कि कहीं पर भी क्रय केन्द्र ठीक से संचालित नहीं है। बिना पैरवी के क्रय का काम नहीं हो रहा है। हां, किसान के नाम पर पेमेन्ट होता है जो मिल मालिक है, राईस मिलर हैं वह किसानों से उनका कागज ले लेते हैं उनकी खतौनी की नकल ले लेते हैं खाता संख्या ले लेते हैं उनका अपने यहां से बिक्री कर देते हैं, अपने यहां खरीद लेते हैं और उनके नाम पेमेन्ट करा लेते हैं और उसके आधार पर उनको कम दाम देने का काम करते है उसमें अपना हिस्सा लेने का काम करते हैं। इस तरह से बड़े पैमाने पर किसानों के साथ ज्यादती हो रही है। इस कारण किसान 1300-1400 प्रति कुंतल पर धान बेचने के लिए मजबूर हो रहा है। मान्यवर, दूसरी तरफ माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपनी बड़ी पीठ थपथपाई अपराध नियंत्रण का उन्होंने आकड़ा देने का भी प्रयास किया कि

अपराध में कमी हुई है। मान्यवर, मेरे पास भी अपराधों का आकड़ा है और यह कोई दूसरे का नहीं माननीय मुख्य मंत्री जी योगी आदित्यनाथ का उत्तर है। उस प्रश्न सं0-6 के उत्तर में इन्होंने अपराधों की समीक्षा की है, महिला अपराधों के बारे में जो इन्होंने उत्तर देने का काम किया है, मैं उसको आपके संज्ञान में केवल आपको बताना चाहूंगा, इन्होंने कहा है कि दिनांक 01-04-2016 से 31-01-2017 तक पहले का लिया है और दूसरा लिया है अपनी सरकार का दिनांक 01-04-2017 से 31-01-2018 तक माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी, माननीय कृषि मंत्री जी सुन ले उसके बाद बात कर लीजिएगा। आप जैसे सीनियर लोग हम लोगों का यही मार्ग दर्शन करेंगे तो कैसे काम चलेगा। अभी यह आकड़ा दिया गया है कि जिसमें दहेज में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कमी आई इसमें दिया है कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के दस्तखत से उत्तर आया है कि इसमें दहेज में पहले था जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी 01-04-2016 से 31-01-2017 तक 2084 था और आज 2223 है, यानी लगभग 200 की वृद्धि हुई है, बलात्कार 2933 से बढ़कर 3704 है, इसमें लगभग 800 की वृद्धि हुई है, शील भंग 01-04-2016 से 31-01-2017 तक 8159 था और वर्तमान में 01-04-2017 से 31-01-2018 तक 11404 है, अपहरण 9828 के सापेक्ष 13226, यानि लगभग 6000 से ज्यादा की वृद्धि हुई है, छेड़खानी 495 से बढ़कर 987 है, महिला उत्पीड़न 10219 था और अब 13392 हो गया है, इस तरह से अपराधों में पर्याप्त वृद्धि हुई है। मान्यवर, दूसरी तरफ यह सरकार किसानों की हितैषी बनने की बात करती है, लेकिन किसानों की जो सुविधाएं हैं उनको देने का काम नहीं करती। मान्यवर, डीजल के दाम में वृद्धि हुई, खाद के दाम में ड्योढ़ा वृद्धि होने का काम हुआ है, अभी माननीय मन्त्री जी ने स्वयं उत्तर में बताया है। आज किसान के जरूरत की तमाम चीजों में वृद्धि हुई है, लेकिन उसके सापेक्ष किसान द्वारा उत्पादित वस्तुओं का दाम बढ़ाने का काम नहीं किया गया है।

मैंने एक प्रश्न किया था कि ऊर्जा विभाग के ट्रांसमिशन लाईन बनाने में जो 400 से ऊपर की 4 सौ, 132 और 6500 की लाईन बनाने का काम किया जा रहा है, उसमें केन्द्र सरकार के ऊर्जा विभाग ने एक सर्कुलर जारी किया है कि उसमें जो खम्भा लगेगा, उसके नीचे की जमीन का और जो तार जायेगा उसके नीचे की जमीन का भी किसान को 85 प्रतिशत और क्रमशः 15 प्रतिशत मार्केट रेट से मुआवजा दिया जायेगा। प्रदेश सरकार ने केवल खम्भा वाले जगह के लिए अपना आदेश जारी करने का काम किया है, लेकिन विभाग द्वारा गांव के किसान को जो खम्भे का मुआवजा मिल रहा है, वह सर्किल रेट से मिल रहा है। सर्किल रेट में जिलाधिकारी ने निर्धारित किया है कि अगर 500 वर्ग मीटर से कम की जमीन का विक्रय होगा तो उसका सर्किल रेट वर्ग मीटर के हिसाब से अकृषक मानकर देने का काम किया जायेगा और इस सरकार के रहते हुए जो किसान को मिल रहा है, उस संबंध में मैं माननीय ऊर्जा मन्त्री जी से चाहूंगा कि वह स्वयं इसका संज्ञान लें। किसान का जो सर्किल रेट 500 वर्ग मीटर से नीचे की जमीन का है, जब उसको अकृषक मानकर देने का निर्णय किया गया है तो यहां पर भी किसान को उसी ढंग से उस जमीन का मुआवजा दिलाने का काम करें। जब उसके जमीन के बीच में खम्भा लग जाता है तो उसकी जमीन बेकार हो जाती है, इससे वह पीड़ित होता है, वह मरता भी है और रोने भी नहीं पाता है, तो सरकार कम से कम मुआवजा देकर उसके

ऑसू पोछने का काम करें। निश्चित रूप से यह सरकार वित्तीय अनुशासन की पूरी तरह से धज्जी उड़ाने का काम कर रही है, कार्यवाही की जो परम्पराएं रही हैं उन परंपराओं को अलग करने का काम कर रही है। निश्चित रूप से पहली बार-एक नई परंपरा, अराजकता की, जो बजरंग दल की परम्परा है, उस अराजकता की परंपरा, जिसमें सुबोध कुमार मारा जाता है, उसके बच्चे कहते हैं कि सबूत मिटाये जा रहे हैं, इस तरह की स्थिति पैदा करने का काम किया जा रहा है। अपराधी घूम रहे हैं और जो अपराधी नहीं हैं उसे जेल भेजा जा रहा है और जो लोग मुल्जिम हैं वह आज भी सीना चौड़ा करके घूम रहे हैं। इस तरह सरकार जो नई संस्कृति, विभेदपूर्ण संस्कृति पैदा करने का काम कर रही है, वह लोकतंत्र के लिए घातक है, जब तक उसको मिटाने का काम नहीं किया जायेगा, तब तक हम लोकतंत्र को मजबूत नहीं कर सकते हैं, तब तक आम जनता का हित नहीं कर सकते हैं, ऐसा निवेदन करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं, धन्यवाद।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी, जिसका नाम अभी इन्होंने लिया उसके पूरे मुल्जिम गिरफ्तार हुए या फिर उनके खिलाफ सी0आर0पी0सी0 की धारा-82 की कार्रवाई की गयी या उनके खिलाफ कुर्की की कार्रवाई की जा रही है। एक जिम्मेदार सदस्य को ऐसा नहीं कहना चाहिए। हम पूरी तरीके से उनके परिवार के साथ हैं और उनके प्रति हमारी पूरी संवेदना है। अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए उनकी जान गयी है। यह सरकार उनके और उनके परिवार के साथ खड़ी हुई है।

अध्यक्ष जी, माननीय वर्मा जी कह रहे थे कि अनुपूरक बजट तो ऐसे ही पास हो जाता है और वह स्वयं 20 मिनट से ज्यादा समय तक बोले।

श्री लाल जी वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, मा0 मुख्य मंत्री जी डेढ़ घण्टा बोले हैं अब अगर माननीय मुख्य मंत्री जी परम्पराओं को तोड़ेंगे तो क्या आप हमसे अपेक्षा करते हैं कि हम दूसरी परम्परा बनायेंगे।

श्री अध्यक्ष-

मा0 वर्मा जी, नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष के समय की सीमा नहीं होती, उनका समय उनके ऊपर छोड़ा जाता है।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

मान्यवर, डेढ़ घण्टे का प्रवचन पूरे सदन ने सुना। यह पहली बार परम्परा बनी की मुख्यमंत्री जी पहले बोल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

नेता सदन के समय के बारे में मैं स्पष्ट कर दूं कि मा0 नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष, परिपाटी यह है कि वह स्वयं अपनी तरफ से संयम बरतेंगे।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

जो प्रवचन यहां पर हुआ, उसमें जितनी बातों को उल्लिखित किया गया वे बिल्कुल सत्य से परे हैं। अध्यक्ष महोदय, यहां जितनी भी योजनाओं का जिक्र किया गया सीधे केन्द्र

सरकार की योजनाओं का जिक्र किया गया। मैं मा0 नेता प्रतिपक्ष और नेता ब0स0पा0 की बातों का समर्थन करते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाऊँगा। जितनी योजनाओं की उपलब्धि गिनायी गयी सब केन्द्र सरकार की योजनायें हैं, प्रदेश सरकार की किसी उपलब्धि की गिनती ही नहीं करायी गयी। महोदय, बात की गयी आवास योजना की, तो इन्दिरा आवास योजना तो बहुत पुरानी योजना है और यह बहुत पहले से चली आ रही है। स्वच्छ भारत, यह भी बड़ी पुरानी योजना है, कोई नई योजना नहीं है और तमाम योजनाओं की गिनती करायी गयी, पेंशन व तमाम चीजों के बारे में माननीय नेता सदन द्वारा बताया गया। महोदय, हमको लगा कि 8054 करोड़ रुपये का जो अनुपूरक बजट आ रहा है तो यह नौजवानों के लिए, किसानों के लिए आयेगा चूंकि चुनावी वर्ष आने वाला है और 2019 नजदीक है। लेकिन इन्होंने न किसानों के लिए और न नौजवानों के लिए कोई नई योजना संचालित की, न नौजवानों के रोजगार में वृद्धि की। लगातार इन लोगों ने केवल पूरे सदन को गुमराह करने के अलावा कुछ नहीं किया। अध्यक्ष जी, 02 अक्टूबर, 2018 का लक्ष्य रखा कि पूरे उत्तर प्रदेश के गॉवों को ओ0डी0एफ0 कर देंगें, हर घर में शौचालय बन जायेगा। अब 02 अक्टूबर से दिसम्बर हुआ, दिसम्बर से पता नहीं कब तक जायेगा इसके समय की कोई गिनती नहीं है। सर्वशिक्षा अभियान में इन लोगों ने शिक्षकों से स्वेटर खरीदवा लिया और वह बेचारे शिक्षक अपने पैसे से स्वेटर खरीद लिये, अब तक उनके पैसे को इन्होंने नहीं दिया जिससे कम से कम शिक्षक उन बेचारे दुकानदारों को दे सकें। महोदय, इतना ही नहीं इन लोगों ने यहां 2014 में भारत सरकार के कानून की बात की और इसी सदन में कहा कि जितने पटरी व्यवसायी हैं टेला व्यवसायी हैं, जितने तमाम छोटे-मोटे दुकानदार हैं उन सारे दुकानदारों को लाइसेंस देकर उनको वहीं नियमितीकरण की व्यवस्था की जायेगी। आज हो क्या रहा है। लखनऊ शहर में सारे पटरी दुकानदारों को उजाड़कर फेंका जा रहा है। उनके निवाले को छीना जा रहा है, उनकी रोटी को छीना जा रहा है, उनके पेट पर लात मारी जा रही है। पुलिस वाले जबरन उनके साथ दुर्व्यवहांर कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं अध्यक्ष जी, उनको जेल की सलाखों के पीछे डाला जा रहा है, उनसे दुनिया भर के अवैध तरीके से पैसे वसूल किये जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी एक तरफ ई रिक्शा बॉटते हैं फोटो खिंचवाते हैं और दूसरी तरफ बड़े बड़े विज्ञापन लगते हैं और यहां पर ई रिक्शा पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, ई रिक्शा वालों का रिक्शा छीनकर कह दिया जाता है कि भाग जाओ यहां तुम्हारे रहने के लिये कोई व्यवस्था नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मुझे लगा पुरानी पेंशन की बात यह सरकार करेगी, उन कर्मचारियों के लिये इन लोगों ने एक समिति गठन किया शायद उन कर्मचारियों की आवाज सुन लेंगें और पुरानी पेंशन की व्यवस्था लागू करेंगें लेकिन इस पर भी इन्होंने कोई काम नहीं किया। इसी सदन में अध्यक्ष महोदय बेसिक शिक्षा मंत्री, मैंने नियम-300 में भी दिया था, बेसिक शिक्षा मंत्री ने अनुदेशकों का 8470 से 9700 रूपया बढ़ाने की घोषणा की और यह अगस्त के महीने का मामला है और यह महीना चल रहा है दिसम्बर का और अब तक सदन में की गई घोषणा का अब तक कोई अनुपालन नहीं हुआ। और उन्होंने कहा था कि 31 हजार अनुदेशकों के लिये हमने एक कमेटी बनाई है, बात चीत चल रही है क्योंकि सदन चल रहा है उन लोगों को हम तत्काल व्यवस्था करके उनकी भर्ती करेंगें। लेकिन महोदय क्या हुआ अनुदेशकों के बारे में।

अनुदेशकों के बारे में महोदय यह हुआ कि इन लोगों ने पूरी प्रक्रिया को ही निरस्त कर दिया। हाई कोर्ट की फर्स्ट बेंच से, सेकेन्ड बेंच से आदेश हो गया लेकिन कोर्ट के आदेश को भी मानने से लगातार सरकार अवहेलना करने का काम कर रही है। शिक्षा मित्र 900 मर चुके और इनको अभी तक उनके प्रति संवेदना नहीं जगी। अध्यक्ष महोदय, रसोइया जो एक हजार रुपये में काम करती हैं स्कूलों में। यही पर बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने कहा था कि रसोइयों के बारे में हम विचार करेंगें। लेकिन रसोइयों के बारे में भी इस सरकार ने कोई विचार करने का काम इस सरकार ने नहीं किया। अध्यक्ष जी, इन्वेस्टर्स समिट की बात माननीय मुख्य मंत्री जी ने कही। यह लोग, मैं संजय गर्ग जी की बात से अपने आप को सम्बद्ध करते हुए कहना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय एक अनुबंध किया के0सी0 इन्फ्रा बिल्ट कम्पनी से 1500 करोड़ रुपये का और अब जब मीडिया ने प्रकाशित किया कि इसके ऊपर सी0बी0आई0 जॉच हो रहा है तो आनन-फानन एवं जल्दी-जल्दी में उसको निरस्त किया। अध्यक्ष महोदय, इनकी नीयत कितनी साफ है, कि तमाम उद्यमियों को बुलाते है, बड़ा मेला लगाते हैं, ब्रांडिंग करते हैं, बैनर पोस्टर की पूरे देश में चर्चा, पेपरों के मुख्य पेज पर, टी0वी0 के विज्ञापन में लेकिन निवेश कितना? जीरो। अध्यक्ष महोदय, इनकी स्थिति यह है कि इन लोगों ने वायदा तो किया था कि पुलिसकर्मियों को ग्राम विकास अधिकारियों को, लेखपालों को, शिक्षकों के बराबर वेतनमान देने की बात इन्होंने यहां पर करी। लोक संकल्प पत्र में वायदा किया था लेकिन मुझे लगा कि यह अनुपूरक बजट ला रहे हैं, लोक संकल्प के वायदों को पूरा करने के लिये लेकिन यह तो पूरा देश जानता है कि जो यह कहेंगें वह यह नहीं करेंगें और जो यह नहीं कहेंगें उसे करते चले जायेंगें। किसानों की बात की। मैंने एक आंकड़ा प्रस्तुत किया तो अध्यक्ष जी हमारे मंत्री जी ने उस पर।

श्री अध्यक्ष-

अब संक्षेप कीजिये। अभी इसे विधान परिषद् भी जाना है।

श्री अजय कुमार 'लल्लू' -

किसान बहदाल है, किसान खून के आंसू रो रहा है। जो उसकी गाढ़ी कमाई, जो वह पैदावार कर रहा है उसका उसको लागत मूल्य उसके पैदा करने के सापेक्ष कहीं से तय नहीं किया जा रहा है अध्यक्ष महोदय। केवल घोषणा हुई है एम0एस0पी0 की लेकिन एम0एस0पी0 पर भी अगर इस सरकार ने कहीं लागू किया रहता अध्यक्ष महोदय तो यह स्थिति न आती। अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी, इसी सदन में मुसहरों के प्रति बड़ी गम्भीर चिन्ता प्रकट किये थे और कहा था कि मैं उनके जीवन में आमूल चूल परिवर्तन लाऊंगा। दो-दो मुसहर भाई पडरौना में पप्पू और फेंकू दोनों मर गये लेकिन अध्यक्ष महोदय इनका कलेजा नहीं पसीजा और न इनके कोई लोग उनसे जाकर मिले और जैसे-तैसे उनकी मृत्यू हो गई। श्रीमन् सरकार और अधिकारियों ने कहा कि टी0बी0 से मरे हैं और जो टी0बी0 का डाक्टर था उसने सार्टिफिकेट दे दिया कि वह टी0बी0 से नहीं भूख से मरे हैं। उसके बाद भी सरकार मानने को तैयार नहीं, ऐसे यह दबाने का काम करते हैं। अध्यक्ष महोदय, पूरा विपक्ष ही नहीं पूरा देश कह रहा है कि लोकतंत्र खतरे में है और इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं जिस इन्सेफेलाइटिस का आंकड़ा माननीय मुख्य मंत्री जी ने यहां दिया अध्यक्ष महोदय, मैंने इसी सदन में उठाया था, गोरखपुर

मेडिकल कालेज में आपातकाल है। कोई मीडिया जाकर वहां से आंकड़ा नहीं मांग सकता है। जो मीडिया कर्मी आंकड़ा मॉंगेगा, उसके घर परिवार वालों के खिलाफ मुकदमा होगा उसे जेल में डाल दिया जाएगा। आज हालात यह है आम आदमी को आंकड़ा नहीं मिल पा रहा है। मौतों की बात करें तो अध्यक्ष महोदय, पिछले समय से ज्यादा मौतें इन्सेफेलाइटिस ए0इ0एस0 और जे0इ0एस0 से हुई है लेकिन यह सरकार ऑंख बन्द करके पड़ी है केवल एक जगह विकास हो रहा है। यह कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं हैं। गोरखपुर शहर में सड़कें सारी चौड़ी हो गई। सारे काम हो रहे हैं लेकिन बगल का कुशीनगर या देवरिया, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर या गाजियाबाद से लेकर आगरा तक, इलाहाबाद तक, इलाहाबाद में तो प्रयाग में कुंभ है लेकिन और कहीं कोई विकास की किरण दिखाई नहीं दे रही है। अध्यक्ष महोदय, हालात यह है कि वैंटीलेटर युक्त गाड़ी की चर्चा की मुख्य मंत्री महोदय ने, मान्यवर, सरकार आई इन्होंने वैंटीलेटर युक्त गाड़ी का उद्घाटन किया लेकिन वह सारी वेंटीलेटर युक्त गाड़ी जिला मुख्यालयों पर पड़ी हैं। सी0एम0ओ0 के कार्यालय पर पड़ी हैं आज तक उन वेंटीलेटर युक्त गाड़ियों के लिए पैसा सरकार के पास नहीं है। 108 नं0 वाली एम्बुलेंस खड़ी हो जा रही हैं तो यह वेंटीलेटर युक्त गाड़ियॉं कैसे चलेंगी। अध्यक्ष महोदय, जो हालात है इस प्रदेश का, प्रदेश अराजकता के दौर से गुजर रहा है। रोज लूट, डकैती, छिनैती अपनी चरम सीमा पर है। अध्यक्ष जी, जिस योजना की बात इन्होंने की ड्राप मोर क्राप, की योजना की बात की, उसकी स्थिति यह है कि दो करोड़ 15 लाख 67 हजार 603 के बीच में मात्र 29 हजार 540 किसानों को मात्र उसका लाभ मिला है। यह मात्र दशमलव एक दो (.12) परसेन्ट है। यानि प्रधानमंत्री जी की इच्छा और सरकार की अपने वायदे में किए गए योजना को केवल एक तरफ दिखाना ही है और कोई योजना नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

समाप्त करें।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

आलू उत्पादक किसानों के लिए अभी तक इन्होंने कोई नीति नहीं बनाई। इन्होंने कोई लक्ष्य तय नहीं किया, रेट निर्धारण नहीं किया,गन्ने का अभी तक कोई रेट निर्धारण नहीं किया। जहां प्रधानमंत्री जी मंचों पर जाते थे कहते थे-गन्ने का दाम पांच सौ रुपये चाहिए या नहीं चाहिए, लेकिन आज पांच सौ तो छोड़िए जो पुराना रेट है वही रेट निर्धारित है। अभी तक इन्होंने रेट निर्धारित करने का काम नहीं किया। अध्यक्ष जी, बन्द चीनी मिल चलाने की कोई योजना इस सरकार की नहीं है पडरौना में माननीय मंत्री जी ने घोषणा किया था आज तक नहीं चली। वैतालपुर के लोग आन्दोलन पर बैठे हैं और आन्दोलन पर बैठने के बाद भी अब तक उनके बारे में कोई विचार नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है अब बैठें।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

अध्यक्ष जी आज की डेट में उरौली तटबंध पर कटान हो रहा है नदी सीधे सड़क को काट रही है मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी को भी पत्र दिया माननीय स्वाती सिंह जी,बाढ़ मंत्री

जी को भी पत्र दिया। अस्थाई संचालन समिति में जिन योजनाओं का चयन होना चाहिए उन योजनाओं का चयन अभी तक नहीं हुआ है, अध्यक्ष महोदय, यहां कह रहे थे कि हम बाढ़ के प्रति बहुत गम्भीर हैं। अगर बाढ़ के प्रति गम्भीर हैं, अधिकारियों ने जिनको अति संवेदनशील कहा है उसको अस्थाई समिति की बैठक करके उसको पहले से तय करके उन परियोजनाओं को स्वीकृत करके काम क्यों नहीं करा देते। आप उसी समय करायेंगे जब बाढ़ का समय आएगा लूट खसोट मिलेगा। अध्यक्ष जी पूरा प्रदेश जल रहा है।

श्री अध्यक्ष-

आपका सुझाव वित्त मंत्री जी ने नोट कर लिया है।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

सात मिनट से भी कम बोला हूं। माननीय अध्यक्ष जी, आपकी कृपा हो तो मैं 2-4 मिनट कानून व्यवस्था पर और बोल लूं। माननीय अध्यक्ष प्रदेश की कानून व्यवस्था बदहाल स्थिति में है। अगर प्रदेश में देखा जाए तो अपराध तेजी से बढ़ा है। महिलाओं की अस्मिता खतरे में पड़ी हुई है।

श्री अध्यक्ष-

आप अनुपूरक बजट पर बोलिये।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

माननीय अध्यक्ष जी, 24 प्रतिशत महिलाओं का अपराध बढ़ा है। रोज छोटे-बड़े व्यापारियों को धमकी दी जा रही है। जनपद कुशीनगर में 1 करोड़ 64 लाख रुपये दिनदहाड़े बैंक से लूट लिये गये और आज तक वह अपराधी पुलिस की पकड़ से बाहर है।

श्री अध्यक्ष-

आप बजट पर बोलें।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरे क्षेत्र में चार महीने में हरियाणा की शराब चार लाख लीटर पकड़ी गयी और वह उत्तर प्रदेश, बिहार का बार्डर है। सात सौ से आठ सौ नौजवान लड़के जेल की सलाखों के पीछे हैं, छोटे-बड़े हाकड़ तो रोज पकड़े जा रहे हैं, लेकिन उसका बड़ा माफिया कौन है, वह आज तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है।

श्री अध्यक्ष-

आप अनुपूरक बजट पर नहीं बोल रहे हैं।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

माननीय अध्यक्ष जी, स्मैक बड़े पैमाने पर मेरे क्षेत्र में बिक रहा है और स्मैक जैसे जहरीले जहर से सैकड़ों लड़के प्रभावित हैं। अब तक 20 से 25 लड़के मर चुके हैं। स्मैक के नशे में कितने लड़कों ने कितने लड़कों की हत्या कर दी है। यह जहर हमारे क्षेत्र में बहुत तेजी से फैल रहा है। आप इसका संज्ञान लेकर इस पर कार्रवाई करवा दीजिए।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, अब सभी बातें आ चुकी हैं। मेरा अनुरोध है कि इस कार्यक्रम को थोड़ा आगे बढ़ा दीजिए।

श्री अध्यक्ष-

आपका पूरा विषय समाप्त हो गया है। आप अनुपूरक बजट पर बोलते ही नहीं है, आप इधर-उधर की बात कर रहे हैं।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने कानून व्यवस्था पर बोलना चाहा है।

श्री अध्यक्ष-

आप अनुपूरक बजट पर बोलिये। मैं मा0 वित्त मंत्री जी को कहता हूं। मा0 वित्त मंत्री जी उत्तर देंगे।

कृषि मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)-

माननीय अध्यक्ष जी, 1991-92 से ही आदरणीय लल्लू जी ने जिस कारोबार की बात की है, वह इन्होंने ही चौरही में शुरू करवाया था, जिसकी वजह से अनेक लोगों की जानें चली गयी थीं।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

माननीय अध्यक्ष जी, मा0 मंत्री जी गलत आरोप लगा रहे हैं। यह आपको शोभा नहीं देता है। अगर इस तरह के कृत्य में मेरा नाम कहीं से भी आ जाए तो मैं अपने पद से इस्तीफा देने को तैयार हूं। यह आरोप ठीक नहीं है। यह आरोप गलत है।

श्री नील रतन सिंह पटेल उर्फ नीलू-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने अनुपूरक बजट पर मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं नेता सदन की अभिव्यक्ति के साथ अपने आपको संबद्ध करते हुए कहना चाहूंगा कि यह अनुपूरक बजट जो प्रस्तुत किया गया है, यह उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास में मील का पत्थर साबित होगा, चाहे वह उत्तर प्रदेश के किसानों के होठों पर मुस्कान लाने के लिए, उत्तर प्रदेश के नौजवानों को रोजगार देने के लिए, कानून व्यवस्था को चुस्त-दुरूस्त बनाने के लिए, उत्तर प्रदेश में व्यापार को गति देने के लिए इस अनुपूरक बजट को बनाने का काम किया गया है। आज उत्तर प्रदेश की जनता काफी खुशहाल है। आज उत्तर प्रदेश का किसान जो रात में सिंचाई करता था, बिजली के इंतजार में कड़ाके की ठण्ड में तमाम किसान मर जाते थे, आज उसको दिन में बिजली मिल रही है और वह बिजली का बिल भी देने में उसको हिचकिचाहट नहीं हो रही है। पहले बिजली नहीं मिलती थी, लेकिन उनसे जबरदस्ती बिल वसूला जाता था, लेकिन आज 20 से 22 घण्टे बिजली मिल रही है और खुशी-खुशी वह उसका पेमेंट करने का काम कर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई जिला नहीं है जहां की सड़कें चमचमा न रही हों। आज चौंड़ी-चौंड़ी सड़कें, फोर लेन-टू लेन की सड़कें आज उत्तर प्रदेश के कोने-कोने में बन रही हैं। जो सड़कें होती हैं

वह भाग्य रेखा होती हैं। आज उत्तर प्रदेश की भाग्य रेखा बदल रही है और निरन्तर उत्तर प्रदेश प्रगति के मार्ग पर चल रहा है। अध्यक्ष महोदय धन्यवाद कि आपने मुझे अनुपूरक बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

वित्त मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल)-

माननीय अध्यक्ष जी धन्यवाद विषय तो बहुत सारे आए हैं नेता प्रतिपक्ष के रूप में भाई संजय गर्ग जी ने कुछ विषय रखे हैं निश्चित रूप से मैं बस एक ही बात कहना चाहूंगा कि उन्होंने संविधान के अनुच्छेद-205 का जिक्र किया लेकिन 205 के बाद दो सौ पांच हजार 'क' भी बड़ा स्पष्ट है। आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि बजट में धनराशियों का आवंटन जो होता है वह कहीं न कहीं अनुमान के आधार पर होता है। इसीलिए इस प्रकार के बजट लाने की व्यवस्था संविधान में की गई है। संविधान में स्पष्ट रूप से है कि अनुच्छेद-204 के उपबन्धों के अनुसार बनाई गई किसी विधि द्वारा किसी विशिष्ट सेवा पर चालू वित्तीय वर्ष के लिए व्यय किए जाने के लिए प्राधिकृत कोई रकम उस वर्ष के प्रयोजनों के लिए अपर्याप्त पाई जाती है या उस वर्ष के वार्षिक वित्तीय वितरण में न की गई हो किसी नई सेवा पर अनुपूरक या अतिरिक्त व्यय के चालू वित्तीय वर्ष के दौरान आवश्यकता पैदा हो गई हो। मैं आपको इस बात का भी धन्यवाद देता हूं कि आपने अपने भाषण में सरकार को संवेदनशील कहा यह सच बात है सरकार बहुत संवेदनशील है। आपने पिछले बजट भी देखा है। मान्यवर, मैं इसलिए याद दिला रहा हूं कि संजय जी हमेशा उपस्थित रहे हैं एफ0आर0 बीम आपने हमेशा क्रास किया है। यह योगी जी की सरकार है जिसने कभी भी वित्तीय अनुशासन को तोड़ने का प्रयास नहीं किया वित्तीय अनुशासन के अन्तर्गत अपने सारे के सारे कार्य किए हैं, वर्मा जी ने कुछ विषय उठाए थे लेकिन भाषण ज्यादा था । मान्यवर, मैंने 2017-18 में नवम्बर, 2017 तक एक लाख तिरानवे हजार तीन सौ सात करोड़ प्वाइंट 45 करोड़ व्यय किया है। जबकि चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में दो लाख बत्तीस हजार पांच सौ नौ प्वाइंट 62 करोड़ का व्यय हुआ है अर्थात गत वर्ष माह, 2017 तक हुए व्यय में 39 हजार 202 प्वाइंट 17 करोड़ का व्यय ज्यादा है। बजट ज्यादा है हम बजट के अनुसार ही चल रहे हैं निश्चित रूप से पिछले अनुमान के आधार पर है लेकिन कतिपय योजनाएं हैं जिनके कारण मूल आय-व्यय के अनुमान न होने के कारण व्यवस्था बनाई गई है, आपने देखा है कि आपने खुद भी स्वीकार किया है कि जितना भी बजट के अन्दर प्राविधान किया गया है वह जनहित के सारे कार्य हैं। आपको नहीं लगता होगा यह अलग बात है। सरकार की महत्वपूर्ण एवं प्राथमिकता वाली योजनाएं जिनके लिए अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता है। उसके लिए अनुपूरक बजट की व्यवस्था की है। मैं आभारी हूं और आप सबसे निवेदन करता हूं कि जनहित के इस बजट के लिए जो पूरा जनहित का बजट है उसको पास कराने में हमारा सहयोग करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

अब मैं प्रश्न उपस्थित करता हूं।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, पहले मंत्री जी सदन में प्रश्न प्रस्तुत तो कर दें।

श्री अध्यक्ष-

वित्तमंत्री जी की तरफ से प्रस्ताव आया है।

श्री लाल जी वर्मा-

अभी प्रस्ताव नहीं आया है।

वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में अनुदानों मांगों पर चर्चा एवं मतदान
अनुदान संख्या 01, 09, 14, 20, 26, 31, 37 लगायत 38, 43, 45, 49, 57 लगायत 60, 81 तथा 83 जिसका विवरण निम्नवत है

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-01, 09,14, 20,26, 31, 37 लगायत 38, 43, 45, 49,57, लगायत 60, 81 तथा 83 के अन्तर्गत कुल रुपए आठ हजार पचास करोड़ सात लाख सत्ताईस हजार (रुपए 8050,07,27,000) की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-01, 09, 14, 20, 26, 31, 37 लगायत 38, 43, 45, 49, 57, लगायत 60, 81 तथा 83 के अन्तर्गत कुल रुपए आठ हजार पचास करोड़ सात लाख सत्ताईस हजार (रुपए 8050,07,27,000) की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 01-आबकारी विभाग

(1) अनुदान संख्या–01–आबकारी विभाग के अन्तर्गत 1,00,00,000 रुपये (एक करोड़ रुपये) की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2018–2019 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या 09-ऊर्जा विभाग

(2) ऊर्जा मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-09-ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत 3894,01,27,000 रुपये (तीन हजार आठ सौ चौरानवे करोड़ एक लाख सत्ताइस हजार रुपये) की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या 14-कृषि तथा अन्य सम्बन्ध विभाग (पंचायतीराज)

(3) मुख्य मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-14-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) के अन्तर्गत 2310,00,00,000 रुपये (दो हजार तीन सौ दस करोड़ रुपये) की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या 20-कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग)

(4) मुख्य मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-20-कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग) के अन्तर्गत 40,00,00,000 रुपये (चालीस करोड़ रुपये) की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या 26-गृह विभाग (पुलिस)

(5) मुख्य मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-26-गृह विभाग (पुलिस) के अन्तर्गत 53,00,00,000 रुपये (तिरपन करोड़ रुपये) की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या 31-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा, शिक्षा एवं प्रशिक्षण)

(6) चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-31-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा, शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के अन्तर्गत 10,05,00,000 रुपये (दस करोड़ पांच लाख रुपये) की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या 37-नगर विकास विभाग

(7) नगर विकास मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-37-नगर विकास विभाग के अन्तर्गत 100,00,00,000 रुपये (एक सौ करोड़ रुपये) की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या 38-नागरिक उड्डयन विभाग

(8) नागरिक उड्डयन मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-38-नागरिक उड्डयन विभाग के अन्तर्गत 500,00,00,000 रुपये (पांच सौ करोड़ रुपये) की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या 43-परिवहन विभाग

(9) मुख्य मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-43-परिवहन विभाग के अन्तर्गत 1,00,000 रुपये (एक लाख रुपये) की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या 45-पर्यावरण विभाग

(10) पर्यावरण मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-45-पर्यावरण विभाग के अन्तर्गत 5,00,00,000 रुपये (पांच करोड़ रुपये) की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या 49-महिला एवं बाल कल्याण विभाग

(11) महिला एवं बाल कल्याण मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-49-महिला एवं बाल कल्याण विभाग के अन्तर्गत 25,00,00,000 रुपये (पच्चीस करोड़ रुपये) की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या 57-लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सेतु)

(12) लोक निर्माण मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-57-लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सेतु) के अन्तर्गत 80,00,00,000 रुपये (अस्सी करोड़ रुपये) की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या 58-लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सड़कें)

(13) लोक निर्माण मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-58-लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सड़कें) के अन्तर्गत 200,00,00,000 रुपये (दो सौ करोड़ रुपये) की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या 59-लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय)

(14) मुख्य मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-59-लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय) के अन्तर्गत 22,00,00,000 रुपये (बाइस करोड़ रुपये) की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या 60-वन विभाग

(15) वन मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-60-वन विभाग के अन्तर्गत 100,00,00,000 रुपये (एक सौ करोड़ रुपये) की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या 81-समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)

(16) समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-81-समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण) के अन्तर्गत 60,00,00,000 रुपये (साठ करोड़ रुपये) की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या 83-समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)

(17) समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-83-समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना) के अन्तर्गत 650,00,00,000 रुपये (छः सौ पचास करोड़ रुपये) की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए स्वीकार की जाय।

उत्तर प्रदेश विनियोग (2018-2019) का द्वितीय अनुपूरक विधेयक, 2018†

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (2018-2019 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 2018 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (2018-2019 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 2018 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया एवं स्वीकृत हुआ।)

---

†दिनांक 20 दिसम्बर, 2018 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विनियोग (2018-2019 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 2018 को पुरःस्थापित करता हूं।

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (2018-2019 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 2018 पर विचार किया जाए।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (2018-2019 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 2018 पर विचार किया जाए?

(प्रश्न उपस्थित किया गया एवं स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 2 से खण्ड 3 तक अनुसूची खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश विनियोग (2018-2019 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 2018

31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिए राज्य की समेकित निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का प्राधिकार देने की व्यवस्था करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम

1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग (2018-2019 का द्वितीय अनुपूरक) अधिनियम, 2018 कहलायेगा।

उत्तर प्रदेश राज्य की समेकित निधि में से वर्ष 2018-2019 के लिए 8054,49,700 रुपये का दिया जाना

2-ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के लिए जो 31 मार्च, 2019 ई0 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ-2 में दी हुई सेवाओं और प्रयोजनों के सम्बन्ध में देने पड़ेंगे, उत्तर प्रदेश राज्य की समेकित निधि में से इतनी धनराशि निकाली और काम में लायी जा सकती है जो अनुसूची के स्तभ-3 में दी हुई धनराशियों से, जिनका कुल योग 8054,49,700 रुपये (रुपये आठ हजार चौवन करोड़ उनचास लाख सत्ताईस हजार मात्र) होता है, से अधिक न हो।

विनियोग

3-इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य की समेकित निधि में से, जिन धनराशियों को निकालने और काम में लाने का प्राधिकार दिया गया है, उनका विनियोग 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उन सेवाओं और प्रयोजनों के लिए किया जायेगा जो अनुसूची में दिये हुए हैं।

अनुसूची

(धारायें 2 और 3 देखें)

1	2		3		
अनुदान/ क्रम संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (लाख रुपयों में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
01	आबकारी विभाग	राजस्व :	100.00	--	100.00
09	ऊर्जा विभाग	राजस्व :	25888.00	--	25888.00
		पूंजी :	363513.27	--	363513.17
14	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायतीराज)	राजस्व :	231000.00	--	231000.00
20	कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग)	राजस्व :	4000.00	--	4000.00
26	गृह विभाग (पुलिस)	राजस्व :	4800.00	--	4800.00
		पूंजी :	500.00	--	500.00
31	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा, शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	राजस्व :	5.00	--	5.00
		पूंजी :	1000.00	--	1000.00
37	नगर विकास विभाग	पूंजी :	10000.00	--	1000.00
38	नागरिक उड्डयन विभाग	पूंजी :	50000.00	--	5000.00
42	न्याय विभाग	राजस्व :	--	440.00	440.00
43	परिवहन विभाग	राजस्व :	1.00	--	1.00
45	पर्यावरण विभाग	राजस्व :	500.00	--	500.00
49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	राजस्व :	2500.00	--	2500.00
57	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन, सेतु)	राजस्व :	500.00	--	500.00
		पूंजी :	7500.00	--	7500.00
58	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन, सड़कें)	पूंजी :	20000.00	--	20000.00
59	लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय)	राजस्व :	2200.00	--	2200.00
60	वन विभाग	पूंजी :	10000.00	--	10000.00
61	वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)	राजस्व :	--	1.00	1.00
		पूंजी :	--	1.00	1.00
81	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	राजस्व :	6000.00	--	6000.00
83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)	राजस्व :	63000.00	--	63000.00
		पूंजी :	2000.00	--	2000.00
	योग . .	**राजस्व :**	**340494.00**	**441.00**	**340935.00**
		पूंजी :	**464513.27**	**1.00**	**464514.27**
	महायोग . .		**805007.27**	**442.00**	**805449.27**

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-3 तक, अनुसूची, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया एवं स्वीकृत हुआ।)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (2018-2019 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 2018 पारित किया जाये।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (2018-2019 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 2018 पारित किया जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया एवं स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष-

यह मद संख्या-39 पहले ली जा चुकी है।

(इसी मध्य 04 बजकर 18 मिनट पर अधिष्ठाता श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव पीठासीन हुए।)

उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2018

आबकारी एवं मद्य निषेध मंत्री (श्री जय प्रताप सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2018 पर विचार किया जाये।

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2018 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाये जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे। समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे।

कारण यह है कि पूरे उत्तर प्रदेश में गन्ने से शीरा बनता है और गन्ने की बिक्री से ही किसान को उसकी उपज का मूल्य और चीनी मिल के मजदूर को मजदूरी मिलती है। चीनी मिल के उत्पादित शीरे को शराब बनाने के लिये कम मूल्य पर दिया जाता है जबकि आवश्यकता यह होनी चाहिये कि उसको 100 परसेंट फ्री कर दिया जाए जिससे ओपेन प्रतिस्पर्धा में बाजार में शीरे का मूल्य अधिक हो जिससे चीनी मिल का शीरा अतिरिक्त रूप में बिके या ज्यादा भाव पर बिके ताकि गन्ना किसानों एवं मजदूरों का भुगतान हो सके। चूंकि इसमें आपने केवल विदेशी शीरा निर्यात की बात कही है तो अच्छा तो यह होगा कि सरकार का काम है गन्ना किसानों का हित, मजदूरों का हित न कि शराब निर्माताओं का हित। आपने कहा है कि आप 12.5 परसेंट शीरा आरक्षित कर रहे हैं। यह शीरा आप अल्कोहल प्लांट को देंगे, डिस्टलरी को देंगे और उससे शराब बनेगी तो मेरा कहना यह है कि विधेयक सदन की एक

प्रवर समिति को सौंप दिया जाए जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे। समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2018 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाए जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2018 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 2 से खण्ड 3 तक खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2018

उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण अधिनियम, 1964 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम एवं विस्तार

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 2018 कहलायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में है।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24 सन् 1964 की धारा-7क का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण अधिनियम, 1964, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 7क में, उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :-

''(1) कोई व्यक्ति, जिसे अपनी आसवनी के लिए अथवा औद्योगिक विकास के किसी अन्य प्रयोजन के लिए या किसी अन्य देश को निर्यात के लिए शीरे की आवश्यकता हो, उस प्रयोजन, जिसके लिए यह अपेक्षित है, को विनिर्दिष्ट करते हुए नियंत्रक को विहित रीति से आवेदन कर सकता है।''

धारा-8 का संशोधन

3-मूल अधिनियम की धारा 8 में, उपधारा (2) में, खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

''(क) ऐसे ही व्यक्ति को शीरा सम्भरित करने की अपेक्षा करेगी जिसे उसकी अपेक्षा, अपनी आसवनी के लिए या औद्योगिक विकास के किसी प्रयोजन के लिए अथवा किसी अन्य देश को निर्यात के लिए, हो।''

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-3 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री जय प्रताप सिंह-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2018 पारित किया जाए।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2018 पारित किया जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर संशोधन विधेयक, 2018

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2018 पर विचार किया जाय।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2018 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 2 से खण्ड 32 तक खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश माल और सेवाकर (संशोधन) विधेयक, 2018†

उत्तर प्रदेश माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश माल और सेवाकर (संशोधन) अधिनियम, 2018 कहलायेगा।

(2) अन्यथा उपबंधित के सिवाय, इस अधिनियम के उपबंध उस तारीख को प्रवृत्त होंगे, जैसा कि राज्य सरकार, गजट में अधिसूचना द्वारा नियत करे :

परन्तु यह कि इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें, नियत की जा सकती हैं और ऐसे किसी उपबंध में इस अधिनियम के प्रारम्भ होने संबंधी किसी निर्देश को उस उपबंध के प्रवृत्त होने संबंधी निर्देश के रूप में माना जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017 की धारा 2 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश माल और सेवाकर अधिनियम, 2017, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 में, :-

(क) खण्ड (4) में, शब्द ''अपील प्राधिकारी और अपील अधिकरण'' के स्थान पर शब्द कोष्ठक और अंक ''अपील प्राधिकारी, अपील अधिकरण और धारा 171 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट प्राधिकारी'' रख दिये जायेंगे;

(ख) खण्ड (16) में, शब्द ''केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड'' के स्थान पर शब्द ''केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड''रख दिये जायेंगे;

(ग) खण्ड (17) में, उपखण्ड (ज) के स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

''(ज) योगक या अनुज्ञप्ति के माध्यम से बुक मेकर हेतु घुड़दौड़ क्लब सहित उसके क्रियाकलाप या ऐसे क्लब में अनुज्ञप्ति प्राप्त बुक मेकर के क्रियाकलाप; और

(घ) खण्ड (18) निकाल दिया जायेगा;

(ङ) खण्ड (35) में, शब्द, कोष्ठक और अक्षर ''खण्ड (ग)'' के स्थान पर शब्द, कोष्ठक और अक्षर ''खण्ड (ख)'' रख दिये जायेंगे;

(च) खण्ड (69) में, उपखण्ड (च) में शब्द और अंक ''अनुच्छेद 371'' के पश्चात शब्द अंक और अक्षर ''और अनुच्छेद-371 ञ'' बढ़ा दिये जायेंगे;

(छ) खण्ड (102) में, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत में बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :-

स्पष्टीकरण-शंकाओं के निराकरण के लिए एतदद्वारा स्पष्ट किया जाता है कि पद ''सेवाओं'' में प्रतिभूतियों में संव्यवहारों को सुकर बनाना या उनका प्रबंध करना सम्मिलित है।''

धारा-7 का संशोधन

3-मूल अधिनियम की धारा 7 में,

(क) उपधारा (1) में :-

(i) खण्ड (ख) में, शब्द ''या कारबार को अग्रसर करने में'' के पश्चात् शब्द ''और'' बढ़ा दिया जायेगा और वह तारीख 1 जुलाई, 2017 को बढ़ाया गया समझा जायेगा;

(ii) खण्ड (ग) में, शब्द ''किसी प्रतिफल'' के पश्चात् शब्द ''और'' निकाल दिया जायेगा और वह तारीख 1 जुलाई, 2017 को निकाला गया समझा जायेगा;

(iii) खण्ड (घ) निकाल दिया जायेगा और वह तारीख 1 जुलाई, 2017 को निकाला गया समझा जायेगा;

(ख) उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी और वह तारीख 1 जुलाई, 2017 को बढ़ायी गयी समझी जायेगी, अर्थात्;

(1क) जहां उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार कतिपय क्रियाकलापों या संव्यवहारों की पूर्ति होती हो, वहां उन्हें अनुसूची-2 में निर्दिष्ट माल की पूर्ति या सेवाओं की पूर्ति के रूप में माना जायेगा।";

(ग) उपधारा (3) में, शब्द, कोष्ठक और अंक "उपधारा (1) और (2)" के स्थान पर शब्द, कोष्ठक और अक्षर "उपधारा (1), (1क) और (2)" रख दिये जायेंगे और वे तारीख 01 जुलाई, 2017 को रखे गये समझे जायेंगे।

धारा-9 का संशोधन

4-मूल अधिनियम की धारा-9 में उपधारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :-

(4) सरकार परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के एक ऐसे वर्ग को विनिर्दिष्ट कर सकती है, जो किसी अरजिस्ट्रीकृत पूर्तिकार से प्राप्त माल या सेवाओं या दोनों के विनिर्दिष्ट प्रवर्गों की पूर्ति के सम्बन्ध में ऐसे माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के प्राप्तिकर्ता के रूप में प्रतिलोम प्रभार के आधार पर कर का संदाय करेंगे और इस अधिनियम के समस्त उपबन्ध ऐसे प्राप्तिकर्ता के प्रति लागू होंगे मानो वह ऐसा व्यक्ति हो जो माल या सेवाओं या दोनों की ऐसी पूर्ति के सम्बन्ध में कर का संदाय करने के लिए दायी हो।"

धारा 10 का संशोधन

5-मूल अधिनियम की धारा-10 में,

(क) उपधारा (1) में :-

(i) "उसके द्वारा संदेय कर के स्थान पर ऐसी दर पर आगणित धनराशि" के स्थान पर शब्द, कोष्ठक और अंक "धारा-9 की उपधारा (i) के अधीन उसके द्वारा संदेय कर के स्थान पर" रख दिये जायेंगे;

(ii) परन्तुक में, शब्द "एक करोड़ रुपये" के स्थान पर, शब्द "एक करोड़ पचास लाख रुपये" रख दिये जायेंगे;

(iii) परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :-

"परन्तु यह और कि ऐसा कोई व्यक्ति, जो खण्ड (क) या खण्ड (ख) या खण्ड (ग) के अधीन कर संदाय करने का विकल्प ग्रहण करता है, राज्य में पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में आवर्त के अनधिक दस प्रतिशत मूल्य की सेवाओं (अनुसूची-2 क पैरा 6 के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट से भिन्न) या पांच लाख रुपये, जो भी अधिक हो, की पूर्ति कर सकता है।"

(ख) उपधारा (2) में खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

''(क) उपधारा (1) में यथा उपबंधित के सिवाय, वह सेवाओं की पूर्ति में नहीं लगा हुआ है।''

धारा-12 का संशोधन

6-मूल अधिनियम की धारा-12 में उपधारा (2) में खण्ड (क) में, शब्द, कोष्ठक और अंक ''उपधारा (1)'' निकाल दिया जायेगा।

धारा-13 का संशोधन

7-मूल अधिनियम की धारा-13 में उपधारा (2) में, शब्द, कोष्ठक और अंक ''की उपधारा (2)'' जहां कहीं आये हों, निकाल दिये जायेंगे।

धारा-16 का संशोधन

8-मूल अधिनियम की धारा-16 में उपधारा (2) में, :-

(क) खण्ड (ख) में, स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

स्पष्टीककरण-इस खण्ड के प्रयोजनों के लिए यह समझा जायेगा कि रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों ने, यथास्थिति, माल या सेवाओं को प्राप्त कर लिया है।

(i) जहां माल का परिदान, किसी पूर्तिकार द्वारा किसी प्राप्तिकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति को ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के निर्देश पर किया गया है, चाहे वह अभिकर्ता के रूप में या अन्यथा माल का संचालन से पूर्व या उसके दौरान, माल पर हक के दस्तावेजों के अन्तरण के माध्यम से या अन्यथा कार्य कर रहा हो;

(ii) जहां सेवा का उपबंध पूर्तिकार द्वारा किसी पूर्तिकार द्वारा किसी व्यक्ति को ऐसे व्यक्ति के निदेश पर और उसके मद्दे किया जाता है।''

(ख) खण्ड (ग) में, शब्द और अंक ''धारा-41'' के स्थान पर शब्द, अंक और अक्षर ''धारा-41 या धारा-43क'' रख दिये जायेंगे।

धारा-17 का संशोधन

9-मूल अधिनियम की धारा-17 में, :-

(क) उपधारा (3) में, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अन्त में बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :-

स्पष्टीकरण-''इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए पद ''छूट प्राप्त पूर्ति का मूल्य'' में अनुसूची-3 के पैरा 5 में विनिर्दिष्ट के सिवाय उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्रियाकलापों या संव्यवहारों का मूल्य सम्मिलित नहीं होगा।''

(ख) उपधारा (5) में खण्ड (क) और (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिये जायेंगे, अर्थात् :-

''(क) अनधिक तेरह व्यक्तियों (चालक सहित) की बैठने की अनुमोदित क्षमता वाले व्यक्तियों के परिवहन हेतु मोटरयान, सिवाय तब जब उनका उपयोग निम्नलिखित कराधेय पूर्तियां करने के लिए किया जाय, अर्थात् :-

(क) ऐसे मोटरयान की अग्रतर पूर्ति; या

(ख) यात्रियों का परिवहन; या

(ग) ऐसे मोटरयान को चलाने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना;

(कक) जलयान और वायुयान, सिवाय तब जब तक उनका उपयोग-

(i) निम्नलिखित कराधेय पूर्तियां करने के लिए किया जाय, अर्थात् :-

(क) ऐसे जलयानों और वायुयान की ओर अग्रतर पूर्ति; या

(ख) यात्रियों का परिवहन; या

(ग) ऐसे जलयानों को चलाने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना; या

(घ) ऐसे वायुयान चलाने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना;

(ii) माल के परिवहन के लिए :-

(कख) साधारण बीमा, सर्विसिंग, मरम्मत और अनुरक्षण की सेवायें, जहां तक उनका सम्बन्ध खण्ड (क) या खण्ड (ख) या खण्ड (कक) में निर्दिष्ट मोटरयानों, जलयानों या वायुयानों से है;

परन्तु यह कि ऐसी सेवाओं से संबंधित इनपुट कर प्रत्यय निम्नानुसार उपबन्ध होगा :-

(i) जहां खण्ड (क) या खण्ड (कक) में निर्दिष्ट मोटरयानों, जलयानों या वायुयानों का उपयोग उसमें विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए किया जाता है;

(ii) जहां किसी ऐसे कराधेय व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया जाता है, जो :-

(i) ऐसे मोटरयानों, जलयानों या वायुयानों के विनिर्माण में; या

(ii) उसके द्वारा बीमा कृत ऐसे मोटरयानों, जलयानों या वायुयानों के सम्बन्ध में साधारण बीमा सेवाओं की पूर्ति में लगा हुआ हो;

(ख) निम्नलिखित माल या सेवाओं दोनों की पूर्ति :-

(i) खाद्य और सुपेय, आउटडोर कैटरिंग, सौन्दर्य उपचार, स्वास्थ्य सेवायें, कास्मेटिक और प्लास्टिक शल्य क्रिया, खण्ड (क) या खण्ड (कक) में निर्दिष्ट मोटरयानों, जलयानों या वायुयानों को पट्टे पर दिया जाना, किराये पर दिया जाना या भाड़े पर लिया जाना, सिवाय तब जब उनका उपयोग, उनमें विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए किया जाय, जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा :

परन्तु यह कि ऐसे माल या सेवाओं या दोनों के सम्बन्ध में इनपुट कर प्रत्यय वहां उपलब्ध होगा जहां ऐसे माल या सेवाओं या दोनों की आवक पूर्ति का उपयोग किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा उसी प्रवर्ग के माल या सेवाओं या दोनों की जावक कराधेय पूर्ति के लिए या कराधेय समिश्र या मिश्रित पूर्ति के किसी तत्व के रूप में किया जाता है;

(i) किसी क्लब, स्वास्थ्य और फिटनेस केन्द्र की सदस्यता; और

(ii) अवकाश पर कर्मचारियों को प्रदान की गयी यात्रा सुविधायें यथा अवकाश या गृह यात्रा सुविधा :

परन्तु यह कि ऐसे माल या सेवाओं या दोनों के सम्बन्ध में इनपुट कर प्रत्यय वहां उपलब्ध होगा, जहां किसी नियोक्ता के लिए अपने कर्मचारियों को तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन उपबन्ध करना बाध्यकारी हो।''

धारा-20 का संशोधन

10-मूल अधिनियम की धारा-20 में, स्पष्टीकरण में, खण्ड (ग) में, शब्द और अंक ''प्रविष्टि 84 के अधीन'' के स्थान पर शब्द, अंक और अक्षर ''प्रविष्टि 84 और 92क के अधीन'' रख दिये जायेंगे।

धारा-22 का संशोधन

11-मूल अधिनियम की धारा-22 में,

(क) उपधारा (1) में, परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :-

''परन्तु यह और कि जहां ऐसा व्यक्ति, ऐसे किसी विशेष प्रवर्ग के राज्य, जिसके सम्बन्ध में केन्द्र सरकार ने प्रथम परन्तुक में निर्दिष्ट समग्र आवर्त को बढ़ाया हो, से माल या सेवाओं की कराधेय पूर्ति करे वहां वह रजिस्ट्रीकृत किये जाने का दायी होगा, यदि किसी वित्तीय वर्ष में उसका समग्र आवर्त ऐसे बढ़े हुये आवर्त के बराबर की धनराशि से अधिक हों;''

(ख) स्पष्टीकरण में, खण्ड (iii) में, यथा विनिर्दिष्ट राज्य के पश्चात् शब्द ''सिवाय जम्मू एवं कश्मीर, अरूणांचल प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम और उत्तराखण्ड राज्य'' बढ़ा दिये जायेंगे।''

धारा-24 का संशोधन

12-मूल अधिनियम की धारा-24 में, खण्ड (x) में शब्द ''वाणिज्य आपरेटर'' के पश्चात् शब्द और अंक ''जिससे धारा-52 के अधीन स्रोत पर कर संग्रह करने की अपेक्षा की जाय'' बढ़ा दिये जायेंगे।

धारा-25 का संशोधन

13-मूल अधिनियम की धारा-25 में,

(क) उपधारा (1) में, परन्तुक के पश्चात् और स्पष्टीकरण से पूर्व निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :-

''परन्तु यह और कि किसी ऐसे व्यक्ति, जिसके पास किसी विशेष आर्थिक जोन में विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 में यथापरिभाषित

कोई यूनिट हो या जो विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता हो, को ऐसे किसी पृथक् रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करना होगा, जो राज्य में विशेष आर्थिक जोन केबाहर अवस्थित उसके कारबार के स्थान से भिन्न हो।''

(ख) उपधारा (2) में, परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

''परन्तु यह कि ऐसे किसी व्यक्ति, जिसके पास राज्य में कारबार के बहुस्थान हों, को विहित की जाने वाली शर्तों के अध्यधीन, कारबार के ऐसे प्रत्येक स्थान के लिए पृथक् रजिस्ट्रीकरण स्वीकृत किया जा सकता है।''

14-मूल अधिनियम की धारा-29 में, धारा-29 का संशोधन

(क) पार्श्व शीर्षक में शब्द ''रद्दकरण'' के पश्चात् शब्द ''या निलंबन'' बढ़ा दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (1) में, खण्ड (ग) पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अन्त में बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :-

''परन्तु यह कि रजिस्ट्रीकरण व्यक्ति द्वारा रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के सम्बन्ध में फाइल की गई कार्यवाहियों के लम्बित रहने के दौरान, रजिस्ट्रीकरण को यथाविहित अवधि के लिए और रीति से, निलंबित रखा जा सकता है;''

(ग) उपधारा (2) में, परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंत में बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :-

''परन्तु यह और कि रजिस्ट्रीकरण कि रद्दकरण के सम्बन्धित कार्यवाहियों के लम्बित रहने के दौरान, उचित अधिकारी यथाविहित अवधि के लिए और रीति से रजिस्ट्रीकरण को निलंबित रखा जा सकता है;''

15-मूल अधिनियम की धारा-34 में, धारा-34 का संशोधन

(क) उपधारा (1) में,

(i) शब्द ''कोई कर बीजक जारी किया गया है'' के स्थान पर शब्द ''एक या अधिक कर बीजक जारी किये गये हैं'' रख दिये जायेंगे;

(ii) शब्द ''जमा पत्र'' के स्थान पर शब्द ''किसी वित्तीय वर्ष में की गयी पूर्तियों के लिए एक या अधिक जमा-पत्र'' रख दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (3) में,

(i) शब्द ''कोई कर बीजक जारी किया गया है'' के स्थान पर शब्द ''एक या अधिक कर बीजक जारी किये गये हैं'' रख दिये जायेंगे;

(ii) शब्द ''नामे पत्र'' के स्थान पर शब्द ''किसी वित्तीय वर्ष में की गयी पूर्तियों के लिए एक या अधिक नामे पत्र'' रख दिये जायेंगे;

धारा-35 का संशोधन

16-मूल अधिनियम की धारा-35 में, उपधारा (5) में, निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :-

''परन्तुक यह कि इस उपधारा में अंतर्विष्ट कोई बात, केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के किसी विभाग या किसी ऐसे स्थानीय प्राधिकरण के लिए लागू नहीं होगी, जिसकी लेखाबहियां, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी स्थानीय प्राधिकरण के लेखाओं की लेखापरीक्षक के लिए नियुक्त किसी लेखा परीक्षक द्वारा लेखा परीक्षा किये जाने के अध्यधीन हों।''

धारा-39 का संशोधन

17-मूल अधिनियम की धारा-39 में,

(क) उपधारा (1) में,

(i) शब्द ''ऐसे प्रारूप और रीति में, जो विहित की जाये'' के स्थान पर शब्द ''ऐसे प्रारूप रीति में तथा ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाये'' रख दिये जायेंगे;

(ii) शब्द ''ऐसे कलेन्डर मास या उसके किसी भाग के उत्तरवर्ती मास के बीसवें दिन को या उससे पूर्व'' निकाल दिये जायेंगे;

(iii) निम्नलिखित परन्तुक अंत में बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :-

''परन्तु यह कि सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के कतिपय ऐसे वर्गों को अधिसूचित कर सकती है जो ऐसी शर्तों और सुरक्षापायों, जो उसमें विनिर्दिष्ट किये जायें, के अध्यधीन, प्रत्येक तिमाही या उसके भाग के लिए विवरणी प्रस्तुत करेंगे।''

(ख) उपधारा (7) में, निम्नलिखित परन्तुक अंत में बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :-

''परन्तु यह कि सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के कतिपय ऐसे वर्गों को अधिसूचित कर सकती है, जो ऐसी शर्तों और सुरक्षापायों, जो उसमें विनिर्दिष्ट किये जायें, के अध्यधीन, विवरणी के अनुसार सरकार को देयकर या उसके आंशिक भाग का संदाय अंतिम तारीख को या उससे पूर्व करेंगे।''

(ग) उपधारा (9) में,

(i) शब्द ''उस मास या तिमाही, जिसके दौरान ऐसा लोप या अशुद्ध विशिष्टियां ध्यान में आई हैं'' के स्थान पर शब्द ''ऐसे प्ररूप और रीति में, जो विहित की जाये'' रख दिये जायेंगे;

(ii) परन्तुक में शब्द ''वित्तीय वर्ष की समाप्ति'' के स्थान पर शब्द ''ऐसे वित्तीय वर्ष, जिससे ऐसे ब्यौरे संबंधित हों, की समाप्ति'' रख दिये जायेंगे;

धारा-43क का बढ़ाया जाना

18-मूल अधिनियम की धारा-43 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :-

विवरणी प्रस्तुत करने और इनपुट कर प्रत्यय का फायदा लेने के लिए प्रक्रिया

''43क (1) धारा-16 की उपधारा (2) धारा 37 या धारा 38 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, धारा-39 की उपधारा (1) के अधीन प्रस्तुत विवरणी में, पूर्तिकारों द्वारा की गई पूर्तियों के ब्यौरों का सत्यापन, विधिमान्यकरण, उसमें उपान्तकरण करेगा या उन्हें निकाल देगा।

(2) धारा-41, धारा-42 या धारा-43 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्राप्तिकर्ता द्वारा इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग करने की प्रक्रिया और उसका सत्यापन उस प्रकार किया जायेगा, जैसा कि विहित किया जाय।

(3) प्राप्तिकर्ता द्वारा इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग करने के प्रयोजनों के लिए, सामान्य पोर्टल पर पूर्तिकार द्वारा जावक पूर्तियों के ब्यौरे प्रस्तुत करने की प्रक्रिया वही होगी, जैसा कि विहित किया जाय।

(4) उपधारा (3) के अधीन उपलब्ध करायी गयी जावक पूर्तियों के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग करने की प्रक्रिया वही होगी, जैसा कि विहित किया जाय और ऐसी प्रक्रिया में इनपुट कर प्रत्यय की ऐसी अधिकतम रकम सम्मिलित हो सकती है, जिसका इस प्रकार उपभोग किया जा सकता है, जो उक्त उपधारा के अधीन पूर्तिकारों द्वारा प्रस्तुत ब्यौरों के आधार पर उपलब्ध इनपुट कर प्रत्यय के बीस प्रतिशत से अधिक न होगी।

(5) ऐसी जावक पूर्तियों, जिसके लिए पूर्तिकार द्वारा उपधारा (3) के अधीन ब्यौरे प्रस्तुत किये गये हों, में विनिर्दिष्ट कर धनराशि को, अधिनियम के उपबंधों के अधीन उसके द्वारा संदेय कर के रूप में माना जायेगा।

(6) किसी पूर्ति का पूर्तिकार और प्राप्तिकर्ता, संयुक्ततः और पृथकतः, जावक पूर्तियों के संबंध में यथास्थिति उपभोग किये गये, इनपुट कर प्रत्यय का संदाय या कर संदाय करने के लिए दायी होंगे, जिनके लिए ब्यौरे उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन प्रस्तुत किये गये हों, किन्तु विवरणी प्रस्तुत न की गई हो।

(7) उपधारा (6) के प्रयोजनों के लिए, वसूली यथा विहित ऐसी रीति से की जायेगी और ऐसी प्रक्रिया में गलती से उपभुक्त अनधिक एक

हजार रुपये कर या इनपुट कर प्रत्यय की धनराशि की वसूली न करने के लिए उपबंध हो सकता है।

(8) जावक पूर्तियों से सम्बन्धित प्रक्रिया, सुरक्षोपायों तथा कर धनराशि की सीमा के ब्यौरे उपधारा (3) के अधीन किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा निम्नानुसार प्रस्तुत किये जा सकते हैं :-

(i) रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने के छह मास के भीतर,

(ii) जिसने कर के संदाय में व्यतिक्रम किया हो और जहां ऐसा व्यतिक्रम, व्यतिक्रमित धनराशि के संदाय के देय तारीख से दो मास से अधिक अवधि के लिए जारी रहता है वहां वह धनराशि होगी, जैसा कि विहित किया जाय।

धारा-48 का संशोधन

19-मूल अधिनियम की धारा-48 में, उपधारा (2) में, शब्द और अंक ''धारा-44'' के पश्चात् ''धारा-45'' एवं ''धारा-45'' के पश्चात् शब्द ''और ऐसे अन्य कृत्य करने के लिए'' बढ़ा दिये जायेंगे।

धारा-49 का संशोधन

20-मूल अधिनियम की धारा-49 में,

(क) उपधारा (2) में, शब्द और अंक ''धारा-41'' के स्थान पर शब्द, अंक और अक्षर ''धारा-41'' या ''धारा-43क'' रख दिये जायेंगे।

(ख) उपधारा (5) में,

(i) खण्ड (ग) में निम्नलिखित परन्तुक अंत में बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :-

''परन्तु यह कि राज्य कर के मद्दे इनपुट कर प्रत्यय का उपयोग एकीकृत कर के संदाय के लिए केवल वहां किया जायेगा, जहां केन्द्रीय कर के मद्दे इनपुट कर प्रत्यय का अतिशेष एकीकृत कर के संदाय के लिए उपलब्ध नहीं है,''

(ii) खण्ड (घ) में निम्नलिखित परन्तुक अंत में बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :-

''परन्तु यह कि संघ राज्य क्षेत्र कर के मद्दे इनपुट कर प्रत्यय का उपयोग, एकीकृत कर के संदाय के लिए केवल वहां किया जायेगा, जहां केन्द्रीय कर के मद्दे इनपुट कर प्रत्यय का अतिशेष एकीकृत कर के संदाय के लिए उपलब्ध नहीं है।''

नई धारा-49क और 49ख का बढ़ाया जाना

21-मूल अधिनियम की धारा-49 के पश्चात् निम्नलिखित धारायें बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात् :-

''49क धारा-49 कतिपय शर्तों के अध्याधीन इनपुट कर प्रत्यय का उपयोग

अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य कर के मद्दे यथास्थिति, एकीकृत कर या राज्य कर के संदाय के प्रति इनपुट कर प्रत्यय का उपयोग एकीकृत कर के मद्दे उपलब्ध इनपुट कर प्रत्यय का ऐसे संदाय के प्रति प्रथमतः पूर्णतया उपयोग कर लिये जाने के पश्चात् ही किया जायेगा।

49ख इस अध्याय में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी और धारा-49 की उपधारा (5) के खण्ड (ङ) और खण्ड (च) के उपबन्धों के अध्याधीन सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर यथास्थिति, एकीकृत कर या केन्द्रीय कर, राज्य कर या संघ राज्य क्षेत्र कर का, ऐसे कर संदाय के प्रति उपयोग किये जाने के आदेश और रीति को विहित कर सकती है।''

इनपुट कर प्रत्यय में उपयोग का आदेश

22-मूल अधिनियम की धारा-52 में, उपधारा (9) में, शब्द और अंक ''धारा 37'' के स्थान पर शब्द और अंक ''धारा 37 या धारा 39'' रख दिये जायेंगे।

धारा-52 का संशोधन

23-मूल अधिनियम की धारा-54 में,

धारा-54 का संशोधन

(क) उपधारा (8) में, खण्ड (क) में शब्द ''शून्य अंकित पूर्तियों'' के स्थान पर शब्द ''निर्यातों'' रख दिये जायेंगे।

(ख) स्पष्टीकरण में खण्ड (2) में,

(i) उपखण्ड (ग) में मद (i) शब्द ''विदेशी मुद्रा'' के पश्चात् शब्द ''या भारतीय रुपये में, जहां कहीं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुज्ञा दी जाय'' रख दिये जायेंगे;

(ii) उपखण्ड (ङ) के स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

(ङ) उपधारा (3) के प्रथम परन्तुक के खण्ड (ii) के अधीन उपयोग न किये गये इनपुट कर प्रत्यय के प्रतिदाय की दशा में, उस अवधि जिसमें ऐसे प्रतिदाय के लिए दावा उत्पन्न होता हो, के लिए धारा-39 के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने हेतु देय तारीख।

24-मूल अधिनियम की धारा-79 में उपधारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :-

धारा-79 का संशोधन

स्पष्टीकरण-इस धारा के प्रयोजनों के लिए शब्द व्यक्ति में, यथास्थिति, धारा-25 की उपधारा (4) या उपधारा (5) में यथानिर्दिष्ट ''विशिष्ट व्यक्ति'' सम्मिलित होंगे।

25-मूल अधिनियम की धारा-107 में उपधारा (6) में खण्ड (ख) में, शब्द ''उक्त आदेश से उद्भूत'' के पश्चात् शब्द ''अधिकतम पच्चीस करोड़ रुपये के अध्यधीन'' बढ़ा दिये जायेंगे।

धारा-107 का संशोधन

26-मूल अधिनियम की धारा-112 में उपधारा (8) में खण्ड (ख) में, शब्द ''उक्त आदेश से उद्भूत'' के पश्चात् शब्द ''अधिकतम पचास करोड़ रुपये के अध्यधीन'' बढ़ा दिये जायेंगे।

धारा-112 का संशोधन

धारा 129 का संशोधन

27-मूल अधिनियम की धारा 129 में उपधारा (6) में, शब्द ''सात दिन'' जहां कहीं आयें हों, के स्थान पर शब्द ''चौदह दिन'' रख दिये जायेंगे।

धारा 143 का संशोधन

28-मूल अधिनियम की धारा 143 में उपधारा (1) में खण्ड (ख) में परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :-

''परन्तु यह और कि पर्याप्त हेतुक दर्शित किये जाने पर, एक वर्ष और तीन वर्ष की अवधि को, आयुक्त द्वारा क्रमशः अनधिक एक वर्ष और दो वर्ष की अग्रतर अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है।''

अनुसूची 1 का संशोधन

29-मूल अधिनियम की अनुसूची 1 में, पैरा 4 में शब्द ''कराधेय व्यक्ति'' के स्थान पर शब्द ''व्यक्ति'' रख दिया जायेगा।

अनुसूची 2 का संशोधन

30-मूल अधिनियम की अनुसूची 2 में, शीर्षक में, शब्द ''क्रियाकलाप'' के पश्चात् शब्द ''या संव्यवहांर'' बढ़ा दिये जायेंगे और वे 1 जुलाई, 2017 से बढ़ाये गये समझे जायेंगे।

अनुसूची 3 का संशोधन

31-मूल अधिनियम की अनुसूची 3 में,

(i) पैरा 6 के पश्चात् निम्नलिखित पैरा बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :-

''7-भारत के बाहर के किसी स्थान से, भारत के बाहर के किसी अन्य स्थान के लिए माल की, ऐसे माल को भारत में प्रवेश किये बिना, पूर्ति।

8-(क) घरेलू उपयोग के लिए निकासी से पूर्व किसी व्यक्ति को भण्डारागार के माल की पूर्ति;

(ख) परेषिती द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को, माल को भारत से बाहर अवस्थित मूल पत्तन से प्रेषित किये जाने के पश्चात् किन्तु घरेलू उपभोग के लिए निकासी से पूर्व माल के हक के दस्तावेज में पृष्ठांकन द्वारा माल की पूर्ति।''

(ii) स्पष्टीकरण को, स्पष्टीकरण 1 के रूप में संख्यांकित किया जायेगा और इस प्रकार संख्यांकित स्पष्टीकरण 1 के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :-

स्पष्टीकरण 2-पैरा 8 के प्रयोजनों के लिए पद ''भांडागार में रखे गये माल'' का वही अर्थ होगा, जो सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (अधिनियम संख्या 52 सन् 1962) में उसके लिए समनुदेशित है।''

उ0 प्र0 अध्यादेश संख्या 12 सन् 2018

निरसन और व्यावृत्ति

32-(1) उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2018 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के सहप्रत्यर्थी उपबन्धों के अधीन कृत या की गयी समझी जायेगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से खण्ड 32 तक, खण्ड 1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2018 पारित किया जाय।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2018 पारित किया जाये?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था संशोधन विधेयक, 2018†

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2018 पर विचार किया जाये।

श्री उज्जवल रमण सिंह-

माननीय अधिष्ठाता जी, यह विधेयक आज ही प्रस्तुत किया गया है इसलिये पहले प्रस्तावित संशोधन विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव आ जाने दीजिये। माननीय मंत्री जी को इस पर बोलना चाहिये था कि वह संशोधन विधेयक क्यों ला रहे हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

यदि आप चाहते हैं तो अभी इस पर अपना प्रस्ताव रख सकते हैं। मैं भी उद्देश्य और कारण स्पष्ट कर दूँगा।

श्री उज्जवल रमण सिंह-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2018 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाये और वह अपना प्रतिवेदन एक माह के अंदर सदन में प्रस्तुत करें।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय नगर विकास मंत्री जी जो प्रस्ताव इस विधेयक के माध्यम से ला रहे हैं उससे वर्तमान व्यवस्था को समाप्त करने का उद्देश्य और कारण स्पष्ट नहीं हो रहा है। कभी एक व्यवस्था लाई जाती है और कभी एक व्यवस्था समाप्त कर दी जाती है। मेरा कहना है कि जब भी कोई विधेयक बने तो बड़ी गंभीरता के साथ उसे बनाना चाहिये।

तात्कालिक जरूरत के हिसाब से एक सरकार विधेयक में संशोधन ले आ रही है और तात्कालिक जरूरत के हिसाब से दूसरी सरकार उसको खत्म कर दे रही है। आपसे मेरा सिर्फ यह पूछना है कि ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी कि आप धारा-7 की उप धारा-3 को समाप्त करने का संशोधन विधेयक ले आये। इसका हमें कहीं कोई कारण नजर नहीं आता है। यदि इस संशोधन विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाये तो बेहतर तरीके से चर्चा होने से इस पर विचार हो जायेगा। हमारा कहना है कि कोई भी विधेयक बने तो कम से कम दस वर्ष और बीस वर्ष के लिए उसकी उपयोगिता होनी चाहिये। लेकिन हर पांच साल में उसका एक सेक्शन जुड़ रहा है और एक सेक्शन निकल रहा है। इससे कहीं न कहीं हमारी विधायिका पर भी प्रश्न उठता है कि हम लोग विधेयक को इतने हल्के तरीके से पास कर देते हैं और बिना सोचे-समझे पास कर देते हैं कि लोग बाहर इसका उपहास उड़ाते हैं। मैं माननीय नगर विकास मंत्री जी से आग्रह करूँगा कि आप इसको वापस ले लें और प्रवर समिति को सौंप दें जिससे चिन्तन और मनन करने के बाद यदि इसी संशोधन को लाना है तो लाया जाये। मुझे लगता है कि यह प्रदेश की जनता के लिए बेहतर होगा। बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, हमने योग्य वारिस की परिभाषा पढ़ी थी कि योग्य वारिस कौन होता है। जो अपने पूर्वजों की, अपने बुजुर्गों की, जो अपने श्रेष्ठ और बड़ों की राय को, उनकी बात को, उनकी जाति को, उनकी जायदाद को आगे बढ़ाये उसको योग्य वारिस कहते हैं। मान्यवर, यह संशोधन आपकी ही पार्टी के एक बहुत वरिष्ठ सदस्य जो वर्षों तक इस प्रदेश के संसदीय कार्य मंत्री भी रहे हैं, उनके द्वारा लाया गया है। आप उसको इस तरह से नकार रहे हैं जो कि उचित नहीं लगता है। मान्यवर, मैं उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2018 की धारा-7(3) को मैं पढ़ देता हूं। इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में, या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी निगम के अध्यक्ष का पद लाभ का पद नहीं समझा जायेगा और निगम के प्रबन्धकीय कृत्यों पर कोई प्राधिकार नहीं होगा। निगम के प्रबन्धकीय कृत्यों का निष्पादन प्रबन्ध निदेशक और निगम के अन्य अधिकारियों द्वारा निगम के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन रहते हुए किया जायेगा। मान्यवर, 7(3) में यह व्यवस्था एक पर्टीकुलर व्यक्ति को इस पद पर बैठाने के लिए की गई थी। चूंकि वह उत्तर प्रदेश के सम्माननीय मंत्री के रूप में आसीन थे इसलिए इस पद को धारण करते हुए उन्होंने यह व्यवस्था कराई थी। आप उसको नकार रहे हैं और हम उसको शिरोधार्य कर रहे हैं। इसलिए आज इसकी आवश्यकता नहीं है। मैं उस पद को धारणा नहीं करना चाहता हूं जो प्रबन्धन में, निगम में, प्रबंध निदेशक को पावर दी गई थी और उसके बाद कई स्थानों पर ऐसा होता है कि अपने से सुपीरियर लोगों का राय-मशविरा अधिकृत रूप से स्वीकृत कर लिया जाये इसलिए उसकी आवश्यकता पड़ी। प्रबन्धन में उनका हस्तक्षेप और इस धारा को जिस लाभ के पद को माइनस किया गया था इसको जोड़कर हम हटा रहे हैं। इसमें समझ नहीं आ रहा है कि प्रवर समिति इसमें बहुत गहन अध्ययन करके कौन-सा नया निष्कर्ष निकाल लेगी क्योंकि वह ऐसी चीज थी जो किसी एक व्यक्ति के लिए बनाई गई थी। अब उसकी आवश्यकता नहीं समझी गई इसलिए उसको समाप्त किया जा रहा है। यहां से धारा-7(3) को डिलीट किया जा रहा है। इसके लिए हम पहले अध्यादेश लाये थे और उसके बाद

दिनांक-5-11-2018 को अध्यादेश जारी हुआ और हमने दिनांक-18-12-2018 को कैबिनेट से इसे पास कराया। अब हम इसको यहां पर लाये हैं। मैं समझता हूं कि इसमें कोई-भी कठिनाई नहीं है इसलिए इस अध्यादेश को प्रवर समिति के सुपुर्द किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। हमारा आपसे अनुरोध है कि आज ही इस पर विचार कर लें और इसको पारित करा दें।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2018 प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2018 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 2 से खण्ड 3 तक खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2018

उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) अधिनियम, 2018 कहा जायेगा।

(2) यह दिनांक 05 नवम्बर, 2018 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-43 सन् 1975 की धारा-7 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975 जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 7 में उपधारा (3) निकाल दी जायेगी और उसे दिनांक 28 जून, 2017 से निकाला गया समझा जायेगा।

निरसन और व्यावृत्ति

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-13 सन् 2018

3-(1) उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) अध्यादेश, 2018 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के सह प्रत्यर्थी उपबन्धों के अधीन कृत या की गयी समझी जायेगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-3 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2018 पारित किया जाय।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2018 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2018

प्राविधिक शिक्षा एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री आशुतोष टण्डन 'गोपाल जी')-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2018 पर विचार किया जाय।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, इसमें कुछ बता दिया जाय कि यह विश्वविद्यालय कहां पर बन रहा है।

श्री आशुतोष टण्डन 'गोपाल जी'-

मान्यवर, यह अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ में बन रहा है। यह एफेलिएटिंग यूनिवर्सिटी होगी। प्रदेश के सारे सरकारी मेडिकल कालेज, निजी मेडिकल कालेज, पैरा मेडिकल कालेज एवं नर्सिंग कालेज सब इससे एफिलिएट होंगे। इस चिकित्सा विश्वविद्यालय के लिए रहमान खेड़ा हरदोई रोड पर स्थान चयनित किया गया है और इसकी काफी समय से आवश्यकता महसूस की जा रही थी क्योंकि ज्यादातर प्रदेशों में एफेलिएटिंग यूनिवर्सिटी हैं। यहां पर एफेलिएटिंग यूनिवर्सिटी नहीं थी। इस चिकित्सा विश्वविद्यालय के बनने से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार आयेगा और एकेडमिक कैलेण्डर लागू होगा सभी इग्जाम में भी पारदर्शिता आयेगी, सभी कार्यों में भी पारदर्शिता आयेगी।

(इसी मध्य 4 बजकर 36 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि इसको पारित करें।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, चूंकि आज ही यह विधेयक लाया गया है। आज ही पुरःस्थापित किया गया और आज ही इसको पास किया जा रहा है। इसमें क्या व्यवस्था है कौन उसका कुलपति होगा, कौन कुलाधिपति होगा हम लोग अभी इसको पढ़ने का काम नहीं कर पाये। लेकिन यह जानकारी संज्ञान में रहनी चाहिए कि हम इतना बड़ा विधेयक पास कर रहे हैं तो वह विधेयक

की जमीनी हकीकत क्या होगी। क्या केवल एफलेटिंग विश्वविद्यालय होगा कि वहाँ भी शिक्षा का एम0बी0बी0एस0, एम0डी0, एम0एस0 की क्लासेस चलायी जायेंगी। या वहाँ चिकित्सालय बनेगा। इस सारे परिप्रेक्ष्य में बातें आनी चाहिए। अगर यह एफेलिएटिंग विश्वविद्यालय है तो मुझे इसमें कुछ भी नहीं कहना है। मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूं। हम बिलकुल इसके पक्ष में हैं। लेकिन इसमें साथ-साथ अगर वहाँ पर शिक्षण, प्रशिक्षण का काम भी वहाँ पर होना है हास्पिटल भी होना है तो निश्चित रूप से इसमें बोलने की जरूरत है। विश्वविद्यालय बन रहा है अच्छी बात है और मा0 अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर बन रहा है यह भी अच्छी बात है। लेकिन जो चिकित्सा विश्वविद्यालय है या जो सामान्य विश्वविद्यालय है। उन दोनों में जमीन-आसमान का फर्क है। मान्यवर, जो दूसरे विश्वविद्यालय हैं उसमें स्टेट गवर्नमेंट का पैसा उतना नहीं लगता है लेकिन अगर चिकित्सा विश्वविद्यालय होगा तो निश्चित रूप से उससे जनता का भी सीधा जुड़ाव है क्योंकि वहां लोगों का गरीबों का इलाज होगा। और वह एक अलग तरह की निकाय होगी। जैसे हमारा एस0जी0पी0जी0आई0 है उसमें हर साल राज्य सरकार को दो-तीन सौ करोड़ से ज्यादा उसमें देना पड़ता है। इसी तरह से जो दूसरे भी विश्वविद्यालय हैं जिसमें राज्य सरकार हर साल बड़े पैमाने पर धन खर्च करती है और जिसका चिकित्सालय भी है। निश्चित रूप से गरीबों की सेवा उसमें हो सके इसलिए मेरा इसमें केवल इतना ही सुझाव है कि अगर उसको विश्वविद्यालय की शक्ल में लाना है उसमें शिक्षण कार्य भी होना है चिकित्सालय भी होना है तो निश्चित रूप से इसमें जो प्राविजन हो कुलाधिपति का जो प्राविजन हो वह सामान्य यूनिवर्सिटी की तरह मत करिये। उसको एम्स से नकल करके करिये। मेरा इतना ही सुझाव है। क्योंकि उसकी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर रहती है। क्योंकि अगर एक मरीज का इलाज ठीक से नहीं हुआ तो उसका सारा ठीकरा सरकार के ऊपर फूटता है। जब आपकी दखलअंदाजी ही नहीं होगी तो आप क्या कर पायेंगे। अगर यह एफेलिएटिंग युनिवर्सिटी है तो हमें इसमें कुछ सुझाव भी नहीं देना है बिलकुल उचित है और सारे मेडिकल कालेजों को एक ऐसी निकाय से निश्चित रूप से जुड़ना चाहिए। पहले भी विश्वविद्यालय का पास हुआ था तो उसको हम अमलीजामा नहीं ला पाये। तो अगर यह एफेलिएटिंग है तो बहुत ही बेहतर है इसमें कोई संशोधन की भी जरूरत बहुत ज्यादा नहीं होगी। लेकिन अगर स्वयं भी चिकित्सालय बनाकर एम्स की तरह या एस0जी0पी0जी0आई0 की तरह कार्य करना है तो मैं कहूंगा कि मंत्री जी उसमें अपने अधिकार को भी रखने का काम करें। केवल मेरा इतना सुझाव है। धन्यवाद।

(इसी मध्य 4 बजकर 44 मिनट पर अधिष्ठाता श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव पीठासीन हुए।)

श्री आशुतोष टण्डन 'गोपाल जी'-

मान्यवर, जब डा0 राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट का विधेयक आया था तब भी लालजी वर्मा जी का यह सुझाव था कि उसका अध्यक्ष चिकित्सा शिक्षा मंत्री होना चाहिए, लेकिन आपने जो शंका प्रकट की है वह शंका रखने की आवश्यकता नहीं है। जो विश्वविद्यालय चल रहे हैं उनमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है और यह भी सुचारू रूप से चलेगा और इसमें आगे चलकर शिक्षण कार्य भी होगा, हॉस्पिटल भी बनाया जायेगा, लेकिन इसका मुख्य कार्य एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी होगा।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, जितने भी विश्वविद्यालय हैं उसके चांसलर महामहिम श्री राज्यपाल जी होते हैं।

श्री लालजी वर्मा-

सभी के नहीं हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

सभी के नहीं हैं यह सही है, लेकिन ज्यादातर के महामहिम राज्यपाल जी ही होते हैं और यह व्यवस्था कोई एक दिन में तय नहीं हुई है। हम राजनीति में बहुत सी चीजों को ऊपर रखना चाहते हैं। खासतौर से जिसमें शिक्षा का नाम दिया जाए। शिक्षा का क्षेत्र अगर राजनीति से ऊपर रहे तो इसके फायदे ज्यादा हैं। इस समय वक्त कम है, नहीं तो हम इस पर बहुत कुछ कह सकते हैं, लेकिन मेरा विशेष रूप से यह आग्रह है कि यह अपने आप में सुनने के लिए एक अच्छा विचार हो सकता है। शिक्षा को राजनीति से ऊपर रखना चाहिए इसी उद्देश्य से महामहिम राज्यपाल जी ऐसी संस्थाओं के चांसलर बनाये गये हैं। यह एक दिन की बहस नहीं है। यह सैकड़ों बहस के बाद निष्कर्ष निकला है कि कौन सी व्यवस्था बेहतर है ? उसमें खामियां किसी भी बात में निकाली जा सकती है। फुलप्रूफ सिस्टम अगर देखा जाए तो यह देखने को तो बहुत मुश्किल से मिलता है और फिर उसका एक्जीक्यूशन तो बहुत ही मुश्किल है, इसलिए मेरा आग्रह है कि जो कुछ भी हम लोगों ने किया है हम उसके ऊपर बल देते हैं और वह तमाम तरीके की व्यवस्थाओं में बेहतर साबित होगा। मैं इसी बात के लिए खड़ा हुआ हूं।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, देश का जो सबसे नामी-गिरामी चिकित्सा संस्थान है वह नई दिल्ली का एम्स माना जाता है। जो बच्चे एम0डी0 या एम0एस0 तथा डी0एम0 या एम0सी0एच0 करना चाहते हैं उनकी पहली पसंद एम्स होती है। क्या एम्स में राजनीतिकरण हो गया ? क्या एम्स की प्रशासनिक व्यवस्था से उसके नाम में कोई कमजोरी आई है? निश्चित रूप से आज तो महामहिम राज्यपाल जी पार्टी विशेष को दावत देते हैं तो महामहिम का पद गैर राजनीतिक कहां रह गया, इसलिए यह कहना कि हम इसको राजनीति से ऊपर रखना चाहते हैं ? राजनीतिक हस्तक्षेप से ही इसमें सुधार सम्भव है। निश्चित रूप से अगर उसमें राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होगा तो सुधार भी सम्भव नहीं है, इसलिए यह कहना उचित नहीं है कि हम उसको अलग रखना चाहते हैं। जहां प्रदेश के तमाम गरीबों से सम्बन्धित इलाज के मामले जुड़े हों और प्रदेश सरकार जहां हर साल दो सौ, ढाई सौ, तीन सौ करोड़ की ग्रांट अलग से देती हो ऐसी संस्थाओं में मेरा यह दृढ़ मत है कि इसमें प्रदेश सरकार का हस्तक्षेप आवश्यक है। अगर एस0जी0पी0जी0आई0 की तरह या अन्य तरह करते तो निश्चित तौर पर मैं इस पर और बल देता, लेकिन आपका यह कहना कि हम इसको राजनीति से ऊपर रखेंगे। मान्यवर, राजनीति से ऊपर क्या हो सकता है ? राजनीति के बगैर प्रदेश का माहौल भी ठीक नहीं होगा और प्रदेश की हर चीज राजनीति से जुड़ी हुई है। मान्यवर, राजनीतिक व्यक्ति हमेशा अच्छा काम करता है

क्योंकि उसको समाज का डर रहता है और उसको समाज की लोकलाज का डर रहता है, इसलिए यह कहना कि हम इसको अलग रख रहे हैं यदि अलग रख रहे हैं तो इसका परिणाम भी गंभीर है। निश्चित रूप से कई ऐसी संस्थाएं हैं। एम्स का मैंने उदाहरण दिया है। राम मनोहर लोहिया विधि विश्वविद्यालय आपके संज्ञान में है। नोएडा में गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय वह भी एक उदाहरण है जो किसी भी मामले में किसी भी प्रदेश के विश्वविद्यालय से उसकी गुणवत्ता में कहीं कोई कमी नहीं है, इसलिए यह कहना मैं समझता हूं कि उचित नहीं है।

मा0 संसदीय कार्य मंत्री ने जो कहा, निश्चित रूप से इसका हम कोई विरोध नहीं कर रहे हैं। मैं सहमत हूं कि इस तरह का एक विश्वविद्यालय बनना चाहिए।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, जो व्यवस्था इसमें हैं वही उचित है और उसी को लागू होना चाहिए, हम इसके ऊपर पुनः बल देते हैं।

श्री अधिष्ठाता-

अब मैं प्रश्न उपस्थित करता हूं। प्रश्न यह है कि अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2018 पर विचार किया जाए?

(प्रश्न उपस्थित हुआ और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 2 से खण्ड-56 तक अनुसूची खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक

अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2018

उत्तर प्रदेश स्थित लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश नामक एक राज्य चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना करने तथा उससे सम्बन्धित और आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

अध्याय-एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1-(1) यह अधिनियम अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2018 कहा जायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य में है।

(3) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जैसा कि सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करे और इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबन्धों के लिए भिन्न-भिन्न दिनांक नियत किये जा सकते हैं।

परिभाषयें

2-जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में-

(1) 'विद्या परिषद् और कार्य परिषद्' का तात्पर्य विश्वविद्यालय के क्रमशः विद्या परिषद् और कार्य परिषद् से है ;

(2) 'सम्बद्ध कालेज' या 'सम्बद्ध संस्था' का तात्पर्य इस अधिनियम और तद्धीन बनायी गयी परिनियमावली के उपबंधों के अनुसार विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कालेज या किसी संस्था से है;

(3) 'नियत दिनांक' का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा धारा-1 की उपधारा (3) के अधीन अधिसूचित दिनांक से है;

(4) 'दन्त विज्ञान, चिकित्सा और परिचर्या' के वही अर्थ होंगे जो क्रमशः अन्त चिकित्सक अधिनियम, 1948 भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956 और भारतीय परिचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 में उनके लिए समनुदेशित हैं;

(5) 'संकाय' का तात्पर्य विश्वविद्यालय के किसी अध्यापन संकाय से है;

(6) 'सरकार' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्य सरकार से है;

(7) 'छात्रावास' का तात्पर्य विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित या मान्यता प्राप्त छात्रों के आवास इकाई से है;

(8) किसी सम्बद्ध कालेज के सम्बन्ध में 'प्रबन्ध तंत्र' का तात्पर्य उस कालेज से प्रभारित और विश्वविद्यालय द्वारा इस रूप में मान्यता प्राप्त प्रबन्ध समिति या अन्य निकाय से है;

(9) 'चिकित्सा विज्ञान' का तात्पर्य आधुनिक चिकित्सा विज्ञान की समस्त शाखाओं से हैं, जिसमें शल्य चिकित्सा, दन्त विज्ञान, परिचर्या, पराचिकित्सा विज्ञान और उसकी समस्त शाखाओं के अन्य समवर्ती विषय सम्मिलित है;

(10) 'विहित' का तात्पर्य परिनियमावली द्वारा विहित से है;

(11) 'परिनियमावली', 'अध्यादेश' और 'विनियमावली' का तात्पर्य विश्वविद्यालय के क्रमशः परिनियमावली, अध्यादेश और परिनियमावली से है;

(12) 'अध्यापक' का तात्पर्य विश्वविद्यालय या उसके सम्बद्ध कालेजों द्वारा अनुदेश या मार्गदर्शन प्रदान करने अथवा अनुसंधान संचालित करने के लिए नियोजित किसी अध्यापक से है, जिसमें किसी सम्बद्ध कालेज का निदेशक या प्राचार्य सम्मिलित है;

(13) 'विश्वविद्यालय' का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय से है।

अध्याय-दो

विश्वविद्यालय

विश्वविद्यालय का निगमितीकरण

3-कुलाधिपति, कुलपति और कार्य परिषद् तथा विद्या परिषद् के सदस्यों, जो विश्वविद्यालय में तत्समय इस रूप में पदधारण करते हों, से राज्य चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ के नाम से एक निगमित निकाय सृजित होगी।

4-(1) प्रथम कुलपति की नियुक्ति, सरकार द्वारा दो वर्ष के लिए की जायेगी। कुलपति और कर्मचारिवृन्द की प्रथम नियुक्ति

(2) प्रतिकुलपति और चिकित्सालयों के चिकित्सा अधीक्षक (अधीक्षकों) की नियुक्ति कुलपति द्वारा विश्वविद्यालय के आचार्यों के मध्य से की जा सकती है।

5-विश्वविद्यालय के उद्देश्य निम्नलिखित हैं :- विश्वविद्यालय के उद्देश्य

(क) चिकित्सा, दन्त विज्ञान, परिचर्या, भेषजी, पराचिकित्सा और समय-समय पर यथाविहित अन्य विषयों में ज्ञान का प्रसार और उसकी अभिवृद्धि करना तथा उनमें दक्ष व्यवस्थित अनुदेश सुनिश्चित करना;

(ख) ट्रामा केन्द्रों सहित बहुशाखीय और अति विशिष्ट चिकित्सालयों का उपबन्ध करना;

(ग) उसके चिकित्सालयों तथा स्वास्थ्य केन्द्रों में रोगियों का उपचार करना;

(घ) सम्बद्ध (सरकारी तथा निजी रूप से प्रबन्धकृत) कालेजों को सम्बद्ध करना, उसका पर्यवेक्षण करना तथा विनियमित करना और तत्सम्बन्धी परीक्षायें संचालित करना;

(ङ) चिकित्सालयों, निदान केन्द्रों तथा रक्त बैंकों को प्रशासित करना, उनका प्रबन्ध एवं नियंत्रण करना;

(च) परम्परागत तथा अभिनव क्षेत्रों में अनुसंधान को सुगम बनाना;

(छ) अध्यापकों और अन्य प्राविधिक तथा परिचिकित्सीय अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु केन्द्र स्थापित करना; और

(ज) संघ, राज्य और अन्य अभिकरणों की विभिन्न योजनाओं को क्रियान्वित करना।

6-विश्वविद्यालय के पास निम्नलिखित शक्तियां और कृत्य होंगे :- विश्वविद्यालय की शक्तियां और कर्तव्य

(एक) चिकित्सा, दन्त विज्ञान, परिचर्या, पराचिकित्सीय तथा अन्य शाखाओं, जैसा कि विश्वविद्यालय उचित समझे, में अध्यापन तथा प्रशिक्षण संस्थित करना और उन शाखाओं में अनुसंधान एवं ज्ञान की अभिवृद्धि एवं प्रसार के लिए उपबंध करना तथा उनकी अनुवृद्धि का प्रबंध करना;

(दो) सम्बद्ध मेडिकल कालेजों, दन्त कालेजों, परिचर्या संस्थाओं तथा परा-चिकित्सा संस्थाओं और ऐसे घटक एवं स्वशासी कालेजों में उपाधियां संस्थित करन तथा प्रदान करना;

(तीन) विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों में छात्रों को प्रवेश का और परीक्षा या परीक्षण आयोजित करना तथा तत्सम्बन्ध में शर्तें अधिकथित करना;

(चार) ऐसे व्यक्तियों के लिए परीक्षायें आयोजित करना और उन्हें उपाधियां, स्नातकोत्तर उपाधियां तथा अन्य विद्या संबंधी विशेष उपाधियां स्वीकृत करना तथा प्रदत्त करना; जो

(क) विश्वविद्यालय या उसके सम्बद्ध कालेजों में पाठ्यक्रमानुसार अध्ययन किये हों; अथवा

(ख) विश्वविद्यालय में अनुसंधान जारी रखे हों;

(पांच) परिनियमावली में अधिकथित रीति से और उसकी शर्तों के अधीन मानद उपाधियां अथवा अन्य विद्या संबंधी विशेष उपाधियां प्रदत्त करना;

(छः) अभ्यर्थियों, जो विश्वविद्यालय के छात्र न हों के लिए ऐसे व्याख्यानों, अनुदेशों तथा प्रशिक्षण का उपबन्ध करना जैसा कि विश्वविद्यालय अवधारित करे;

(सात) अन्य विश्वविद्यालयों तथा प्राधिकरणों के साथ ऐसी रीति से और ऐसे प्रयोजन के लिए जैसाकि विश्वविद्यालय अवधारित करे, सहकार तथा सहयोग करना;

(आठ) छात्रवृत्ति, अध्येतावृत्ति, अध्ययनवृत्ति, वृत्तिका, पदक, पारितोषिक संस्थित करना तथा प्रदान करना और अन्य छात्र कल्याणकारी क्रिया-कलापों का दायित्व ग्रहण करना;

(नौ) किसी उपाधि हेतु पाठ्यक्रम में प्रवेश के प्रयोजनार्थ किसी अन्य विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त कोई उपाधि को अपनी उपाधि के समतुल्य या किसी अन्य विश्वविद्यालय या प्राधिकरण द्वारा आयोजित किसी समकक्ष परीक्षा को माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश की इण्टरमीडिएट परीक्षा के समतुल्य मान्यता प्रदान करना;

(दस) विश्वविद्यालय के उद्देश्यों का पूरा करने के लिए अनुसंधान संस्थानों, अस्पतालों, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों या अन्य आवश्यक बातों की स्थापना अनुरक्षण और प्रशासन करना;

(ग्यारह) छात्रावासों की स्थापना, अनुरक्षण और प्रशासन करना और विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए आवास के स्थानों को मान्यता देना;

(बारह) फीस एवं अन्य प्रभार नियत करना और संग्रह करना;

(तेरह) निवासियों का प्रवेक्षण एवं नियंत्रण करना और विश्वविद्यालय के छात्रों के अनुशासन को विनियमित करना और उनके स्वास्थ्य के संवर्धन के लिए व्यवस्था करना;

(चौदह) अध्यापन, प्रशासनिक, प्राविधिक, अध्यापनेत्तर और विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित अन्य आवश्यक पदों का सृजन करना तथा उन पर नियुक्तियां करना;

(पन्द्रह) श्रेष्ठ शोध और एकस्व कार्यों के प्रकाशन का दायित्व लेना;

(सोलह) अपने चिकित्सालयों में रोगियों के प्रबन्धन और उपचार के लिए उपबन्ध करना;

(सत्रह) किसी राजकीय या निजी चिकित्सा या दन्त चिकित्सा कालेजों या किसी ऐसी संस्था, जो परिचर्या तथा पराचिकित्सा उपाधि पाठ्यक्रमों में शिक्षा या प्रशिक्षण प्रदान कर रही हो, को सम्बद्धता के विशेषाधिकार देना अथवा ऐसे विशेषाधिकारों को वापस लेना या उनमें कटौती करना और ऐसी संस्था के कार्यों का मार्गदर्शन और नियंत्रण करना;

(अट्ठारह) विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए आवश्यक ऐसे सभी कार्य एवं बातें करना चाहें वे उपर्युक्त शक्तियों के आनुषंगिक हों या न हों।

विशेषाधिकारों की अधिकारिता और उनकी स्वीकृति

7-(1) राज्य के किसी अन्य विधि में किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी इस अधिनियम के उपबंध अभिभावी होंगे।

(2) उत्तर प्रदेश राज्य में चिकित्सा विज्ञान या दन्त विज्ञान अथवा परिचर्या तथा पराचिकित्सा शाखाओं में उपाधि पाठ्यक्रमों में शिक्षा प्रदान करने वाला कोई कालेज या संस्था किसी अन्य विश्वविद्यालय से सम्बद्ध नहीं की जायेगी और किसी अन्य राज्य विश्वविद्यालय के किसी भी रूप में किन्हीं विशेषाधिकारों में या उनकी स्वीकृति प्राप्त करने हेतु सरकार का अनुमोदन सम्मिलित होगा।

(3) राज्य में स्थित किसी आयुर्विज्ञान के किसी मेडिकल कालेज या संस्था द्वारा नियत दिनांक के पूर्व अन्य विश्वविद्यालय से उपभुक्त ऐसा कोई विशेषाधिकार, ऐसे दिनांक से प्रत्याहृत माना जायेगा।

(4) नियत दिनांक को और से किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ या उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा या शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय या उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के अधीन गठित किसी राज्य विश्वविद्यालय के विशेषाधिकारों से पूर्व में स्वीकृत या उनसे सम्बद्ध आयुर्विज्ञान के समस्त कालेज और संस्थायें, विश्वविद्यालय के विशेषाधिकारों को स्वीकृत किये हुए या उससे सम्बद्ध समझे जायेंगे।

विश्वविद्यालय, समस्त जातियों एवं पंथों के लिए होगा

8-जाति, वर्ग, पंथ या लिंग के भेदभाव के बिना विश्वविद्यालय सभी व्यक्तियों के लिए होगा :

परन्तु यह कि विश्वविद्यालय :-

(एक) विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता निर्बन्धित कर सकता है;

(दो) तत्समय प्रवृत्त सरकार के किसी विधि या आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, महिला छात्रों और अन्य श्रेणियों के पक्ष में आरक्षण कर सकता है।

निरीक्षण और जांच

9-(1) राज्य सरकार को ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा जैसा वह निदेश दे, विश्वविद्यालय, जिसके अन्तर्गत उसके भवन, पुस्तकालय, प्रयोगशालायें, कर्मशालायें तथा उपस्कर हैं, के संबंध में और विश्वविद्यालय द्वारा कराई गयी परीक्षाओं, अध्यापन तथा समस्त अन्य कार्यों का निरीक्षण कराने की और उसी प्रकार विश्वविद्यालय के प्रशासक तथा वित्त व्यवस्था से सम्बन्धित किसी विषय के सम्बन्ध में निरीक्षण कराने का अधिकार होगा।

(2) जहां सरकार उपधारा (1) के अधीन कोई निरीक्षण या जांच कराने का विनिश्चय करे, तो वह उसकी सूचना कुलसचिव के माध्यम से विश्वविद्यालय को देगी और ऐसे निरीक्षण या जांच में कार्य परिषद् द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित हो सकेगा और उसे इस रूप में सुनवाई का अधिकार होगा :

परन्तु यह कि कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय की ओर से विधि व्यवसायी के रूप में ऐसी निरीक्षण या जांच में उपस्थित नहीं होगा, पक्ष समर्थन नहीं करेगा या कार्य नहीं करेगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन निरीक्षण या जांच करने के लिए नियुक्त व्यक्ति या व्यक्तियों को, शपथ पर साक्ष्य लेने और साक्षियों को उपस्थित कराने तथा दस्तावेजों और सारवान वस्तुओं को प्रस्तुत करने के प्रयोजनार्थ सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन समस्त शक्तियां होंगी और ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 345 और 346 के अर्थान्तर्गत सिविल न्यायालय समझा जायेगा और उसके या उनके समक्ष कार्यवाही भारतीय दण्ड संहिता की धारा 193 और 228 के अर्थान्तर्गत न्यायिक कार्यवाहियां समझी जायेंगी।

(4) सरकार ऐसे निरीक्षण या जांच के परिणाम के प्रति निर्देश, कुलपति को सम्बोधित करेगी और कुलपति, सरकार के विचार और उस पर की जाने वाली कार्यवाही के संबंध में ऐसे परामर्श जैसा कि सरकार प्रदान करे, के साथ कार्य परिषद् को संसूचित करेगी।

(5) कुलपति, तब ऐसे समय के भीतर, जिसे सरकार नियत करे कार्य परिषद् द्वारा की गयी या की जाने वाली प्रस्तावित कार्यवाही की रिपोर्ट उसे प्रस्तुत करेगा।

(6) यदि विश्वविद्यालय के प्राधिकारी युक्तियुक्त समय के भीतर सरकार के समाधान के अनुसार कार्यवाही न करे तो सरकार किसी ऐसे स्पष्टीकरण पर, जिसे विश्वविद्यालय के प्राधिकारी प्रस्तुत करें, विचार करने

के पश्चात् ऐसे निर्देश जारी कर सकेगी जिसे वह ठीक समझे और विश्वविद्यालय के प्राधिकारी ऐसे निर्देशों का अनुपालन करने के लिए बाध्य होंगे।

(7) सरकार, कुलपति को उपधारा (1) के अधीन कराये गये किसी निरीक्षण या जांच की और उपधारा (5) के अधीन कुलपति से प्राप्त प्रत्येक संसूचना की और उपधारा (6) के अधीन जारी किये गये प्रत्येक निदेश की प्रत्येक रिपोर्ट और ऐसे निदेशों का अनुपालन करने अथवा न करने के संबंध में प्राप्त प्रत्येक रिपोर्ट या सूचना की प्रतियां भी भेजेगी।

अध्याय-तीन

विश्वविद्यालय के अधिकारी

विश्वविद्यालय के अधिकारी

10-विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे :-

(क) कुलाधिपति,

(ख) कुलपति,

(ग) प्रतिकुलपति,

(घ) कुलसचिव,

(ङ) वित्त अधिकारी,

(च) परीक्षा नियंत्रक,

(छ) संकाय का संकायाध्यक्ष,

(ज) ऐसे अन्य अधिकारी, जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी घोषित किये जायें।

कुलाधिपति

11-(1) राज्यपाल विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होंगे। वह अपने पद के आधार पर विश्वविद्यालय के प्रधान होंगे और जब वह उपस्थित हों तो विश्वविद्यालय के किसी दीक्षान्त समारोह का सभापतित्व करेंगे।

(2) कोई मानद उपाधि प्रदान करने का प्रत्येक प्रस्ताव कुलाधिपति की पुष्टि के अध्यधीन होगा।

(3) कुलाधिपति का यह कर्तव्य होगा कि विश्वविद्यालय के प्रशासन कार्य से सम्बन्धित ऐसी जानकारी या अभिलेख, जिन्हें कुलाधिपति मांगे, प्रस्तुत करें।

(4) कुलाधिपति को ऐसी अन्य शक्तियां होंगी जो उसे इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा या उनके अधीन प्रदान की जाये।

कुलपति

12-(1) कुलपति विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा और उपधारा (10) की उपधारा (6) द्वारा यथा उपबन्धित के सिवाय वह कुलाधिपति द्वारा उन व्यक्तियों में से नियुक्त किया जायेगा जिनके नाम उपधारा (3) के उपबंधों के अनुसार गठित समिति द्वारा उन्हें प्रस्तुत किये गये हों।

(2) (क) केवल ऐसा व्यक्ति, कुलपति के पद पर नियुक्ति के लिए पात्र होगा जिसने पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त न की हो;

(ख) कुलपति अपने पद ग्रहण करने के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा;

(ग) कुलपति, जिसने पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त न की हो, इस रूप में दूसरी अवधि के लिए नियुक्त किये जा सकते हैं :

परन्तु कुलाधिपति को सम्बोधित और स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा कुलपति अपना पद त्याग कर सकेगा और कुलाधिपति द्वारा ऐसा त्याग-पत्र मंजूर कर लिये जाने पर वह अपना पद धारण करने से विरत हो जायेगा।

(3) कुलपति की नियुक्ति, कुलाधिपति द्वारा ऐसी समिति की संस्तुति पर की जायेगी, जिसमें निम्नलिखित होंगे :-

(क) मुख्य सचिव;

(ख) प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा विभाग;

(ग) कुलपति, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय;

(घ) निदेशक, संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ;

(ङ) चिकित्सा सेवा में एक विशेषज्ञ, जो चिकित्सा संस्था या चिकित्सा विश्वविद्यालय के प्रधान की श्रेणी से नीचे का न हो, जिसे कुलाधिपति द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जायेगा।

(4) उपधारा (2) के अधीन पदावधि समाप्ति अथवा पदत्याग के कारण, कुलपति के पद में होने वाली रिक्ति के दिनांक से यथाशक्य कम से कम साठ दिन पूर्व और जब कभी भी अपेक्षा की जाये और ऐसे दिनांक के पूर्व जो कुलाधिपति द्वारा विनिर्दिष्ट की जाये, समिति कुलपति का पद धारण करने के लिए कुलाधिपति को कम से कम तीन और अधिक से अधिक पांच ऐसे व्यक्तियों के नाम प्रस्तुत करेगी। समिति, कुलाधिपति को नाम प्रस्तुत करते समय सिफारिश किये गये व्यक्तियों में से प्रत्येक की शैक्षणिक अहर्ताओं का एक विवरण भी भेजेगी किन्तु वह उसमें कोई अधिमान क्रम उपदर्शित न करेगी।

(5) जहां कुलाधिपति समिति द्वारा संस्तुत किये गये व्यक्तियों में से किसी एक या अधिक व्यक्ति को कुलपति नियुक्त किये जाने के लिए उपयुक्त नहीं समझते हैं अथवा संस्तुत किये गये व्यक्तियों में से एक या एकाधिक व्यक्ति नियुक्ति के लिए उपलब्ध न हों और कुलाधिपति के लिए चयन करना तीन से कम व्यक्तियों तक सीमित हो जाय तो वह समिति से उपधारा (4) के अनुसार नये नामों की सूची प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेंगे।

(6) यदि समिति की उपधारा (4) या उपधारा (5) में निर्दिष्ट स्थिति में कुलाधिपति द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर किसी नाम का सुझाव देने में विफल या असमर्थ हो या यदि कुलाधिपति समिति द्वारा संस्तुत किये गये नये नाम वालों में से किसी एक या अधिक को कुलपति नियुक्त किये जाने के लिए उपयुक्त नहीं समझते हैं तो कुलाधिपति शिक्षा क्षेत्र में प्रतिष्ठित तीन व्यक्तियों की एक अन्य समिति नियुक्त करेंगे जो उपधारा (4) के अनुसरण में किसी का नाम प्रस्तुत करेगी।

(7) समिति का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण अविधिमान्य नहीं की जायेगी कि उसके सदस्यों में कोई रिक्ति या रिक्तियां विद्यमान थी अथवा किसी ऐसे व्यक्ति ने उसकी कार्यवाहियों में भाग लिया, जिसके संबंध में बाद में यह पाया जाय कि वह ऐसा करने का हकदार नहीं था।

(8) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, कुलपति की परिलब्धियां तथा सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी जो राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त अवधारित करे।

(9) निम्नलिखित किन्हीं भी परिस्थितियों में (जिनके विद्यमान होने के एक मात्र निर्णायक स्वयं कुलाधिपति होंगे) कुलाधिपति, किसी उपयुक्त व्यक्ति को छः मास से अनधिक पदावधि के लिए जैसा वह विनिर्दिष्ट करे, कुलपति के पद पर नियुक्त कर सकेंगे :-

(क) जहां कुलपति का पद छुट्टी लेने के कारण अथवा पदत्याग या पदावधि की समाप्ति से भिन्न किसी अन्य कारण से, रिक्त हो जाये अथवा उसका रिक्त होना सम्भाव्य हो, तो उसकी सूचना कुलसचिव द्वारा कुलाधिपति को तुरन्त दी जायेगी;

(ख) जहां कुलपति का पद रिक्त हो जाये और उसे उपधारा (1) से (5) के उपबंधों के अनुसार सुविधा तथा शीघ्रता से भरा न जा सकता हो;

(ग) किसी अन्य आपात स्थिति में :

परन्तु कुलाधिपति इस उपधारा के अधीन कुलपति पद पर किसी व्यक्ति की नियुक्ति की पदावधि को समय-समय पर बढ़ा सकेंगे किन्तु इस प्रकार की ऐसी नियुक्ति की कुल पदावधि (जिसके अन्तर्गत मूल आदेश में नियत अवधि भी है) एक वर्ष से अधिक न हो।

(10) जब तक कि उपधारा (1) या उपधारा (6) या उपधारा (9) के अधीन नियुक्त कुलपति अपने पद का कार्यभार न संभाल ले तब तक प्रतिकुलपति यदि कोई हो, या जहां कोई प्रतिकुलपति न हो, वहां विश्वविद्यालय का ज्येष्ठतम आचार्य, कुलपति के कर्तव्यों का भी निर्वहन करेगा।

(11) यदि कुलाधिपति की राय में, कुलपति जानबूझ कर इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित नहीं करता है या कार्यान्वित करने से इन्कार करता है कि अपने निहित शक्तियों का दुरुपयोग करता है या यदि कुलाधिपति को यह अन्यथा प्रतीत हो कि कुलपति का पद पर बना रहना विश्वविद्यालय के लिए अहितकर है, तो कुलाधिपति, ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसी वह उचित समझे, आदेश द्वारा कुलपति को हटा सकते हैं।

(12) उपधारा (11) में निर्दिष्ट किसी जांच के विचाराधीन रहने के दौरान या ऐसी जांच को अनुध्यात करते हुए कुलाधिपति यह आदेश दे सकते हैं कि अग्रेतर आदेशों तक :-

(क) ऐसा कुलपति, कुलपति के पद के कार्य संचालन से विरत रहेगा किन्तु उसे ऐसी परिलब्धियां प्राप्त होती रहेंगी जिनके लिए वह अन्यथा उपधारा (8) के अधीन हकदार था;

(ख) कुलपति के पद के कृत्यों का सम्पादन, आदेश में विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा किया जायेगा।

कुलपति की शक्तियां तथा कर्तव्य

13-(1) कुलपति, विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक तथा शैक्षणिक अधिकारी होगा, और :-

(क) विश्वविद्यालय के कार्य-कलापों पर साधारण पर्यवेक्षण और नियंत्रण रखेगा;

(ख) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के विनिश्चयों को कार्यान्वित करेगा;

(ग) कुलाधिपति की अनुपस्थिति में, प्राधिकारियों के अधिवेशनों और विश्वविद्यालय के किसी दीक्षान्त समारोह का सभापतित्व करेगा;

(घ) नये छात्रों का उनके ज्येष्ठों द्वारा किसी हिंसक या अशोभनीय रैगिंग के प्रतिषेध को सम्मिलित करते हुए विश्वविद्यालय में अनुशासन बनाये रखने के लिए उत्तरदायी होगा;

(ङ) विश्वविद्यालय परीक्षाओं का समुचित ढंग से और ठीक समय पर आयोजन और संचालन करने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसी परीक्षाओं का परीक्षाफल शीघ्रता से प्रकाशित किया जाता है और विश्वविद्यालय का शैक्षणिक सत्र समुचित दिनांक को प्रारम्भ एवं समाप्त होता है, उत्तरदायी होगा।

(2) कुलपति, कार्य-परिषद्, विद्या परिषद् तथा वित्त समिति का पदेन सदस्य और अध्यक्ष (अध्यक्षा) होंगे/होंगी।

(3) कुलपति को विश्वविद्यालय के किसी अन्य प्राधिकारी या निकाय के अधिवेशन में बोलने और अन्यथा भाग लेने का अधिकार होगा किन्तु इस उपधारा के आधार पर मत देने का हकदार न होगा।

(4) कुलपति का कर्तव्य होगा कि वह इस अधिनियम, परिनियमों तथा अध्यादेशों के उपबन्धों का निष्ठापूर्वक अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करे और धारा-11 और 50 के अधीन कुलाधिपति की शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उसे ऐसी सभी शक्तियां प्राप्त होंगी जो उसे निमित्त, आवश्यक हों।

(5) कुलपति को कार्य-परिषद्, विद्या परिषद् तथा वित्त समिति की बैठकें बुलाने अथवा बुलवाने की शक्ति होगी :

परन्तु कुलपति विश्वविद्यालय के किसी अन्य अधिकारी को इस उपधारा के अधीन अपनी शक्ति प्रत्यायोजित कर सकेगा।

(6) जहां विश्वविद्यालय के अध्यापक की नियुक्ति से भिन्न कोई ऐसा अत्यावश्यक मामला है, जिसमें तत्काल कार्यवाही करना अपेक्षित हो और उसके सम्बन्ध में कार्यवाही करने के लिए इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन सशक्त विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी या अन्य निकाय द्वारा उस पर तत्काल कार्यवाही न की जा सके तो कुलपति ऐसी कार्यवाही कर सकेगा जो वह ठीक समझे और अपने द्वारा की गई कार्यवाही की तत्काल रिपोर्ट वह कुलाधिपति तथा ऐसे अधिकारी, प्राधिकारी अथवा अन्य निकाय को भी देगा जो साधारण क्रम में उक्त मामले के सम्बन्ध में कार्यवाही करते :

परन्तु यदि उसमें परिनियमों या अध्यादेशों के उपबन्धों से कोई विचलन हो तो कुलाधिपति के पूर्वानुमोदन के बिना कुलपति द्वारा ऐसी कार्यवाही नहीं की जायेगी :

परन्तु यह और कि यदि अधिकारी, प्राधिकारी या अन्य निकाय की यह राय हो कि ऐसी कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए थी, तो वह मामला कुलाधिपति को निर्दिष्ट कर सकेगा जो या तो कुलपति द्वारा की गयी कार्यवाही की पुष्टि कर सकेगा या उसे निष्प्रभावी कर सकेगा अथवा उसे ऐसी रीति से उपान्तरित करेगा जिसे वह ठीक समझे और तदुपरान्त वह कार्यवाही यथास्थिति प्रभावी नहीं होगी या उपान्तरित रूप से प्रभावी होगी तथापि ऐसे निष्प्रभावीकरण या उपान्तर से कुलपति के आदेश द्वारा या उसके अधीन पहले की गयी किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

परन्तु यह और भी कि विश्वविद्यालय की सेवा में किसी व्यक्ति को, जो इस उपधारा के अधीन कुलपति द्वारा की गयी कार्यवाही से व्यथित हो, ऐसे कार्यवाही के विरुद्ध उस दिनांक से जिस दिनांक को ऐसे कार्यवाही पर विनिश्चय से उसे संसूचित किया जाय, अपील करने का अधिकार होगा और तदुपरान्त कार्य परिषद्, कुलपति द्वारा की गयी कार्यवाही को पुष्ट या उपान्तरित कर सकेगी या उसे उलट सकेगी।

(7) उपधारा (6) में किसी बात से कुलपति को कोई ऐसा व्यय उपगत करने के लिए सशक्त नहीं समझा जायेगा जो सम्यक् रूप से प्राधिकृत न हो और जिसकी व्यवस्था, बजट में न की गयी हो।

(8) जहां उपधारा (6) के अधीन कुलपति द्वारा शक्ति के प्रयोग में नियुक्ति सम्मिलित हो, वहां ऐसी नियुक्ति, उक्त विहित रीति से नियुक्ति किये जाने पर अथवा कुलपति के आदेश के दिनांक से छः माह की अवधि के अवसान पर, जो भी पहले हो, समाप्त हो जायेगी।

(9) कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा जैसा कि परिनियमों और अध्यादेशों द्वारा अधिकथित किया जाय।

प्रति कुलपति

14-(1) कुलपति, यदि आवश्यक समझे, विश्वविद्यालय के आचार्यों में से किसी एक को प्रति कुलपति नियुक्त कर सकता है।

(2) उपधारा (1) के अधीन नियुक्ति प्रति कुलपति, आचार्य के रूप में अपने कर्तव्यों के अतिरिक्त कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।

(3) प्रति कुलपति, कुलपति के प्रसाद पर्यन्त पद धारक करेगा।

(4) प्रति कुलपति सरकार द्वारा सामान्य या विशेष आदेशों द्वारा यथा अवधारित धनराशि का विशेष भत्ता प्राप्त करेगा।

(5) प्रति कुलपति, ऐसे मामलों में कुलपति की सहायता करेगा जैसा कि कुलपति द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाय तथा वह कुलपति की अनुपस्थिति में विश्वविद्यालय के बैठकों का सभापतित्व करेगा और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्तव्यों का सम्पादन करेगा जैसाकि कुलपति द्वारा उसे समनुदेशित या प्रत्यायोजित किया जाय।

कुल सचिव

15-(1) कुल सचिव विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होगा।

(2) कुल सचिव की नियुक्ति सरकार द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर की जायेगी जैसाकि विहित किया जाय।

(3) कुल सचिव को विश्वविद्यालय की ओर से अभिलेख अधिप्रमाणित करने की शक्ति होगी।

(4) कुल सचिव, विश्वविद्यालय के अभिलेखों और सामान्य मुद्रा की सम्यक् अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा। वह किसी अध्यापक हेतु कार्य परिषद्, विद्या परिषद्, प्रवेश समिति, अनुशासन समिति का और विश्वविद्यालय के अध्यापकों की नियुक्ति और पदोन्नति हेतु प्रत्येक चयन समिति, का पदेन सचिव होगा और इन प्राधिकारियों तथा कुलपति के समक्ष समय-समय पर अपेक्षित ऐसी समस्त सूचनाओं को रखने के लिए बाध्य होगा किन्तु वह, इस उपधारा के आधार पर मत देने के लिए हकदार नहीं होगा।

(5) कुल सचिव को सरकार के आदेश के सिवाय विश्वविद्यालय में किसी कार्य के लिए कोई पारिश्रमिक न तो प्रदान किया जायेगा और न वह स्वीकार करेगा।

(6) सरकार द्वारा अनुमोदित सदस्य संख्या के सापेक्ष परिनियमावली के अधीन विहित शर्तों पर सहायता देने और सहायता करने के लिए उप कुलसचिव (उप कुलसचिवों) तथा कुल सचिव (सहायक कुल सचिवों) की नियुक्ति की जा सकती है।

वित्त अधिकारी

16-(1) विश्वविद्यालय हेतु एक वित्त अधिकारी होगा जिसकी नियुक्ति सरकार द्वारा एक अधिसूचना द्वारा किया जायेगा और उसके पारिश्रमिक और भत्तों का संदाय, विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा।

(2) सरकार द्वारा स्वीकृत सदस्य संख्या के सापेक्ष, परिनियमावली के अधीन विहित शर्तों पर वित्त अधिकारी को सहायता देने और सहायता करने के लिए एक लेखा अधिकारी की नियुक्ति की जा सकती है।

(3) वित्त अधिकारी, कार्य परिषद् को बजट (वार्षिक प्राक्कलन) और लेखा विवरण प्रस्तुत करने तथा विश्वविद्यालय की ओर से निधियों का आहरण एवं वितरण करने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

(4) वित्त अधिकारी को कार्य परिषद की कार्यवाहियों में बोलने और उनमें अन्यथा भाग लेने का अधिकार होगा किन्तु वह मत देने का हकदार नहीं होगा।

(5) वित्त अधिकारी निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी होंगे :-

(क) यह सुनिश्चित करना है कि विश्वविद्यालय द्वारा (विनिधान से भिन्न) बजट में अप्राधिकृत कोई व्यय उपगत न किया जाय;

(ख) किसी ऐसे प्रस्तावित व्यय को अस्वीकार करना, जो इस अधिनियम के उपबंधों या किन्हीं परिनियमों या अध्यादेशों के निबंधनों का उल्लंघन करता हो;

(ग) यह सुनिश्चित करना कि कोई अन्य वित्तीय अनियमितता न की जाय और लेखा परीक्षा के दौरान उपदर्शित किन्हीं अनियमितताओं को ठीक करने के लिए कदम उठाये जायं;

(घ) यह सुनिश्चित करना कि विश्वविद्यालय की सम्पत्ति तथा उसके विनिधानों का सम्यक रूप से संरक्षण और प्रबंध किया जाय।

(6) वित्त अधिकारी की पहुंच, विश्वविद्यालय के ऐसे अभिलेखों और दस्तावेजों तक होगी तथा वह उन्हें प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है और उसकी राय में उसके कार्यों से सम्बन्धित ऐसी सूचना का प्रस्तुत किया जाना उसके कर्तव्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक हो सकता है।

(7) वित्त अधिकारी को विश्वविद्यालय में किसी कार्य हेतु कोई पारिश्रमिक न तो दिया जायेगा और न ही वह स्वीकार करेगा।

(8) वित्त अधिकारी विश्वविद्यालय की ओर से समस्त संविदायें करेगा और उन पर हस्ताक्षर करेगा।

(9) वित्त अधिकारी की अन्य शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे जैसाकि विहित किया जाय।

परीक्षा नियंत्रक

17-(1) परीक्षा नियंत्रक, विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होगा।

(2) परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति सरकार द्वारा की जायेगी और उसक पारिश्रमिक और भत्तों का संदाय, विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा।

(3) परीक्षा नियंत्रक, अपने कार्य से सम्बन्धित अभिलेखों की सम्यक् अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा। वह विश्वविद्यालय के परीक्षा समिति का पदेन सचिव होगा और वह ऐसी समिति के समक्ष ऐसी समस्त सूचनायें प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी होगा जैसा कि उसके कारबार के संव्यवहार के लिए आवश्यक हो। वह ऐसे अन्य कर्तव्यों का भी सम्पादन करेगा जैसा कि विनियमों और अध्यादेशों द्वारा विहित किया जाय या जैसा कि कार्य परिषद् या कुलपति द्वारा समय-समय पर अपेक्षा की जाय किन्तु वह इस उपधारा के आधार पर मत देने के लिए हकदार नहीं होगा।

(4) परीक्षा नियंत्रक को अपने अधीन कार्यरत कर्मचारियों पर प्रशासनिक नियंत्रण रखना होगा और उसके पास इस संबंध में कुल सचिव की समस्त शक्तियां होंगी।

(5) परीक्षा समिति के अधीक्षण के अध्यधीन परीक्षा नियंत्रक को परीक्षाओं का संचालन करना होगा और उसके लिए समस्त अन्य व्यवस्थायें करनी होगी और तत्सम्बन्धी समस्त प्रक्रियाओं के सम्यक निष्पादन हेतु उत्तरदायी होगा।

(6) परीक्षा नियंत्रक को, सरकार के आदेश के सिवाय विश्वविद्यालय में किसी कार्य हेतु न तो कोई पारिश्रमिक दिया जायेगा और न ही वह स्वीकार करेगा।

(7) जहां परीक्षा नियंत्रक, किसी कारणवश कार्य करने में असमर्थ हो या परीक्षा नियंत्रक का पद रिक्त हो तो उस पद के समस्त कर्तव्यों का सम्पादन यथास्थिति परीक्षा नियंत्रक के पुनः अपने कर्तव्यों को संभालने तक या रिक्ति के भरे जाने तक, कुलपति द्वारा नियुक्त किये गये व्यक्ति द्वारा सम्पादित किया जायेगा।

(8) अतिरिक्त परीक्षा नियंत्रक और उप परीक्षा नियंत्रक को सरकार द्वारा अनुमोदित सदस्य संख्या के सापेक्ष, परिनियमों के अधीन विहित शर्तों पर परीक्षा नियंत्रक को सहायता देने और सहायता करने के लिए नियुक्त किया जा सकता है।

अन्य अधिकारी

18-कुलाधिपति, कुलपति, प्रतिकुलपति, वित्त अधिकारी, कुल सचिव और परीक्षा नियंत्रक, यदि कोई हो जो नियुक्त किये गये हों, से भिन्न विश्वविद्यालय के अधिकारियों की शक्ति वही होगी, जैसा कि अध्यादेशों द्वारा विहित किया जाय या अधिकथित किया जाय।

अध्याय-चार

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

19-विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे, अर्थात् :-

(क) कार्य परिषद्;

(ख) विद्या परिषद्;

(ग) वित्त समिति;

(घ) परीक्षा समिति;

(ङ) संकाय बोर्ड;

(च) विश्वविद्यालय के अध्यापकों की नियुक्ति हेतु चयन समिति;

(छ) प्रवेश समिति;

(ज) ऐसे अन्य प्राधिकारी, जिन्हें परिनियमावली द्वारा विश्वविद्यालय का प्राधिकारी घोषित किया जाय।

कार्य परिषद् का गठन

20-कार्य परिषद् में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :-

(क) कुलपति, जो उसका अध्यक्ष (अध्यक्षा) होगा/होगी;

(ख) प्रति कुलपति, यदि कोई हो;

(ग) प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग अथवा उसका नाम निर्देशिती, जो विशेष सचिव की श्रेणी से नीचे का न हो;

(घ) प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन वित्त विभाग अथवा उसका नाम निर्देशिती, जो विशेष सचिव की श्रेणी से नीचे का न हो;

(ङ) सम्बद्ध कालेजों सहित विश्वविद्यालय के दो संकायों के संकायाध्यक्ष, ज्येष्ठा क्रम में चक्रानुक्रम द्वारा;

(च) महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश;

(छ) निदेशक, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली अथवा उसका नाम-निर्देशिती, जो आचार्य की श्रेणी से नीचे का न हो;

(ज) कुलपति, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ;

(झ) निदेशक, संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ;

(ञ) निदेशक, डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ;

(ट) कार्य परिषद द्वारा नाम-निर्दिष्ट राजकीय मेडिकल कालेजों के दो सेवानिवृत्त प्राचार्य;

(ठ) कुलपति द्वारा नाम निर्दिष्ट किसी राजकीय मेडिकल कालेजों का एक प्राचार्य;

(ड) सम्बद्ध कालेजों सहित विश्वविद्यालय के दो ज्येष्ठ आचार्य, जो कुलपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट किये जायेंगे;

(ढ) राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति के चिकित्सा संस्था से सेवानिवृत्त दो प्रख्यात निदेशक/प्रधान, जो कुलाधिपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट किये जायेंगे।

चिकित्सा व्यवसाय या सामाजिक सेवा में संलग्न सिविल सोसाइटी के दो प्रख्यात सदस्य या सेवानिवृत्त सिविल सेवक या सेवानिवृत्त न्यायाधीश, जो राज्य सरकार की संस्तुति पर कुलाधिपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट किये जायेंगे।

(2) कार्य-परिषद के पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों की पदावधि तीन वर्ष होगी।

(3) कोई व्यक्ति कार्यपरिषद का सदस्य होने और सदस्य (पदेन सदस्य से भिन्न) रहने के लिए अनर्ह होगा, यदि वह या उसका नातेदार विश्वविद्यालय अथवा उसके सम्बद्ध कालेज की सेवा में होंगे अथवा विश्वविद्यालय में या उसके लिए किसी कार्य के लिए कोई पारिश्रमिक अथवा विश्वविद्यालय को माल की आपूर्ति करने की या उसके निमित्त किसी कार्य का निष्पादन करने की कोई संविदा स्वीकार करता है :

परन्तु यह कि इस उपधारा की कोई बात, किसी अध्यापक द्वारा रूप में अथवा विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किसी परीक्षा के सम्बन्ध में किन्हीं कर्तव्यों का पालन करने के लिए अथवा किसी प्रशिक्षण के संबंध में किन्हीं कर्तव्यों का पालन करने के लिए अथवा किसी प्रशिक्षण इकाई या किसी छात्रावास के अधीक्षक या वार्डन अथवा प्राक्टर के रूप में किन्हीं कर्तवयों के लिए अथवा विश्वविद्यालय के संबंध में तत्सदृश किन्हीं कर्तव्यों के लिए कोई पारिश्रमिक स्वीकार करने पर लागू न होगी।

स्पष्टीकरण-इस धारा में नातेदार का तात्पर्य समय-समय पर यथा संशोधित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 में परिभाषित कम्पनी और परिभाषा ब्यौरों के विनिर्देशन नियम, 2014 के नियम 4 के अधीन विहित ''नातेदारों'' से है।

कार्य परिषद की शक्तियां और कर्तव्य

21-कार्य परिषद विश्वविद्यालय की मुख्य कार्यकारी निकाय होगी और इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए उसकी निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात् :-

(एक) विश्वविद्यालय की सम्पत्ति और निधियों को धारण करना और उन पर नियंत्रण रखना;

(दो) विश्वविद्यालय की ओर से किसी जंगम या स्थावर सम्पत्ति का अर्जन या अन्तरण करना;

(तीन) परिनियमों और अध्यादेशों को बनाना, संशोधित करना या निरस्त करना;

(चार) विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए विश्वविद्यालय के व्ययन पर रखी गई किन्हीं निधियों का प्रशासन करना;

(पांच) विश्वविद्यालय का बजट तैयार करना;

(छः) अध्यादेशों के अनुसार छात्रवृत्तियां, अधि-छात्रवृत्तियां, निर्धन छात्रवृत्तियां, पदक और अन्य पारितोषिक प्रदान करना;

(सात) विश्वविद्यालय के अधिकारियों, अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों को नियुक्त करना और उनके कर्तव्यों और उनकी सेवा की शर्तों को परिभाषित करना और उनके पदों की अस्थायी आकस्मिक रिक्तियों को भरने की व्यवस्था करना;

(आठ) परीक्षकों की फीस, परिलब्धियां तथा यात्रा और अन्य भत्ते नियत करना;

(नौ) विश्वविद्यालय को सामान्य मुद्रा का आकार और उसके प्रयोग के सम्बन्ध में निदेश देना;

(दस) विश्वविद्यालय के अध्यापक वर्ग, प्रशासकीय वर्ग और अन्य कर्मचारी वर्ग के सदस्यों में परिनियमों और अन्य अध्यादेशों के अनुसार अनुशासन को विनियमित और प्रवर्तित करना;

(ग्यारह) विश्वविद्यालय के वित्त लेखाओं, विनिधानों, सम्पत्ति, कारोबार और अन्य सभी प्रशासनिक मामलों का प्रबन्ध और विनियमन करना और उक्त प्रयोजन के लिए ऐसे अभिकर्ता नियुक्त करना, जिन्हें वह ठीक समझे;

(बारह) विश्वविद्यालय के किसी धन को (जिसके अन्तर्गत किसी न्यास या विन्यासित सम्पत्ति से होने वाली कोई आय भी है) ऐसे स्टाक, निधियों, शेयरों या प्रतिभूतियों में, जिन्हें वह समय-समय पर ठीक समझें या भारत में स्थावर सम्पत्ति को क्रय करने में विनिहित करना और समय-समय पर ऐसे विनिधान में परिवर्तन करना;

(तेरह) विश्वविद्यालय के कार्य को करने के लिए आवश्यक भवनों, परिसरों, फर्नीचर और साधित्र और अन्य साधनों की व्यवस्था करना;

(पन्द्रह) इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों के अनुसार विश्वविद्यालय और साथ ही साथ घटक, सम्बद्ध कालेजों, चिकित्सालयों और स्वास्थ्य केन्द्रों से सम्बन्धित अन्य सभी विषयों को विनियमित करना और अवधारित करना।

(2) सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना कार्य परिषद, बन्धक, विक्रय, विनियम, दान या अन्यथा द्वारा विश्वविद्यालय की किसी स्थावर सम्पत्ति का (सिवाय साधारण प्रबन्ध के अनुक्रम में मासानुमास किराये पर देने के) न तो अन्तरण करेगी और न सिवाय सरकार से विश्वविद्यालय के लिए कोई सहायता अनुदान प्राप्त होने की शर्त के रूप में अथवा सरकार के पूर्व अनुमोदन से किसी अन्य व्यक्ति से, उसकी प्रतिभूति पर कोई धन उधार या अग्रिम लेगी।

(3) सरकार का पूर्वानुमोदन प्राप्त किये बिना कोई ऐसा व्यय उपगत नहीं किया जायेगा जिसके सम्बन्ध में इस अधिनियम या परिनियमों अथवा अध्यादेशों द्वारा ऐसा अनुमोदन अपेक्षित हो और सरकार के पूर्वानुमोदन के सिवाय अथवा सरकार के किसी सामान्य या विशेष आदेश के सिवाय कोई भी पद विश्वविद्यालय में सृजित नहीं किया जायेगा।

(4) विश्वविद्यालय के विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के वेतन और अन्य भत्ते वहीं होंगे जो राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किये जायें।

(5) कार्य परिषद प्रत्येक वित्तीय वर्ष में आवर्ती और अनावर्ती व्यय कि लिए वित्त समिति द्वारा नियम सीमा से अधिक व्यय उपगत नहीं करेगी।

(6) विद्या परिषद और सम्बन्धित संकायों के बोर्डों के परामर्श पर विचार किये बिना कार्य परिषद, अध्यापकों की संख्या, अर्हताओं और परिलब्धियों और परीक्षकों को संदेय फीस के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं करेगी।

(7) कार्य परिषद, परिनियमों में अधिकथित किन्हीं शर्तों के अधीन रहते हुए विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या किसी अन्य प्राधिकारी को या अपने द्वारा नियुक्त किसी समिति को, अपनी कोई शक्ति, जिसे वह ठीक समझे, प्रत्यायोजित कर सकेगी।

विद्या परिषद

22-(1) विद्या परिषद, विश्वविद्यालय की मुख्य विद्या निकाय होगी और इस अधिनियम, परिनियमों तथा अध्यादेशों के अधीन रहते हुए :-

(क) विश्वविद्यालय में दिये जाने वाले अनुदेश, शिक्षा और किये जाने वाले अनुसंधान कार्य के स्तर को बनाये रखने के लिए उत्तरदायी होगी और उसका नियंत्रण और साधारण विनियमन करेगी;

(ख) विद्या सम्बन्धी समस्त विषयों पर जिनके अन्तर्गत विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित परीक्षाओं से सम्बन्धित विषय भी हैं, कार्य परिषद को परामर्श दे सकेगी; और

(ग) उसकी ऐसी अन्य शक्तियां तथा कर्तव्य होंगे जो उसे परिनियमों द्वारा प्रदत्त हों या उस पर अधिरोपित किये जायें।

(2) विद्या परिषद में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :-

(एक) कुलपति;

(दो) दोनों संकायों के संकायाध्यक्ष;

(तीन) विश्वविद्यालय के सभी अन्य विभागाध्यक्ष;

(चार) विश्वविद्यालय के सभी आचार्य जो विभागाध्यक्ष न हों;

(पांच) चिकित्सा संस्थाओं और मेडिकल कालेजों के दो सेवानिवृत्त प्राचार्य जो कुलपति द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे;

(छः) प्रत्येक संकाय से दो आचार्य, दो सह-आचार्य और दो सहायक आचार्य, जो कुलपति द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे; और

(सात) शिक्षा क्षेत्र में प्रख्यात पांच व्यक्ति जो कुलपति द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे।

(3) नामनिर्दिष्ट सदस्यों की पदावधि दो वर्ष होगी।

वित्त समिति

23-(1) वित्त समिति में निम्नलिखित होंगे :-

(क) कुलपति, जो उसका/उसकी अध्यक्ष (अध्यक्षा) होगा/होगी;

(ख) सरकार के चिकित्सा शिक्षा विभाग का प्रमुख सचिव;

(ग) सरकार के वित्त विभाग का प्रमुख सचिव;

(घ) प्रतिकुलपति, यदि कोई हो;

(ङ) कुल सचिव;

(च) परीक्षा नियंत्रक;

(छ) वित्त अधिकारी जो समिति का सचिव भी होगा।

(2) उपधारा (1) के खण्ड (ख) या खण्ड (ग) में निर्दिष्ट कोई सदस्य, वित्त समिति की किसी बैठक में स्वयं भाग लेने के बजाय राज्य सरकार के संयुक्त सचिव से अनिम्न पद के किसी अधिकारी को प्रतिनियुक्त कर सकता है और इस प्रकार प्रतिनियुक्त अधिकारी को मत देने का भी अधिकार होगा।

(3) वित्त समिति, कार्य परिषद को विश्वविद्यालय की सम्पत्ति तथा निधियों के प्रशासन से सम्बद्ध विषयों पर सलाह देगी। वह विश्वविद्यालय की आय तथा साधनों को ध्यान में रखते हुए, आगामी वित्तीय वर्ष के लिए कुल आवर्ती तथा अनावर्ती व्ययों की सीमा नियत करेगी और किसी विशेष कारण से वित्तीय वर्ष के दौरान इस प्रकार नियत व्ययों की सीमा को पुनरीक्षित कर सकेगी और इस प्रकार नियत सीमा कार्य परिषद पर आबद्धकर होगी।

(4) वित्तीय समिति की ऐसी अन्य शक्तियां तथा कर्तव्य होंगे जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनायी गयी परिनियमावली द्वारा उसे प्रदत्त हों अथवा उस पर अधिरोपित किये जायं।

संकाय

24-(1) विश्वविद्यालय में औषधि, दंत विज्ञान, परिचर्या, परा चिकित्सा संकाय और यथाविहित अन्य संकाय होंगे।

(2) प्रत्येक संकाय में अध्यापन के ऐसे विभाग समाविष्ट होंगे जो विहित किये जायं और प्रत्येक विभाग में ऐसे पाठ्य विषय होंगे जो उसे अध्यादेशों द्वारा समनुदेशित किये जायं।

(3) प्रत्येक संकाय का एक बोर्ड होगा, जिसका गठन (उसके सदस्यों की पदावधि सहित) तथा उसकी शक्तियां और कर्तव्य वही होंगे जैसा विहित किया जाये।

(4) प्रत्येक संकाय का एक संकायाध्यक्ष होगा जो आचार्यों में से चक्रानुक्रम द्वारा ज्येष्ठता क्रम में चुना जायेगा और तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा।

(5) संकायाध्यक्ष संकाय के बोर्ड का/की अध्यक्ष (अध्यक्षा) होगा/होगी और वह :-

(क) संकाय में समाविष्ट विभागों के अध्यापन तथा अनुसंधान कार्य के संगठन तथा संचालन के लिए;

(ख) संकाय से सम्बन्धित परिनियमों, अध्यादेशों तथा विनियमों के सम्यक पालन के लिए, उत्तरदायी होगा।

(6) विश्वविद्यालय में प्रत्येक अध्यापन विभाग में एक विभागाध्यक्ष होगा जिसकी नियुक्ति परिनियमों द्वारा विनियमित की जायेगी।

(7) विभागाध्यक्ष अपने विभाग में अध्यापन के संगठन के लिए संकायाध्यक्ष के प्रति उत्तरदायी होगा और उसके पास ऐसी शक्तियां और कर्तव्य होंगे जैसा कि अध्यादेशों में उपबन्धित किया जाये।

(8) विभिन्न पाठ्य विषयों के सम्बन्ध में अध्यापन बोर्डों का गठन अध्यादेशों के उपबन्धों के अनुसार किया जायेगा और एक अध्ययन बोर्ड को एक से अधिक विषय समनुदेशित किये जा सकेंगे।

प्रवेश समिति

25-(1) विश्वविद्यालय की एक प्रवेश समिति होगी जिसका गठन उसी प्रकार से किया जायेगा जैसा कि अध्यादेशों में उपबंधित किया गया हो।

(2) प्रवेश समिति को उतनी संख्या में उपसमितियां नियत करने की शक्तियां होंगी जितनी वह ठीक समझे।

(3) विद्या परिषद के अधीक्षण के अधीन तथा उपधारा (5) के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रवेश समिति विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश की नीतियों को शासित करने वाले सिद्धान्तों या प्रतिमानों को अधिकथित करेगी।

(4) उपधारा (5) के उपबंधों के अधीन रहते हुए समिति प्रवेशों के मापदण्ड या पद्धतियों जिसमें प्रवेश किये जाने वाले छात्रों की संख्या सम्मिलित है, के सम्बन्ध में कोई निर्देश जारी कर सकती है।

(5) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में किसी बात के होते हुए भी विश्वविद्यालय में किसी पाठ्यक्रम में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के प्रवेश के लिए (अल्पसंख्यकों को छोड़कर) ऐसी विधि या आदेशों द्वारा स्थान आरक्षित और विनियमित किये जा सकेंगे जैसा कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा उस निमित्त करे।

(6) पूर्ववर्ती उपधाराओं में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश केन्द्रीय या राज्य नियामक निकायों के किन्हीं आदेशों के अध्यधीन होंगे।

(7) इस धारा के उपबंधों का उल्लंघन करके विश्वविद्यालय या उससे सम्बद्ध कालेजों में प्रविष्ट किसी छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किसी परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जायेगी और कुलपति के पास ऐसा उल्लंघन में दिये गये किसी प्रवेश को रद्द करने की शक्ति होगी।

परीक्षा समिति

26-(1) विश्वविद्यालय में एक परीक्षा समिति होगी जिसका गठन अध्यादेशों में यथा उपबंधित रूप से किया जायेगा।

(2) समिति सामान्यतः विश्वविद्यालय की समस्त परीक्षाओं का जिसमें अनुसीमन तथा सारणीकरण भी सम्मिलित है, पर्यवेक्षण करेगी और निम्नलिखित अन्य कृत्यों को सम्पादित करेगी, अर्थात् :-

(क) परीक्षकों तथा अनुसीमकों को नियुक्त करना तथा यदि आवश्यक हो तो उन्हें हटाना;

(ख) विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के परिणामों का समय-समय पर पुनरीक्षण करना और तत्सम्बन्ध में विद्या परिषद को रिपोर्ट प्रस्तुत करना;

(ग) परीक्षा पद्धति के सुधार के लिए विद्या परिषद को संस्तुति करना;

(घ) अध्ययन बोर्ड द्वारा प्रस्तावित परीक्षकों की सूची की संवीक्षा करना, उसे अंतिम रूप देना और विश्वविद्यालय के परिणामों की घोषणा करना।

(3) परीक्षा समिति उतनी उप समितियां नियुक्त कर सकेगी जितनी वह उचित समझे और विशिष्टतः किसी एक या अधिक व्यक्तियों अथवा उप समितियों को परीक्षार्थियों द्वारा अनुचित साधनों को प्रयोग करने से सम्बन्धित मामलों के सम्बन्ध में कार्यवाही करने तथा उन पर विनिश्चय करने की शक्ति प्रत्यायोजित कर सकेगी।

(4) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, किसी परीक्षा समिति या यथास्थिति किसी उप समिति या किसी व्यक्ति के लिए, जिसे परीक्षा समिति ने उपधारा (3) के अधीन इस निमित्त अपनी शक्ति का प्रत्यायोजन किया हो, विश्वविद्यालय की भावी परीक्षाओं से किसी परीक्षार्थी को विवर्जित करना विधिपूर्ण होगा, यदि उसकी राय में ऐसा परीक्षार्थी किसी परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करने का दोषी है।

अन्य प्राधिकरण

27-विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकरणों का गठन, उनकी शक्तियां तथा कर्तव्य वही होंगे जो विहित किये जायं।

अध्याय-पांच

कालेजों की सम्बद्धता और मान्यता

सम्बद्ध कालेज

28-(1) कार्य परिषद किसी भी कालेज को, जो सम्बद्धता की उन शर्तों की पूर्ति करता है, उन्हें विहित किया जाये, सम्बद्धता के विशेषाधिकारों को प्रदान कर सकेगी अथवा पहले से सम्बद्ध किसी कालेज के विशेषाधिकारों को विस्तारित कर सकेगी अथवा उपधारा (7) के उपबन्धों के अध्यधीन ऐसे किसी विशेषाधिकार को वापस ले सकेगी या उसे कम कर सकेगी।

(2) किसी सम्बद्ध कालेज के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह उसी स्थानीय क्षेत्र में अवस्थित किसी अन्य सम्बद्ध कालेज के साथ अथवा विश्वविद्यालय के साथ अध्यापन अथवा अनुसंधान कार्य में सहयोग के लिए प्रबन्ध करे।

(3) इस अधिनियम में यथा उपबन्धित के सिवाय, सम्बद्ध कालेज का प्रबन्धतंत्र कालेज के कार्यकलापों का प्रबन्ध करने और उनका नियंत्रण करने के लिए स्वतंत्र होगा और उसके अनुरक्षण एवं रख-रखाव के लिए उत्तरदायी होगा एवं उसका प्राचार्य उसके विद्यार्थियों के अनुशासन के लिए और उसके कर्मचारिवृन्द पर अधीक्षण एवं नियंत्रण करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(4) प्रत्येक सम्बद्ध कालेज ऐसी रिपोर्टों, विवरणियों और अन्य विशिष्टियों को प्रदान करेगा जिन्हें कार्य परिषद अथवा उप कुलपति मांगे।

(5) कार्य परिषद प्रत्येक सम्बद्ध कालेज का निरीक्षण, उस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा पांच वर्ष से अनधिक के अन्तराल पर समय-समय पर करायेगी और उस निरीक्षण की रिपोर्ट कार्य परिषद को दी जायेगी।

(6) कार्य परिषद इस प्रकार निरीक्षण किये गये सम्बद्ध कालेज को ऐसी कार्यवाही करने का निदेश कर सकेगी जो उसे उस अवधि के भीतर, जिसे विहित किया जाये, आवश्यक लगे।

(7) ऐसे किसी कालेज की सम्बद्धता का विशेषाधिकार, जो उपधारा (6) के अधीन कार्य परिषद के किसी भी निदेश का अनुपालन करने में विफल हो जाता है अथवा सम्बद्धता की शर्तों का पालन नहीं कर पाता है, उस कालेज के प्रबंधतंत्र से रिपोर्ट प्राप्त करने के पश्चात् और कुलाधिपति की पूर्व स्वीकृति से, कार्य परिषद द्वारा परिनियमों के उपबंधों के अनुसार वापस लिया जा सकेगा या उसमें कमी की जा सकेगी।

(8) उपधारा (1) और (7) में अन्तर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए, यदि सम्बद्ध कालेज का प्रबंधतंत्र सम्बद्धता की शर्तों का पालन करने में विफल हो गया हो तो कुलाधिपति प्रबंधतंत्र और कुलपति से रिपोर्ट प्राप्त करने के पश्चात् सम्बद्धता के विशेषाधिकारों को वापस ले सकेगा अथवा उनमें कमी कर सकेगा।

संघटक कालेज

29-(1) संघटक कालेज वे कालेज होंगे, जिन्हें परिनियमों द्वारा नामित किया जाय और विश्वविद्यालय द्वारा अथवा सरकार द्वारा अनुरक्षित किये जायेंगे।

(2) संघटक कालेज के प्राचार्य को कालेज के कर्मचारिवृन्द पर सामान्य नियंत्रण होगा। वह ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग कर सकता है जैसा कि विहित किया जाय।

स्वशासी कालेज

30-विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशों पर, ऐसे किसी सम्बद्ध कालेज को विहित रीति से स्वशासी कालेज, जो उस निमित्त विहित शर्तों को पूरा करता हो, के रूप में उस कालेज में अनुदेश प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के लिए विश्वविद्यालय द्वारा विहित पाठ्यक्रम में परिवर्तन करने और इस प्रकार परिवर्तित किये गये पाठ्यक्रमों में परीक्षा आयोजित कराने के विशेषाधिकार प्रदान कर सकता है।

अध्याय-छः

विश्वविद्यालय के अध्यापकों की भर्ती तथा उनकी सेवा की शर्तें

अध्यापकों की नियुक्ति

31-(1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए अध्यापक, कार्य परिषद द्वारा एक चयन समिति की सिफारिश पर एतद्द्वारा उपबन्धित रीति से नियुक्त किये जायेंगे। चयन समिति की बैठक उतनी बार होगी जितनी आवश्यक हो :

परन्तु अध्यापकों को किसी नियामक निकाय की अनुज्ञा गम्भीर आवश्यकता होने पर विशेष परिस्थितियों में अनधिक एक वर्ष की अवधि के लिए संविदा के आधार पर लगाया जा सकता है। न्यूनतम अर्हतायें और अनुभव वही होंगे जैसाकि सरकार के मार्गदर्शनों के अनुसार विहित किया जाये।

(2) प्रत्येक ऐसे अध्यापक की नियुक्ति, जो उपधारा (3) के अधीन की गयी नियुक्ति न हो, प्रथम एक वर्ष के लिए परिवीक्षा पर होगी जिसे कार्य परिषद द्वारा एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए बढ़ाया जा सकेगा :

परन्तु यह कि परिवीक्षा अवधि के दौरान या उसकी समाप्ति पर सेवा समाप्ति का कोई आदेश विश्वविद्यालय के अध्यापक की दशा में पारित नहीं किया जायेगा जब तक कि कुलपति और सम्बद्ध विभागाध्यक्ष (जब तक कि अध्यापक स्वयं विभागाध्यक्ष न हो) की रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् कार्य परिषद आदेश न दे दे :

परन्तु यह और कि सम्बद्ध अध्यापक को प्रस्तावित सेवा समाप्ति के आधारों के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण का अवसर देते हुए नोटिस दिये बिना सेवा समाप्ति का ऐसा कोई आदेश नहीं पारित किया जायेगा :

परन्तु यह भी यदि यथास्थिति परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि की समाप्ति के पूर्व नोटिस दी जाये तो परिवीक्षा अवधि तब तक के लिए बढ़ जायेगी जब तक कि प्रथम परन्तुक के अधीन कार्य परिषद का अन्तिम आदेश न दे दिया जाये।

(3) जहां कोई अध्यापक (चयन समिति को निर्देश देने के पश्चात्) ऐसे अस्थायी पद पर नियुक्त किया गया हो, जिसके छः मास से अधिक चलने की संभावना रही हो और जिस पद को बाद में स्थायी पद परिवर्तित कर दिया गया हो, या किसी स्थायी पद ऐसी रिक्ति में नियुक्त किया गया हो, जो पदधारी को दस मास से अधिक अवधि के लिए छुट्टी देने के कारण हुई हो और ऐसा पद बाद में स्थायी रूप से रिक्त हो जाय या उसी विभाग में उसी संवर्ग और श्रेणी का कोई अन्य पद रिक्त या नवसृजित हो वहां कार्य परिषद, यदि कारण बताने का अवसर देने के पश्चात् उसकी सेवा समाप्त करने का विनिश्चय नहीं करती है तो ऐसे अध्यापक को उस पद पर मौलिक हैसियत से चयन समिति को निर्देश के बिना नियुक्त कर सकेगी :

परन्तु यह खण्ड तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि संबंधित अध्यापक, ऐसी मौलिक नियुक्ति के समय, उस पद के लिए विहित अर्हतायें धारण न करता हो और चयन समिति को निर्देश के पश्चात् हुई नियुक्ति के बाद उसने लगातार एक वर्ष तक काम न किया हो :

परन्तु यह और कि इस खण्ड के अधीन मौलिक हैसियत से नियुक्त कोई ऐसा अध्यापक जिसने ऐसी नियुक्ति के पूर्व दो वर्ष से कम अवधि पर्यन्त लगातार काम किया हो एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा, जिसे एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है और उपधारा (2) के उपलब्ध तद्नुसार लागू होंगे।

(4) अध्यापक की नियुक्ति के लिए चयन समिति में निम्नलिखित होंगे :-

(एक) कुलपति, जो उसका अध्यक्ष (अध्यक्षा) होगा/होगी;

(दो) सम्बद्ध विभागाध्यक्ष :

परन्तु विभागाध्यक्ष उस दशा में चयन समिति में नहीं बैठेगा जब तक स्वयं नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी हो अथवा जब सम्बद्ध पद उसके मौलिक पद से पंक्ति में ऊंचा हो और ऐसी दशा में उसका पद विभाग के ज्येष्ठतम आचार्य द्वारा और यदि कोई आचार्य नहीं है तो संकायाध्यक्ष द्वारा भरा जायेगा :

परन्तु यह और कि जहां कुलाधिपति का यह समाधान हो जाय कि मामले की विशेष परिस्थितियों में, पूर्ववर्ती परन्तुक के अनुसार चयन समिति का गठन नहीं किया जा सकता है, वहां वह ऐसी रीति से चयन समिति का गठन करने का निर्देश दे सकते हैं, जैसी वे उचित समझे।

(तीन) किसी आचार्य, सह आचार्य की दशा में तीन विशेषज्ञ और किसी अन्य दशा में दो विशेषज्ञ, जो कुलाधिपति द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे।

(5) (क) प्रत्येक पाठ्य विषय के लिए भारतीय विश्वविद्यालयों के तत्स्थानिक संकाय या उत्तर प्रदेश में अथवा उसके बाहर स्थित ऐसे विद्या निकायों या अनुसंधान संस्थाओं से जिन्हें कुलपति आवश्यक समझे, परामर्श करने के पश्चात् कुलाधिपति छः या उससे अधिक विशेषज्ञों का एक पैनल बनायेगा। उपधारा (4) के अधीन कुलाधिपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जाने वाला प्रत्येक विशेषज्ञ वही व्यक्ति होगा जिसका नाम ऐसे पैनल में दिया हो।

(ख) खण्ड (क) में निर्दिष्ट कोई पैनल प्रत्येक तीन वर्ष के पश्चात् पुनरीक्षित किया जायेगा।

स्पष्टीकरण-(1) इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए ऐसे विषय की शाखा को जिससे स्नातकोत्तर उपाधि के लिए पृथक पाठ्यक्रम विहित हो, पृथक पाठ्य विषय समझा जायेगा।

स्पष्टीकरण-(2) जहां चयन किये जाने वाले अध्यापक का पद एक से अधिक पाठ्य विषय के लिए हो तो विशेषज्ञ उनमें से किसी एक पाठ्य विषय का हो सकेगा।

(ग) कुलाधिपति, चयन समिति में अपने नाम निर्देशितियों के रूप में कार्य करने के लिए विशेषज्ञों के उतने नामों से अधिक नाम, जो उपधारा (4) के अधीन अपेक्षित हैं, विनिर्दिष्ट आदेश से संसूचित कर सकेगा। ऐसे मामले में जब कोई व्यक्ति जिसका नाम विनिर्दिष्ट क्रम में ऊपर दिया गया हो, चयन समिति के अधिवेशन के लिए उपलब्ध न हो तो उस व्यक्ति से जिसका नाम विनिर्दिष्ट क्रम में उसके ठीक नीचे हो, समिति में कार्य करने के लिए अनुरोध किया जायेगा।

(6) उपधारा (4) में निर्दिष्ट चयन समिति द्वारा की गयी किसी सिफारिश को तब तक विधिमान्य नहीं समझा जायेगा जब तक कि विशेषज्ञों में से एक विशेषज्ञ ऐसे चयन से सहमत न हो।

(7) उपधारा (6) के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी चयन समिति की कुल सदस्यता के बहुमत से ऐसी समिति की गणपूर्ति होगी :

परन्तु आचार्य या सह आचार्य के मामले में गणपूर्ति के लिए उपस्थिति व्यक्तियों में कम से कम दो विशेषज्ञ सम्मिलित होंगे।

(8) यह चयन समिति पर निर्भर होगा कि वह प्रत्येक पद के लिए एक या एकाधिक किन्तु तीन से अनधिक नामों की सिफारिश करे।

(9) किसी अध्यापक की नियुक्ति की दशा में यदि कार्य परिषद चयन समिति द्वारा की गयी सिफारिश से सहमत न हो तो कार्य परिषद उस मामले को असहमति के कारणों सहित कुलाधिपति को निर्दिष्ट करेगा और उसका विनिश्चय अन्तिम होगा :

परन्तु यह कि यदि कार्यपरिषद चयन समिति के अधिवेशन के दिनांक से चार मास की अवधि के भीतर समिति की सिफारिशों पर विनिश्चय न करे, तब भी मामला कुलाधिपति को निर्दिष्ट माना जायेगा और उनका विनिश्चय अन्तिम होगा।

(10) अध्यापकों की नियुक्ति के लिए चयन समिति के सदस्यों की ऐसी समितियों में विचार-विमर्श में भाग लेने में हित होने के आधार पर अनर्हता और ऐसे अध्यापकों की नियुक्ति से संबंधित अन्य विषय परिनियमों द्वारा विहित किये जायेंगे।

(11) इस धारा के अधीन किसी नियुक्ति के लिए चयन तब तक नहीं किया जायेगा जब तक वह रिक्ति कम से कम दो ऐसे समाचार-पत्रों के तीन अंकों में विज्ञापित न कर दी जाय जिसका उत्तर प्रदेश में पर्याप्त परिचालन हो।

सह आचार्य और आचार्य के पद पर पदोन्नति

32-(1) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी विश्वविद्यालय में मौलिक रूप से नियुक्ति कोई सहायक आचार्य या मौलिक रूप से नियुक्त या इस धारा के अधीन पदोन्नत कोई सह आचार्य जिसकी उतनी सेवा अवधि हो और जो ऐसा अर्हतायें रखता हो जैसी विहित की जाय को क्रमशः सह आचार्य या आचार्य के पद पर वैयक्तिक पदोन्नति दी जा सकेगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन ऐसी पदोन्नति धारा 31 की उपधारा (4) के अधीन गठित चयन समिति की सिफारिश पर, ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन रखते हुए जैसी विहित की जाय, दी जायेगी।

विश्वविद्यालय के अध्यापकों की नियुक्ति की संविदा

33-(1) परिनियमों द्वारा अन्यथा उपबन्धित के सिवाय विश्वविद्यालय और सम्बद्ध कालेजों का कोई अध्यापक, सिवाय ऐसी लिखित संविदा के जो इस अधिनियम, परिनियमों तथा अध्यादेशों के उपबन्धों के अनुरूप होगी, नियुक्ति नहीं किया जायेगा।

(2) मूल संविदा कुलसचिव के पास रखी जायेगी और उसकी एक प्रति संबंधित अधिकारी या अध्यापक को दी जायेगी।

(3) किसी संविदा या अन्य लिखत में अन्तर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक को, ऐसे विस्तार तक के सिवाय, यदि कोई हो और ऐसी शर्तों और निबन्धों के अधीन रहते हुए जैसा राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करें, निजी चिकित्सा व्यवसाय (प्रैक्टिस) करने का अधिकार नहीं होगा।

पेंशन भविष्य निधि आदि

34-विश्वविद्यालय अपने अधिकारियों, अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के फायदे के लिए ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो सरकार द्वारा सामान्य और विशेष आदेश द्वारा विहित की जायें, ऐसी पेंशन स्कीमों, बीमा या भविष्य निधि गठित करेगा, जिसे वह ठीक समझे जिसके अन्तर्गत ऐसी निधि भी है। जिससे ऐसे अध्यापकों या यथास्थिति उनके उत्तराधिकारियों को, उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (परीक्षा संचालन संबंधी उपबन्ध) अधिनियम, 1965 के अधीन अपने कर्तव्यों को निर्वहन करने के संघ में निर्योग्य, आहत या मृत्यु हो जाने की दशा में पेंशन या उपदान दिया जायेगा।

अध्यापकों के लिए अनुज्ञेय अतिरिक्त पारिश्रमकीय कार्य की सीमायें

35-(1) अध्यापकों को किसी भारतीय विश्वविद्यालय या लोक सेवा आयोग से भिन्न किसी निकाय द्वारा संचालित किसी परीक्षा के संबंध में किये गये किन्हीं कर्तव्यों के लिए पारिश्रमिक के संदाय संबंधी शर्तें वहीं होंगी जो विहित की जायें।

(2) कोई अध्यापक अध्यापन संबंधी कर्तव्यों या किसी परीक्षा संबंधी कर्तव्यों से भिन्न कर्तव्यों वाला एक से अधिक पारिश्रमिकीय पद धारण नहीं करेगा।

स्पष्टीकरण-शब्द ''पारिश्रमिकीय पदों'' में किसी छात्रावास के प्रोवोस्ट, वार्डन या अधीक्षक, प्राक्टर, क्रीड़ाध्यक्ष और पुस्तकालयध्यक्ष के पद सम्मिलित हैं।

माध्यस्थम अधिकरण

36-(1) धारा 33 में निर्दिष्ट किसी नियुक्ति के संविदा से उठने वाला कोई विवाद माध्यस्तम अधिकरण को निर्दिष्ट किया जायेगा जिसमें कार्य परिषद द्वारा नाम निर्दिष्ट एक सदस्य, संबंधित अधिकारी या अध्यापक द्वारा नाम-निर्दिष्ट एक सदस्य और कुलाधिपति द्वारा नाम निर्दिष्ट एक सदस्य (जो संयोजक का काम करेगा) सम्मिलित होंगे।

(2) यदि किसी कारणवश अधिकरण के किसी सदस्य का पद रिक्त हो जाये तो उस रिक्ति की पूर्ति के लिए उपयुक्त व्यक्ति या संबंधित निकाय उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति को नामनिर्दिष्ट करेगा और अधिकरण के समक्ष कार्यवाहियां उस प्रक्रम से जारी रखी जा सकती है, जिस प्रक्रम पर रिक्ति की पूर्ति की जाय।

(3) अधिकरण का विनिश्चय अंतिम और पक्षकारों के लिए बाध्यकारी होगा और उस पर किसी न्यायालय में आपत्ति नहीं की जायेगी।

(4) माध्यस्थतम अधिकरण की निम्नलिखित शक्तियां होंगी :-

(क) अपनी प्रक्रिया विनियमित करना;

(ख) संबंधित अधिकारी या अध्यापक को पुनर्नियुक्त करने का आदेश देना; और

(ग) संबंधित अधिकारी या अध्यापक को, ऐसी आय काटने के पश्चात् जो उसे सेवा से निलम्बित होने, हटाये जाने, पदच्युत किये जाने अथवा समाप्त किये जाने के दौरान अन्यथा प्राप्त हुई हो, वेतन दिलाना।

(5) माध्यस्थम से सम्बद्ध तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अन्तर्विष्ट कोई बात इस धारा के अधीन माध्यस्थम पर लागू न होगी।

(6) किसी न्यायालय में कोई वाद या कार्यवाही किसी ऐसी बात के संबंध में नहीं की जायेगी जो उपधारा (1) द्वारा माध्यस्थम अधिकरण को निर्दिष्ट किये जाने के लिए अपेक्षित हो;

परन्तु उपधारा (3) में निर्दिष्ट अधिकरण का प्रत्येक विनिश्चय प्रादेशिक अधिकारितायुक्त निम्नतम् न्यायालय द्वारा निष्पादनीय होगा मानों वह उक्त न्यायालय की कोई डिक्री हो।

अध्याय-सात

विश्वविद्यालय के शिक्षणेत्तर कर्मचारिवृंद की भर्ती और उनकी सेवा की शर्तें

शिक्षणेत्तर कर्मचारिवृन्द की सेवा शर्तें

37-(1) विभिन्न सेवाओं में विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती और पदोन्नति, परिनियमावली में यथा विहित भर्ती बोर्ड या पदोन्नति समितियों की सिफारिशों पर संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जायेगी।

(2) सेवाओं की सदस्य संख्या और उनमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या वही होंगी, जैसा कि कार्य परिषद द्वारा अवधारित किया जाय और सरकार द्वारा समय-समय पर अनुमोदित किया जाय।

(3) आयु अवधारणा और सेवा या अनुभव काल की गणना, उस भर्ती वर्ष, जो प्रत्येक वर्ष के 01 जुलाई से प्रारम्भ हो, के 01 जुलाई को की जायेगी।

(4) विभिन्न पदों आदि पर सीधी भर्ती या पदोन्नति हेतु आयु, न्यूनतम अर्हता, अनुभव, आरक्षण और अन्य सेवा शर्तें वही होंगी जैसा कि विहित किया जाय।

(5) रिक्त अनुमोदित पदों के सापेक्ष सरकार के निदेशों के अनुसार कर्मचारीगण को वाह्य स्त्रोतित किया जा सकता है।

अध्याय-आठ

परिनियम, अध्यादेश तथा विनियम

परिनियम

38-इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए परिनियमों में विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किसी विषय के लिए उपबन्ध किये जा सकेंगे और विशिष्टतया निम्नलिखित के लिए उपबन्ध किये जायेंगे :-

(क) विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों का गठन, उनकी शक्तियां और उनके कर्तव्य;

(ख) विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों के सदस्यों का नाम निर्देशन, नियुक्ति तथा पदावधि और उनकी सदस्यता में रिक्तियों का भरा जाना और इन प्राधिकरणों से संबंधित अन्य सभी विषय जिनके लिए उपबन्ध करना आवश्यक हो;

(ग) विश्वविद्यालय के अधिकारियों की शक्तियां और कर्तव्य;

(घ) विश्वविद्यालय ओर सम्बद्ध कालेजों के प्राचार्यों और अन्य अध्यापकों का वर्गीकरण एवं भर्ती (न्यूनतम अर्हता और अनुभव सहित) उनके द्वारा विद्या संबंधी वार्षिक प्रगति रिपोर्ट का रखा जाना और उनके द्वारा अनुपालनीय आचरण नियम और उनकी परिलिब्धियों तथा सेवा की अन्य शर्तें (जिनमें अनिवार्य सेवानिवृत्ति से संबंधित उपबन्ध सम्मिलित है);

(ङ) विश्वविद्यालय के अधीन अन्य पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती (जिसमें न्यूनतम अर्हता और अनुभव सम्मिलित है) और उनकी परिलिब्धियों एवं सेवा शर्तें (जिनमें अनिवार्य सेवानिवृत्ति से संबंधित उपबन्ध भी सम्मिलित है);

(च) विश्वविद्यालय के अधिकारियों, अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों की प्रसुविधा के लिए नयी पेंशन स्कीम या भविष्य निधि का गठन अथवा बीमा स्कीम की स्थापना;

(छ) उपाधियों और अन्य विद्या संबंधी विशेष उपाधियों का संस्थित किया जाना;

(ज) मानद उपाधियों का प्रदान किया जाना;

(झ) उपाधियों और अन्य विद्या संबंधी विशेष उपाधियों का वापस लिया जाना;

(ञ) संकायों की स्थापना, उनका समामेलन, उत्सादन और पुनर्गठन;

(ट) संकायों में अध्यापन विभागों की स्थापना;

(ठ) विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित छात्रावासों की स्थापना, उनका उत्सादन और पुनर्गठन;

(ड) विश्वविद्यालय या किसी सम्बद्ध कालेज के वैतनिक कर्मचारियों (जो अध्यापक नहीं हैं) की संख्या, न्यूनतम अहर्तायें, अनुभव, परिलब्धियां और अन्य सेवा शर्तें, जिनमें सेवानिवृत्ति की आयु और अनिवार्य सेवानिवृत्ति से संबंधित उपबन्ध सम्मिलित हैं और उनके सेवा अभिलेख की रचना और अनुरक्षण;

(ढ) छात्रवृत्तियों, अधिछात्रवृत्तियों, विद्यावृत्तियों, पदकों तथा पारितोषिकों को संस्थित करना;

(ण) दीक्षान्त समारोह, यदि कोई हो, आयोजित करना;

(त) ऐसी शर्तें, जिनके अधीन कालेजों और अन्य संस्थाओं को विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता के विशेषाधिकार प्रदान किये जा सकते हैं और ऐसी शर्तें जिनके अधीन ऐसा कोई विशेषाधिकार वापस लिया जा सकता है;

(थ) किसी सम्बद्ध कालेज के प्रबन्ध तंत्र को मान्यता प्रदान करना;

(द) अन्य सभी विषय जो इस अधिनियम द्वारा परिनियमों में उपबन्धित किये जाने हों या किये जा सकेंगे।

परिनियमावली कैसे बनायी जायेगी

39-(1) विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली सरकार द्वारा, अधिसूचना के माध्यम से बनायी जायेगी।

(2) कार्य परिषद नई या अतिरिक्त परिनियमावली बना सकेगी या उपधारा (1) में निर्दिष्ट परिनियमावली में संशोधन या उसे निरसित कर सकेगी।

(3) कार्य-परिषद् विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण की प्रास्थिति, शक्तियों या उसके गठनों को प्रभावित करने वाली किसी परिनियमावली के प्रारूप का प्रस्ताव तब तक नहीं करेगी, जब तक कि ऐसे प्राधिकरण को उस प्रस्ताव पर अपनी राय व्यक्त करने का अवसर न दे दिया गया हो और इस प्रकार अभिव्यक्त कोई राय लिखित रूप में होगी तथा उसे कुलाधिपति को प्रस्तुत किया जायेगा।

(4) प्रत्येक नयी परिनियमावली या किसी परिनियमावली में किया गया परिवर्धन या किसी परिनियमावली में किया गया संशोधन या निरसन, कुलाधिपति को प्रस्तुत किया जायेगा जो उस पर अपनी अनुमति दे सकेगा अथवा अपनी अनुमति रोक सकता है अथवा उस पर अग्रेत्तर विचार करने के लिए कार्य-परिषद् को भेज सकेगा।

(5) कार्य परिषद् द्वारा पारित कोई परिनियमावली उस दिनांक से, जब कुलाधिपति द्वारा अनुमति दी जाये अथवा ऐसे पश्चात्वर्ती दिनांक से जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये, प्रभावी होगी।

(6) पूर्ववर्ती उपधाराओं में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी सरकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अन्य के नियामक प्राधिकरण के किसी सुझाव या सिफारिश पर या राज्य या राष्ट्रीय शिक्षा नीति को ध्यान में रखते हुए विनिश्चय को क्रियान्वित करने के लिए कार्य परिषद से विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर नये या अतिरिक्त परिनियमावली बनाने या उपधारा (1) में निर्दिष्ट परिनियमावली में संशोधन करने या उसे निरस्त करने की अपेक्षा कर सकती है और यदि कार्य-परिषद् ऐसी अपेक्षाओं का अनुपालन करने में विफल रहती है तो सरकार कुलाधिपति की सहमति से नये या अतिरिक्त परिनियमावली बना सकती है या उपधारा (1) में निर्दिष्ट परिनियमावली का संशोधन या निरसन कर सकती है।

(7) कार्य-परिषद् को सरकार द्वारा उपधारा (6) के अधीन बनायी गयी परिनियमावली को संशोधित या निरस्त करने या ऐसे परिनियमावली से असंगत नई या अतिरिक्त परिनियमावली बनाने की शक्ति नहीं होगी।

अध्यादेश

40-(1) इस अधिनियम और तद्धीन बनायी गयी परिनियमावली के उपबंधों के अधीन रहते हुए, अध्यादेशों में किसी ऐसे विषय के लिए उपबंध किये जा सकेंगे जिनके लिए इस अधिनियम या परिनियमावली द्वारा उपबंध किया जाना हो या अध्यादेशों द्वारा किये जायें।

(2) उपधारा (1) के उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अध्यादेशों में निम्नलिखित विषयों के लिए उपबंध किये जायेंगे, अर्थात् :-

(क) विश्वविद्यालयों में छात्रों का प्रवेश तथा उनका नामांकन होना और इस रूप में बना रहना;

(ख) विश्वविद्यालय की सभी उपाधियों और अन्य विद्या संबंधी विशेष उपाधियों के लिए अधिकथित किये जाने वाले अध्ययन पाठ्यक्रम;

(ग) वे शर्तें जिनके अधीन छात्रों को विश्वविद्यालय की परीक्षाओं और उपाधियों में प्रविष्ट किया जायेगा तथा वे ऐसी उपाधियां प्राप्त करने के लिए पात्र हैं;

(घ) छात्रवृत्तियां, अधिछात्रवृत्तियां, विद्याछात्रवृत्तियां, निर्धन छात्रवृत्तियां, पदक तथा पारितोषित प्रदान करने के शर्तें;

(ङ) विश्वविद्यालय में छात्रों के निवास तथा विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित छात्रावासों के प्रबन्ध की शर्तें;

(च) ऐसे छात्रावासों, जो विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित न हों, की मान्यता और प्रबंध;

(छ) विश्वविद्यालय के छात्रों में अनुशासन बनाये रखना और ऐसे दण्ड की व्यवस्था करना जिसमें अनुशासन भंग करने अथवा ज्येष्ठ छात्रों द्वारा नये छात्रों की हिसात्मक या अशिष्ट रैगिंग के लिए निलम्बन, निष्कासन या निर्बन्धन सम्मिलित है;

(ज) फीस, जो विश्वविद्यालय या किसी सम्बद्ध कालेज द्वारा किसी प्रयोजन हेतु प्रभारित की जाय;

(झ) परीक्षा निकायों, परीक्षकों, अनुसीमकों, अन्तरीक्षकों तथा सारणीकारों की नियुक्ति की शर्तों और रीति तथा उनके कर्तव्य;

(ञ) परीक्षाओं का संचालन;

(ट) विश्वविद्यालय के कार्यों में नियोजित व्यक्तियों को दिये जाने वाले पारिश्रमिक तथा भत्ते जिनमें यात्रा और दैनिक भत्ता सम्मिलित है; और

(ठ) अन्य सभी विषय, जिनके लिए इस अधिनियम परिनियमावली द्वारा उपबंध किये जाने हों या अध्यादेशों द्वारा किये जायं।

अध्यादेश कैसे बनाये जायेंगे

41-(1) अध्यादेश कार्य परिषद् द्वारा बनाये जायेंगे और कुलाधिपति को उनके अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किये जायेंगे।

(2) कार्य परिषद् समय-समय पर नये या अतिरिक्त अध्यादेश बना सकती है अथवा उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेशों में संशोधन या निरसन कर सकती है, परन्तु ऐसा कोई अध्यादेश नहीं बनाया जायेगा;

(क) जिससे छात्रों के प्रवेश पर प्रभाव पड़े या जो विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के समतुल्य मान्यता दी जाने वाली परीक्षायें अथवा विश्वविद्यालय की उपाधियों, पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए धारा 25 की उपधारा (1) में उल्लिखित अहर्ताओं को विहित करें जब तक कि ऐसा अध्यादेश का प्रारूप, विद्या परिषद् द्वारा प्रस्तावित न किया गया हो; या

(ख) जिससे परीक्षकों की नियुक्ति की शर्तों तथा रीति और उनके कर्तव्यों तथा परीक्षाओं या किसी पाठ्यक्रम के संचालन या उनके मानक पर प्रभाव पड़े, जब कि संबंधित संकाय के प्रस्ताव के अनुसार न हो और जब तक कि ऐसे अध्यादेश का प्रारूप विद्या परिषद द्वारा प्रस्तावित न किया गया हो; या

(ग) जिससे विश्वविद्यालय के अध्यापकों की संख्या, अर्हताओं तथा परिलब्धियों अथवा विश्वविद्यालय की आय या व्यय पर प्रभाव पड़े, जब तक कि उसका प्रारूप सरकार द्वारा अनुमोदित न कर दिया गया हो।

(3) कार्य परिषद् को उपधारा (2) के अधीन विद्या परिषद् द्वारा प्रस्तावित किसी प्रारूप को संशोधित करने की शक्ति नहीं होगी किन्तु वह उसे अस्वीकार कर सकेगी या वह उसे विद्या परिषद को पूर्णतया अथवा अशतः पुनः विचारार्थ किसी ऐसे संशोधनों के साथ वापस कर सकेगी जिनका कार्य परिषद् सुझाव दे।

(4) कार्य परिषद् द्वारा बनाये गये सभी अध्यादेश ऐसे दिनांक से प्रभावी होंगे जैसा कि वह निदेश दे और कुलाधिपति को यथाशक्य शीघ्र प्रस्तुत किये जायेंगे।

(5) कुलाधिपति किसी समय उपधारा (2) के परन्तुक के खण्ड (ग) में निर्दिष्ट अध्यादेश से भिन्न अध्यादेशों को अननुज्ञात करने को कार्य परिषद को संज्ञापित कर सकेगा और कार्य परिषद् को ऐसे अननुज्ञात करने की सूचना की प्राप्ति के दिनांक से ऐसे अध्यादेश शून्य हो जायेंगे।

(6) कुलाधिपति यह निदेश दे सकेगा कि उपधारा (2) के परन्तुक के खण्ड (ग) में निर्दिष्ट अध्यादेश से भिन्न किसी अध्यादेश का प्रवर्तन तब तक निलम्बित रहेगा जब तक उसे अननुज्ञात करने की अपनी शक्ति का प्रयोग करने का अवसर न मिला हो। इस उपधारा के अधीन निलम्बन का कोई आदेश ऐसे आदेश के दिनांक से एक मास की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रह जायेगा।

विनियमन

42-(1) इस अधिनियम, परिनियमावली तथा अध्यादेशों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए विश्वविद्यालय का कोई प्राधिकरण या अन्य निकाय निम्नलिखित के लिए विनियम बना सकेगा :-

(क) अपनी बैठकों में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया तथा गणपूर्ति के लिए अपेक्षित सदस्यों की संख्या अधिकथित करना;

(ख) ऐसे समस्त विषयों का उपबन्ध करना जो इस अधिनियम, परिनियमावली या अध्यादेशों द्वारा विनियमों से उपबन्धित किये जाने हों, और

(ग) किसी ऐसे विषय का उपबन्ध करना जिसका संबंध केवल ऐसे प्राधिकरण या निकाय से हो और जिनके लिए इस अधिनियम, परिनियमावली और अध्यादेशों में उपबन्ध न किये गये हों।

(2) विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या अन्य निकाय द्वारा बनाये गये विनियमों में, उसके सदस्यों की बैठकों के दिनांक और उनमें किये जाने वाले कार्य की सूचना देने तथा ऐसी बैठकों की कार्यवाही का अभिलेख रखने का उपबन्ध होगा।

(3) कार्य परिषद विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या अन्य निकाय को यह निदेश दे सकेगी कि वह ऐसे प्राधिकरण या निकाय द्वारा बनाये गये किसी विनियम को निदेशों में यथा विनिर्दिष्ट रूप में रद्द कर दे या उसमें संशोधन कर दे और तदोपरान्त ऐसा प्राधिकारी या निकाय तद्नुसार विनियम को रद्द करेगा अथवा उसमें संशोधन करेगा।

(4) विधान परिषद, अध्यादेशों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए विश्वविद्यालय की किसी परीक्षा, उपाधि या डिप्लोमा के पाठ्यक्रम को व्यवस्था करने के लिए विनियम, संबंधित संकाय बोर्ड द्वारा उसका प्रारूप प्रस्तावित किये जाने के पश्चात् ही बना सकेगा।

(5) विद्या परिषद् के पास उपधारा (4) के अधीन संकाय बोर्ड द्वारा प्रस्तावित किसी प्रारूप में संशोधन अथवा उसे अस्वीकार करने की शक्ति नहीं होगी, किन्तु वह उसे बोर्ड को अपने सुझावों के साथ अग्रेत्तर विचार करने के लिए वापस कर सकेगी।

वार्षिक रिपोर्ट

43-विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट, कार्य परिषद् के निर्देशों के अधीन तैयार की जायेगी।

अध्याय-नौ

वार्षिक रिपोर्ट तथा लेखायें

लेखा तथा संपरीक्षा

44-(1) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखा तथा तुलन-पत्र, कार्य परिषद के निदेश के अधीन तैयार किये जायेंगे और किसी भी स्रोत से विश्वविद्यालय द्वारा प्रोद्भूत समस्त धनराशि और ऐसी समस्त धनराशि जिनका वितरण अथवा संदाय किया गया हो विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित लेखाओं में प्रविष्ट की जायेगी।

(2) वार्षिक लेखाओं और तुलन-पत्र की एक प्रतिलिपि सरकार को प्रस्तुत की जायेगी जिससे उनकी संपरीक्षा की जायेगी।

(3) सम्परीक्षित वार्षिक लेखाओं और तुलन-पत्र को मुद्रित किया जायेगा और उनकी प्रतियां, संपरीक्षा रिपोर्ट की प्रतियों के साथ कार्य परिषद् द्वारा सरकार को प्रस्तुत की जायेगी।

(4) कार्य परिषद् ऐसे दिनांक के पूर्व, जो विहित किया जाय, आगामी वर्ष का बजट भी तैयार करेगी।

(5) व्यय की प्रत्येक नई मद जो यथाविहित धनराशि से अधिक हो, जिसे बजट में सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित हो, कार्य परिषद वित्त समिति को निर्दिष्ट की जायेगी जो उस पर अपनी सिफारिश कर सकेगी।

(6) कार्य परिषद् जो वित्त समिति की सिफारिशों यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात् बजट का अन्तिम रूप से अनुमोदन करेगी।

(7) कुलपति या कार्य परिषद् के लिए कोई व्यय उपगत करना वैध न होगा :-

(क) जो या तो बजट में मंजूर न हो या बजट मंजूर होने के पश्चात् सरकार या भारत सरकार या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा किसी अन्तर्राष्ट्रीय संगठन या फाउन्डेशन द्वारा विश्वविद्यालय को निधियां अनुदानित किये जाने की दशा में, ऐसे अनुदान के निबन्धनों के अनुसार न हो :

परन्तु यह कि धारा-13 की उपधारा (7) के किसी बात के होते हुए भी अग्निकाण्ड, बाढ़, अतिवृष्टि अथवा अन्य आकस्मिक अथवा अप्रत्याशित परिस्थितियों में कुलपति एक लाख रुपये से अनधिक ऐसा अनावर्ती व्यय जो बजट में मंजूर न किया गया हो, उपगत कर सकेगा और उसे ऐसे सम्पूर्ण व्यय के संबंध में तत्काल सरकार को सूचित करना होगा।

(ख) जो इस अधिनियम के अधीन दिये जाने हेतु तात्पर्यित कुलाधिपति या राज्य सरकार के किसी आदेश का विरोध करने के लिए किसी मुकदमें के संबंध में हो।

अधिभार

45-(1) धारा 10 के खण्ड (ख) से (ज) में से किसी खण्ड में विनिर्दिष्ट कोई अधिकारी, विश्वविद्यालय की किसी धनराशि या सम्पत्ति की हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोजन हेतु अधिभार का दायी होगा। यदि ऐसे हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोजन सीधे उसकी उपेक्षा या अपचार के परिणामस्वरूप हुआ हो।

(2) अधिभार की प्रक्रिया और ऐसी हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोजन में अन्तर्निहित धनराशि की वसूली की रीति ऐसी होगी जैसे विहित की जाय।

प्राधिकरणों के अधिकारियों तथा सदस्यों की नियुक्ति की रीति

46-(1) इस अधिनियम या तद्धीन बनायी गयी परिनियमावली द्वारा अभिव्यक्त रूप से यथा उपबन्धित के सिवाय विश्वविद्यालय के अधिकारी और विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों के सदस्यगण यथासंभव निर्वाचन, से भिन्न पद्धतियों से चुने जायेंगे।

(2) जहां इस अधिनियम या परिनियमावली में चक्रानुक्रम से ज्येष्ठता अथवा अन्य अर्हता के अनुसार किसी आवेदन के लिए कोई उपबन्ध किया गया हो तो चक्रानुक्रम और ज्येष्ठता तथा अन्य अर्हतायें अवधारित करने की रीति वही होंगी जो विहित की जाय।

(3) इस अधिनियम द्वारा अभिव्यक्त रूप से तथा उपबन्धित के सिवाय, विश्वविद्यालय का कोई अधिकारी या कर्मचारी, विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरणों या अन्य निकाय के निर्वाचन में खड़े होने के लिए पात्र न होगा।

आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना

47-(1) विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या निकाय के पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों की किसी आकस्मिक रिक्ति को उसी रीति से भरा जायेगा। जिस रीति से वह सदस्य, जिसकी रिक्त भरी जानी हो, चुना गया हो और रिक्ति को भरने वाला व्यक्ति ऐसे प्राधिकरण या निकाय का उस अवशिष्ट अवधि के लिए सदस्य होगा जिसके लिए वह व्यक्ति जिसका स्थान वह भरता है, सदस्य बना रहता।

(2) कोई व्यक्ति जो अन्य निकाय के प्रतिनिधि के रूप में विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण का सदस्य हो चाहे वह विश्वविद्यालय का हो अथवा बाहरी हो केवल तब तक ऐसे प्राधिकरण में अपना सीट पारित करता रहेगा, जब तक वह ऐसे निकाय का प्रतिनिधि बना रहेगा।

रिक्तियों आदि के कारण कार्यवाही का अविधिमान्य होना

48-(1) विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या निकाय अथवा समिति का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण अविधिमान्य न होगी कि :-

(क) उसमें कोई रिक्ति अथवा उसके गठन में कोई त्रुटि थी; या

(ख) कार्यवाही में किसी ऐसे व्यक्ति ने भाग लिया है, जो ऐसा करने के लिए हकदार नहीं था; या

(ग) उसके सदस्य के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के नाम-निर्देशन या नियुक्ति में कोई त्रुटि थी; या

(घ) उसकी प्रक्रिया में कोई ऐसी अनियमितता थी जिससे मामले के गुणावगुण पर कोई प्रभाव न पड़ता हो।

विश्वविद्यालय की सदस्यता से हटाया जाना

49-कार्य परिषद् उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से किसी व्यक्ति को विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या अन्य निकाय की सदस्यता से इस आधार पर कि ऐसा व्यक्ति नैतिक अधमता से संबंधित ऐसे अपराध के लिए सिद्धदोष हुआ हो अथवा इस आधार पर कि वह कलंकात्मक आचरण का दोषी हो अथवा उसने ऐसी रीति से व्यवहार किया हो जो विश्वविद्यालय के सदस्यों के लिए अशोभनीय हो, हटा सकती है और उन्हीं आधारों पर किसी व्यक्ति से विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त या मंजूर की गयी कोई उपाधि या प्रमाण-पत्र वापस ले सकती है।

कुलाधिपति को निदेश

50-यदि कोई ऐसा प्रश्न उठे कि कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या अन्य निकाय का सम्यक रूप से निर्वाचित या नियुक्त सदस्य रहा है या नहीं या उसका सदस्य होने का हकदार है या नहीं (जिसके अन्तर्गत किसी परिनियम, अध्यादेश या विनियम, जो राज्य सरकार द्वारा या कुलाधिपति द्वारा बनाया या अनुमोदित किया गया परिनियम या अध्यादेश न हो, की विधिमान्यता से संबंधित कोई प्रश्न भी सम्मिलित है) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये परिनियमों या अध्यादेशों के अनुरूप है या नहीं, तो उक्त विषय कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जायेगा और कुलाधिपति का उस पर विनिश्चय अंतिम होगा :

परन्तु यह कि इस धारा के अधीन कोई निर्देश :-

(क) उस दिनांक के जब प्रश्न प्रथम बार उठाया जा सकता था, तीन मास से अधिक के पश्चात्;

(ख) विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अधिकारी अथवा किसी व्यथित व्यक्ति से भिन्न व्यक्ति द्वारा नहीं किया जायेगा :

परन्तु यह और कि कुलाधिपति आपवादिक परिस्थिति में, :-

(एक) पूर्वगामी परन्तुक में उल्लिखित अवधि की समाप्ति के पश्चात् स्वप्रेरणा पर कार्य कर सकेगा अथवा निदेश ग्रहण कर सकेगा;

(दो) जहां निर्दिष्ट विषय का संबंध निर्वाचन से संबंधित किसी विवाद से हो और इस प्रकार निर्वाचित व्यक्तियों की पात्रता संदेहास्पद हो तो ऐसा स्थगना आदेश दे सकेगा जिसे वह न्यायोचित और समीचीन समझे।

विश्वविद्यालय का अभिलेख सिद्ध करने की रीति

51-(1) विश्वविद्यालय के कब्जे में विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण अथवा समिति की किसी रसीद, आवेदन, सूचना आदेश कार्यवाही, संकल्प या अन्य दस्तावेजों अथवा विश्वविद्यालय द्वारा सम्यक रूप से अनुरक्षित किसी रजिस्टर की किसी प्रविष्टि की प्रति, यदि कुल सचिव द्वारा प्रमाणित हो, तो ऐसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही, संकल्प अथवा दस्तावेज अथवा रजिस्टर में प्रविष्टि की विद्यमानता प्रथम दृष्टया साक्ष्य के रूप में ग्रहण की जायेगी और उसमें अभिलिखित विषय तथा संव्यवहारों के साक्ष्य के रूप में उसी प्रकार ग्रहण की जायेगी जैसा कि यदि मूल प्रति प्रस्तुत की गई होती हो वह साक्ष्य में ग्राह्य होती।

(2) विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या कर्मचारी से, किसी ऐसी कार्यवाही में जिसमें विश्वविद्यालय एक पक्षकार न हो, विश्वविद्यालय का कोई ऐसा दस्तावेज, रजिस्टर या अन्य अभिलेख जिसकी अन्तर्वस्तु उपधारा (1) के अधीन प्रमाणित प्रति द्वारा सिद्ध की जा सकती हों, प्रस्तुत करने की अथवा उसमें अभिलिखित विषयों तथा संव्यवहारों को सिद्ध करने के लिए साक्षी के रूप में उपस्थित होने की तब तक अपेक्षा न की जायेगी, जब तक कि न्यायालय विशेष कारण से आदेश न दें।

अधिकारी और कर्मचारी लोक सेवक होंगे

52-कुलपति, कुलसचिव, वित्त अधिकारी और विश्वविद्यालय के अन्य कर्मचारीगण, जब इस अधिनियम के किसी उपबंध के अनुसरण में कार्यरत हों या कार्यरत होना तात्पर्यित हो, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझे जायेंगे।

वाद का वर्जन

53-सरकार या विश्वविद्यालय या उसके किसी अधिकारी, प्राधिकरण या उसके निकाय के विरुद्ध उक्त अधिनियम या तद्धीन बनायी गयी परिनियमावली या अध्यादेशों के अनुसरण में किये गये अथवा किये जाने के लिए तात्पर्यित या आशयित किसी बात के संबंध में कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी।

अध्याय-ग्यारह

संक्रमणकालीन उपबन्ध

प्राधिकरण का गठन

54-(1) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात् विश्वविद्यालय का प्रत्येक प्राधिकरण यथाशीघ्र इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार गठित किया जायेगा।

(2) जब तक कि उपधारा (1) के अधीन विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण गठन न किया जाय, राज्य सरकार आदेश द्वारा यह निदेश दे सकेगी कि कार्य परिषद से भिन्न विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण द्वारा इस अधिनियम के अधीन प्रयोक्तव्य शक्तियों अथवा निर्वाहन योग्य, कर्तव्यों तथा कृत्यों का प्रयोग अथवा निर्वहन किसके द्वारा और किसी रीति से किया जायेगा।

कतिपय अधिनियमों का संशोधन

55-अनुसूची के स्तम्भ-2 में विनिर्दिष्ट अधिनियमितियां एतद्द्वारा उसके स्तम्भ-3 में उल्लिखित सीमा तक संशोधित की जाती है।

कठिनाइयां दूर करने की शक्ति

56-(1) सरकार, कोई कठिनाइयां दूर करने के प्रयोजनार्थ यह निदेश दे सकेगी कि इस अधिनियम के उपबंध, ऐसी अवधि में जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाये, ऐसे अनुकूलनों के अधीन रहते हुए चाहे वे उपान्तरण परिवर्धन या लोप के रूप में हो जिन्हें वह आवश्यक या समीचीन समझे, प्रभावी होंगे :

परन्तु इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से दो वर्ष के पश्चात् ऐसा कोई आदेश नहीं किया जायेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश किये जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन किसी आदेश पर किसी न्यायालय में इस आधार पर आपत्ति नहीं की जायेगी कि उक्त उपधारा में निर्दिष्ट कठिनाई विद्यमान नहीं थी या उसको दूर करना अपेक्षित नहीं था।

अनुसूची

(धारा 55 देखिये)

क्र0 सं0	अधिनियमिति का नाम	संशोधन की सीमा
1	2	3
1	उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29 सन् 1974 द्वारा यथासंशोधित पुनः अधिनियमित राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 10 सन् 1973)	(1) धारा 2 में खण्ड 2 के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा अर्थात् :- ''(2) 'सम्बद्ध महाविद्यालय' का तात्पर्य इस अधिनियम और विश्वविद्यालय की परिनियमवली के उपबंधों के अनुसार विश्वविद्यालय से सम्बद्ध ऐसी संस्था से है, जो चिकित्सा तथा समवर्ती विज्ञानों से संबंधित न हों;'' (2) धारा 5 में, उपधारा (6) निकाल दी जायेगी।
2	किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2002 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2002)	धारा-11 में खण्ड (अठारह) निकाल दी जायेगी।
3	डा0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2009)	धारा 5 में खण्ड (दो) में शब्द ''राज्य ऐसे महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को सम्बद्ध करना'' के स्थान पर शब्द राज्य के ऐसे महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को सम्बद्ध करना, जो चिकित्सा तथा समवर्ती विज्ञानों में अध्यापन एवं परीक्षण प्रदान करने वाले महाविद्यालय तथा संस्थायें न हों'' रख दिये जायेंगे।
4	उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा अधिनियम, 2015 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15 सन् 2016)	धारा-6 में खण्ड (थ) निकाल दिया जायेगा।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-56 तक, अनुसूची, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाये ?

(प्रश्न उपस्थित हुआ और स्वीकृत हुआ।)

श्री आशुतोष टण्डन 'गोपाल जी'-

माननीय अधिष्ठाता जी मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2018 पारित किया जाए।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2018 पर पारित किया जाए?

(प्रश्न उपस्थित हुआ और स्वीकृत हुआ।)

[04:46] नियम-51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अधिष्ठाता-

अब मैं नियम 51 की सूचनाएं ले रहा हूं।

आज दिनांक 20-12-2018 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 75 सूचनायें प्राप्त हुई।

पहली सूचना श्रीमती वन्दना सिंह की उ0 प्र0 लोक सेवा आयोग द्वारा की गई पी0सी0एस0, 2015 की भर्ती की सी0बी0आई0 जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, दूसरी सूचना श्री लाल जी वर्मा की जनपद अम्बेडकर नगर में दिनांक 15-10-2018 को बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता एवं उनके ड्राइवर की हत्या के उपरान्त पुलिस द्वारा प्रभावी कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में है, तीसरी सूचना श्री मनोज कुमार पारस की प्रदेश सरकार द्वारा जारी शासनादेश के अनुरूप भूमिधरी कृषकीय भूमि पर बाढ़ के कारण जमा बालू एवं बजरी को हटा कर कृषि योग्य बनाये जाने का अनुपालन कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौथी सूचना डॉ0 नीरज बोरा की जनपद लखनऊ के सीतापुर रोड स्थित नवीन गल्ला मण्डी में व्याप्त अव्यवस्थाओं के सम्बन्ध में है, पांचवीं सूचना श्री देवेन्द्र कुमार निम की जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र रामपुर मनिहारन के अन्तर्गत सरकारी राशन की दुकानों में किये जा रहे भ्रष्टाचार की जांच के सम्बन्ध में है, जो वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई।

पहली सूचना श्री सुखदेव राजभर की जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड मार्टिनगंज के कतिपय ग्रामों को योजनाओं का लाभ दिलाये जाने के सम्बन्ध में है, दूसरी सूचना श्रीमती लीना तिवारी की जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मड़ियाहूं के अन्तर्गत स्नातकोत्तर महाविद्यालय में

स्टाफ की तैनाती कराये जाने के सम्बन्ध में है, तीसरी सूचना श्री उज्जवल रमण सिंह की सिंचाई विभाग की (यांत्रिक) सेवा नियमावली, 1992 को कैबिनेट से अनुमोदित कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौथी सूचना श्री ज्ञान तिवारी की जनपद सीतापुर के वि0स0 क्षेत्र सेउता की ग्राम धनावा में बालू खनन का पट्टा बन्द किये जाने एवं खुदाई की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, पांचवीं सूचना श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी की जनपद बुलन्दशहर के वि0स0 क्षेत्र सिकन्दराबाद में स्थित फैक्ट्रियों द्वारा फैलाये जा रहे प्रदूषण के सम्बन्ध में है, जो केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई।

पहली सूचना श्री अमनमणि त्रिपाठी की जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र लखनऊ पश्चिम के अन्तर्गत पारा थाने को नवनिर्मित भवन में स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में है, दूसरी सूचना श्री संजय प्रताप जायसवाल की जनपद बुलन्दशहर के खुर्जा में औद्योगिक स्थान की भूमि पर अवैध निर्माण हटाये जाने के सम्बन्ध में है, तीसरी सूचना श्रीमती माधुरी वर्मा की प्रदेश के चिकित्सालयों में नियमित सफाई कर्मी रखे जाने के सम्बन्ध में है, चौथी सूचना श्री बम्बा लाल की जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र सफीपुर में महिला अस्पताल बनवाये जाने के सम्बन्ध में है, पांचवीं सूचना श्री लाल बहादुर की जनपद कौशाम्बी के विधान सभा क्षेत्र मंझनपुर में यमुना नदी पर बन रहे महिला घाट पुल का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में है, छठी सूचना श्री शैलेन्द्र यादव ललई की माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा दी गयी संस्तुति के आधार पर जीव विज्ञान विषय को विज्ञान विषय में समाहित करते हुए नई अर्हता तय करने एवं पुनः आनलाइन आवेदन करने के सम्बन्ध में है, सातवीं सूचना श्री अगयश राम सरन वर्मा की जनपद पीलीभीत में बीसलपुर में भूमि पर अवैध कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में है, आठवीं सूचना श्रीमती आराधना मिश्रा मोना की जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र रामपुर खास में विद्युत के जर्जर तारों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, नवीं सूचना श्री मोहम्मद असलम ''राइनी'' (एडवोकेट) की जनपद श्रावस्ती के विधान सभा क्षेत्र भिनगा के कतिपय विकास खण्डों में विभिन्न विकास कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में है, दसवीं सूचना श्री शाहआलम उर्फ गुड्डू जमाली की जनपद आजमगढ़ स्थित सदन अस्पताल में रेडियोलॉजिस्ट की तैनाती कराये जाने के सम्बन्ध में है, ग्यारहवीं सूचना श्री उमाशंकर सिंह की जनपद बलिया के ग्राम पंचायत चकरा कोलुआ में राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय को स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में है, बारहवीं सूचना श्री रोशन लाल वर्मा की जनपद शाहजहांपुर की ग्राम पंचायत निगोही को नगर पंचायत बनाये जाने के सम्बन्ध में है, तेरहवीं सूचना श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा की जनपद सीतापुर के ग्राम सरैया कादीपुर में रपटा पुल की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौदहवीं सूचना डॉ0 अनीता लोधी राजपूत की जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र डिबाई के अस्पताल में स्टाफ की नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में है, पन्द्रहवीं सूचना श्री मसूद अख्तर की जनपद सहारनपुर के ग्राम खजुरी अकबरपुर से

ग्राम उग्राहू मार्ग पर हिंडन नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, सोलहवीं सूचना श्री रमेश चन्द्र मिश्रा की जनपद जौनपुर के वि0स0 क्षेत्र बदलापुर स्थित बहरा पार्क के सौंदर्यीकरण किये जाने के सम्बन्ध में है, सत्रहवीं सूचना श्रीमती शुचिस्मिता मौर्य की जनपद मिर्जापुर के वि0स0 क्षेत्र मझवा के अन्तर्गत डेकवा बांध की सिल्ट सफाई, गहरीकरण तथा पचोखरा माइनर से बइरहवां तक क्षतिग्रस्त नहर की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, अट्ठारहवीं सूचना श्री राम चन्द्र यादव की जनपद लखनऊ में महानगर सचिवालय कालोनी में टाइप-3 भवनों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, उन्नीसवीं सूचना श्री संगम लाल गुप्ता की जनपद प्रतापगढ़ के सदर वि0स0 अन्तर्गत भंगवा चुंगी नया माल गोदाम संपर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, जो ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की गई :-

क्रम	नाम	क्रम	नाम
1	श्री अमिताभ बाजपेई	18	श्री संजय गर्ग
2	श्री प्रदीप कुमार	19	श्री संजय सिंह गंगवार
3	श्री पारस नाथ यादव	20	श्री बृजभूषण राजपूत उर्फ गुड्डू भइया
4	श्री धर्मराज सिंह यादव उर्फ सुरेश यादव	21	डॉ0 श्याम बिहारी लाल
5	श्री ओमकार सिंह	22	श्री हरीराम
6	श्री दलवीर सिंह	23	श्री पूरन प्रकाश
7	डॉ0 अरूण कुमार	24	श्री राहुल प्रकाश
8	श्री किशन लाल राजपूत	25	श्री राम अचल राजभर
9	श्री पल्टूराम	26	श्री बहोरन लाल मौर्य
10	श्री मूलचन्द्र सिंह	27	श्री मो0 मुजतबा सिद्दीकी
11	श्री जवाहर लाल राजपूत	28	श्री रामवीर उपाध्याय
12	श्री रजनीकांत मणि त्रिपाठी	29	डॉ0 हरगोविन्द भार्गव
13	डॉ0 डी0 सी0 वर्मा	30	श्री आजाद अरिमर्दन
14	श्री देवेन्द्र सिंह	31	श्री रितेश पाण्डेय
15	श्री पंकज गुप्ता	32	श्री अजय कुमार लल्लू
16	श्री वीरेन्द्र कुमार यादव	33	कुँ0 नरेन्द्र पाल सिंह
17	श्री करण सिंह पटेल	34	श्री रामनरेश रावत

क्रम	नाम	क्रम	नाम
35	श्री सोबरन सिंह यादव	41	श्री राजीव तरारा
36	श्री अनिल कुमार दोहरे	42	श्री राम प्रताप सिंह
37	इंजी0 बृजेश कठेरिया	43	श्री सुभाष त्रिपाठी एडवोकेट
38	श्री दुर्गा प्रसाद यादव	44	श्री सत्यवीर त्यागी
39	श्री नरेश सैनी	45	श्री नागेन्द्र सिंह राठौर
40	श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही	46	श्रीमती हेमलता दिवाकर कुशवाहा

जनपद जौनपुर, तहसील मड़ियाहूं में फर्जी निर्माण कार्यों की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती लीना तिवारी द्वारा दिनांक 28 अगस्त, 2018 को दी गयी सूचना पर नियम-51 के अन्तर्गत ग्राम्य विकास मंत्री का वक्तव्य (स्थगित)

श्री अधिष्ठाता-

इसमें वक्तव्य नहीं आ पाया है इसलिए यह मद स्थगित रहेगा।

जनपद बुलन्दशहर के अन्तर्गत काला आम से ग्राम जैनपुर को जाने वाली सड़क पर स्थित ग्राम कुड़वल-बनारस मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

जनपद बुलन्दशहर के अन्तर्गत काला आम से जौनपुर को जाने वाली सड़क बुलन्दशहर-मेरठ-बदायूं मार्ग...

श्री उमाशंकर सिंह-

माननीय अधिष्ठाता जी, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अधिष्ठाता-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाता है।

(लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[में जाकर मिलती है तथा बुलन्दशहर-ताजपुर मार्ग (अन्य जिला मार्ग) के नाम से अंकित है। ग्राम कुड़वल-बनारस इस मार्ग के किमी0 5 में मुख्य मार्ग पर स्थित है तथा लेपित मार्ग से जुड़ा है। प्रश्नगत मार्ग उक्त मार्ग के किमी0 5 से दायीं ओर बैंक के किनारे से ग्राम कुड़वल-बनारस के अन्दर का मार्ग है। मार्ग की लम्बाई 400 मीटर है। इस मार्ग का स्वामित्व लोक निर्माण विभाग का नहीं है। इस लिंक मार्ग पर सी0सी0 कार्य वर्ष 2004 में सांसद निधि योजनान्तर्गत नगर पालिका परिषद्, बुलन्दशहर के द्वारा कराया गया था। वर्तमान में ग्राम प्रधान

द्वारा मार्ग के 150 मीटर लम्बाई में इण्टरलाकिंग टाईल्स का कार्य करा दिया गया है। शेष 250 मीटर लम्बाई में मार्ग क्षतिग्रस्त है।]

श्री अधिष्ठाता-

ठीक है, अब हम उठते हैं, कल पुनः पूर्वाह्न 11:00 बजे मिलेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 04 बजकर 49 मिनट पर शुक्रवार 21 दिसम्बर, 2018 अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
दिनांक 20 दिसम्बर, 2018 ई0

आज्ञा से,
प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव।

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

नत्थियां

नत्थी 'क'

(तारांकित प्रश्न संख्या-04 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या-19 पर)।

संलग्नक-1

सांस्कृतिक कार्यक्रम 2016-17 में जनपद स्तर पर लाभान्वित युवाओं का विवरण

क्र0 सं0	जनपद का नाम	लाभान्वित युवाओं की संख्या
1	2	3
1	लखनऊ	52
2	हरदोई	37
3	लखीमपुर खीरी	53
4	सीतापुर	5
5	अम्बेडकरनगर	65
6	बस्ती	51
7	संतकबीरनगर	21
8	गोरखपुर	36
9	देवरिया	58
10	महराजगंज	75
11	आजमगढ़	65
12	मऊ	82
13	बलिया	21
14	वाराणसी	32
15	गाजीपुर	56
16	जौनपुर	25
17	चन्दौली	65
18	बलरामपुर	80
19	संतरविदासनगर	85
20	सोनभद्र	39
21	मिर्जापुर	80
22	कौशाम्बी	50
23	कन्नौज	54
24	इटावा	85
25	औरैया	33
26	झांसी	100
27	जालौन	18
28	ललितपुर	43
29	बांदा	32
30	हाथरस	26
31	बागपत	70

1	2	3
32	गाजियाबाद	59
33	मेरठ	7
34	गौतमबुद्धनगर	19
35	मुरादाबाद	24
36	बिजनौर	43
37	अमरोहा	100
38	सम्भल	55
39	शाहजहांपुर	59
40	पीलीभीत	80
41	बदायूं	17
42	मुजफ्फरनगर	66
43	सहारनपुर	62
	योग . .	**2185**

अजात शत्रु शाही,
उप निदेशक।

सांस्कृतिक कार्यक्रम 2016-17 में मण्डल स्तर पर लाभान्वित युवाओं का विवरण

क्र0 सं0	मण्डल का नाम	लाभान्वित युवाओं की संख्या
1	2	3
1	लखनऊ मण्डल	66
2	बस्ती मण्डल	64
3	गोरखपुर मण्डल	48
4	आजमगढ़ मण्डल	51
5	वाराणसी मण्डल	23
6	मिर्जापुर मण्डल	43
7	कानपुर मण्डल	85
8	झांसी मण्डल	100
9	मेरठ मण्डल	8
10	सहारनपुर मण्डल	70
	योग . .	**558**

अजात शत्रु शाही,
उप निदेशक।

राज्य स्तरीय युवा उत्सव में महानिदेशालय पर लाभान्वित युवाओं का विवरण

क्र0 सं0	जनपद का नाम	लाभान्वित युवाओं की संख्या
1	महानिदेशालय पर कलाकार संगतकर्ता एवं अन्य	400
	योग . .	400

अजात शत्रु शाही,
उप निदेशक।

संलग्नक-2

वित्तीय वर्ष 2017-18 मण्डल स्तर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने वाले कलाकारों की संख्या-

क्र0 सं0	मण्डल का नाम	प्रतिभागियों की संख्या
1	2	3
1	सहारनपुर	65
2	मेरठ	68
3	अलीगढ़	78
4	आगरा	66
5	बरेली	82
6	मुरादाबाद	123
7	कानपुर नगर	44
8	इलाहाबाद	287
9	झांसी	80
10	वाराणसी	117
11	मिर्जापुर	43
12	गोरखपुर	77
13	बस्ती	71
14	आजमगढ़	56
15	लखनऊ	82
16	फैजाबाद	98
17	गोण्डा	27
18	चित्रकूट	50
	कुल योग . .	**1514**

सी0 पी0 सिंह,
उप निदेशक।

संलग्नक-3

ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता जिला योजना 2017-18 में प्रतिभाग किये गये खिलाड़ियों की जनपद से प्राप्त सूची :-

क्र0 सं0	जनपद का नाम	खिलाड़ियों की संख्या
1	2	3
1	लखनऊ	108
2	हरदोई	74
3	लखीमपुर खीरी	126
4	उन्नाव	142
5	रायबरेली	80
6	सीतापुर	50
7	बाराबंकी	21
8	अम्बेडकरनगर	60
9	सुल्तानपुर	76
10	अमेठी	70
11	सिद्धार्थनगर	76
12	गोरखपुर	38
13	देवरिया	47
14	महराजगंज	70
15	आजमगढ़	120
16	मऊ	72
17	बलिया	84
18	वाराणसी	80
19	गाजीपुर	449
20	जौनपुर	45
21	चन्दौली	86
22	बलरामपुर	210
23	संतरविदासनगर	94
24	सोनभद्र	82
25	मिर्जापुर	88
26	इलाहाबाद	48

1	2	3
27	कौशाम्बी	67
28	कन्नौज	123
29	इटावा	58
30	औरैया	72
31	कानपुर नगर	45
32	झांसी	103
33	जालौन	118
34	ललितपुर	90
35	महोबा	65
36	हमीरपुर	114
37	बांदा	43
38	फिरोजाबाद	79
39	मथुरा	155
40	मैनपुरी	92
41	अलीगढ़	83
42	हाथरस	81
43	बागपत	95
44	बुलन्दशहर	102
45	गौतमबुद्धनगर	86
46	हापुड़	86
47	मुरादाबाद	64
48	अमरोहा	72
49	सम्भल	89
50	शाहजहांपुर	77
51	पीलीभीत	85
52	बदायूं	55
53	मुजफ्फरनगर	165
	योग . .	**4990**

(अस्पष्ट),
उप निदेशक।

संलग्नक-4

वर्ष 2017-18 में विवेकानन्द यूथ एवार्ड के अन्तर्गत लाभान्वित दलों की जनपदवार सूची :-

क्र0 सं0	जनपद/मण्डल	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम
1	2	3	4
1	लखनऊ	बी0के0टी0	कठवारा
2	हरदोई	साण्डी	नयागांव
3	लखीमपुर	लखीमपुर	पचपेड़वा
4	उन्नाव	बीघापुर	टेढ़ा
5	रायबरेली	सतांव	हाजीपुर
6	सीतापुर	मिश्रिख	साहब नगर मड़िया
7	अमेठी	संग्रामपुर	सोनारीकनू
8	बाराबंकी	हरख	मानपुर
9	अम्बेडकरनगर	टाण्डा	ब्राहिमपुर कुसुमा
10	सुल्तानपुर	मोतिगरपुर	शाहपुर लपटा
11	फैजाबाद	मसौधा	खानपुर
12	बस्ती	बनकटी	नेवारी
13	सिद्धार्थनगर	बर्डपुर	अगया खुर्द
14	संतकबीरनगर	नाथनगर	अलीनगर
15	गोरखपुर	चरगांव	ज0 तिकोनिया नं0-2
16	देवरिया	सलेमपुर	बनकटा मिश्र
17	महराजगंज	मिठौरा	पिपरा सोनाडी
18	कुशीनगर	विशुनपुरा	बबुईया हरपुर
19	आजमगढ़	तहबपुर	खुटौली
20	मऊ	फ0 मण्डाव	बेलागदायनपट्टी
21	वाराणसी	चौलापुर	खरदहां
22	गाजीपुर	बाराचचर	मांटा
23	जौनपुर	डोभी	कोपा
24	चन्दौली	धानापुर	नेगुरा
25	बलरामपुर	बलरामपुर	सिसई
26	बहराइच	मिहिपुरवा	सेमरहना
27	श्रावस्ती	हरिहरपुर रानी	पटना खरगौरा
28	भदोही	ज्ञानपुर	चकटोडर
29	सोनभद्र	राबर्ट्सगंज	देवरी खुर्द

1	2	3	4
30	मिर्जापुर	कोन	मल्लेपुर
31	इलाहाबाद	कौड़िहार	सम्भई
32	प्रतापगढ़	पट्टी	कंजासराय गुलामी
33	कौशाम्बी	कौशाम्बी	संडवा
34	फर्रूखाबाद	मोमदाबाद	गुरऊशादिनगर
35	कन्नौज	कन्नौज	गंगधरापुर
36	इटावा	बढ़पुरा	हरदासपुरा
37	कानपुर नगर	चौबेपुर	हृदयपुर
38	झांसी	बंगरा	बंगराधवा सेकरा
39	जालौन	कोंच	पहाड़गांव
40	ललितपुर	बिरघा	रजवारा
41	महोबा	पनवाड़ी	महोबकंठ
42	बांदा	महुआ	घुरौंडा
43	आगरा	अछनेर	छः पोखर
44	फिरोजाबाद	फिरोजाबाद	गुदांऊ
45	मैनपुरी	बेवर	विनोदपुर
46	अलीगढ़	धनीपुर	उखलाना
47	हाथरस	मुरसान	हतीसा
48	मुरादाबाद	छजलैट	फतेहपुर विश्नोई
49	बिजनौर	नूरपुर	राजा का ताजपुर
50	अमरोहा	जोया	मसूदपुरनवादा
51	रामपुर	शाहबाद	मथुरापुर
52	सम्भल	बहजोई	रम्पुरा
53	बरेली	शेरगढ़	नगरिया कलां
54	शाहजहांपुर	ददरौल	अकर्रा रसूलपुर
55	पीलीभीत	अनरिया	बिसेन
56	बदायूं	उझानी	निजामाबाद
57	सहारनपुर	बलिया खेड़ी	नल्हेडा गुर्जर

नोट :-प्रत्येक दल में न्यूनतम 10 सदस्य होते हैं। उस आधार पर लाभान्वित युवाओं की संख्या 570 होती है।

मेघना सोनकर,
उप निदेशक।

नत्थी 'ख'

(तारांकित प्रश्न संख्या-09 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या-31 पर)।

संलग्नक-क

उत्तर प्रदेश में सीमान्त एवं लघु किसानों की संख्या और उनके द्वारा धारित भूमि के रकबे का जनपदवार विवरण निम्नवत् है :-

क्र0 सं0	जनपद का नाम	सीमान्त के किसान		लघु श्रेणी के किसान		योग (सीमान्त+लघु)	
		संख्या	क्षेत्रफल (हे0 में)	संख्या	क्षेत्रफल (हे0 में)	संख्या	क्षेत्रफल (हे0 में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	आगरा	169255	71594	51367	77633	220622	149227
2	अलीगढ़	193690	77257	54019	75388	247709	152645
3	इलाहाबाद	452964	160667	59960	83899	512924	244566
4	अम्बेडकरनगर	304112	116186	26199	36972	330311	153158
5	अमेठी	381573	119862	36326	49294	417899	169156
6	अमरोहा	144100	64171	29963	43018	174063	107189
7	औरैया	158720	60047	28528	42235	187248	102282
8	आजमगढ़	531658	180060	50909	74083	582567	254143
9	बदायूं	376772	143382	71850	100677	448622	244059
10	बागपत	80885	35445	20420	28955	101305	64400
11	बलिया	322437	111486	36641	51089	359078	162575
12	बलरामपुर	233928	107625	40913	54982	274841	162607
13	बांदा	156751	69859	54718	76864	211469	146723
14	बाराबंकी	400746	160282	47400	65792	448146	226074
15	बरेली	364846	146102	63726	91378	428572	237480
16	बस्ती	285418	119151	32853	45772	318271	164923
17	बहराइच	424705	191129	56104	74952	480809	266081
18	संतरविदासनगर	170092	47993	12310	16212	182402	64205
19	बिजनौर	244219	112472	69047	101102	313266	213574
20	बुलन्दशहर	261773	100876	55048	82568	316821	183444
21	चन्दौली	161172	70829	18411	26207	179583	97036
22	चित्रकूट	104154	45040	30177	41204	134331	86244

1	2	3	4	5	6	7	8
23	देवरिया	340297	118668	34946	47533	375243	166201
24	एटा	193424	84256	39176	53589	232600	137845
25	इटावा	165255	71084	29505	41030	194760	112114
26	फैजाबाद	304970	98880	26534	34056	331504	132936
27	फर्रुखाबाद	206529	82537	29380	36880	235909	119417
28	फतेहपुर	304568	114325	66638	94562	371206	208887
29	फिरोजाबाद	122552	54847	32988	48718	155540	103565
30	गौतमबुद्धनगर	67856	31744	11899	16595	79755	48339
31	गाजियाबाद	48619	18314	11494	15131	60113	33445
32	गाजीपुर	351935	136536	42372	62311	394307	198847
33	गोण्डा	430192	178977	49610	66345	479802	245322
34	गोरखपुर	411364	141288	44221	60765	455585	202053
35	हमीरपुर	114326	41790	38453	54521	152779	96311
36	हापुड़	78901	28750	16724	22762	95625	51512
37	हरदोई	485521	186542	81386	117474	566907	304016
38	हाथरस	113877	43858	30413	42032	144290	85890
39	जालौन	137223	64440	56755	69642	193978	134082
40	जौनपुर	584943	182026	51909	71222	636852	253248
41	झांसी	156770	79947	49541	72783	206311	152730
42	कन्नौज	215607	80964	30563	39769	246170	120733
43	कानपुर देहात	232546	91328	43187	58660	275733	149988
44	कानपुर नगर	205373	85526	31124	43292	236497	128818
45	कासगंज	141631	56552	29966	40245	171597	96797
46	कौशाम्बी	177571	59793	24631	31371	202202	91164
47	खीरी	461166	169367	87842	125660	549008	295027
48	कुशीनगर	418001	144128	31500	45303	449501	189431
49	ललितपुर	101240	56132	65340	93020	166580	149152
50	लखनऊ	206616	73156	27139	36611	233755	109767
51	महराजगंज	338484	116084	33673	43928	372157	160012

1	2	3	4	5	6	7	8
52	महोबा	76724	36180	35269	50747	111993	86927
53	मैनपुरी	249088	103316	39692	56316	288780	159632
54	मथुरा	93274	41463	39330	56401	132604	97864
55	मऊ	235982	81139	18368	27159	254350	108298
56	मेरठ	148411	64753	34988	49349	183399	114102
57	मिर्जापुर	210743	77832	38075	55979	248818	133811
58	मुरादाबाद	197329	72264	34794	48069	232123	120333
59	मुजफ्फरनगर	180427	32153	34866	64165	215293	96318
60	पीलीभीत	151996	73815	41470	58210	193466	132025
61	प्रतापगढ़	432604	173571	39495	53154	472099	226725
62	राय बरेली	274337	104798	39380	52370	313717	157168
63	रामपुर	148013	59262	36314	50297	184327	109559
64	सहारनपुर	168616	74883	51061	79695	219677	154578
65	सम्भल	214421	79189	40200	54103	254621	133292
66	शाहजहांपुर	306190	141166	65314	91967	371504	233133
67	शामली	55564	54892	24588	18649	80152	73541
68	श्रावस्ती	153171	60592	28783	40956	181954	101548
69	सिद्धार्थनगर	338855	118581	50303	70777	389158	189358
70	सीतापुर	530000	211491	90082	126855	620082	338346
71	सन्तकबीरनगर	196201	74324	21377	28870	217578	103194
72	सोनभद्र	132246	47840	33774	47413	166020	95253
73	सुल्तानपुर	343313	125366	29021	38659	372334	164025
74	उन्नाव	402534	177639	59158	79700	461692	257339
75	वाराणसी	250906	80993	13831	17350	264737	98343
	उत्तर प्रदेश . .	**18532272**	**7170855**	**3035331**	**4243295**	**21567603**	**11414150**

आंकड़ों का स्रोत-भारत सरकार द्वारा जारी कृषि गणना 2010-11।

नत्थी 'ग'

(तारांकित प्रश्न संख्या-16 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या-48 पर)।

संलग्नक-1

तहसील धौरहरा में दिनांक 10.04.2018 को वितरित ट्राई साईकिल के लाभार्थियों का विवरण-

क्र0 सं0	लाभार्थी का नाम	पिता/पति का नाम	ग्रा0 पंचायत	ग्राम का नाम
1	2	3	4	5
1	अंशू	दिनेश	घुरूघुट्टा बुजुर्ग	मूडी
2	दिलसाद	शहजाद	पठान वार्ड	पठान वार्ड
3	सुषमा	पुरूषोत्तम लाल	नयागांव	नयागांव
4	साजिद	अब्बास	गुदरिया	गुदरिया
5	सैफुद्दीन	हसनू	गुदरिया	गुदरिया
6	सुरेश कुमार	रामनरेश	गुदरिया	गुदरिया
7	मुन्ना लाल	रामानन्द	गुलरिया	सरसवा
8	अरविन्द कुमार	हरद्धारी	मिर्जापुरवा	पंडित पुरवा
9	प्रमोद कुमार	महादेव	सरजू नगर	सहवाजपुर
10	कमलेश कुमार	परागदत्त	कलुआपुर	कलुआपुर
11	सुशील कुमार	रामचन्द्र	सिसैया	सिसैया
12	पप्पू	औतार	कुम्हेना	कुम्हेना
13	मुनीर अहमद	मो0 अनीश	पठान वार्ड	पठान वार्ड
14	श्याम किशोर	शत्रोहन	सिसैया	सिसैया
15	अतीक अहमद	मो0 अली	पठान वार्ड	पठान वार्ड
16	दिलीप कुमार	माता प्रसाद	कुम्हेना	कुम्हेना
17	जैतून	असगर अली	चमारन टोला	चमारन टोला
18	रमेश कुमार	माता प्रसाद	कुम्हेना	कुम्हेना
19	असगर अली	बापू	नगरीय	बलियन टोला
20	सुरेन्द्र कुमार	त्रिभवन	समरदाबदाल	समरदाबदाल
21	अब्दुल समद	अब्दुल अली	पठानन टोला	पठानन टोला
22	जन्नतुन	कल्लू	सिसैया कला	सिसैया कला

1	2	3	4	5
23	मो0 सूफियाना	मो0 अय्यूब	पठान वार्ड	पठान वार्ड
24	सिमर कौर	जीत सिंह	अमेठी	टापरपुरवा
25	सीमा बानो	शहबान अली	पठान वार्ड	पठान वार्ड
26	सोबरन लाल	राजकिशोर	करौहा	बरगदहा
27	नरेन्द्र कुमार	सोनेलाल	गुजरिया	सरसवा
28	सीताराम	लल्लन	बबुरी	बबुरी
29	चांदनी बानो	कल्लू	शुक्ला वार्ड	शुक्ला वार्ड
30	पप्पू	अकबर	मूसेपुर	मूसेपुर
31	शमा	मो0 युसुफ	पठान वार्ड	पठान वार्ड
32	साजिद खां	मुजम्मिल खां	जुगुनुपुर	फततेपुर
33	सुमन नाग	सोबरन	मनिहार वार्ड	आचार्य टोला
34	इतवारी लाल	रामधार	करौहा	करौहा
35	कैलाश	कामता	मिर्जापुरवा	पंडित पुरवा
36	शफीक	वसीर	अभयपुर	अभयपुर
37	कौशल्या देवी	भगौती प्रसाद	नगरीय	तिवारिन पुरवा
38	कमलेश	श्रीराम	महराजनगर	महराजनगर
39	आफताब	मो0 इरशाद	जवाहरनगर	जवाहरनगर
40	मंशाराम	रामखेलावन	सरगडा	सरगडा
41	हिना	इसरार	पठान वार्ड	पठान वार्ड
42	राजेश कुमार	बच्चू लाल	अमेठी	अमेठी
43	गोबिन्द बिहारी	छेद्दू लाल	अदलीसपुर	फूलपुर
44	नन्दकिशोर	गार्गीलाल	मिर्जापुरवा	पंडित पुरवा
45	चन्द्र मोहन	हरद्धारी	दखिनिया	धौरहरा
46	रसूल अहमद	बुद्धा	अमेठी	धौरहरा
47	टिम्पो देवी	अम्बिका प्रसाद	कोनिया	धौरहरा
48	पूनम	लालता प्रसाद	फततेपुर	धौरहरा
49	संजय कुमार	राधेश्याम	कुम्हेना	धौरहरा
50	मो0 अफसर	मो0 अहमद	अमेठी	धौरहरा

तहसील धौरहरा में दिनांक 08.12.2018 को वितरित ट्राई साईकिलों के लाभार्थियों का विवरण-

क्र0 सं0	लाभार्थी का नाम	पिता/पति का नाम	ग्रा0 पंचायत	ग्राम का नाम
1	2	3	4	5
1	प्रमोद कुमार	महादेव	सहवाजपुर	सहवाजपुर
2	आलमीन	हनीफ	मो0 शुक्ला वार्ड	मो0 शुक्ला वार्ड
3	झब्बूलाल	छोटेलाल	ग्रा0 व पो0 सेमरी	ग्रा0 व पो0 सेमरी
4	बैजनाथ	सूरजलाल	देवीपुरवा	देवीपुरवा
5	अमरीका प्रसाद	रामलखन	देवीपुरवा	देवीपुरवा
6	नन्द किशोर	गार्गीलाल	मो0 पंडित पुरवा	मो0 पंडित पुरवा
7	गुड्डी	दरबारी लाल	चिकनाजती	चिकनाजती
8	कमलेश	रामभूखन	राजापुर भज्जा	राजापुर भज्जा
9	रामचन्द्र	माधव	बबुरी	बबुरी
10	राम सागर	कल्लू	नयापुरवा, हरदी	नयापुरवा, हरदी
11	खैराती	घसीटे	बिलौली	बिलौली
12	इरशाद अली	ईजाद अली	डाबर	डाबरबेती
13	बाबू	माधवराम	रायपुर	जगदीशपुर
14	ममता गुप्ता	रोहित गुप्ता	खमरिया पंडित	खमरिया पंडित
15	मोतीलाल	चन्द्रभाल	विरसिंहपुर	विरसिंहपुर
16	रिंकू	चन्द्रभाल	बिरसिंहपुर	बिरसिंहपुर
17	विरेन्द्र	मालती	चक्मूसेपुर	चक्मूसेपुर
18	विनोद कुमार	दाता राम	गौरा	गौरा
19	भारत	गोबरे	विरसिंहपुर	टेडया
20	पवन	रमाकांत	मटरिया	मटरिया
21	पूरन	भगौती	गौरा	गौरा
22	प्रभुदयाल	संकटा	नान्हू पुरवा	चन्द्रासा कला
23	राघवेन्द्र	राधेश्याम	पकरिया	पकरिया
24	रामकुमार	लेखराम	सिसैया कलां	सिसैया कलां
25	रामकुवर	सुन्दर	समरदाहरी	हरदासपुर
26	रामेन्द्र झा	मनोज कुमार झा	गौरा	गौरा

1	2	3	4	5
27	राम आशीष	सन्तराम	ओझापुरवा	ओझापुरवा
28	रामू	मूलचन्द्र	धुनधांकलां	धुनधांकलां
29	रामू	जगदीश	समैसा	चौरा
30	सीनू	शिवराम	मुरौवा	मुरौवा
31	राजेश कुमार	पुत्तूलाल	सिरसी	सिरसी चक्मूसूपुर
32	साकिर अली	हसनू	ईसानगर	ईसानगर
33	सालिकराम	रामलखन	बालूपुरवा	बालूपुरवा
34	सर्वेश कुमार	चन्द्रभाल	हसनपुर कटौली	हसनपुर कटौली
35	सूर्यकान्त	प्रेमसागर	हसनपुर कटौली	हसनपुर कटौली
36	जग्गू	दतवारी	लालापुर	लालापुर
37	अरूण कुमार	मुरेश्वर लाल	मटेहनी	बैबहा
38	आशाराम	राधेश्याम	चौरा	चौरा
39	लाडली देवी	कुशवराम	अदलीसपुर	सेमरहना
40	लज्जावती	बाबू	सिसैया कला	सिसैया कला
41	सुन्दर सिंह	विश्वनाथ	दुर्गापुर पडरी	दुर्गापुर पडरी
42	शम्भू	बदलू	लौकाही	लौकाही
43	राजेश कुमार	मिश्रीलाल	रायपुर	रायपुर
44	शिव कुमारी	बिन्द्रा प्रसाद	खडवा मीतमऊ	खडवा मीतमऊ
45	रोहित	हरिवंश लाल	खमरिया, ऐरा	खमरिया, ऐरा
46	कन्हैयालाल	छोटकऊ	बरारी कलवारनपुरवा	बरारी कलवारनपुरवा
47	सुनील सक्सेना	ओम प्रकाश	हसनपुर कटौली	हसनपुर कटौली
48	ऊषा रानी	रामचन्द्र	गैसापुर धौरहरा	गैसापुर धौरहरा
49	राम सहेली	बदाली	गौरा	गौरा नईबस्ती
50	विनोद कुमार	रामकिशन	नयागांव	नयागांव
51	श्याम किशोर	हरिवंश लाल	वेहटा	उदयपुर
52	ऊषा देवी	दीनबन्धु	मूडी	मूडी
53	बुद्धसेन	लक्ष्मीनरायन	ईसानगर	ईसानगर
54	कालिका	बेचन	गनेशपुर	गनेशपुर
55	कुन्दन	पुत्तू	सिरसी	सिरसी

1	2	3	4	5
56	मो0 इमरान	मो0 अकबर	ईसानगर	कटरा
57	मुन्नालाल	कनौजी लाल	जठेरा	जठेरा
58	दिनेश कुमार	नन्द किशोर	अल्लीपुर	तमोलीपुर
59	दिनेश कुमार	विरजा	गंगान	गंगान
60	विजय पाल	शिव नन्दन	कविरहा	कविरहा
61	निधी वर्मा	अनिल कुमार	खडवामीतमऊ	खडवामीतमऊ
62	रईस	इसमाईल	अल्लीपुर	अल्लीपुर
63	रईस कुमार	नन्दराम	सिंगांवर	सिंगांवर
64	रमेश कुमार	मिश्रीलाल	केशवापुर	केशवापुर
65	रेनू देवी	भोदू	गंगान	गंगान
66	शबान	मुस्तफा	काजीपुर	काजीपुर
67	दीप कुमारी	जयराम	मुरौवा	मुरौवा
68	दीपू	मिहीलाल	जालिमनगर	जालिमनगर
69	तबस्सुम	मो0 यार	समरदा हरी	हरदासपुर
70	तीरथ	रामकुमार	मुरौवा	मुरौवा

तहसील धौरहरा में दिनांक 13.12.2018 को वितरित ट्राई साईकिलों के लाभार्थियों का विवरण-

1	रामलली	गया प्रसाद	सेमरी	उदयपुर
2	मनोज कुमार	रामविलास	सेमरी	उदयपुर
3	राममिलन	मंगली	जटपुरवा	लौखनिया
4	वसीम अहमद	झबरू	रामनगर लहबडी	रामनगर लहबडी
5	अरविन्द	बिसोसर	मोहबतिया बेहड	बनिगवां
6	मो0 अहमद	आशिक अली	अभयपुर	अभयपुर
7	गुड्डी देवी	पलालू	परौरी	परसापुर
8	रविशंकर	बृजबिहारीलाल	परौरी	परसापुर
9	मंशा देवी	ओम प्रकाश	लखाही	लखाही
10	संदीप कुमार	मंगूलाल	सुजानपुर	सुजानपुर

1	2	3	4	5
11	रामू	बांकेलाल	कंचनपुर	कंचनपुर
12	इन्द्र बहादुर	सालिकराम	सेमरी	उदयपुर
13	शिवम बाबू	रमेश कुमार	सेमरी	उदयपुर
14	पंकज कुमार मौर्य	मिही लाल	दुलही	दुलही
15	पंक्षी देवी	श्रीराम	सेमरी	उदयपुर
16	बुद्धि सागर	मुक्ता प्रसाद	सेमरी	रमियाबेहड
17	राजेन्द्र	बनवारी	बुचवा पो0 सेमरी	रमियाबेहड
18	रामदीन	गोगे	हौकना, महेश	रमियाबेहड
19	मेवालाल	रामगुलाम	ग्रा0 वपा0 जटपुरवा	रमियाबेहड
20	सहजराम	द्वारिका प्रसाद	ग्रा0 वपा0 जटपुरवा	रमियाबेहड
21	गीता देवी	शिवकुमार	गोसाइनपुरवा	रमियाबेहड
22	बैजनाथ	गोविन्द	कामदुन पुरवा	रमियाबेहड
23	अमरनाथ	गोविन्द	मटेरा	मटेरा
24	राजेन्द्र	कामता	रमियाबेहड	मटेरा
25	राहुल	मुंशीलाल	हरसीपुरवा	रमियाबेहड
26	राजरानी	बृजलाल	बगलहा तकिया	बगलहा तकिया
27	अवधेश कुमार	बांकेलाल	हौकना, महेश	रमियाबेहड
28	गौतमऋषि	कल्लूराम	मल्लबेहड	मल्लबहर
29	संजय	बदलू	खरवहिया	खरवहिया
30	भगौती	महावीर	रमियाबेहड	संकल्पा
31	गुमता देवी	शत्रोहन	रामनगर	रमियाबेहड

नत्थी 'घ'

(अतारांकित प्रश्न संख्या-21 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या-50 पर)।

अनुलग्नक-क

उत्तर प्रदेश में कुल किसानों की संख्या और कृषि भूमि के रकबे (क्षेत्रफल) का जनपदवार विवरण निम्नवत् है :-

क्र0 सं0	जनपद का नाम	कुल किसानों की संख्या	क्षेत्रफल (हे0 में)
1	आगरा	259604	294339
2	अलीगढ़	289444	300167
3	इलाहाबाद	551964	388020
4	अम्बेडकरनगर	339582	181155
5	अमेठी	434194	218310
6	अमरोहा	193982	175644
7	औरैया	201815	151163
8	आजमगढ़	606570	331186
9	बदायूं	484771	362001
10	बागपत	116179	114835
11	बलिया	380307	237532
12	बलरामपुर	295033	226456
13	बांदा	264402	365606
14	बाराबंकी	466486	284856
15	बरेली	460452	341036
16	बस्ती	332032	207311
17	बहराइच	505793	347541
18	संतरविदासनगर	187083	78731
19	बिजनौर	353098	345596
20	बुलन्दशहर	349019	292442
21	चन्दौली	191222	139212
22	चित्रकूट	158094	189062
23	देवरिया	389684	210765
24	एटा	251029	197322
25	इटावा	210136	162723
26	फैजाबाद	341237	162847
27	फर्रुखाबाद	250498	166914
28	फतेहपुर	402071	319093

क्र0 सं0	जनपद का नाम	कुल किसानों की संख्या	क्षेत्रफल (हे0 में)
29	फिरोजाबाद	178912	188076
30	गौतमबुद्धनगर	86528	71928
31	गाजियाबाद	66780	54596
32	गाजीपुर	416365	274771
33	गोण्डा	500277	311547
34	गोरखपुर	473096	256222
35	हमीरपुर	200543	307538
36	हापुड़	104816	81404
37	हरदोई	608653	453635
38	हाथरस	164304	151780
39	जालौन	252676	372717
40	जौनपुर	655913	309078
41	झांसी	254548	343870
42	कन्नौज	256774	155907
43	कानपुर देहात	298941	227802
44	कानपुर नगर	253619	184604
45	कासगंज	185233	140942
46	कौशाम्बी	214773	134692
47	खीरी	611962	509194
48	कुशीनगर	462694	232507
49	ललितपुर	207154	309817
50	लखनऊ	245676	148940
51	महराजगंज	386468	206180
52	महोबा	148584	236292
53	मैनपुरी	302806	205355
54	मथुरा	176931	270391
55	मऊ	262151	134232
56	मेरठ	208504	201322
57	मिर्जापुर	272774	236408
58	मुरादाबाद	252621	187088
59	मुजफ्फरनगर	231507	220885
60	पीलीभीत	222158	231248
61	प्रतापगढ़	487608	274641

क्र0 सं0	जनपद का नाम	कुल किसानों की संख्या	क्षेत्रफल (हे0 में)
62	राय बरेली	331858	215311
63	रामपुर	206885	186259
64	सहारनपुर	259913	294507
65	सम्भल	274841	198221
66	शाहजहांपुर	409051	360190
67	शामली	107394	101816
68	श्रावस्ती	193107	135674
69	सिद्धार्थनगर	406410	244696
70	सीतापुर	659978	467905
71	सन्तकबीरनगर	226241	131478
72	सोनभद्र	195730	228667
73	सुल्तानपुर	382378	194440
74	उन्नाव	486575	338216
75	वाराणसी	267565	106733
	उत्तर प्रदेश . .	**23325456**	**17621587**

आंकड़ों का स्रोत :-भारत सरकार द्वारा जारी कृषि गणना 2010-11।

अनुलग्नक-ख

स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली की योजना से जनपदवार लाभान्वित होने वाले कृषकों की संख्या :-

क्र0 सं0	जनपद	स्प्रिंकलर वितरण (लाभार्थी संख्या)
1	आगरा	99
2	अलीगढ़	19
3	इलाहाबाद	112
4	अम्बेडकरनगर	15
5	बागपत	54
6	बरेली	10
7	बिजनौर	42
8	बदायूं	58
9	बुलन्दशहर	38
10	एटा	40
11	फैजाबाद	15
12	फतेहपुर	90

क्र0 सं0	जनपद	स्प्रिंकलर वितरण (लाभार्थी संख्या)
13	फिरोजाबाद	6
14	जी0 बी0 नगर	3
15	गाजियाबाद	4
16	गाजीपुर	80
17	हाथरस	23
18	जौनपुर	113
19	जे0 पी0 नगर	56
20	कन्नौज	47
21	कानपुर नगर	64
22	कांशीराम नगर	19
23	कौशाम्बी	48
24	लखनऊ	18
25	मैनपुरी	14
26	मथुरा	18
27	मेरठ	16
28	मिर्जापुर	52
29	मुरादाबाद	59
30	मुजफ्फरनगर	34
31	प्रतापगढ़	57
32	रायबरेली	31
33	रामपुर	41
34	सहारनपुर	86
35	सन्तरविदास नगर	51
36	सोनभद्र	36
37	सुल्तानपुर	26
38	वाराणसी	39
39	आजमगढ़	65
40	अमेठी	44
41	बलिया	5
42	हापुड़	33
43	हरदोई	29
44	मऊ	18

क्र0 सं0	जनपद	स्प्रिंकलर वितरण (लाभार्थी संख्या)
45	सम्भल	40
46	सीतापुर	8
47	उन्नाव	29
48	झांसी	1617
49	जालौन	1436
50	ललितपुर	1384
51	बांदा	685
52	चित्रकूट	925
53	हमीरपुर	1472
54	महोबा	861
	कुल योग . .	**10284**

अपर कृषि निदेशक (स0),
उत्तर प्रदेश।

अनुलग्नक-ग

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजनान्तर्गत वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में किसानों को वितरित स्प्रिंकलर सेट की जनपदवार सूचना :-

जनपद का नाम	स्प्रिंकलर वितरण (लाभार्थी संख्या)		
	2017-18	2018-19	योग
औरैया	1	-	1
झांसी	13	-	13
ललितपुर	13	-	13
महोबा	1	-	1
चित्रकूट	15	-	15
चन्दौली	10	-	10
जौनपुर	3	5	8
सोनभद्र	2	-	2
महाराजगंज	2	-	2
देवरिया	1	1	2
श्रावस्ती	1	-	1
फैजाबाद	-	7	7
सुल्तानपुर	-	8	8
हमीरपुर	-	25	25
योग . .	**62**	**46**	**108**

नत्थी 'ङ'

(अतारांकित प्रश्न संख्या-52 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या-65 पर)।

उपजिलाधिकारी (सदर सदस्य)/अपर जिलाधिकारी (सदस्य)/जिलाधिकारी, महोदय (अध्यक्ष)

कृपया नोट शीट संख्या के पृष्ठ संख्या 3, 4 का अवलोकन करने का कष्ट करें जिसमें प्रकरण की पुनः जांच कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये थे। तत्क्रम में सभी पक्षों से पुनः वार्ता तथा जांच कर प्रकरण में निम्न तथ्य अनुशीलन में आये। उपजिलाधिकारी, सण्डीला द्वारा अपने पत्र संख्या 907/एस0टी0-उ0जि0अ0(सं0)-आख्या/2018, दिनांक 08.03.2018 (पताका 'अ') द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रकरण में जिला शासकीय अधिवक्ता, हरदोई से विधिक अभिमत प्राप्त किया गया है। जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील सं0 654/2012 रमेशभाई दभाई नैका बनाम गुजरात राज्य व अन्य, सुप्रीम कोर्ट केसेस 400 व (1999) 3 एस0एस0सी0 719 में दिये गये निर्णय/आदेश तथा अन्य उच्च न्यायालयों के द्वारा समान प्रकरणों में दिये गये निर्णय/अभिमत (पताका 'ब') का सार लेते हुए श्री उमेश कुमार पुत्र श्री रामबाबू, नि0 मतुआ को जारी अनु0 जाति (धानुक) प्रमाण-पत्र को सही माना है। पुनःश्च महोदय के निर्देशानुसार दिनांक 07 मार्च, 2018 को ग्राम मतुआ, विकास खण्ड कछौना जाकर ग्रामीणों से श्री उमेश कुमार पुत्र श्री रामबाबू के परिवार व जाति सम्बन्ध में पूछतांछ कर बयान लिये गये। निरीक्षण आख्या व बयान (पताका 'स') पर अवलोकनार्थ रक्षित है। ग्रामीणों के बयान का परीक्षण उपरोक्त (पताका 'ब') पर रक्षित एवं जिला शासकीय अधिवक्ता की रिपोर्ट के 'कानूनी व्यवस्थायें' शीर्षक संलग्नक के बिन्दु संख्या 1 के अनुसार मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रमेशभाई दभाई नैका बनाम गुजरात राज्य में जो कि (2012) 3 सुप्रीम कोर्ट केसेस 400 में रिपोर्टेड है के अंश "In an intercaste marriage or a marriage between a tribal and non tribal there may be a presumption that the, child has the caste of the father. This presumption may be stronger in the case where in the inter caste marriage of a marriage between a tribal and a tribal, the husband belongs to a forward caste. But by no means the presumption in conclusive or rrebuttable and it is open to the child of such marriage to lead evidence to show that he/she was brought up by the mother who belonged to the scheduled caste/scheduled tribal. By virtue of being the son of a forward caste father did not have any advantageous start in life but on the country suffered the deprivations, indignities, humilities and handicaps like any other member of the community to which his/her mother belonged. Additionally, that he was always threated a member of the community to which her mother belonged not only by that community but by the people outside the community as well." के आलोक में किया जाना आवश्यक है। अधेड़ उम्र के ग्रामीणों (विशेषकर धानुक जाति से भिन्न) के द्वारा पूछे जाने पर बताया गया कि उमेश कुमार के पिता श्री रामबाबू स्व0 सुक्खा धानुक के ही पुत्र हैं। ग्रामीणों के मन में इस तथ्य को लेकर कोई शंका नहीं है कि श्री उमेश कुमार पुत्र श्री रामबाबू, अनु0 जाति (धानुक) के व्यक्ति हैं। कतिपय वृद्ध ग्रामीणों को ही यह जानकारी थी कि रामबाबू के पिता स्व0 सुक्खा धानुक न होकर स्व0 भगवन्त (ब्राह्मण भाट) थे। जिला शासकीय अधिवक्ता की रिपोर्ट के संलग्नक ''कानूनी व्यवस्थायें'' के बिन्दु सं0 4-मा0 मद्रास हाईकोर्ट के वी0 कस्तूरी बनाम आर0 शिव प्रकाशम व अन्य जो कि 2009 SCC Online Mad 69: (2009) 1:E 861 में रिपोर्टेड है के अंश "the revision petitioner is entitled to get a community certificate deschribing her belonging to Scheduled Caste community, Hindu Kudumban since her mother belongs to Hindu Kudumban, caste community, evne though her belonged to Naicker community." श्री उमेश कुमार की

माता श्रीमती शिव देवी धानुक जाति (अनु0 जाति) की है। अतः मद्रास उच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णय के आलोक में श्री उमेश कुमार को अनुसूचित जाति प्रमाण-पत्र के सम्बन्ध में विचार किया जा सकता है। जिला शासकीय अधिवक्ता की रिपोर्ट के संलग्नक ''कानूनी व्यवस्थायें'' के बिन्दु सं0 6-मा0 गुवाहाटी हाईकोर्ट ने अरविन्द कुमार साहा बनाम असम राज्य में जो कि 2002 SCC Online Gau 82 में रिपोर्टेड है के अनुसार "From the aforementioned authorities it is evedent that primarily to determine as to whether a person belongs to particular class or community it is to be seen whether he is accepted by that community as a part of it." के आलोक में ग्रामीणों के बयान का अवलोकन किया जाना समीचीन होगा।

कृपया महोदय के निर्देशानुसार प्रकरण में उपजिलाधिकारी, सण्डीला की प्राप्त आख्या, मा0 सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के निर्णयों एवं पुनः जांच के समय मा0 उच्च न्यायालय, आन्ध्र प्रदेश के 2016 के निर्णयानुसार "It is clear the Suprem Court did not say that a child born to a couple, who married transgressing the barriers of Caste, would take the community of his or her father and not that of his or her mother. On the countrary, Suprem Court categorically ponted out that the answer top the quistion would depend upon the circumstances in which the child was brought and that the same was primarily one of facts." में श्री उमेश का प्रमाण-पत्र वैध माना जाना समीचीन प्रतीत होता है। से सम्बन्धित उपरोक्त उद्धरणों व ग्रामीणों के बयान आदि के आलोक में श्री उमेश कुमार पुत्र श्री रामबाबू, निवासी मतुआ, कछौना को तहसील सण्डीला द्वारा जारी अनु0 जाति प्रमाण-पत्र सही पाये जाने के सम्बन्ध में सहमति की दशा में आवश्यक अनुमोदन प्रदान करना चाहें।

हर्ष मवार,
जिला समाज कल्याण अधिकारी,
हरदोई।

महोदय,

प्रश्नगत प्रकरण से सुसंगत अभिलेखों एवं ग्रामवासियों के बयान केन्द्र की रिपोर्ट व अन्य दस्तावेजों का परीक्षण व अनुसीलन किया गया। यह तथ्य बिल्कुल सही है कि उमेश कुमार के पिता रामबाबू भाट (ब्राह्मण) परिवार से सम्बन्धित थे। रामबाबू जब 6 माह के थे इनकी माता धानुक परिवार के किसी मर्द के साथ जीवन यापन करने लगी। रामबाबू जब जवान हो गये इनकी शादी धानुक परिवार की लड़की से हो गयी थी तथा रामबाबू व धानुक पत्नी के संसर्ग से 5 बच्चों की उत्पत्ति हुई। जिसमें उमेश कुमार भी थे। उमेश के पिता रामबाबू को अपने दादा जाति भाट (ब्राह्मण) की भी सम्पत्ति प्राप्त बतौर विरासत प्राप्त हुई थी। उमेश कुमार के पिता बचपन से ही धानुक समाज ग्राम मतुआ में ही पले बसे थे। वहीं उमेश कुमार का जन्म हुआ तथा धानुक परिवार में ही उसका जीवन यापन चल रहा है। उमेश धानुक समाज में ही पलकर बड़ा हुआ। चूंकि ..... व एस0डी0एम0, सदर की रिपोर्ट व अन्य का/उच्च न्यायालय के निर्णयों के दृष्टिगत उमेश कुमार का जाति प्रमाण-पत्र वैध माना जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उक्त के आलोक में श्री उमेश कुमार पुत्र रामबाबू, निवासी मतुआ, कछौना को तहसीलदार सण्डीला द्वारा अनु0 जाति प्रमाण-पत्र को वैध करार दिये जाने का अनुमोदन देना चाहें।

पी0एस0यू0पी0-119 विधान सभा-09-08-2019-631 प्रतियां (डी0टी0पी0/आफसेट)।